खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-02) / अंक-83

बृहस्पतिवार 7 जून, 2018 / 17 ज्येष्ठ, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

R;eso t;rs

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-02) में अंक 82 के अंक 85 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lph

सत्र-7 भाग (2) बृहस्पतिवार, 7 जून, 2018/17 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक-83

Ø-l-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (14, 21 एवं 22)	7—59
3.	तारॉंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (23 से 40)	59—136
4.	अतारॉंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर {38 से 110 (46, 70, 78, 80 एवं 89 को छोड़कर)}	137—366
5.	माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य (6 जून, 2018 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं. — एक के संदर्भ में स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस वापस देने के आश्वासन पर)	
6.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	366—375
7.	सरकारी संकल्प (नियम—90) पर चर्चा जारी...	375—427

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7 भाग (2) बृहस्पतिवार, 7 जून, 2018/17 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक-83

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1. श्री संजीव झा
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचंद्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत

28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीन कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादवत
36. श्री प्रकाश
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री मनोज कुमार
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री एस.के. बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्रीमती सरिता सिंह
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) बृहस्पतिवार, 7 जून, 2018/17 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक-83

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए ।*

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। कल दिनांक 6 जून, 2018 को सूचीबद्ध जिन तीन तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें आज पुनः सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न संख्याः 14।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आपने कल बोला था... बिजली के बिलों, बिजली की कीमत बढ़ी है, उस पर मैं आज चर्चा करवाऊँगा, उस पर आज अपना जवाब दे दो। आपने सदन में कहा था ये।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड, अलका जी। विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार, प्लीज। माने आप सदन को बार-बार गुमराह करेंगे, यह उचित नहीं है। नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा। मैंने यह कहा था... मैं ये खुद दोहरा रहा हूं। एक सैकंड... मैं सदन को बताना चाहता हूं... मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि कल मैंने कुछ कहा था। ठीक? चार बजे हम मिले, सदन चला, फिर मैंने कहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने फिर कहा चार बजे।

माननीय अध्यक्षः मैंने फिर कहा कि... भई, आप दो मिनट रुक जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे नहीं, आप बैठिए। बैठिए प्लीज। ऋतुराज जी, ऋतुराज जी मैं बोल रहा हूं, बैठ जाइए। दो मिनट, बैठ जाइए आप। दो मिनट बैठ जाइए। मैंने कहा कि सदन के बाद 6.00 बजे बिल लेकर मुझे मिल लीजिए। मैं आपको... मैंने कहा, मेरा रिकॉर्ड है, 6.00 बजे के बाद मिलेंगे आप से। अभी मेरे ऑफिस में आये। मैंने कहा, "बिल दे दीजिए मुझे।" मैंने बिल मांग आपसे। आपने कहा, "हम बिल लेके नहीं आये हैं।" सदन में मैंने अभी अपने चैम्बर में बिल मांगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे चर्चा अलाउ नहीं कर रहा हूं। न, मैं कोई चर्चा... आप आइए, बोलते रहिए। विजेन्द्र जी, आपके सदस्य ने मुझे एक लैटर लिखा। अधिकारियों को आप बचा रहे हैं। इन्होंने मुझे लैटर लिखा। आपने मुझे लैटर लिखा कि अधिकारियों के साथ ज्यादती हो रही है। आपका लैटर आया मेरे पास और आप फिर अधिकारियों को बचा रहे हैं। आप बैठिए अपनी सीट पर। मैं आग्रह कर रहा हूं कि बैठिए आप... बैठिए आप। अधिकारियों को क्या दिखा के बता रहे हैं? अधिकारियों को क्या दिखा के बता रहे हैं। नहीं, क्या दिखा के बता रहे हैं अधिकारियों को, क्या कहना चाहते हैं आप? आप बैठिए वहां, वहां बैठिए।

आप अपनी सीट पर जाइए।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता जी सदन के वेल में अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आए)

माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाइए। सिरसा जी लैटर लिखते हैं... आप एलजी को कि अधिकारियों के साथ ज्यादती हो रही है। आप बैठ जाइए। लैटर लिखते हैं मुझे, "अधिकारियों के साथ ज्यादती हो रही है।" किसने बताया आपको? बेइज्जती की? क्या सबूत हैं आपके पास? कोई सबूत दिया आपने? कोई सबूत दिया मुझे? मुझे मजबूर कर रहे हैं आप बोलने के लिए। बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए। हां, जाइए, जाइए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। रिकॉर्ड निकल जाएगा, फैसला हो जाएगा। न, छोड़ दीजिए, मैं मोबाइल की नहीं कुछ मानूंगा, सदन का रिकॉर्ड है, उसको मानूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, ये सदन गंभीर, चलिए आप ठीक है। आपकी पत्र लिखने की भाषा है, अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, कि समितियों के अंदर बुला के अधिकारियों को डांटा जाता है, आप अधिकारियों की पैरवी कर रहे हैं यहां, उस सदन के अधिकारियों की पैरवी कर रहे हैं, मुझे लैटर लिखते हैं आप, आपकी हिम्मत कैसे हुई लैटर लिखने की?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः लिखूंगा मैं।

माननीय अध्यक्षः लिखूंगा मैं... तो सुनना पड़ेगा। दे दिया मैंने आपको जवाब। आपको जवाब दिया है।

श्री मनजिन्दर सिंहः ये तरीका सही नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आपके पास क्या सबूत है? दीजिए मुझे। आपका बात करने का तरीका है? लैटर लिखे, मुझे मजबूर कर रहे हैं आप। अधिकारियों

से मिलीभगत करके आप लैटर लिखते हैं, अधिकारियों से मिलीभगत करके आपने लैटर लिखा। अधिकारियों से मिलीभगत करके लैटर लिखते हैं। बैठिए, बिल मुझे दीजिए पहले। पहले मुझे मेरे चैंबर में बिल दीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने कल भी ये कहा था, चैंबर में बिल दीजिए। आप चाहे टी ब्रेक में बिल दीजिएगा मुझे, मैं देखता हूं, बिलों में क्या कमी है। बिल ले के आ गए! हां, बैठिए आप। मैंने कल भी कहा था, टी ब्रेक में दीजिए। मैंने कहा था, ठीक है, जाइए। आप कितना ही शोर मचा लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप चर्चा से भाग रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं चर्चा से नहीं भाग रहा हूं, आप बिलों की हकीकत को दिखाने से भाग रहे हैं। बिलों की हकीकत को दिखाने से भाग रहे हैं। मैं फिर हाउस में अनाउंस कर रहा हूं। मैंने कहा था कि आप मेरे चैंबर में बिल मुझे... नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं। हाईजैक कर रहे हैं सदन को। आप हाइजैक कर रहे हैं सदन को। आप चार बजे आइएगा, मैं देखूंगा बिल। मैं फिर बोल रहा हूं सदन को, मैंने कल भी बोला था कि चार बजे मुझे बिल दिखा दीजिए। अगर बिल मुझे उचित लगेगा, मैं चर्चा करवाऊंगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप गुमराह कर रहे हैं सदन को। आपका सदन को गुमराह करने का पेशा बन गया है, पेशा बन गया है आपका। चलिए, बैठ जाइए आप। मैंने कहा ना, चार बजे बिल दिखाइए मुझे। मैंने कहा, बिल दिखाइए। ऐसे लहराने से कुछ नहीं होगा। चार बजे सदन में दिखाइए आप। मैंने आपसे... न, मैं ऐसे नहीं लूंगा। न, मैं आपसे अपने चैंबर में लूंगा आपसे। मैं कोई भी कागज है, मैं चार बजे चैंबर में लूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकार को जवाब तो देने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः सरकार को बोलूंगा मैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप क्या फैसला करेंगे? सरकार को सुनने के बाद तो करेंगे आप फैसला।

माननीय अध्यक्षः वो लैटर दे दीजिए मुझे, एक सैकंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप सरकार को सुनने के बाद तो फैसला करोगे ना?

माननीय अध्यक्षः किसको? में बिल देखने के बाद फैसला करूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बिलों पर चर्चा... दिल्ली पर मुसीबत पड़ी है।

माननीय अध्यक्षः आप बोलते रहिए। ये तो दिल्ली की जनता देख रही है। बिजली की कीमत बढ़ी है।

(सभी विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए आप, नरेश जी आप बैठ जाइए। ऐसे नहीं त्यागी जी, बैठिए प्लीज। बैठिए। कल दिनांक 6 जून, 2018 को सूचीबद्ध जिन तीन तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें आज पुनः सूचीबद्ध किया गया है, प्रश्न संख्या–14, प्रश्न संख्या–16, प्रश्न संख्या–19, प्रश्न संख्या–14, 16 राजस्व विभाग से संबंधित थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, जिन अधिकारियों को कॉल किया गया था, क्या वो उपलब्ध हैं, आए हैं? राजस्व, शिक्षा विभाग, ठीक है। प्रश्न संख्या 14.

सुश्री भावना गौड़: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं.–14 प्रस्तुत हैः–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भू–खंडों का आबंटन किया गया था;

(ख) इन आबंटनों का आबंटियों के नाम व जिन स्थानों पर ये आबंटन किए गए, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) वर्तमान में इन भू–खंडों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इन भू–खंडों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन भू–खंडों पर व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;

(च) यदि हां, तो क्या इन भू–खंडों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियों की इजाजत है;

(छ) यदि नहीं, तो इन गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है;

(ज) क्या इन भू–खंडों के मालिकाना हक स्थानांतरित किए जा सकते हैं; और

(झ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

माननीय राजस्व मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–एक का उत्तर प्रस्तुत हैः–

(क) गांव पालम में 20 सूत्रीय के अंतर्गत उपलब्ध प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार 19.2.77 को 824 व्यक्तियों को प्लाट देने का प्रस्ताव था। जो कि

24.10.77 को निदेशक (पंचायत) के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया जैसा कि 15.2.1978 व 26.2.1978 के प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आबंटन नहीं किया जा सकता। अत5 नियमानुसार यह प्रस्ताव वैध आबंटन का प्रमाण नहीं है;

(ख) गांव पालम के प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार दिनांक 25.5.76 के अनुसार भूमि वितरण कमिटी द्वारा कुछ व्यक्तियों को रिहायशी प्लॉट देने के लिए एक सूची अलग से पट्टा रजिस्टर में दी गई है;

(ग) से (छ) भूखंडों के सम्यक रूप से चिन्हित न किए जाने के कारण यह कह पाना संभव नहीं से है;

(ज) नियमानुसार ग्राम सभा का कोई भी आबंटन हस्तांतरण नहीं होता है; और

(झ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये समय पर अधिकारी जवाब नहीं देते।

माननीय अध्यक्षः भावना जी, वो मैं देख लूंगा... वो मैं देख रहा हूं अभी।

सुश्री भावना गौड़ः जो जवाब दिए हैं, अभी वो सभी उटपटांग, गोलमोल करके जवाब दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप सप्लीमेंटरी में पूछिए।

सुश्री भावना गौड़ : मैं ये पूछ रही हूं, क्या उन प्लाटों की जगह बहुमंजिला इमारतें खड़ी है? ये कह रहे हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है। क्या वो बहुमंजिला इमारतें इनको खड़ी हुई नजर नहीं आ रही हैं? ये क्या जवाब दे रहे हैं! ये वैसे हाउस को गुमराह करते हैं। पहले जवाब नहीं देते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। अगर जिम्मेवारी समझते हैं तो इस तरह के जवाब देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : भावना जी, इसमें से क्रॉस क्वेश्चन निकाल के जो आपको गलत लगता है, आप क्वेश्चन करिए।

सुश्री भावना गौड़: सर, मैं क्या क्वेश्चन... ये जवाब पूरा गलत है।

माननीय अध्यक्ष: यही क्वेश्चन किया आपने, यही क्वेश्चन करिए, क्या वहां बहुमंजिली इमारते नहीं खड़ी हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनता क्या?

सुश्री भावना गौड़: चलिए बताइए क्या वहां बहुमंजिला इमारतें नहीं खड़ी हैं, बताइए? क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पालम के हरिजन बस्ती के अंदर जो प्लॉट आबंटित किए गए थे, क्या वे प्लॉट यूं के यूं हैं, क्या उनकी संख्या जो आपने 824 बताई है, क्या ये उतनी संख्या में आज भी उपस्थित हैं, क्या इनकी संख्या बढ़ी नहीं है बताइए? ये शहरीकृत नहीं हुआ क्या पूरी की पूरी तरह से, आज कोई भी ऐसा मॉल या कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका शोरूम वहां पर न हो। ये किसकी देख रेख में हो गया? कौन देगा इसका जवाब? आपने लिखा स्थानांतरित नहीं है, ये प्लॉट जिसके नाम होगा, दूसरे को नहीं दिया जा सकता, उसके बावजूद भी केसे ट्रांसफर हो गए ये प्लॉट?

माननीय अध्यक्ष: हां जी, माननीय मंत्री जी।

माननीय राजस्व मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये काफी गंभीर विषय है और मेरे ख्याल से एक विधान सभा का नहीं, पूरी दिल्ली में अलग–अलग विधान सभा में जहां भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी लैंडलैस लोगों को या तो प्लॉट दिए गए लैंड दी गई। रेवैन्यू डिपार्टमैंट के जो ऑफिशियल इन्कलूडिंग डिविजनल कमिशनर आई, उनसे लगातार मैंने पूछना चाहा कि भई ये एक्सरसाइज पुरी क्यों नहीं हुई...

माननीय अध्यक्ष: नहीं उपस्थित अधिकारियों से जो, ये बहुत गंभीर विषय है। आप जानकारी ले सकते हैं इनसे।

माननीय राजस्व मंत्री: मैं आ रहा हूं उसी पे। तो बड़ा इंटरेसटिंग इशू... इसमें ये है कि 2002 में जो भी मुझे बताया गया कि 2002 में एक वन मैन इन्कवायरी हुई, उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई थ्रू डीसी और उस टाइम जो डिविजनल कमिश्नर थे, 2002 में इसी विधानसभा में एक रेजल्यूशन पास हुआ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 2007 में एलजी के आदेश ये थे कि जो जिनके राइट्स बनते हैं, उनको परपेच्युअल लीज के राइट्स उनको दिए जाएं। लेकिन बार–बार पूछने के बावजूद भी कोई भी सेटिसफेक्टरी आन्सर रेवेन्यू डिपार्टमैंट से नहीं मिला। मैंने लगातार पूछा है कि जब वन मैन इंक्वायरी फाइंडिंग कमेटी खुद कहती है कि जिनके अधिकार बनते हैं और जो अपनी फॉर्मेलिटिज पूरा कर सकते हैं, उनको आप राइट्स दे दीजिए। 2007 में एलजी के खुद आदेश हैं कि जिनके अधिकार बनते हैं और जिनके डाक्युमेंट्स इन प्लेस है, उनको आप लीज राइट्स दे दीजिए। लेकिन कोई सेटिसफैक्टरी आन्सर रेवेन्यू डिपार्टमैंट से नहीं मिला। उसी फाइल पे मैंने खुद लिखा है कि डिविजनल कमिश्नर एक हफ्ते के अंदर पूरी अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्योंकि ये जो जवाब है, ये जवाब भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है कि जिन लोगों को और 2017 में ही, मैंने

ही ये क्वैश्चन उस टाइम रेजल्यूशन ये विधानसभा में उठाया था कि जो लोग 20 प्वाइंट प्रोग्राम में चाहे वो जमीन है, चाहे प्लाट है, वो आज भी कब्जे में अगर बैठे हैं और अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से अपने पूरे मेहनत के साथ अगर उन्होंने किसी भी जमीन को या जो प्लॉट है, उसपे अपने पैसों के साथ उसका डेवलपमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से किसी भी सरकार का, किसी भी डिपार्टमेंट का ये अधिकार नहीं बनता कि वो उनको आज मना करें। तो ये जो जवाब रेवेन्यू डिपार्टमैंट से आया है, मेरे ख्याल से सेटिसफैक्टरी नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं भावना जी से कि जिन–जिन... जो एलॉटीज हैं और जो अपने डाक्युमेंट्स प्रूव कर सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उनकी ऐथॉन्टिकेशन करकर उनको अपने जो उनके राइट्स हैं, वो दिए जाए।

माननीय अध्यक्षः आपने इस क्वैश्चन की फाइल पर ये नोटिंग दी है कि एक हफ्ते के अंदर जवाब दें? ठीक।

माननीय राजस्व मंत्रीः ये मैंने फाइल पे लिखा हुआ है।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में जो अधिकारी उपस्थित हैं, क्या वो जवाब दे सकते हैं इन सब चीजों का या केवल मंत्री जी के जवाब को ही हम इतिश्री कर दें सुनकर करके।

माननीय अध्यक्षः अब ये मंत्री जी पर है। कोई जवाब दे रहे हैं वो आपको? नहीं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी मैं करता हूं इसको। बैठिए, आप। अभी देख लेते हैं अगर देते हो तो। बैठिए, दो मिनट। ऋषि जी।

सुश्री भावना गौड़ः सर प्रिविलेज को भेजना चाहिए इसको।

माननीय अध्यक्षः हां, आपका लिया हुआ मैंने, राखी जी।

सुश्री भावना गौड़: सर, प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए इसे।

माननीय अध्यक्षः मैं देखता हूं। अभी दो मिनट रुकिए।

श्री विशेष रविः सर, ये डॉयरेक्ट कंटेम्प्ट है। सवालों के जवाब ठीक नहीं आए हैं।

माननीय अध्यक्षः मैंने देखा लिया है। बैठिए प्लीज। हां।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां दो हरिजन बस्ती हैं जिसके अंदर आप देखते होंगे कि काबली साइड में बना उनके साथ में एक बोटलनेक है। ये हरिजन बस्ती की जमीन पे बनी हुई सड़क है और उस पर जो बोटलनेक बना हुआ है, वो मकान... सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मिला हुआ मकान था जिसकी रजिस्टरियां किसी मित्तल साहब के नाम पे ट्रांसफर्ड हैं।

माननीय अध्यक्षः भई, आपकी विधान सभा का इससे क्वेश्चन नहीं जुड़ता।

श्री राजेश ऋषिः सर, मैं एक मुद्दा नहीं उठा रहा हरिजन बस्ती का ही कि ये प्रापटी इस तरीके की प्रापर्टीज हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, देखो इसी विधान सभा से संबंधित रिलेटिड है तो पूछिए।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये हरिजन बस्ती की प्रापर्टीज को ट्रांसफर किया गया दूसरों के हाथ में और वो स्टे लेकर आज पूरे–पूरे सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं। साथ में मेरे यहां दो–तीन मकानों को जोड़कर बड़ी–बड़ी बिल्डिगें बना दी गई हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बेसमैंट नहीं बनते, वहां बड़े–बड़े बेसमैंट बन गए हैं।

रेवेन्यू डिपार्टमैंट कुछ नहीं कर रहा। मैंने इसकी कंप्लेंट एमसीडी को भी की थी कि यहां पर ये मकान हैं जो बने हैं।

माननीय अध्यक्षः अब नहीं, एक सप्लीमेंटरी रखिए।

श्री राजेश ऋषिः कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर मैं मंत्री जी से ये ही जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और आपकी बहुत सी रेवेन्यू लैंड है जिसके ऊपर कब्जे करते आ रहे हैं और रेवेन्यू डिपोर्टमैंट चुपचाप बैठ हुआ है।

माननीय अध्यक्षः भई, मैं माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि ये प्रश्न संख्या पालम विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। पालम विधानसभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत... अब वो मंत्री जी के पास उत्तर. .. भई, अब नहीं, भावना जी, जब नहीं, अब दो मिनट रुकिए अभी। अभी ये एक ही क्वेश्चन नहीं है सारा विषय उलझ जाएगा। आप बैठिए दो मिनट। हां।

माननीय राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो 1974–75 में जो भी पूरी दिल्ली में जिन–जिनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो भी प्लाट या लैंड दी गई थी तो मैंने डिविजनल कमिशनर को ये आदेश दिए हैं कि वो अपनी पूरी एक रिपोर्ट बनाए और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगलिजेंस है क्योंकि 2007 में जब ऑलरेडी एलजी ने आदेश दे दिए, उसके बाद अगर किसी ऑफिसर ने काई एक्शन नहीं लिया तो उसकी एकाउंटेबलिटी भी फिक्स करें।

माननीय अध्यक्षः चलिए। राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इसमें जो भावना जी का सवाल है, इसका जो (ज) पार्ट है कि क्या इन भूखंडों के मालिकाना

हक का हस्तांतरित किया जा सकता है, इसमें जवाब दिया है कि नियमानुसार ग्राम सभा का कोई भी आबंटन हस्तांतरित नहीं होता है। ये कानूनी तौर से सही है लेकिन पूरी दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जितनी भी जमीनें दलितों को, हरिजनों को मिली थी, सबकी सब जो है आज किसी मित्तल, किसी गुप्ता, किसी जैन किसी न किसी के नाम पर हस्तांतरित है। ये गोरखधंधा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमैंट में चल रहा है। इसलिए मैं आपको बार–बार कह रही थी कि एक बार मुझे बोलने का मौका दें।

माननीय अध्यक्षः अब क्वेश्चन निकालिए।

सुश्री राखी बिड़लाः पूरी दिल्ली का ये हाल है। सर, क्वेश्चन यही है कि जब ये जवाब है कि आबंटन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मालिकाना हक किसी और को नहीं दिया जा सकता। फिर आज पूरी दिल्ली में जो हरिजनों को जगह मिली थी, दलितों को जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जमीन मिली थी, वो कैसे और लोगों को जो है, हस्तांतरित हो गई, उनके नाम पॉवर ऑफ एटॉर्नी बन गई? इनके कागज नाम हो गई, ये कैसे हो गया? ये डिपार्टमेंट की नाक के नीचे हुए पूरा का पूरा अरबों–करोड़ों रुपये का घोटाला हो और मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि इसका संज्ञान लें पहली बात, और दूसरी बात, जो भी सवाल भावना जी ने लगाए हैं, पूरा गोल–मोल जवाब है। क्योंकि मेरी विधान सभा में भी इस तरह से हो रहा है। और मेरी ये मांग है सदन के सामने कि इसको क्वेश्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी में भेजा जाए ताकि हम बारिकी से इस मुद्दे के ऊपर छानबीन कराकर इस करोड़ों अरबों रुपये के घोटाले को और जो दलितों का हक मारा गया है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कराकर जो है, ईमानदारी से निकलने... कि जो सच्चाई है, वो आकर हम सदन पटल पर रखें, सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–16 श्री सौरभ भारद्वाज।

श्री महेन्द्र गोयलः एक सैकंड मैं इनकी भावना से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन एक ही जाति विशेष पर ये अटैक होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि में ये नहीं सोचता हूं। इनकी बात भी करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं–नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, भावनाओं का खेल है ये। उनका हक के लिए मैं भी हमेशा लड़ता हूं और हमेशा ये बात करता रहा हूं। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः आइंदा प्लीज, सम्मानित मेम्बर हैं। आप उस बात को मद्देनजर किसी भी एक विशेष वर्ग की बात करना कहीं पे जायज नहीं है, धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः प्रश्न संख्या 16।

श्री मिनट छोटी–छोटी बातों पे इस तरह से करना ठीक नहीं लगता। दोनों चुनकर आए हुए हैं। दोनों काफी उम्रदराज है छोटी है, मुंह से निकल जाता है। उसको अपने हिसाब से समझना चाहिए चीजों को... ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी इतना ऐतराज भी जाहिर करना अच्छा नहीं है।

16 नंबर अध्यक्ष जी, प्रश्न है और प्रश्न में मैं आपको बताऊ ये है किः

(क) क्या ये सत्य है कि वर्ष 1997 से 2005 के दौरान सरकार द्वारा सनोट खेड़ा खुर्द, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलत पुर सहित अनेक गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या यह सत्य है कि धोखाधड़ी, चीटिंग, राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ इत्यादि आरोप लगाते हुए विभिन्न पुलिस थानों में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 447, 511, 160 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एफआईआर का प्रत्येक एफआईआर में दर्ज अभियुक्त के नाम सहित विवरण क्या हैं;

(घ) इन एफआईआर में दर्ज सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण दिया जाए;

(ङ) इन एफआईआर से नामित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है इसका बताया जाए;

(च) क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मचारी शिकायत किए जाने के बावजूद उसी जिले में पदापित हैं; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष जी, ये मामला गांव वालों की जमीनों का है और छोटा मोटा नहीं, कई सौ करोड़ के मुआवजे जो हैं, फर्जीवाड़ा करके लिए गए हैं। जिन गरीब वालों की ये जमीनें थी उनको मुआवजा नहीं मिला है और रेवेन्यू डिपार्टमैंट के बड़े–बड़े अधिकारी तहसीलदार से लेकर डीएम के लेवल तक के अधिकारी मिले हुए हैं इसके अंदर। साफ–साफ प्रश्न है, साफ–साफ पूछा गया है। रेवेन्यू डिपार्टमैंट का प्रश्न है। इसका जवाब अगर आज खासतौर पे अफसरों को बुलाने के बावजूद भी नहीं आया है तो आप समझ सकते हैं जो मिलीभगत है और चोरों के साथ जो मिलीभगत है, वो नीचे से लेकर किस ऊपर तक के लेवल तक अफसरों के बीच में है। अफसर यहां पे

मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि अगर इस मामले पे भी ये असेंबली संज्ञान न ले तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी चीज का फायदा है। फिर अफसर तो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए अगर आ रहे हैं तो उनको छुट्टी दे दीजिए, अपने घर पे ही तनख्वाह ले लें। ये अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है और मैं इसके साथ एक ओर आपको बता दूं कि आज मेरा प्रश्न है जो आज लगा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, उसको उस संख्या को आने दीजिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, वो संख्या नहीं आएगी, उसका उत्तर नहीं आया। मैंने पता किया है। वो संख्या अनस्टार्ड है और वो क्वेश्चन जो है, मेरा फाइनेंस डिपोर्टमेंट से था। वित्त विभाग कहीं से भी रिजर्ब्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैंने सीधा–सीधा ये पूछा था कि जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में असेंबली की कमेटीज ने दोषी पाया है, जहां पे ऑन रिकॉर्ड एविडेंस ले के इनकी फाइल नोटिंग्स देख के हमें मालूम पड़ा कि दो अधिकारी आईएएस अधिकारी जे.बी. सिंह और शूरवीर सिंह ये दोनों करोड़ों की हेराफेरी में शामिल हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं। भ्रष्टाचारी लोगों की मदद करने में शामिल हैं। बाकायदा उसकी रिपोर्ट जो है, वो असेंबली के अंदर हमने पेश की हैं। रिपोर्ट असेंबली के अंदर अडॉप्ट हुई है। मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि जब इस तरीके के भ्रष्टाचार अदालत में जाते हैं। इस विधान सभा के खिलाफ जाते हैं। सरकार के खिलाफ जाते हैं तो क्या उनके वकीलों की फीस सरकार देती है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से मेरा प्रश्न है। इसका जवाब नहीं आया है और मुझे मालूम पड़ा हे कि इसको कहा गया है कि नहीं साहब, इसको हमने सर्विसिज में ट्रांसफर कर दिया है। क्यों ट्रांसफर कर दिया सर्विसिज में? सर्विसिज तुम्हारे चाचा की है या भ्रष्टाचारियों के सरगना की है सर्विसिज, जो वहां दे दो? तो वहां पे काई उत्तर नहीं आएगा।

एक–एक पैसा जो इस सरकार का है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो वित्त विभाग के अंदर आता है। अगर जनता के टैक्स दिए हुए पैसे से भ्रष्टाचारियों के लिए वकीलों की फीस दी जा रही हैं तो ये मामला तो वित्त विभाग का है और मैंने वित्त विभाग से ही पूछा है तो वित्त विभाग की ऐसी कैसी मजाल हो गई, कैसी हिम्मत हो गई कि उन्होंने कह दिया, ये मामला अब सर्विसिज का है। इसका मतलब तो सर्विसिज में कोई दलाल बैठा हुआ है और वो दलाल ये फैसला करता है कि अच्छा सर्विसिज का है तो में जवाब नहीं दूंगा। ये तो मतलब खुलके चोरों की दलाली हो रही है और भी उसके अन्दर मेरा सवाल था। उसमें मेरा सवाल ये था कि विधान सभा की कमेटियों के खिलाफ भ्रष्टाचारी अफसर आईएएस अफसर कोर्ट में जा रहे हैं तो उन केसिज से लड़ने के लिए दिल्ली असेंबली की जो समितियां हैं, उनके लिए जो हम वकील खड़े करते हैं, उनके पैसे कौन देगा। ये सर्विसिज का मामला कैसे हो गया, आप ये बताइए कि हमारे मामले अगर भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे मामले कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो कौन वकील है जो फ्री में लड़ेगा और जिन वकीलों ने ये केस लड़े हुए हैं, उनको फीस आज तक नहीं दी गई है और हमने वित्त विभाग से पूछा है कि इसका क्या तरीका है कि इन वकीलों को फीस दी जा सके, इसका क्या पूरा का पूरा प्रोसिजर है। अब ये बताइए कि अगर असेंबली के मामलों के अंदर वकील की जरूरत है तो ये मामला या तो फाइनेंस का है या लॉ का है। ये मामला सर्विसिज का कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बेहद मुझे लगता है कि निहायती नीचपने पे जो है, ये लोग उतर आए हैं और इस तरीके का काम जो है ये कहीं पे गवारा नहीं होगा। खुल के भ्रष्टाचारियों की दलाली की जा रही है। सर्विसिज डिपोर्टमैंट के नाम पे ये दलाली की जा रही है। मैं अध्यक्ष जी, ये चाहता हूं कि कल आप मुझे थोड़ा समय दें। मैं कल इस विधान सभा के आगे सबूत रखूंगा कि कैसे एल.जी. ऑफिस भ्रष्टचारियों

के साथ मिलके भ्रष्टचारियों को भ्रष्टाचार में बचाने की कोशिश कर रहा है मैं बाकायदा डाक्युमेंटेड प्रूफ रखना चाहता हूं इस विधान सभा के सामने। कल आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, अध्यक्ष जी, और जो मैंने बता कही है उसके ऊपर आप संज्ञान लीजिएगा।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल समय देना चाहिए, बिल्कुल समय देना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः मैं एक सैकंड हाउस का जो शेड्यूल है, वो कल तक के लिए है। मैं हाउस को... ये ममाला बहुत गंभीर हो रहा है और मैं इससे बहुत स्वयं में बहुत पीड़ित महसूस कर रहा हूं इस कुर्सी पर बैठकर। मंत्री जी ने जैसे कहा, मैं ये हाउस को मन्डे के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। आपकी सहमति है मन्डे को? मैं अधिकारियों को दोबारा चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे मजबूर न करें। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मैं अधिकारियों को दोबारा चेतावनी दे रहा हूं मुझे मजबूर न करें। मन्डे को इन क्वेश्चनों के पूर्ण उत्तर इस सदन में आने चाहिए। नहीं आएंगे तो मुझे कोई भी कदम उठाना पड़ सकता है। ये अजीब बात है! माननीय मंत्री जी लिखके भेज रहे हैं, उनके कहने से बावजूद भी राजस्व विभाग कहता है, हम उत्तर नहीं देंगे।

श्री मदन लाल जीः और वो सारे ऑफिसर मौजूद होने चाहिए सदन में।

माननीय अध्यक्षः हां, वो होंगे। मन्डे को इन क्वैश्चनों से संबंधित अब ये मंत्री की टिप्पणी आ रही है मेरे पास। यानी ऐसा तो अंधेरगर्दी कभी देखा नहीं, सुना नहीं। मैं भी पहले इस सदन का सदस्य रहा हूं। कभी लैंड एंड बिल्डिंग सर्विसिज सेंटर के पास होता था। लेकिन इतना सर पे चढ़ गए हैं कि सुनने को तैयार नहीं हैं। मुझे मजबूर होना पड़ेगा मन्डे को.

.. और मैं बहुत सख्त चेतावनी दे रहा हूं। मेरे जितने भी अधिकार हैं, उन अधिकारों की सीमा में रहते हुए मुझे जो भी अधिक से अधिक कार्रवाई करनी पड़े, मैं वो करूंगा।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, कल एक पत्र मैंने आपको ऑफिस में दिया था।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, उसको देखेंगे। भाई, अभी नहीं प्लीज। नहीं अभी बारी आएगी जब बात करेंगे। भई, ऐसे तो समय नहीं रह जाएगा। प्रश्न संख्या 19।

श्री जगदीप सिंहः बारी नहीं आएगी सर।

माननीय अध्यक्षः भाई, नहीं आएगी तो मैं जो कल के लिए है, वो उनको छोड़ दूं। नहीं जो कल के लिए हुए हैं, उनको छोड़ दूं?

श्री जगदीप सिंहः मेरे आपसे सिर्फ एक सवाल है।

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल के लिए हुए हैं, वो छोड़ दूं? नहीं, बैठ जाइए अब। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : मुझे एक छोटी सी बात कहनी है जी, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आए हुए हैं, ये विधायक...

माननीय अध्यक्षः 19 को भी मन्डे को लेंगे। प्रश्न संख्या...

श्री मनीष सिसोदिया (उप–मुख्यमंत्री): अगर आप इजाजत दें तो 19 के संबंध में मुझे कुछ आपके समक्ष रखना है। आप जो बात रख रहे थे, अभी यहां पर उससे संबंधित...

माननीय अध्यक्षः भाई देखिए, जगदीप जी, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः प्रश्न संख्या 19 जो है, मूलतः मैं पढ़ देता हूं, प्रश्न संख्या 19 क्योंकि ये सदन के उसमें रहे, सभी सदस्यों के समक्ष भी रहे क्योंकि कल तो कॉपिज थी। प्रश्न संख्या 19 ये है किः

क्या उप—मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे;

(ख) सरकारी स्कूलों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(ग) प्रमोशन के द्वारा प्रधान अध्यापकों के पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(घ) अतिथि अध्यापकों के नियमितकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ङ) क्या एसएमसी के द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इसके संदर्भ में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कल जब दो दिन पहले जब क्वेश्चंस की ब्रीफिंग होती है तो मेरे पास में इसके 'क' हिस्से का जवाब आया था और 'ख' और बाकी सब हिस्सों का जवाब मुझे कहा गया कि ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। जाहिर सी बात है, उसका उद्देश्य था ये बताना कि ये सर्विस विभाग से संबंधित है। उसमें मेरी सहमति नहीं थी। इसीलिए वो जवाब मिनिस्टर के थ्रू आप तक नहीं आया, सदन तक नहीं पहुंचा। और डायरेक्टली सदन

को सूचना दी गई सम्भवतः सचिव महोदय के माध्यम से कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सर्विस मैटर है। कल जब ये प्रश्न उठा तो माननीय अध्यक्ष की तरफ से आदेश हुआ कि आज इसका जवाब मंत्री के माध्यम से आना चाहिए। आज मेरे पास में सुबह इसकी फाइल आई है। उसमें पुनः जो इसका पार्ट 'ख' दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, पहचान पत्र कब तक जारी किए जाएंगे। उसका जवाब तो जो पहले से था, वो है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, पहचान पत्र जारी करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। 'ख' से होकर 'च' तक के जवाब में जो कि मूलतः यही है कि सरकारी स्कूलों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे, प्रिंसिपल्स के प्रधानाध्यपकों के पद कब तक भर दिए जाएंगे। नियमितकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है। इसमें मुझे एक फाइल मिली है दोपहर को और उसमें जवाब मिला है मुझे सैक्रेटरी साहब की तरफ से लंबा नोट है मैं उसके छोटे से हिस्से को सूचना के लिए पढ़ देता हूं:–

'Conjoint reading of the MHA notification order of Hon'ble High Court, The standing order of Hon'ble L.G. note dated 19.03.2018 of the Joint Secretary of Lt. Governor and letter dated 19.03.2018 of Department of Law Justice and Legislative Affair, thus leads to the following conclusion matters related to service falls outside the preview of the Legislative Assembly of NCT of Delhi. Government of'NCT of Delhi has no executive power in relation to matter related to service and then power in relation to service vested exclusively in the present or his delegate i.e. Lt. Governor of Delhi. The question raised in Assembly must relate to matter of administration of which the government is responsible. Service is reserved subject. *Usme poora aage likha hai* as conveyed by the Principal Secretary Law & Justice vide letter 19th March legally, the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on the reserved subject.

In view of the above, it is evident that the questions on service matters cannot be legallyAdmitted in the Assembly. This position has been apprised to the Secretary of the Assembly by the department vide letter dated 4th June with a copy to Secretary of the Hon'ble Dy. Chief Minister also conveying that the department was unable to send reply to Assembly questions on service related matters. The status was also put up to the Hon'ble Minister in the respective files of the four assembly questions on this.

It is further informed that the department had to put up draft replies for approval to the Hon'ble Minister for those parts of the question which did not pertain to service matter and resubmitted on this date. A copy of draft reply put up by the department to the respective file of theAssembly question is placed here. In the absence of the approval from the minister the replies of these part of the question however could not be furnished to the Assembly. *Ye jo k part tha, uske sambandh me hai*. There is no intent to hide any information of prevent Hon'ble Member of Assembly from knowing the facts.

The relevant information about vacancies and recruitment status is already in the knowledge of Hon'ble Minister. However, latest status of sanctioned post and vacancies in the department is placed in page this which may be used by the Hon'ble Minister for apprising the Hon'ble Speaker and member of theAssembly.

It is, however, respectfully submitted that in... this is important, in view of the constitutional and statutory provisions as brought out in theAbove note, I Am constrained in furnishing the reply to question relating to service matters to the Assembly. As also duty bound to abide by the constitution and statutory provisions. No disrespect, is however, intended to urge the Legislative Assembly. As per the directions of the Hon'ble Speaker conveyed by the Deputy Secretary of the Assembly my above explanation may kindly be submitted before the Hon'ble Speaker.'

मैं ये भी रख रहा हूं लेकिन साथ–साथ इस पर मैं क्योंकि ये फाइल मैं यहां पूरी नहीं रख रहा हूं। सब्मिट कर रहा हूं क्योंकि इस जवाब से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। एज.अ. मिनिस्टर इसलिए मैं डिपार्टमैंट को ये फाइल वापस भेज रहा हूं और अपना पूरा नोट लिखके भेज रहा हूं मैं इस पर। इसलिए इसको सिर्फ सदन के रिकॉर्ड में इस रिप्लाई को लाके अपना जवाब लाना चाहता हूं। क्योंकि आज ये क्वैश्चन उठा है। मेरी राय में सदन का, पहली बात तो ये है कि सर्विस मैटर पर जवाब नहीं दिया जाएगा, लॉ एण्ड ऑर्डर पर जवाब नहीं दिया जाएगा। पुलिस मैटर्स पर जवाब नहीं दिया जाएगा। आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ गयी? विधान सभा का रिकॉर्ड उठाके देख लीजिए। जब से 1993 से विधान सभा जुड़ी है। हजारों क्वैश्चन पुलिस से, डीडीए से भी सम्बन्धित पूछे गये जबकि डीडीए तो डाइरेक्टली दिल्ली सरकार के अधीन का डिपार्टमेंट भी नहीं है। सर्विस मैटर तो नहीं क्वैश्चन में ही नहीं था। ये सब कुछ मिलाके एक इसको हम एक छोटे रूप में न देखें किसी का, मतलब ये उसका एक आउटफॉल है कि सवालों के जवाब नहीं दिये जा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव हमको ये बताने से मना कर दे रहे हैं सदन को कि सरकारी स्कूलों के रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे। उसकी क्या योजना है। ये सूचना, ये जानकारी देने से भी मना रक रहे हैं। इसका पूरा जो फलक्रम है, वो ये है कि देश में इस वक्त पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। ये सब उसका एक हिस्सा है। कहीं कोर्ट्स को कमजोर किया जा रहा है। ऑनरेबल जस्टिस आके प्रेस कॉन्फ्रैंस करने को मजबूर है। कहीं इलेक्शन कमीशन को कमजोर किया जा रहा है। कहीं सीएजी को मिसयूज किया जा रहा है। सीबीआई, पुलिस का मिसयूज हम देख ही रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी भी अपने आप में एक संस्था

हैं। उन संस्थाओं का मिसजूज करके दिल्ली में लोकतंत्र को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरी तरह से कमजोर किया जा रहा है। क्रश किया जा रहा है। ये उसकी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। दुर्भाग्य से देश के शीर्ष में प्रधानमंत्री पर पर इस वक्त ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको लोकतंत्र में बिल्कुल यकीन नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में बिल्कुल यकीन नहीं है। सवाल पूछे जाने में कोई यकीन नहीं है। सवालों के जवाब दिए जाने में कोई यकीन नहीं है। ये सब उसका परकॅलेट होके यहां तक आ रहा है। ये सब चीजें यहां तक पहुंच रही है। ये सब उस सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आज अधिकारियों को यूज करके, दिल्ली के आईएएस अधिकारियों को यूज करके ये जवाब लिखवाये जा रहे हैं कि हम आपको... क्यों लिखवाये जा रहे हैं आज? नया कानून बन गया क्या देश में कोई? कोई नई व्यवस्था लागू हो गयी क्या देश में? कोई नया संविधान पारित हो गया क्या देश में? जिस संविधानिक व्यवस्था के तहत 1993 से लेके आज तक शिक्षा विभाग तो छोड़ दीजिए..., शिक्षा विभाग बताने से ये मना कर रहा है जिसमें आज के हम आपको नहीं बताएंगे कि हम शिक्षकों के पद कब भर देंगे, हम विधान सभा को नहीं बताएंगे। डीडी से, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जाते थे। उनके जवाब भी इस सदन के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो ये अधिकारियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अचानक सर्विस मैटर्स का। ये अधिकारियों को जो ट्यूटिंग की जा रही है सर्विस मैटर्स पर, जो ये कन्क्लूजन... जिससे ये अधिकारी निकाल रहे हैं। ये सब एक सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है। इस देश में तानाशाही काम करने के लिए सारे अधिकारियों को उसमें शामिल किया जा रहा है। सारी संस्थाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। खुद प्राानमंत्री इसके खैर–मुख्तार हैं। वो इसको पूरी तरह से इन्कार कर रहे हैं और जानबूझ के ये दिल्ली एसेम्बली, आज दिल्ली एसेम्बली की

बारी है, कल देश के तमाम एसेम्बलीज को खत्म करने की साजिश रची जाएगी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई सवाल न पूछ करके। क्यों न सवाल पूछ सके। क्योंकि संस्थाओं के दुरुपयोग करके इस देश के प्राकृतिक संपदाओं से लेके लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का खसोटने का जो खुला खेल चल रहा था, अब उस पर लोग सवाल उठाने लगे। लोग उसको अंकुश लगाने की बात करने लगे हैं। लोग उस पर पूछने लगे हैं वहां से इसके लिंक जुड़े हुए हैं। पहले कैसे होता था? पहले क्यों हो जाता था? पहले कैसे जवाब दे दिया जाता था? तो ये उसके तहत. .. और फिर सर्विस मैटर एक बार को हालांकि मुझे ये स्वीकार नहीं हे कि सर्विस मैटर्स के जवाब दिए जाएं लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि सर्विस मैटर्स के जवाब दिए जाएं कि नहीं दिए जाएं। ये सब्जेक्ट टू क्वैश्चन है। लेकिन ऐसा कैसे जो सकता है कि ये सब्जेक्ट मैटर... अगर ये विधान सभा ये जानना चाहे कि शिक्षा विभाग अपने खाली पदों को कब तक भर लेगा और शिक्षा विभाग ये कहके मना कर दे कि नहीं साहब, हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये तो सर्विस मैटर है। ये सर्विस मैटर कैसे हो सकता है? ये बात सर्विस मैटर कैसे हो सकती है? जब पूछते हैं कि प्रमोशन के द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल्स के पद कब तक भर दिए जाएंगे, प्रमोशन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, ये बताना भी सर्विस मैटर है क्या? इस विधान सभा को पूछने का... फिर शिक्षा के ट्रांसफर सब्जेक्ट होने का मतलब क्या बचता है? संविधान का मतलब क्या बचता है जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा ट्रांसफर सब्जेक्ट है? ट्रांसफर सब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ किताबें खरीदना, किताबों के ठेके देना, सुबह–सुबह जाके स्कूलों के प्रेयर में भाषण देना ही यही शिक्षा विभाग रह गया है। क्या ये एसेम्बली ये नहीं पूछ सकती कि प्रिंसिपल्स के पद कब तक भर दिए जाएंगे? क्योंकि

ये सर्विस मैटर करके गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है। इसके पीछे की साजिश का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। ये पर्दा ये है कि इस तरह से पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए। लोकतंत्र को खत्म किया जाए। तानाशाह में क्या होता है। सारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। खत्म करिए एसेम्बली। क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्यों चुनावों का खर्चा करते हैं। लगा दीजिए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन। या सारे राज्य सरकारों की, विधान सभाओं को खत्म कर दीजिए। शिक्षा, संविधान के तहत ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर अगर ये विधान सभा से सवाल पूछती है कि आप अपने स्कूलों में शिक्षकों के पद कब तक भर देंगे, ये प्रश्न किस तरह से सर्विस मैटर डिफाइन... पहली बात तो सर्विस मैटर पर जवाब नहीं देने का अधिकार भी कोई अधिकारियों को नहीं है। ये मिस–रिप्रजेन्टेशन है लेकिन उनके पास दबाव है। उनको धमकियां दी जाती है कि अगर तुमने जवाब दिया तो तुमको देख लेंगे। ठीक है। उनको भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनाना है बाद में जाके सबको। हम समझ सकते हैं लेकिन शिक्षा तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। शिक्षा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता। ये तो मिलीभगत है। शिक्षा पर अगर, ये एसेम्बली जानना चाहे कि कब तक पद भर देंगे... कैसे हो सकता है। अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए कार्रवाई का विवरण क्या है? आप बोलिए, हम एज मे लिमिट, एज छूट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सर्विस मैटर हैं। एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्जामिनेशन की डेट्स क्या हैं, सर्विस मैटर हैं कुछ... लेकिन अगर विधान सभा ये जानना चाह रही है कि आप अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई क्या है। क्यों नहीं बता सकते? अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो बताइए। नहीं कर रहे हैं तो लिखिए, नहीं कर रहे हैं। इसमें

हैरत की बात क्या है। इसमें छिपाने की बात क्या है। लिख रहे हैं कि एसएमसी के द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है। शिक्षा के संबंध में देश का सबसे प्रोग्रेसिव कानून जो बना, शिक्षा का अधिकारी, आरटीई; राईट टू एजूकेशन एक्ट। उसके तहत एसएमसीज का गठन हुआ है। वो भी संविधान से बना है कानून। एसएमसीज का गठन भी संविधान से हुआ। उन एसएमसीज के अंदर उसका दायरा लिखा हुआ है। ये सारी एसएमसीज क्या–क्या करेंगीं? अगर आप उसको... कानून को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से। ये बताने में कहां से सर्विस मैटर आ गया? तो मैं इससे पूर्णतः असहमत हूं। मैं सदन के रिकॉर्ड में ये कहना चाहता हूं... क्योंकि मैं अभी अपना जवाब इस पर लिख के भेजूंगा अधिकारियों को। ये मैं फाइल ओरिजनल रूप में यहां सब्मिट नहीं करूंगा। मैं इसका फोटोकपी रिकॉर्ड के लिए, सदन के लिए और अपना जवाब जो मेरा वक्तव्य है और यहां पर जो मैं अधिकारियों को अपनी टिप्पणी लिखकर भेजूंगा, उसके साथ में यह फाइल की कॉपी सदन के रिकॉर्ड में रखूंगा लेकिन इसको मैं अभी जवाब के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, मेरे सवाल का जवाब आप स्वीकार कर रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है, सवाल नंबर 46।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आएंगे, अभी आएंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अनस्टार्ड है 46, वित्त विभाग का।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी की पीड़ा, आप सब की पीड़ा इस सदन में रखी गई है और यह जो पीड़ादायक वातावरण है, इसमें

कोई मुख्य मंत्री जी का, उप मुख्य मंत्री जी का, आपका, हमारा हित नहीं है। यह दिल्ली की जनता के हित में क्वैश्चन पूछे गए हैं और दिल्ली की जनता पर जिस ढंग से अधिकारियों के माध्यम से पर्दे के पूछे जो ताकतें काम कर रही हैं, यह सदन उनका पर्दाफाश करेगा चाहे कितना ही लम्बा चलाना पड़े, रात भर बैठना पड़े। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं मंडे को एक्सटेंड कर रहा हूं, फिर मैं अधिकारियों को दोबारा चेतावनी देते हुए आज के प्रश्नों पर बढ़ रहा हूं कि मंडे को इसी विषय पर चर्चा होगी। शुरुआत से कोई और विषय नहीं रहेंगे। ये क्वैश्चन तब तक, माननीय मंत्री जी जोएक हफ्ते का समय दिया है, उसको करेक्ट कर लें, एक हफ्ते का नहीं, इनको मंडे को चाहिए। कितनी पक्की बिल्डिगें बन गईं, कितनी झुग्गियाँ अलग से हैं, वहां मकान ज्यादा बस गए, क्या हुआ आपको अपने लेवल पर सदन में उत्तर रखना पड़े, अधिकारी नहीं देते हैं, आप दीजिए, करिए लेकिन सदन में उत्तर आना चाहिए। अधिकारियों के माध्यम से आए तो उचित है, नहीं आए तो अपने माध्यम से दीजिए ताकि उन अधिकारियों से इस बारे में यह सदन किस सीमा तक जा सकता है अपने अधिकार को लेकर उसको मंडे को लागू कर सके। अन्यथा सदन बुलाने का कोई लाभ नहीं है। अब माननीय मनीष जी का जो, यानी शिक्षा विभाग है, पूरे हिन्दुस्तान में शिक्षा विभाग की तूती बोल रही है। प्राइवेट स्कूल पीछे रह गए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नर्सरी के स्कूल चालू हो गए जो पूरे भारत के सरकारी स्कूलों में नहीं है। आज नर्सरी के बच्चे हर स्कूल में पढ़ रहे हैं, यह कुछ लोगों को पच नहीं रहा है कि विधान सभा जो पहले नहीं हुआ, वो कर रही है और उसमें मैं बहुत शक्ति से फिर चेतावनी दे रहा हूं, मुझे बहुत शक्ति से निर्णय लेने पड़ेंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहती हूं: चार बड़े न्यायाधीश जब प्रेस वार्ता करके जनता के बीच में आए, संवैधानिक संस्थाओं के साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप इजाजत दे न दें, जितने भी सचिव हैं, उनकी तस्वीरें, इनके नाम, कौन सा विभाग है, क्या जवाब नहीं दे रहे, मैं इसको पब्लिक कान्सेप्ट करूंगी क्योंकि जनता को पता लगना चाहिए स्वास्थ्य सचिव कौन हैं जो मोहल्ला क्लिनिक के जवाब नहीं देता। शिक्षा सचिव कौन हैं, उनके नाम, उनके चेहरे कौन हैं जो हथकंडे बनकर इस चुने हुए सदन को किस तरीके से ...(व्यवधान) अंत में मैं कहूंगी, ये ईमानदार हैं, ये चाहते हैं कि सदन में ये सचिव जवाब दें, ये चाहते होंगे मेरा यह मन कहता है लेकिन यदि राजनीतिक दबाव में हथकंडे बन रहे हैं चाह कर भी जवाब यहां नहीं दे पा रहे तो मुझे लगता है कि इन्हें भी बड़े चार न्यायाधीशों की तरह मीडिया में आकर, प्रेस में आकर बात को रखना होगा कि हम चाहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या दूसरे मंत्रियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, बैठिए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः इन लोगों के चेहरे, नाम जनता के सामने आने चाहिए जो हथकंडे का इस्तेमाल हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः सुश्री राखी बिड़ला जी, प्रश्न संख्या 21।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, कृपया खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रश्न संख्या 21 का जवाब दें:

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगोलपुरी विधान सभा में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी;

(ख) क्या पुराने राशन कार्डों में संशोधन/नाम जोड़ने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) मंगोलपुरी विधान सभा में कार्यरत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण क्या है;

(ङ) क्या मंगोलपुरी विधान सभा में राशन की चोरी पर लगाम लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई छापेमारी/निरीक्षण किया गया;

(च) यदि हां, तो मार्च, 2015 से अब तक इस संबंध में हुई कार्रवाई का विवरण क्या है; और

(छ) इस अवधि के दौरान दोषी पाए गए राशन दुकानदारों और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः प्रश्न नंबर 21 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत जारी है;

(ख) पुराने राशन कार्डों में संशोधन/नाम जोड़ने/काटने का काम सतत रूप से चल रहा है;

(ग) विवरण संलग्नक 'अ' में संलग्न है;

(घ) मंगोलपुरी विधानसभा में कार्यरत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण निम्न हैः

नाम	पद	मोबाइल नं.
श्री राजकुमार उप्पल	खाद्य एवं संभरण अधिकारी	9811965464
श्रीमती वीणा गुप्ता	खाद्य एवं संभरण अधिकारी	9871414898
श्री अजय	डी.ई.ओ.	8368504089
कुमारी ज्योति	डी.ई.ओ.	9910678182
कुमारी संध्या	एम.टी.एस.	9971259211
श्री लिंकन हुड्डा	एम.टी.एस.	8587903255

(ङ) जी, हां। कार्रवाई की गई। विवरण संलग्नक 'ब' के अनुसार संलग्न है;

(च) उपरोक्त के अनुसार संलग्नक 'ब' के अनुसार संलग्न है; और

(छ) राशन दुकानदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण संलग्नक 'ब' के अनुसार संलग्न है। मार्च, 2015 से अभी तक विभाग द्वारा सर्किल–12 मंगोलपुरी के तत्कालीन खाद्य संभरण अधिकारी के विरुद्ध ड्राफ्ट चार्जशीट सतर्कता निदेशालय, दिल्ली सरकार को भेज दी गई है।

संलग्न 'अ'

Details of making of New Ration Card/Modification/Addition in Mangolpuri Circle during 01.01.2017 to 30.05.2018

Application for New Ration Card			Application for Addition			Application for Modification		
Received	Disposed	Pending	Received	Disposed	Pending	Received	Disposed	Pending
27995	26109	1886	1000	501	2428 (including old)	270	244	172 (including old)

संलग्न 'ब'

मंगोलपुरी मंडल कार्यालय में राशन की चोरी पर लगाम लगाने हेतु विभाग द्वारा छापेमारी/निरीक्षण/कार्यवाही का विवरण

Sl. No.	FPS No.		SCN dated	Remarks
1	2		3	4
1.	3974	PGMS Complaint	28.04.2015	Warning
2.	8094	Late submission of Renewal Documents	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.

3.	6618	FSO Visit	04.04.2015	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
4.	6639	Complaint	28.04.2015	Penalty of Rs. 500/- was imposed.
5.	5127	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.
6.	5090	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
7.	6618	Complaint	08.05.2015	Warning
8.	4213	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
9.	7169	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.
10.	9095	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
11.	3442	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Warning
12.	3974	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
13.	6618	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
14.	6221	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.
15.	5213	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
16.	6639	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
17.	7704	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.
18.	9071	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
19.	3484	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.
20.	5121	Hon'ble MLA Visit	16.05.2015	Penalty of Rs. 1,500/- was imposed.

1	2		3	4
21.	3442	Complaint	04.11.2015	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
22.	4213	Complaint	05.04.2016	Penalty of Rs. 3,000/- was imposed.
23.	9095	Hon'ble MLA Visit	20.08.2016	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
24.	6493	Hon'ble MLA Visit	06.08.2016	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
25.	9095	Hon'ble MLA Visit	16.08.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
26.	7736	Hon'ble MLA Visit	01.06.2016	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
27.	5037	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
28.	3706	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
29.	5041	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 7,000/- was imposed.
30.	5127	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
31.	3484	Hon'ble MLA Visit	01.06.2016	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
32.	3974	Hon'ble MLA Visit	01.06.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
33.	6618	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
34.	5079	Hon'ble MLA Visit	20.06.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
35.	3974	Hon'ble MLA Visit	12.09.2016	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
36.	9095	Enf. Visit	27.08.2016	Suspended and Penalty of Rs. 10,000/- was imposed.
37.	5054	Enf. Visit	23.09.2016	Suspended and Penalty of Rs. 10,000/- was imposed.

38.	5213	Enf. Visit	08.06.2016	Suspended and Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
39.	9095	Enf. Visit	15.03.2017	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
40.	3442	AC Visit	14.06.2017	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
41.	5049	FSO Visit	05.06.2017	Warning
42.	5127	AC Visit	03.06.2017	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
43.	3974	AC Visit	05.06.2017	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
44.	3996	AC Visit	06.04.2017	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
45.	5056	AC Visit	04.09.2017	Penalty of Rs. 5,000/- was imposed.
46.	5079	AC Visit	05.12.2017	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
47.	5049	AC Visit	05.12.2017	Penalty of Rs. 1,000/- was imposed.
48.	5076	AC Visit	10.10.2017	Penalty of Rs. 2,000/- was imposed.
49.	5033	Enf. Visit	16.12.2017	Penalty of Rs. 10,000/- was imposed.
50.	9095	Hon'ble Minister Visit	03.08.2017	Cancelled and Penalty of Rs. 10,000/- was imposed.
51.	5033	Complaint from O/o Hon'ble MLA	05.05.2018	Enquiry Ongoing.

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी। मैंने देख लिया, दो मिनट। एक मनोज जी का है, मनोज जी, आपका भी सप्लीमेंटरी है ना इसमें। हां, राखी जी।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, वैसे यह सप्लीमेंटरी जो मैं पूछ रही हूं इसमें सभी का सवाल आ जाएगा। 'क' का जो जवाब है कि नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत जारी है, यह पूर्ण रूप से झूठ है, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मेरी तरफ नहीं, आप बाकी सदस्यों की तरफ देखिये, पूरी दिल्ली में कहीं राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। 'ख' का जो जवाब है...(व्यवधान)। यह कोरा झूठ है अध्यक्ष जी। पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे। यह विभाग से कोरा झूठ आज सदन पटल पर रखा गया है।

माननीय अध्यक्षः अभी मंत्री जी को जवाब देने दीजिए एक बार।

सुश्री राखी बिड़लाः दूसरा जो है, इन्होंने बोला है पुराने राशन कार्ड में संशोधन/नाम जोड़ने/काटने का काम भी सतत रूप से चल रहा है। यह भी कोरा झूठ है। पूरी दिल्ली में हम दावे के साथ कहते हैं कि किसी एक विधान सभा में बता दें अगर नए राशन कार्ड बन रहे हों या नाम काटे जा रहे हों या जोड़े जा रहे हों, स्वयं आपकी विधान सभा में भी यह पीड़ा है लोगों में, तो मैं इस आंसर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। कोरा झूठ का बंडल आज इस विधान सभा में पेश किया गया है।

माननीय अध्यक्षः इसमें से क्वैश्चन निकालिये।

सुश्री राखी बिड़लाः मैंने बता दिया ना। इसमें क्या क्रॉस क्वैश्चन निकालूं? अध्यक्ष जी, पूरा झूठा... कोरा झूठ छपा है पूरी दिल्ली में बन रहे हैं कहीं नए राशन कार्ड? एक भी सदस्य बता दें। कहीं नाम नहीं जुड़ रहा, कहीं नाम कट नहीं रहा है, गलत नाम आ गया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सभी सदस्य अगर बोलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा?

सुश्री राखी बिड़लाः मेरा सिर्फ यह अनुरोध है, इसमें कोई सप्लीमेंटरी मैं कैसे निकालूं? जब कोरा झूठ है। मेरा बस यह अनुरोध है कि बहुत पीड़ा है जो आप कह रहे हैं इस बात को बार–बार दोहराना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, सब की पीड़ा जायज है।

माननीय अध्यक्षः इसमें सप्लीमेंटरी यह निकालिये, सुन लीजिए दो मिनट, क्या 2015 के बाद से अब तक नए राशन कार्ड बनाने की कोई ऐप्लिकेशन्स आई हैं, दो मिनट रुकिये जरा और उसमें नए राशन कार्ड कितने बने हैं, यह सप्लीमेंटरी निकालिये।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, यह सप्लीमेंटरी तब निकलता है... ये लोग बहुत स्मार्ट है विभाग के लोग, इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, निकालना है।

सुश्री राखी बिड़लाः इन्होंने एक लिस्ट दी है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, ठीक है।

सुश्री राखी बिड़लाः 01.01.2017 से लेकर 30.05.2018 तक एक लिस्ट दी है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोरा झूठ है।

माननीय अध्यक्षः राखी जी, चलिये, बैठिए। हां, अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः अध्यक्ष जी, बहन राखी जी ने जो यह प्रश्न रखा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आपके कार्यालय से मैं व्यक्तिगत रूप से भी गया था और आपने अधिकारियों को,

आपके पास अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने भी मना किया था और फोन भी किया गया, मैं अपनी व्यक्तिगत विधान सभा में भी कई बार गया हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, क्वेश्चन निकालिये प्लीज। ऐसे एक क्वैश्चन शाम तक चलता रहेगा।

श्री अनिल बाजपेयीः सर, नए राशन कार्ड बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे।

माननीय अध्यक्षः जो क्वेश्चन क्या है आपका?

श्री अनिल बाजपेयीः सर, यही है, नहीं बनाए जा रहे।

माननीय अध्यक्षः क्या क्वेश्चन है?

श्री अनिल बाजपेयीः हैं जी।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन बताइये ना, क्या है?

श्री अनिल बाजपेयीः क्वेश्चन यह है कि राशन कार्ड, जो झूठी रिपोर्ट दी है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं बनाए गए राशन कार्ड। ये झूठ है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली की किसी विधानसभा पर एक...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हम प्रॉपर क्वैश्चन नहीं निकाल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः ...2015 के बाद 2015 से 18 तक दिल्ली केंट विधानसभा के अंदर एक भी राशनकार्ड नहीं बना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे रहे हैं।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी अपने सदस्य भाइयों और बहनों को जवाब देना चाहता हूं कि मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन जो विभाग मुझे जानकारी देता रहता है, अक्सर देता रहता है, वो ये जानकारी है कि टोटल दिल्ली के अंदर जो राशनकार्ड हैं 19 लाख 48 हजार कुछ राशनकार्ड हैं। उसके बाद में जो इन्होंने एप्लीकेशन ऑन लाइन लेते हैं तो लगभग 1 लाख 10 हजार के आसपास ऑन लाइन एप्लीकेशन इनके पास पेंडिंग पड़ी रहती हैं जिस हिसाब से नाम कटते रहते हैं, ये उसे आगे सीरियल के हिसाब से जोड़ते रहते हैं जो इन्होंने मुझे जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से ये उत्तर दे रहा हूं कि 2015 से आज तक इन्होंने जिस जिस विधानसभा में जितने भी नाम चढ़ाये हैं या नये राशनकार्ड बनाये हैं क्योंकि राखी जी के जवाब में भी 01.01.2017 से लेकर और 30.05.2018 तक इनके पास एप्लीकेशन्स आईं हैं नये राशनकार्ड की 27995 और डिस्पोज ये दिखा रहे हैं 26109 और 1886 पेंडिंग दिखा रहे हैं तो जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा ये लोग पहले से मतलब लाइन के अदंर क्यू में लगे हुए

हैं; एक लाख दस हजार लोग। तो मैं सभी माननीय विधायकों के सदन पटल पर इनसे जवाब मंगाकर कि 2015 से आज तक कितने कितने राशनकार्ड किस किस विधानसभा में बने हैं, मैं वो सबको एयर वाइज मंगाकर सदन पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं इसमें माननीय मंत्री जी, एक सेकंड मैं सबके क्वैश्चनस इनको दे रहा हूं। इसमें दो चीजें हैं; 2013 का इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नये कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत जारी है। उसमें जो एप्लीकेशन आई जो भी लास्ट टाइम था, वो आ गये हैं। सतत जारी हैं लेकिन जो नयी एप्लीकेशन्स उसके बाद क्या इन्होंने कभी ली हैं और ली हैं तो उनमें कितने राशनकार्ड बनाये हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः मैं ये सारी जानकारी इनसे मंडे तक मंगाकर सदन पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्षः कब रखेंगे, कब? भई सुरेन्द्र जी दो मिनट। ये फिर और सारे क्वैश्चनस रह जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंहः पूरा सभी का पूरी दिल्ली का है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जब ये पिछले टाइम दिल्ली सरकार ने थंब इम्प्रेशन से जो राशन देने की प्रक्रिया चलाई थी उस प्रक्रिया के अंदर जो 3–4 महीने वो प्रक्रिया रही, उस 3–4 महीने के अंदर कितने लाख आदमियों ने राशन नहीं लिया, वो भी जवाब हमें आपके माध्यम से मंडे तक दे दें।

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, जब इसको आगे बढ़ लें प्लीज।

श्री अजेश यादवः हमारे यहां ...विधानसभा में हमने नाम भी चढ़वाए, खूब लोगों के नाम चढ़े। अभी एक हफ्ता पहले ये बताया गया कि नये राशनकार्ड बन रहे हैं लेकिन आम जनता को नहीं पता, विधायकों को भी नहीं पता है और नये राशनकार्ड का कुछ चुनिंदा लोग जो पुराने गैंग थे, आज वही काम कर रहे हें तो आप इस पर कार्रवाई करें कि ये आम जनता तक पहुंच जाए। नये राशनकार्ड की सूचना कुछ ही लोगों को पता है कि बन रहे हैं। मेरा ये सुझाव है कि ये सबको बताया जाए।

सुश्री अलका लम्बाः अध्यक्ष जी, ये चीनी से संबंधित है मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्षः भई अलका जी, ऐसे तो काम, नहीं नहीं ऐसे दो मिनट रुक जाइये अजेश जी ने जो बात कही है, उसका तो कुछ बात आने दीजिए न, बहुत गंभीर बात है वो।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले जब पोज मशीन लगाई गई, 1 जनवरी से पूरी दिल्ली के अंदर उसके बाद में ओटीपी का एक स्कैम निकलकर सामने आया जिसके बाद पीसीओ ही. .. सभी लोगों को पता है उसके बाद उसे रोक दिया गया और एलजी साहब ने भी उसे एसीबी को रेफर करने के लिए वापिस भेजा था और उस पर तुरंत रोक लगा दी गई थी। उसके बाद मैंने कमिशनर साहब को लिखकर भेजा। कमिशनर हैं हमारे मोहनजीत सिंह जी जो कि मीटिंग्स अटेंड भी नहीं करते हैं। कोई मीटिंग में अगर बुलाओ तो आते भी नहीं हैं अगर उन्हें मीटिंग नोटिस भी भेजो। उन्हें मैंने फोन पर बात की तो वो कहते हैं कि फोरम मतलब हमारे फोरम का फैसला है तो मैं आ नहीं सकता आप मुझे मतलब बता दें मैं वैसे ही कर दूंगा जो भी काम है डिपार्टमैंट का।

...(व्यवधान)

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः मेरी बात तो रखने दो आप मुझे। तो उसके बाद में अब मेरी काफी उनसे जो है... उसके बाद हमने ये कहा हे कि ओटीपी के ये जो बायोमैट्रिक लगाई थी तो उस दौरान लगभग साढ़े तीन से चार लाख लोग तीन महीने तक राशन लेने नहीं आए। जिन्हें ये बताया गया... विभाग ने ही बताया कि ये वो लोग हैं जो फर्जी हैं, राशनकार्ड जिनके नकली बन हुए हैं या कुछ भी हैं तो उसके लिए हमने कई बार लिखकर भेज चुके कि इनकी इनक्वयारी कराई जाए और मैंने यहां तक भी कहा कि आप इनकी इनक्वायरी कराओ अगर ये नकली हैं तो ये राशनकार्ड बनाये किसने थे। फिर उन्होंने कहा कि हम ये नाम काटेंगे तो उसके बाद मैंने नोट उन्हें भेजा कि आप बिना इनक्वायरी के किसी का नाम नहीं काटोगे। पूरा प्रॉपर वे इस्तेमाल करके उन्हें नोटिस देकर डोर टू डोर वेरिफिकशेन करके, उसके बाद उसका नाम काटा जाएगा, नहीं तो विभाग इस चक्कर में था कि ये जो चार लाख राशनकार्ड हैं, ये हम लोग काट दें और तुरंत नये राशनकार्ड बना दें। उसके बाद उन्हें मैंने लिखकर भेजा कि आप कोई अभी राशनकार्ड ये नहीं काटेंगे तब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। किसी का हक नहीं मरना चाहिए तो उसके बाद में उन्होंने एक और नोट भेजा कि आप हमें ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि मतलब माननीय मंत्री जी क्योंकि 2013 का एनएफएसए एक्ट कहता है कि ये रोक नहीं सकते हम राशनकार्ड बनाना ये सतत प्रक्रिया है, एक्ट के अंदर है, रूल्स में है, बायलाज में है तो फिर उन्होंने कहा कि उसमें चिट्ठी में लिखकर भेजा नोट में अपने कि ये जो है एफएसओ को इसकी पॉवर है अगर राशनकार्ड किसी विधानसभा में कम होता है अगर 19 लाख कुछ हजार हैं अगर उसमें से 2–4 राशन कार्ड भी कम होते हैं तो जो क्यू में लगे हुए हैं, हम अगले को मौका देंगे ताकि उसे राशन उसका हक उसे मिल सके। उन्होंने ये तथ्य रखे तो मैं आपके माध्यम से जो जो भी

क्वेरीज हैं, हमारे विधायकों की या जो भी हैं या अगर राशनकार्ड बन रहे हैं तो उसका बकायदा प्रॉपर वे में उसका एड वगैरह करके पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः सर चीनी से संबंधित जरूरी है मैं ये पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से जो पहले चीहनी मिलती थी हां या न? मिलती थी अगर तो किसने रोकी और क्या कारण है और आगे मिलेगी या नहीं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः पहले चीनी बीपीएल कार्ड पर और एएवाई कार्ड पर हर परिवार को छः किलो चीनी मिलती थी। उसके बाद केन्द्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सिर्फ एएवाई कार्ड वालों को एक किलो चीनी देने का अभी प्रावधान है।

माननीय अध्यक्षः किस डेट से लगाई है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ये 2017 में लगी थी। डेट मैं बता दूंगा कल, डेट याद नहीं मुझे।

सुश्री अलका लाम्बाः यानी ये केन्द्र सरकार का फैसला था।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ये केन्द्र सरकार जो सब्सिडी देती थी चीनी के ऊपर, वो उन्होंने अचानक बंद कर दी 2017 में और अभी सिर्फ एक किलो चीनी एएवाई कार्ड वालों को दी जा रही है।

माननीय अध्यक्षः ये भी जानकारी एक बार दे दीजिए माननीय मंत्री जी, क्या ये दिल्ली में बंद की है या पूरे भारत में बंद की है।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः मुझे दिल्ली का पता है। मैं पता करके सारी जानकारी दे दूंगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–22।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या—22। मैं अभी थोड़ा सा और 10 मिनट ... 15 मिनट ले रहा हूं। कुछ ये निकल जाएं। प्रश्न संख्या 22 बग्गा जी। बग्गा जी, बड़े लक्की हैं आप। हर बार आ जाते हैं।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या—22 का जवाब माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं:

क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(ग) विभाग द्वारा लोगों ने प्रदूषण से लड़ने हेतु जागरुकता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस वर्ष वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग की क्या नई योजना है?

माननीय अध्यक्षः भई दो मिनट रुक जाओ। नहीं आई है मैं देखूंगा उसको। मंत्री जी।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 22 का उत्तर इस प्रकार हैंः

(क) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैः—

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना करके परिवेशीय

वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है, पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डीपीसीसी के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डीपीसीसी द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है;

- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में बदल लिया है;

- खुले में अपशिष्ट/कूड़ा–करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाईः सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा–करकट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया हैः–

1. पत्तियों/कूड़ा–करकट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 'मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 पर अपना व्हाट्सएप्प खाता' खोला है;

2. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के सब–डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ–साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है; और

3. सूखी पत्तियों/कूड़ा–करकट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए दिल्ली नगर

निगम (एमसीडी)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कहा गया है;

- निर्माण कार्यों में धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई:

  सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वुाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है:—

  (1) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ—साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है;

  (2) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने ऐसी निर्माण परियोजना (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है;

- सभी संबंधित पक्षों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा—करकट, प्लास्टिक, रबड़

आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किए जाएं;

- दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए हैं। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए, इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अंतर्गत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं;

- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समयबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसके समय–समय पर समीक्षा की जाती है;

- याचिका संख्या ओए 21/2017 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों/निर्णयों के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (एलएलसी) के जरिए संबद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है;

- **बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा:** प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है।

हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहिनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है;

- दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि व दीर्घावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं;
- **पटाखे चलाने पर रोकः** धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम 20–क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किए गये;
- **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) की वसूलीः** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना भी जारी की गयी है;

- सड़कों की सफाई उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाये गए मैकेनिकल रोड स्वीपर्ज़ की मदद से भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पानी का छिड़काव उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने हेतु ग्रीन कवर बढ़ाना जिसके लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी है;
- सेंट्रल रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नए पौधे लगाने की एक दीर्घावधि योजना शुरू की गई है;
- 2018–19 में जोनापुर, आया नगर, डेरा मांडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू पाकेट ए और अलीपुर में नए सिटी–फारेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है इसके अलावा सेंट्रल रिज में वॉकिंग–ट्रेल विकसित किए जाएंगे जिनसे नागरिकों को दिल्ली में ही घने वृक्षों के बीच सांस लेने का मौका मिलेगा;

जन जागरुकताः

- उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को खुले में जलाने पर रोक के लिए कार्यशालाओं का आयोजन उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों, यानी एसआई/एएसआई और उद्यान शाखा कर्मियों के साथ–साथ किया गया है;

- हर साल स्कूलों/कालेजों के इको–क्लबों के सहयोग से पटाखा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है;
- पत्तियों, कूड़े–करकट, अपशिष्ट आदि को खुले में जलाने पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गयी;

(घ) दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट 2018–19 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्ताव दिया है। जैसे किः

पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने हेतु ग्रीन कवर बढ़ाना। जिसके लिए बड़े पैमाने पवर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी है;

- सरकार आरडब्ल्यूए, मार्किट एसोसिएशन और एनजीओ के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी में है;
- सेंट्रल रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नए पौधे लगाने की एक दीर्घावधि योजना शुरू की गई है;
- 2018–19 में जोनापुर, आया नगर,डेरा मांडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू, पाकेट ए और अलीपुर में नए सिटी–फारेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है इसके अलावा सेंट्रल रिज में वॉकिंग–ट्रेल विकसित किए जाएंगे, जिनसे नागरिकों को दिल्ली में ही घने वृक्षों के बीच सांस लेने का मौका मिलेगा;
- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए एक लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकारी की ओर से दी जायेगी;

- इसी तरह दिल्ली के रेस्टोरेंटों में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए पांच हजार रुपये प्रति तंदूर तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी;

- साथ ही 10 केवीए या इससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले व्यावसायियों को भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित इलेक्ट्रिक जेनरेटर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए 30 हजार रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी;

- दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनाने और इसके खतरे के प्रति, हर पल सतर्क बनाने के उद्देश्य से पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में वायु प्रदूषण के लेवल की जानकारी देने वाले करीब एक हजार इंडोर डिस्पले पैनल लगाये जायेंगे;

- दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से एक मॉडल डेवलप किया जायेगा ताकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण जैसे कि सर्दी के दौरान दिल्ली में स्मॉग की मात्रा अचानक बढ़ती है, इनकी जानकारी पहले से हो सके।

माननीय अध्यक्षः स्पलीमैंटरी बग्गा जी कोई?

श्री एस.के. बग्गाः नहीं।

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: अगर माननीय ये मनाने की बताने की कृपा करें कि क्या विभाग ने किसी ऐसे शहर या किसी दूसरे देश यहां पर वायू प्रदूषण बहुत है या अच्छा है, मतलब वायु जहां की बहुत अच्छी है, क्या ऐसे किसी शहर या देश की स्टडी की है; अगर की है तो उसकी जानकारी दें?

माननीय पर्यावरण मंत्री: मेरे संज्ञान में अभी ऐसा नहीं है। वैसे जापान के साथ ये लोग करते रहते हैं, पहले से ही इनका चल रहा है। जापान के साथ में एमओयू साईन किया हुआ है डीपीसीसी ने एन्वाएरन डिपार्टमैंट में। नहीं, पहले से ही किया हुआ है, इस बार भी हुआ था अभी तो जापान के साथ ही स्टडी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: भई एक सिर्फ राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारे कदम बताए जो उठाएं है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया आता है जिसके अंदर बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र हैं। जो पूरा का पूरा... इसमें बहुत सारी फैक्टरियां हैं। उसके अंदर जो कूड़ा निकलता है इंडस्ट्रियल एरिया का, उसको न तो एमसीडी उठाती है... कहते हुए कि भई, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना डीएसआईडीसी के पास में, इस बात के कोई कर्मचारी हैं। अब एन्वायरमैंट का ये काम है कि एन्वायरमैंट साफ रहे तो मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि उस कूड़े को उठाने की क्या प्रक्रिया है, कौन उठाएगा? और वो समय–समय पर उठता रहे, उसके लिए हम किस से सम्पर्क करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय पर्यावरण मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं उत्तर दे रहा हूं। कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी डीपीसीसी की नहीं है, न एन्वायरमेंट

डिपार्टमेंट की है लेकिन ये तो जिम्मेदारी एमसीडी की है लेकिन क्योंकि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो वेस्ट निकलता है, वो हैजर्डस्ट वेस्ट है और इसके लिए डीएसआईडीसी और एन्वायरमेंट डिपार्टमैंट साथ में मिलकर एक हैजार्डस्ट प्लांट बवाना में लगाने जा रहा है जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, डीएसआईडीसी लगा रहा है तो उसके बाद वो सारा का जो है. ..हैजार्डस्ट वेस्ट है, वो उसके अंदर जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई राजेश जी, हो गया। अभी मुझे और भी। प्रमिला टोकस जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं इस पर और नहीं, अभी और नहीं। सोमनाथ जी, इतना नहीं, सारा 280 रह जाएगा फिर।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो 83 होमगार्ड कहां—कहां तैनात किए गए हैं। और जो कूड़ा—करकट जलाते हैं। अब ये तो हमें पता नहीं चलता किसने जलाया लेकिन हम जाते हैं तो कूड़े में आग लगी होती है। तो वो एक्शन किस पर होगा, ये भी बता दीजिए।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 83 जो एन्वायरन्मेंटल मार्शल हैं, वो पूरी दिल्ली के अंदर नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड उसकी करा दूंगा और जो कूड़ा—करकट खुले में जलाते हैं अगर एमसीडी की लैंड पर जल रहा है या एमसीडी के पार्क में जल रहा है तो उसके एमआई सेनेटरी इंसपैक्टर और एएसआई उसके जिम्मेदार हैं। अगर पीडब्ल्यूडी के रोड पर जल रहा है तो पीडब्ल्यूडी के जेई को भी उसके लिए किया

हुआ है और डीडीए में है तो डीडी के जेई, एई, एसआई और एएसआई को इसके लिए जिम्मेदार हैं।

माननीय अध्यक्षः अंतिम बंदना जी। बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः ये जो दो नम्बर दिये हैं, व्हाट्सएप्प नम्बर, क्या इसकी कहीं ऐड हो रही है, हम विधायकों को भी ये नम्बर पता होगा?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः नहीं इन नम्बरों का जब भी इन्वायरमैंट डिपार्टमैंट का ऐड आता है अखबार के अंदर तो ऐड आता है इसका। आप लोग लिख लो मैं दोबारा बोल देता हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो गया अब उत्तर। अब 280।

माननीय उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, आप इजाजत दें तो कल क्योंकि प्रश्न काल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उसके संदर्भ में कुछ पेपर लेकर आया था... अभी आज वो हैं नहीं, और वो भी हैं नहीं। वो भी किस मुद्दे पर... नहीं है, बिजली के मुद्दे पर। गए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस पार्टी का धर्म ही सत्ता में आते ही बिजली के रेट बढ़ाना होता है, वो बिजली के रेट सस्ते होने पर दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है, उस पर सदन में हंगामा करके गुमराह कर रही है देश को। खैर! इन्होंने जहां–जहां सत्ता में आए हैं, बिजली के रेट बढ़ाये हैं, ये रिकॉर्ड में है। अभी ये देश को भी पता है। परन्तु मैं दूसरे संदर्भ में बात करना चाह रहा था। हैं नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने कल मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में जस्टिस अनिल देव कमेटी के आदेशानुसार, उनकी

कैलकुलेशन के अनुसार उनके ऑब्जर्वेशन्स के अनुसार जो फीस पेरेंन्टस को लौटाई जानी थी, वो लौटाई नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चे को फीस वापिस नहीं मिली है। वो तो मैं उनके समक्ष रखता। जैसे ही वो इस वक्त यहां बात कर रहे थे, विधानसभा की कार्यवाही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लाईव देखते हैं। मेरे अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग करके अपने परिवार को मिले हुए चेक्स और स्कूल से मिला हुआ लैटर या फीस अगर उन्होंने एडजस्ट कर ली लौटा के, अगले में तो उसमें लिखा है 'रिफंड एडजस्टिड', वो मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं। खैर! वो तो सोशल मीडिया का इनपुट है, विभाग की ओर से बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उस पर जो कल का डिस्कशन था, मुझे एक लिस्ट दी गयी है जिसमें उसी बात को दोहराते हुए कि 68 करोड़ रुपये लौटाये गये हैं। उसकी हम पूरी सूची यहां उपलब्ध करा देंगे स्कूलवाईज कि किस स्कूल ने कितना लौटाया है। अभी मेरे पास में 23 स्कूलों की सूची आ गयी है जिसमें अलग–अलग स्कूलों ने कितना कितना पैसा लौटाया है, मेरे पास फाइल में बच्चों के नाम भी हैं, उनके डिटेल्स भी हैं, उनके फोन नं. सहित। लेकिन मेरा सदन से आग्रह रहेगा कि बच्चों के... क्योंकि इसमें बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं, सब हैं, नाम नं. एड्रेस वगैरह सार्वजनिक करना उस लिहाज से ठीक नहीं है वो किसी विशेष स्कूल के बारे में, किसी विशेष परिवार के बारे में उसकी फीस वापस लौटाई गयी, नहीं लौटाई गयी, कितनी लौटायी गयी, उसपे अगर कोई सूचना चाहेगा मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा लेकिन ये आग्रह इसमें न रहे कि हम बच्चों की सूचना उपलब्ध कराएं लेकिन एक–एक स्कूल के बारे में, हर स्कूल ने कितनी फीस लौटाई है, उसको कितनी क्योंकि मैंने कल बताया था जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने कई स्कूलों में कैलकुलेशन किया है, कई में

कैलकुलेट नहीं किया है, कोई आधार तय किया है इस आधार पे कैलकुलेट की जानी चाहिए तो जहां जहां कैलकुलेटिड है, वहां वहां से कितनी लौटा दी है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट 23 स्कूलों की मैंने दी है। मैं ये सदन के समक्ष रख दूंगा और जैसे ही और भी पूरी हो जायेगी, रख दूंगा, लेकिन रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि स्कूलों की फीस लौटाई जा रही है। दिल्ली के क्या देश में प्राइवेट स्कूलों को जब से और खास तौर से जब से नेताओं ने और अफसरों ने प्राइवेट स्कूलों में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, अपनी बेईमानी का पैसा उसके बाद से प्राइवेट स्कूलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रावइेट स्कूलों को फीस... बढ़ी हुई फीस, मनमानी से बढ़ाई गयी फीस वापिस करने पर, पेरेंट्स को वापिस करने पर कई साल पहले बढ़ा के वसूल ली गयी फीस वापिस पे सरकारों ने उसमें... ऑफ कोर्स माननीय उच्च न्यायालय का भी सहयोग है, उनका भी आदेश रहा, सरकार ने बाध्य किया, उनसे लौटवाई, ये कई कई... जैसे एक भारद्वाज मॉडल स्कूल है, उसने 99 हजार रुपये की फीस लौटाई तो ये पूरा डिटेल है, डीएस मेमोरियल स्कूल, उसने 11 लाख 59 हजार 670 रुपये की फीस पेरेंट्स को लौटाई है। ये पूरा डिटेल मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और इस सदन के रिकॉर्ड में क्योंकि कल उन्होंने जो जिक्र किया और उसके बाद फिर हंगामा करने लगे, पहली बार ये हुआ है कि पेरेंट्स से वसूली गयी फीस वापस और अधिकतर मामलों में जब ये लौटाई गयी क्योंकि 2009, 10, 11 के आसपास से बहुत सारे बच्चे तो पढ़ के वापस निकल जाए वहां से स्कूल से बाहर निकल गए, उनके पेरेंट्स को ढूंढ ढूंढ के, उनके पुराने रिकॉर्ड से इतिहास, ढूंढ के उनके नाम चैक जारी किए गए हैं। ये मैं रिकॉर्ड में, सदन के रिकॉर्ड में क्लियर रखने के लिए ये बात रखना चाहता था।

माननीय अध्यक्षः ये लिस्ट सदन पटल पे रख देंगे?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ये लिस्ट मैं सदन पटल पे रख रहा हूं लेकिन ये अधूरी है, इसकी पूरी सूचना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मैं देख रहा हूं जिनका जवाब नहीं आया, कौन से प्रश्न का? मुरुगन जी, क्या है?

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, विजेन्द्र गुप्ता जी को माफी मांगनी चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी सेक्रेटरी साहब ने जानकारी दी, आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं। वो मिल जाएंगे। आज उत्तर सभी के आए हैं। चलिए, अब मुझे थोड़ा शुरू करने दीजिए प्लीज।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

23. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के हितों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या विभाग की राशन की दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनों के द्वारा राशन वितरण पुनः शुरू करने की कोई योजना है जिससे जनता की दिकक्तें कम होने के साथ–साथ राशन की काला बाजारी पर भी रोक लगती है; और

(ख) क्या सरकार की लोगों को राशन द्वारा चीनी पुनः उपलब्ध कराने

की कोई योजना है जिसका राशन द्वारा वितरण केन्द्र सरकार द्वारा रोक दिया गया है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई–पोज से राशन वितरण की व्यवस्था दिनांक 25.04.2018 से अस्थायी रूप से स्थगित है। सरकार की आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

24. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधानसभा में कितने शौचालय हैं;

(ख) उनके रखरखाव के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनके रखरखाव हेतु पैसा दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) अम्बेडकर नगर में विधानसभा में तीन शौचालय परिसरों में 124, सीट हैं।

(ख) मैंर्सज शक्ति जन सुधार समिति 116, शक्ति नगर विस्तार, दिल्ली–52।

(ग) जी, हां।

(घ) Rs. 6,32,400/– (छह महा के लिए) (1.1.18 से 30.6.18) @ Rs. 850/– प्रत्येक सीट/प्रति महीना) दिया जा रहा है।

Division	Code Number of Cluster	AC	Code of JSC	Location	Total No. of Seats at Present	Type of Buil-ding	No. of seats Gents	No. of seats. Ladies	No. of seats Disabled	No. of Baths Gents (Open)	No. of Baths Ladies (Cover-ed)	Name of the Maintenance Agency	Amount to be paid from 01.01.18 to 30.06.18
C06	825	48	48CJ0819	Dalit Camp Dakshin Puri ID-5985	82	Pucca	40	40	2	6	6	M/s Shakti Jan Sudhar Samiti	418200
C06	541	48	48CJ0821	JJC Near Virat Cinema, C-Block Dakshin Puri ID-2578	22	Pucca	10	10	2	4	2	M/s Shakti Jan Sudhar Samiti	
C05	536	48	48PJ0929	Harijan Camp Khanpur & Banjara Camp Opposite PNB Khanpur, Pt-1	20	Prefab	9	10	1	2	–	M/s Shakti Jan Sudhar Samiti	102000
				Total	124		59	60	5	12	8		632400

25. **श्री संजीव झा** : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सत्य है कि रानी झांसी फलाईओवर बनाने के लिए 698 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 698 वर्गमीटर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा सरकार की तरफ से लीज पर दी गई है जमीन पर भी मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की जमीन के बदले में 110 करोड़ रुपये का मुआवजा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि खैबर पास के नजदीक 95 एकड़ की जमीन जिसे डीएमआरसी को आवंटित किया जाना था उसका आवंटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किसी प्रोपर्टी डिलर को कर दिया गया है;

(छ) उक्त जमीन के आवंटन का पूर्ण विवरण क्या हैं;

(ज) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा इस जमीन को प्राईवेट पार्टी को आवंटित करने से पूर्व इसकी अनुमति माननीय उप–राज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से ली गई थी;

(झ) क्या यह भी सत्य है कि इस मामले में आयुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भूमिका की जांच करने हेतु आयुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जूनियर अधिकारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया; और

(ञ) ऐसा करने के क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** रानी झांसी फ्लाईओवर निर्माण हेतु 12645.96 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा रानी झांसी रोड़ फ्लाईओवर निर्माण हेतू भूमि का LAC/Delhi Govt. अधिग्रहण के माध्यम से कराया गया है। अधिग्रहण की गई सारी जमीन का मुआवजा LAC/Delhi Govt. के द्वारा मांगा गया था जिसकी पेमेंट उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा LAC/Delhi Govt. को दी गई है। जिसका **विवरण अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न हैं।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जी, हां।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा रानी झांसी रोड़ फ्लाईओवर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसी भी व्यक्ति को सीधे नहीं दिया गया है। अधिग्रहण की गई सारी जमीन का मुआवजा LAC/Delhi Govt. के द्वारा मांगा गया था जिसकी पेमेंट दिनांक 05.10.2019 तथा 04.01.2011 उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा LAC/Delhi Govt. को की गई है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा रानी झांसी रोड़ फ्लाईओवर निर्माण हेतु मैथेडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की 6376.21 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जिसका मुआवजा रुपये 25,67,93,406/– LAC/Delhi Govt. दिनांक 05.10.2009 और 04.01.2011 को किया गया है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : 'घ' के अनुसार।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : ऐसी किसी भूमि का आबंटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'च' के अनुसार।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. : जमीन आबंटन संबंधित एल एंड डीओ का पत्र दिनांक 15.11.99 संलग्न है। इस जमीन का क्षेत्रफल 93.403 एकड़ है नाकि 95 एकड़। आबंटित जमीन संबंधित अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित हैः—

1. डीएमआरसी को उपरोक्त जमीन दिल्ली एमआरटीएस प्रोजेक्ट हेतु मेट्रो डिपो निर्माण के लिए लीज पर 99 वर्ष के लिए आबंटित की गई थी।

2. इस आबंटित जमीन के 25.99 हैक्टेयर (64.245 एकड़) पर कार डिपो का निर्माण किया गया है। बची हुई 11.80 हैक्टेयर (29.158 एकड़) जमीन दिल्ली मेट्रो ने सम्पत्ति विकास हेतु लीज पर दी हुई है।

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'च' के अनुसार।

(झ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : इन आरोपों की जांच हेतु दिनांक 28.05.2018 को माननीय महापौर महोदय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जिसका अध्यक्ष अतिरिक्त (अभियांत्रिक) को बनाया गया और जिसके सदस्य अतिरिक्त आयुक्त (पर्यावरण एवं प्रबंधन सेवाएं) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी को बनाया गया।

(ञ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : इन आरोपों की जांच हेतु दिनांक 28.05.2018 को माननीय महापौर महोदय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जिसका अध्यक्ष अतिरिक्त (अभियांत्रिक) को बनाया गया और जिसके सदस्य अतिरिक्त आयुक्त (पर्यावरण एवं प्रबंधन सेवाएं) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी को बनाया गया।

अनुलग्नक 'क'

Details of payment against land acquisition for C/o Grade Separator at Rani Jhansi Road

Sr. No.	Location	Area (m^2)	Part Payment	Cheque No./Date	Final Award	Balance Payment	Cheque No./Date	Award No.
1.	Model Basti	1244.63	17,14,51/719/-	052337 dt. 18.06.10	11,27,99,828/-	4,13,48,109/-	052446 dt. 12.03.13	1/2012-13 dt. 15.06.13/ 27.07.12
2(A)	Azad Market	3430.00	17,35,01,376/-	052338 dt. 18.06.10	129,41,78,109/-	10,00,00,000/-	052412 dt. 31.03.12	12/LAC/N/ 12-13 dt. 31.05.12
						12,67,29,008/-	052448 dt. 25.03.13	-
2(B)	Kothi Mem	411.16	-	-	3,56,29,627/-	2,95,77,352/-	052414 dt. 31.03.12	11/LAC/N/ 11-12 dt. 19.08.11
3	Baraf Khana	1183.95	2,58,57,686/-	052336 dt. 18.06.10	9,89,98,630/-	7,31,40,944/-	052390 dt. 22.09.11	10/LAC/N/ 10-11 dt. 22.12.10
4	Church Proparties	16376.21	113,92,56,426/-	1052303 dt. 05.10.99	25,67,93,405/-	8,75,36,979/-	052339 dt. 14.01.11	09/LAC/N/ 10-11 dt. 22.12.10
						3,00,00,000/-	052357 dt. 22.12.10	
	Total		31,00,67,207		79,83,99,599/-	48,83,32,392/-		

अनुलग्नक 'ख'

SALIENT FEATURES

Name of Work	Construction of Grade Separator at Rani Jhansi Road
1	2
Administrative Approval	Original A/A accorded Vide Hon'ble LG's Orders dated 17.07.2006 & Revised A/A accorded Vide Orders dated 06.08.2014
Amount of Scheme	Originally Rs. 177.72 crores Revised Rs. 724.22 crores
Work Order No. & Date	D/EE(CWG-II)/TC/2008-09/11 dated 11.06.2008
Contractual Amount of Work	Rs. 93.83 crores
Name of Agency	M/s DRA Brahmputra Consortium Ltd. (JV)
Scheduled Time of Completion	27 Months
Location	From St. Stephen Hospital near Tis Hazari Court to Filmistan Cinema
Length of Bridge:	1620 m
	(240 m length is to be constructed by Railway as a deposit work of Corporation)
Lanes	04 Lane Bridge
Type of Construction:	Pre-Cast PSC Segmental Box Girder Type Bridge

1	2
Carriageway width	**From start point near St. Stephen's Hospital to P-6 (i.e. upto start of Railway portion)**
	2 carriageway of 7.50m each
	From P-13 to P-22 (i.e. beyond Railway portion to Gurudwara)
	2 carriageway of varying width between 10.50m to 14.00m each
	From P-23 to end point near Filmistan
	2 carriageway of 7.50m each
Additional Ramps	Additional Ascending and Descending Ramps at
	• DCM Chowk – North DMC
	• Baraf Khana Chowk – Railways
Width of Ramps	5.50 m
Amount Paid to Railways	Rs. 52.00 crore
Target Date of Completion	Likely to be completed by 30.06.2018

26. श्री महेन्द्र यादव : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में इस समय नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का कार्य पुनः कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) नियम के अनुसार राशन वितरित न करने वाले उचित दर राशन दुकानदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा क्या कोई कार्रवाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो विकासपुरी विधान सभा में उचित दर राशन दुकानदरों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों के आधार पर अब तक कितने मामलों में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) ऐसे उचित दर राशन दुकानदारों का विवरण क्या है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है।

(ग) जी हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 10(1) के प्रावधान के अनुसार उचित दर दुकान मालिक राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न उनकी पात्रता के अनुसार वितरित करेगा। इस आदेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में सेक्शन–31 के आदेश अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–7 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।

पुनः यदि कोई राशन दुकानदार राशन की कालाबाजारी में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभाग उचित कार्रवाही करता है:–

क्र. सं.	वेरिएशन	दण्ड
1.	निरीक्षण के दौरान यदि 50 किलोग्राम से कम वेरिएशन पाया जाता है।	लाइसेंसी की सिक्युरिटी जब्त की जाती है।
2.	यदि 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम वेरिएशन पाया जाता है।	उचित दर दुकान को तुरंत संस्पेशन और लाइसेंसी की सिक्युरिटी जब्त की जाती है।
3.	यदि वेरिएशन 100 किलोग्राम से ऊपर पाया जाता है।	उचित दर दुकान को तुरंत संस्पेंड कर दिया जाता है और सिक्युरिटी राशि जब्त की जाती है। इसके अतिरिक्त दुकान की एफआईआर दर्ज की जाती है।

(घ) विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2015 से 2018 तक 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 10 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। एक शिकायत लंबित है क्योंकि राशन कार्डधारी दिल्ली में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) विवरण संलग्नक 'अ' के अनुसार संलग्न है।

संलग्नक 'अ'

PGMS ID	Date	Name of Complainant	Subject	Action Taken
2018057487, 2018052943 & 2018051319	25/05/2018	Bittoo	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Sai Palak Store, FPS No. 9127	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018052739	15/05/2018	Usha	Reg. Non-issuance of SPAs from M/s Balaji Store, FPS No. 9130	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018050812	10/05/2018	Ashok	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Shiv Kartik Store, FPS No. 9133	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018049706	08/05/2018	Kamla		In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.

2018049026	07/05/2018	Om Prakash Sharma	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Shital Store, FPS No. 7920	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence. no action further required.
2018048978	07/05/2018	Shiv Ji Rao	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Ashok Kumar Rana FPS No. 3927	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018011218	31/01/2018	Pankaj Kumar Soni	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Garg Store FPS No. 8743	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018009571	27/01/2018	Dhaneshwari Devi	Reg. Non-issuance of SFAs from M/s Bahadur Store FPS No. 9134	In this regard, the allotted quota of SFAs has been issued to the beneficiary. Hence, no action further required.
2018002092	06/01/2018	Anil Kumar	Reg. Non-issuance of SFAs	In this regard, the family of complainant was not in Delhi therefore, without bio-metric authentication SFAs could not be issued.

27. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा शराब परोसने हेतु कुल कितने बार, पब और रेस्टोरेंटों को लाइसेंस दिए गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में इनमें से प्रत्येक बार, पब और रेस्टोरेंटों को किस–किस श्रेणी में लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में पब, बार और रेस्टोरेंटों में आखिरी ऑर्डर का क्या समय निर्धारित है और इनके प्रतिदिन खुलने और बंद होने का क्या समय निर्धारित है;

(घ) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में पब, बार और रेस्टोरेंटों में महिला एवं पुरुष द्वारा लाइफ सिंगिंग एवं म्यूजिक के लिए आबकारी विभाग द्वारा क्या कोई लाइसेंस दिया जाता है;

(ङ) आबकारी विभाग पब, बार और रेस्टोरेंटों में कितनी श्रेणियों में लाइसेंस देता है, प्रत्येक श्रेणी का पूर्ण विवरण दें; और

(च) पिछले एक साल में आबकारी विभाग द्वारा कितने पब, बार और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया गया और वहां क्या खामियां पाई गई, पूर्ण विवरण दें?

माननीय उप मुख्य मंत्री : (क) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त लाइसेंसों की कुल संख्या 24 है। सूची संलग्न "क" पर है।

(ख) पहाड़गंज और करोलबाग क्षेत्र में एल–17/एल–17 एफ श्रेणी में लाइसेंस प्रदान किये गए हैं।

(ग) पब, बार और रेस्टोरेंटों में आखिरी ऑर्डर का कोई समय विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है, यद्यपि इनके प्रतिदिन खुलने और बंद होने का समय प्रातः 11.00 बजे से रात्रि अधिकतम 1.00 बजे तक है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) होटल, क्लब व रेस्टोरेंट लाइसेंसों की श्रेणी की सुची संलग्न "ख" पर है।

(च) पिछले एक साल में आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा कुल 214 पब, बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। जिनमें निरीक्षण के दौरान 94 रेस्टोरेंट में खामिलयां पाई गयी। खामियों का विवरण सूची "ग" पर संलग्न है।

सूची–'क'

List of Active HCR Licenses in Karol Bagh and Paharganj Area as on 29 May 2018

Sl. No.	Vend Name	User ID	Entity	Licence Type	Address	Area
1	2	3	4	5	6	7
1	Metro Polis	L172001087	Restaurant	L17	1634-35 Main Bazar Pahar Ganj, ND-55	Pahar Ganj
2	Gold Resto Bar	L172012484	Restaurant	L17	4350, 4th Floor, Main Bazar, Pahar Ganj	Pahar Ganj
3	Sam's Restaurant	L1720131936	Restaurant	L17	1548, MF, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
4	Lefair Way	L1720132085	Restaurant	L17	2206, 1st Floor Rajguru Road, Chuna Mandi, Pahar Ganj	Pahar Ganj
5	Cheers Resto Bar	L1720142536	Restaurant	L17	Plot No. 1, Block-80A, UGF, Krishna Market, Pahar Ganj, New Delhi-55	Pahar Ganj
6	R-1 Restro Bar	L1720174443	Restaurant	LI 7	400/28, 401-402/27 Plot No. 4 Block No. 80A Krishna Market Pahar Ganj New Delhi	Pahar Ganj

7	The Gem Restaurant	L172002147	Restaurant	L17	1050, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
8	True Blue Restaurant Pahar Ganj	L172004003	Restaurant	L17	11, Qutab Road Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
9	Green Chilly Restaurant	L172009170	Restaurant	L17	XV-2351, Rajguru Road Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
10	My Restaurant	L172009210	Restaurant	L17	5136, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
11	Allure Resto Bar Restaurant	L172010308	Restaurant	L17	65, D.B. Gupta Road Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
12	White Heart Resto Bar	L172011440	Restaurant	L17	5136/1, Ground Floor, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
13	Delhi Knighters Restaurant and Caters Pvt. Ltd.	L1720132154	Restaurant	L17	AG-1 RG City Centremotia Khan, Pahar Ganj	Pahar Ganj
14	Delhi Ka Tadka	L172013611	Restaurant	L17	3738, D.B. Gupta Road Pahar Ganj, Delhi	Pahar Ganj
15	Yours Bar	L1720163849	Restaurant	L17	Property No. 4566 & 4568, GF & FF, Main Bazar, Pahar Ganj, New Delhi	Pahar Ganj
16	Dimple Restt.	L1720010S1	Restaurant	L17	2105, DBG Road Karol Bagh, New Delhi-5	Karol Bagh

1	2	3	4	5	6	7
17	Cross Roads Restuarant	L172002107	Restaurant	L17	17 A/1, W.E.A., Gurudwara Road Karol Bagh, New Delhi	Karol Bagh
18	Kiwi Restro	L172009217	Restaurant	L17	16/21, WEA Padam Singh Road Karol Bagh, New Delhi	Karol Bagh
19	Spicy By Nature Restuarant	L172009231	Restaurant	L17	15A/55, W.E.A. Saraswati Marg, Karol Bagh New Delhi	Karol Bagh
:'20	Aroma Spice	L172012463	Restaurant	L17	15A/61, W.E.A. Karol Bagh Tank Road	Karol Bagh
21	Boheme Cafe Bar	L1720142419	Restaurant	L17	Ground Floor, 16A/1, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi	Karol Bagh
22	Delly Belly Restaurant a Unit of Delhi Knighters	L1720152860	Restaurant	L17	Shop No. 2120/58 Bank Street Gurudwara Road Karol Bagh, New Delhi	Karol Bagh
23	3 Tuns	L1720153143	Restaurant	L17	938/3 Naiwala Karol Bagh	Karol Bagh
24	Regent Bar & Lounge	L172016342S	Restaurant	L17	4/72, GF, W.E.A., Krishna Market, Karol Bagh, Delhi-5	Karol Bagh

Summary

Area	Count of HCR	Total
Paharganj	15	24
Karol Bagh	9	

सूची–"ख"

क्र. सं.	प्रारूप	लाइसेंसों का विवरण
1	2	3
1.	एल–15	किसी होटल में ठहरने वालों को उनके कमरों में भारतीय शराब परोसना।
2.	एल–15एफ	प्रारूप एल–15 के लाइसेंस धारक को किसी होटल में ठहरने वालों को उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना।
3.	एल–16	किसी होटल से सम्बद्ध किसी बार/रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना।
4.	एल–16एफ	प्रारूप एल–16 में लाइसें धारक को किसी होटल से सम्बद्ध बार/रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।
5.	एल–17	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना।
6.	एल–17एफ	प्रारुप एल–17 में लाइसेंस धारक को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।
7.	एल–18	स्वतंत्र रेस्तरां में वाइन, बियर और अल्कोपाप परोसना।
8.	एल–18ए	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय बियर और अक्लोपाप परोसना।
9.	एल–18एएफ	स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी बियर और अक्लोपाप परोसना।
10.	एल–18एफ	प्रारूप एल–18 में लाइसेंस धारक को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।

1	2	3
11.	एल—19	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे भारतीय शराब प्रदान करना/की बिक्री करना।
12.	एल—19एफ	प्रारूप एल—19 में लाइसेंस धारक को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे विदेशी शराब परोसना।
13.	एल—20	किसी लग्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय शराब परोसना।
14.	एल—20एफ	प्रारूप एल—20 में लाइसेंस धारकों को किसी लग्जरी ट्रेन के बार/डाइनिंग कार में विदेशी शराब परोसना।
15.	एल—21	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित किसी होटल से सम्बद्ध बार में चौबीसों घंटें भारतीय शराब परोसना/की बिक्री करना।
16.	एल—21एफ	प्रारूप एल—21 में लाइसेंस धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमनया प्रस्थान क्षेत्र में स्थित किसी होटल से सम्बद्ध बार में चौबोसों घंटें विदेशी शराब परोसना/की बिक्री करना।
17.	एल—28	किसी क्लब में भारतीय शराब परोसना।
18.	एल—28एफ	प्रारूप एल—28 में लाइसेंस धारकों को किसी क्लब में विदेशी शराब परोसना।

1	2	3
19.	एल—29	किसी ऐसी क्लब/मेस में भारतीय शराब परोसना, जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या अवकाश प्राप्त सदस्यों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो तथा क्लब/मेस वाणिज्यिक आधार पर संचालित न की जा रही हो।
20.	एल—29एफ	प्रारूप एल—29 में लाइसेंस धारक को किसी ऐसी क्लब/मेस में विदेशी शराब परोसना, जिसकी सदस्यता सेनाओं के सेवारत या अवकाश प्राप्त सदस्यों सहित सरकारी कर्मचारियों, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो तथा क्लब/मेस वाणिज्यिक आधार पर संचालित न की जा रही हो।

संलग्नक 'ग'

Sl. No.	Date	Name of the Restaurant	Seat cover violation found
1	2	3	4
1	2-Jun-2017	M/s 1 Oak Cafê, C-49 & C-50, Defence Colony, New Delhi	Violation of NDPL, other vend liquor found. Action taken and FIR lodged.
2	7-Jul-2017	M/s Game of Legends, 3rd Floor, City Square Mall, Raja Garden, New Delhi	Violation of NDPL, other vend liquor found. Action taken and FIR lodged.
3	7-Jul-2017	M/s Etal Restaurant, 2nd Floor, City Square Mall, Raga Garden, New Delhi	Violation of NDPL, other vend liquor found. Action taken and FIR lodged.

1	2	3	4
4	7-Jul-2017	M/s Cafe Cruise Restaurant, 1st Floor, City Square Mall, Raja Garden, New Delhi	Violation of NDPL found. Action taken and FIR lodged.
5	13-Jul-2017	M/s My Bar Grill (M/s Verve the Lounge Bar Restt), 28, 3rd Floor, Kh. No. 756/330 Hauz Khas Village, New Delhi	Liquor stock was found on the terrace and the seat cover violation found.
6	14-Jul-2017	M/s Privee, Ashoka Road, Delhi	Liquor found in Dry store.
7	17-Jul-2017	M/s Park Balluchi Restt, Hauz Khas Village	Seat cover violations found, liquor found in Dry Store.
8	19-Jul-2017	M/s Imperfecto Restt, Hauz Khas Village, Delhi	Seat cover violations found and action taken.
9	19-Jul-2017	M/s 98 Keya Kainoosh Restt. Vasant Kunj, Delhi	Violation of Two bar counter and seat covers violation found.
10	19-Jul-2017	M/s National Highway 44, Rajouri Garden, ND	Seat cover violations found.
11	21-Jul-2017	M/s Masaaba Punjabi Bagh Club Road, Delhi	Underage found having liquor, police complaint registered under section 42(1) in PS Punjabi Bagh.
12	25-Jul-2017	M/s Rangrez (KLOL) Rajouri Garden, ND	Name changed and seat cover violation found.
13	5-Aug-2017	M/s Tamaasha, Connaught Place, Delhi	Two bar counter, seat cover violation found.
14	19-Aug-2017	M/s Moments Bar & Lounge Pitampura	Expired Beer found.

1	2	3	4
15	25-Aug-2017	M/s Drunk House, Rajouri Garden, New Dlehi	Liquor found pertaining to other vend and seat, cover violation found.
16	26-Aug-2017	M/s Mafioso Restt, Hauz Khas Village, Delhi	Liquor found pertaining to other vend.
17	15-Sep-2017	M/s Hyperlocal, SDA, Delhi	Seat Cover violation and two bar counter found.
18	16-Sep-2017	M/s Nukkad Cafe & Bar, SDA, Delhi	Seat cover violation found.
19	16-Sep-2017	M/s Tipsy Crow, SDA, Delhi	Seat cover violation found.
20	17-Sep-2017	M/s Scoical & Tinaure, Hauz Khas Village	Liquor found in Dry store.
21	22-Sep-2017	M/s Bulldog, Hauz Khas Village, Delhi	Seat Cover violation and brand promotion violation found.
22	22-Sep-2017	M/s Maasha, Hauz Khas Village, ND	Seat cover violations found.
23	22-Sep-2017	M/s Sallato 44 Restaurant, Hauz Khas, Delhi	Statutory warning not displayed.
24	22-Sep-2017	M/s CIRE Restt. Hauz Khas Village, Delhi	Name changed, statutory warning not displayed and brand promotion violation found.
25	22-Sep-2017	M/s Beer Cafe, Hauz Khas Village, Delhi	Statutory warning not displayed, brand promotion violation found.
26	22-Sep-2017	M/s Verve, Hauz Khas Village, Delhi	Liquor found outside the liquor store.

1	2	3	4
27	22-Sep-2017	M/s Dzukou Restt., Hauz Khas Market Delhi	Liquor found pertaining to other vend.
28	22-Sep-2017	M/s Living Room, Hauz Khas Village, Delhi	Seat cover violation found, refrigerator filled with liquor found outside the bar counter.
29	22-Sep-2017	M/s Same Place, Hauz Khas Village, Delhi	Liquor fund outside the liquor store, loud music and name changed violation found.
30	22-Sep-2017	M/s Junction, Hauz Khas, Delhi	Seat cover violation, liquor found outside the L-17 store and one refrigerator filled with liquor found outside the bar counter.
31	23-Sep-2017	M/s The Yard, Green Park, Delhi	Statutory warning not displayed, name changed violation found.
32	29-Sep-2017	M/s Voult cafe, C.P.	Seat cover violation found.
33	29-Sep-2017	M/s Junk Yard, C.P.	Seat cover violation found.
34	29-Sep-2017	M/s Warehouse, C.P.	Seat cover violation and liquor found outside liquor store.
35	29-Sep-2017	M/s Garam Dharam Dhaba, C.P.	Seat cover violation found.
36	14-Oct-2017	M/s High Street Restt, Vasant Vihar, Delhi	Loud Music, one expired beer found.
37	14-Oct-2017	RPM Max, Vasant Vihar	Liquor found outside liquor store.
38	14-Oct-2017	M/s Patiala Tiger Restt., GK-1	Seat cover violation found.
39	14-Oct-2017	M/s White Water, C.P.	Name changed violation found.

1	2	3	4
40	15-Oct-2017	M/s Flying Socuer Cafe, Nehru Place	Seat cover violation found.
41	25-Oct-2017	M/s Excuse Me Boss, C.P.	Two refrigerator filled with liquor found kept outside the bar counter.
42	2-Nov-2017	M/s National Highway 44, Rajouri Garden, New Delhi	Liquor found pertaining to other vend, liquor stock found kept outside the L-17 store, seat cover violation found.
43	2-Nov-2017	M/s Habbibi, Rajouri Garden, New Delhi	Seat cover violation, liquor found outside the L-17 store and name changed.
44	2-Nov-2017	M/s Desee Dakshin, Rajouri Garden	Expired beer found and NDPL found and FIR lodged.
45	3-Nov-2017	M/s Local, Saket, Delhi	Seat cover violations found.
46	3-Nov-2017	M/s Explode Restt, Saket, New Delhi	Expired Beer found.
47	3-Nov-2017	M/s Lodus, Saket, Delhi	Seat cover violation, two bar counter, name changed violation found.
48	4-Nov-2017	M/s telegram, Hudson Lane	Liquor pertaining to other vend found.
49	7-Nov-2017	M/s Beer Cafe, Khan Market	Brand Promotion, Liquor found outside the bar counter and two bar counter found.

1	2	3	4
50	8-Nov-2017	M/s Desi Vibes, Defence Colony	Seat cover violation and statutory warning not found.
51	8-Nov-2017	M/s Amici Cafe, Defence Colony	Liquor found pertaining to other vend, seat cover violation and statutory warning not displayed.
52	8-Nov-2017	M/s China Garden Restaurant, G.K.-II	Liquor pertaining to other vend and liquor found in kitchen refrigerator.
53	8-Nov-2017	M/s Uroad Romeo, Defence Colony	Name changed violation found.
54	8-Nov-2017	M/s Swagat Restaurant, G.K.-II	Two bar counters violation found.
55	10-Nov-2017	M/s QBA (Flying Saucer) C.P.	Seat Cover violation, liquor found outside liquor store, brand promotion and name change.
56	10-Nov-2017	M/s NEST, Arbindo Marg	Name found changed and seat cover violation found.
57	10-Nov-2017	M/s Club BW, New Friends Colony	Expired Beer found.
58	16-Nov-2017	M/s AMPM Rajouri Garden, Delhi	Two refrigerator filled with liquor found kept outside the bar counter and brand promotion.
59	16-Nov-2017	M/s Light Camera Action, Rajouri Garden, Delhi	Liquor found pertaing to other vend, seat cover violation, liquor stock found kept outside the L-17 store, brand promotion and action taken.

1	2	3	4
60	18-Nov-2017	M/s 736AD Restt, Hudson Lan	Liquor found pertaining to other vend.
61	21-Nov-2017	M/s Green Chilly Restt., Pahar Ganj	Liquor found pertaining to other vend, loud music, statutory warning not displayed and brand promotion violation and action taken.
62	22-Nov-2017	M/s Red Chilly Paschim Vihar	Liquor found pertaining to other vend and seat cover violation found.
63	24-Nov-2017	M/s Lords of Drinks, C.P. Delhi	Seat cover and two bar counter violation and action taken.
64	24-Nov-2017	M/s My Bar Headquarters, C.P. Delhi	Liquor found kept outside the L-17 store and action taken.
65	25-Nov-2017	The Yard, Green Park, Delhi	Name changed, seat cover, two bar counter and liquor served on the terrace
66	25-Nov-2017	M/s The Musical Instrument, Hauz Khas Village, Delhi	Name changed and action taken.
67	25-Nov-2017	M/s Delhi Knighers Restt., Pahar Ganj, Delhi	Restt. running after 1.00 A.M., liquor found pertaining to other vend, brand promotion.
68	26-Nov-2017	M/s Hybrid, C.P. Delhi	Brand promotion and name changed.
69	30-Nov-2017	M/s Skyhigh, Ansal Plaza	Seta Cover violation, two bar counter found.

1	2	3	4
70	1-Dec-2017	M/s Rabit Hole, Hauz Khas Village, New Delhi	Seat cover and two bar counter violation found.
71	1-Dec-2017	M/s Social & Tinur, Hauz Khas	Underage found and complaint lodged under section 42(1) in PS Safdarhybg Enclave, Delhi and two bar counter and liquor found outside the bard couter.
72	6-Dec-2017	M/s Park Balluchi Restt., Hauz Khas Village	Name changed, seat cover violation, two bar counters, brand promotion, liquor found outside store.
73	8-Dec-2017	M/s The Butler House, Punjabi Bagh, Delhi	Expired beer, name changed , seat cover violation found.
74	9-Dec-2017	M/s Raas Restaurant, Hauz Khas Village, Delhi	Underage found and complaint lodged under section 42(1) in PS Safderjung Delhi.
75	9-Dec-2017	M/s Lord of Drinks, Hauz Khas Village, Delhi	Underage found and complaint lodged under section 42(1) in PS Safderjung Delhi.
76	9-Dec-2017	M/s Mafioso Restt., Hauz Khas Village, Delhi	Bottles served on the table.
77	15-Dec-2017	M/s Chutnez, Laxmi Nagar	expired beer found and bottle served on the table.
78	20-Dec-2017	M/s 36 Red, Shahdara, Delhi	Name changed violation.
79	21-Dec-2017	M/s Over the Top Restt., Janakpuri	Seat cover violation found.

1	2	3	4
80	24-Jan-2018	M/s Hall of Fame, Ashoka Road, Delhi	Name changed, two bar counter.
81	4-Feb-2018	M/s Junction, Hauz Khas, Delhi	NDPL found and FIR lodged.
82	9-Feb-2018	M/s Junk Yard, C.P.	Seat cover violation found.
83	9-Feb-2018	M/s Garam Dharam Dhaba, C.P.	Seat cover violation found.
84	10-Feb-2018	M/s Garam Dharma Dhaba, Rajouri Garden	Seat cover violation found.
85	16-Feb-2018	M/s Local, C.P. Delhi	Liquor Bottles found served on table and expired beer found.
86	17-Feb-2018	M/s Firangi Grill, Rama Road	Seat cover violation found.
87	20-Feb-2018	M/s Level Restaurant, Hauz Khas Village	Liquor found in the unlicensed premises and FIR lodged in PS Safderjung Enclave.
88	24-Feb-2018	M/s The Club Road Cafe (Ternado)	Name found changed.
89	1-Mar-2018	M/s Grey Global Kitchen & Bar (Pamphilos), GK-1	Name changed, seat cover violation found.
90	4-Apr-2018	M/s Colours N Spice (Bohca), Siri Fort	Name changed violation found.
91	12-Apr-2018	M/s Hall of Fame, Ashoka Road, Delhi	Liquor found pertaing to other vend, name changed action taken and FIR lodged.

1	2	3	4
92	13-Apr-2018	M/s De forbidden, Janakpuri, Delhi	Some expired beer found.
93	11-May-2018	M/s Mehkhana Bar, Janakpuri, Delhi	Brand Promotion, One refrigerator found kept outside the bar counter.
94	12-May-2018	M/s Box Office Cafe, Hudson lane	Underage found and complaint lodged under section 42(1) in PS Mukherjee Nagar, Delhi.

28. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधानसभा में पानी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या शाहदरा में मौजूदा ओवरहैड टैंक को तोड़कर एक नया यू.जी.आर. बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा; और

(ङ) इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी, हां। इस विधान सभा की कुछ कालोनियों की अंतिम छोर की गलियों में कम दबाव पर पानी मिलता है क्योंकि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र निर्धारित यू.जी.आर. व पम्प हाउसों के अंतिम छोर पर स्थित है।

(ख) इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाये किये जा रहे हैं:—

1. क्योंकि जी.टी. रोड पम्प हाउस पर एक पम्प चलाने से पर्याप्त दबाव में पानी नहीं मिलता था इसलिए सप्लाई के समय एक और पम्प चलाना शुरू किया है जिससे पानी की व्यवस्था में सुधार आया है।

2. मानसरोवर पार्क एफ व जी ब्लॉक में पानी की कम दबाव की समस्या के समाधान हेतु मुख्य लाइन से 8 इंच व्यास की अतिरिक्त लाइन को जोड़ने के कार्य की निविदा की गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अभी इसकी समय—सीमा निर्धारित नहीं है।

29. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूसिब विभाग में आदर्श नगर विधानसभा में अपनी खाली पड़ी ज़मीनों व बनी हुई सम्पत्तियों की सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या डूसिब विभाग में आदर्श नगर विधानसभा में अपनी खाली पड़ी ज़मीनों पर अवैध कब्जों की सूची बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या डूसिब विभाग ने अपनी खाली पड़ी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(च) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(छ) डूसिब की ज़मीने किस–किस कार्य में प्रयुक्त की जा सकती है;

(ज) क्या डूसिब की ज़मीन पर शमशान घाट बनाया जा सकता है;

(झ) क्या यह सत्य है कि जहांगीरपुरी में कोई श्मशान घाट नहीं है जिसके कारण वहां के निवासियों को अंत्येष्टि कर्म हेतु 2 से 2.5 कि.मी. की दूरी पर आज़ादपुर जाना पड़ता है;

(ट) क्या डूसिब विभाग द्वारा जहांगीरपुरी में जहां पांच लाख से अधिक जनसंख्या है, 20 प्लेटफार्म का शमशान घाट बनाने हेतु 15 से 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा सकती हैं; और

(ठ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी, हां, खाली जमीन एवं बनी हुई सम्पत्तियों की सूची संलग्न हैं।

(ख) सूची क, ख व ग संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी दो सम्पत्तियाँ ए–1 मार्किट, जहांगीरपुरी में स्थित हैं।

(ङ) एवं (च) ए–1 मार्किट जहांगीरपुरी के पास खुली जगह पर कृष्णावंती के द्वारा 217.80 वर्ग मीटर एवं सूरज प्रकाश के द्वारा 14.00 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। माननीय अदालत के विचाराधीन मामले में निर्णय के पश्चात् इन दोनों संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस

जारी किया जा चुका है एवं सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरी कर ली जाएगी।

(छ) डूसिब की जमीनों को उसी आशय से प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोग/लैण्ड प्रयोजन जोनल प्लान में दर्शाया होता है जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है। डूसिब की जमीनों का मुख्य भूमि उपयोग वाणिज्यिक, रिहाइशी, आदि के लिए होता है।

(ज) शमशान घाट, जोनल स्तर की सुविधा है इस सुविधा का प्रावधान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, जोनल प्लान में निर्धारित किया जाता है।

(झ) जहांगीरपुरी के ले लाउट प्लान में श्मशान घाट के लिए भूमि चिह्नित नहीं है। अतःडूसिब द्वारा ऐसी भूमि को अनुपलब्ध होने के कारण आवंटित नहीं किया जा सकता है।

(ट) उपरोक्त अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

(ठ) उपरोक्त अनुसार; और

(ङ) उपरोक्त अनुसार।

सूची 'क'

आदर्श नगर विधान सभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा बनाई गई संपत्तिओं का विवरण निम्नलिखित है

(1) रेन बसेरा सराय पीपल थला

(2) समुदाय भवन

(क) समुदाय भवन राम गढ़, जहांगीरपुरी

(ख) समुदाय भवन 'बी' ब्लॉक स्लम क्वाटर, जहांगीरपुरी

(3) बस्ती विकास केंद्र

(क) बस्ती विकास केंद्र नजदीक सराय पीपल थला।

(ख) बस्ती विकास केंद्र साइट–I, जे.जे. कलस्टर 'जी' ब्लॉक जहांगीरपुरी

(ग) बस्ती विकास केंद्र साइट–II, जे.जे. कलस्टर 'जी' ब्लॉक जहांगीरपुरी

(घ) सामुदायिक भवन/बस्ती विकास केंद्र साइट–III 'जी' ब्लॉक जहांगीरपुरी

(4) स्थल कार्यालय, जहांगीरपुरी स्लम क्वाटर

(5) शिशु वाटिका, एच ज.जे. कलस्टर जहांगीरपुरी

(6) 1668 nos. स्लम क्वाटर, जहांगीरपुरी

(7) जन सुविधा परिसर

(क) 20 सीट, जे.जे. कलस्टर 'जी' ब्लॉक जहांगीरपुरी

(ख) 40 सीट, जे.जे. कलस्टर 'एच–2' ब्लॉक जहांगीरपुरी

(ग) 27 सीट, जे.जे. कलस्टर सराय पीपल थला साइट–II

(घ) 33 सीट, जे.जे. कलस्टर सराय पीपल थला साइट–I

(ङ) 12 सीट, जे.जे. कलस्टर राजस्थानी उद्योग नगर

(च) 10 सीट पुनिर्मित, जे.जे. कलस्टर पुनिर्मित आज़ाद पुर सब्ज़ी मंडी आदर्श नगर थाने के पीछे

(छ) 22 सीट, समीप एच–4 जे.जे. कलस्टर जहांगीरपुरी

(8) थड़ा माप 1.80×2.40 मीटर प्रत्येक

(क) 56 nos. स्थानीय खरीदारी केंद्र बी ब्लॉक स्लम क्वाटर जहांगीरपुरी

(ख) 176 nos. ब्लॉक बी–3 जहांगीरपुरी

(ग) 77 nos. ब्लॉक जी–1, जहांगीरपुरी

सूची 'ख'

List of Assets under Jahangirpuri Zone

Resi. Pot	Resi. Tenements	Shops	Coal Depot	Kisoks
20384	NIL	1206	5	13

Above residential plots, shops, coal depot and kiosks allotted by DDA/DUSIB.

सूची 'ग'

आदर्श नगर विधान सभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा खाली जमीन का विवरण निम्नलिखित है

1. 822 वर्ग मीटर (व्यसायिक) ब्लॉक ई स्लम क्वार्टर, जहांगीरपुरी
2. 13100 वर्ग मीटर (व्यसायिक) समीप कुशल सिनेमा, जहांगीरपुरी
3. 1680 वर्ग मीटर (हरित पटी) समीप ऐ ब्लॉक स्कूल जहांगीरपुरी

30. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद पालम एसी—37 विधानसभा की मतदाता सूची में जोड़े/हटाये गये मतदाताओं का विवरण क्या है;

(ख) इस विधानसभा में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है;

(ग) इस विधानसभा में मतदाताओं का बूथ वार विवरण क्या है;

(घ) क्या विधान सभा चुनाव के बाद इस विधान सभा में बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, विवरण दें; और

(ङ) इस विधानसभा में मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम हटाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण दें?

माननीय उप मुख्य मंत्री : (क) सितंबर 2017 (प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची) से जनवरी, 2018 (अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची) में जोड़े गये मतदाता—2018

हटाये गये मतदाता—4459.

(ख) अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या—2,34,928.

(ग) बूथ वार विवरण सूची संलग्न (अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार)।

(घ) हां, बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है बूथों की संख्या 222 थी जो कि अब बढ़ाकर 231 कर दी गयी है।

(ङ) ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना निवास स्थान विधान सभा क्षेत्र से बदल लिया है, अथवा जिनकी मृत्यु हो गयी हो, अथवा किसी आपत्तिकर्ता

द्वारा आवेदन किया जाता है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म नं.–07 में आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात् ऐसे मतदाता के नाम पंजीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। जिस प्रकरण में मतदाता उपस्थित नहीं होता है तब मतदाता के निवास स्थान पर बी.एल.ओ. के द्वारा सत्यापन कराया जाता है तथा बी.एल.ओ. की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है।

अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार AC-37 के कुल मतदाताओं का विवरण

AC no.	Part no.	male	female	TR	Total
1	2	3	4	5	6
37	1	428	365	0	793
37	2	394	343	0	737
37	3	598	509	0	1107
37	4	604	501	0	1105
37	5	598	371	0	969
37	6	402	266	0	668
37	7	617	535	0	1152
37	8	654	546	0	1200
37	9	712	592	0	1304

1	2	3	4	5	6
37	10	378	331	0	709
37	11	504	407	0	911
37	12	585	512	0	1097
37	13	351	250	0	601
37	14	653	520	0	1173
37	15	485	391	0	876
37	16	526	424	0	950
37	17	405	315	0	720
37	18	618	507	0	1125
37	19	485	396	0	881
37	20	749	581	0	1330
37	21	749	597	0	1346
37	22	292	292	0	584
37	23	732	587	0	1319
37	24	410	323	0	733
37	25	490	384	0	874
37	26	686	496	0	1182
37	27	655	461	0	1116
37	28	448	391	0	839
37	29	570	461	0	1031
37	30	405	305	0	710

1	2	3	4	5	6
37	31	434	363	0	797
37	32	616	523	0	1139
37	33	673	562	0	1235
37	34	707	624	0	1331
37	35	402	320	0	722
37	36	608	492	1	1101
37	37	747	554	0	1301
37	38	379	363	0	742
37	39	595	524	0	1119
37	40	619	549	0	1168
37	41	635	588	0	1223
37	42	791	609	0	1400
37	43	740	653	0	1393
37	44	621	552	0	1173
37	45	673	590	0	1263
37	46	441	340	0	781
37	47	433	329	0	762
37	48	219	165	0	384
37	49	425	310	0	735
37	50	444	376	0	820
37	51	429	378	0	807

1	2	3	4	5	6
37	52	471	369	0	840
37	53	477	397	0	874
37	54	506	386	0	892
37	55	564	447	0	1011
37	56	743	554	0	1297
37	57	413	322	0	735
37	58	562	422	0	984
37	59	720	514	0	1234
37	60	463	410	0	873
37	61	366	310	0	676
37	62	460	391	0	851
37	63	422	316	0	738
37	64	672	628	0	1300
37	65	336	254	0	590
37	66	555	431	0	986
37	67	719	512	0	1231
37	68	714	599	0	1313
37	69	778	606	0	1384
37	70	707	543	0	1250
37	71	743	606	0	1349
37	72	506	388	0	894

1	2	3	4	5	6
37	73	670	513	0	1183
37	74	809	595	0	1404
37	75	784	587	0	1371
37	76	696	539	0	1235
37	77	698	686	0	1384
37	78	699	585	0	1284
37	79	600	478	0	1078
37	80	520	402	0	922
37	81	390	313	0	703
37	82	764	637	0	1401
37	83	576	476	0	1052
37	84	422	342	0	764
37	85	765	595	0	1360
37	86	377	326	0	703
37	87	527	424	0	951
37	88	634	539	0	1173
37	89	784	594	0	1378
37	90	381	283	0	664
37	91	698	604	0	1302
37	92	608	454	0	1062
37	93	734	619	0	1353

1	2	3	4	5	6
37	94	575	493	0	1068
37	95	740	639	0	1379
37	96	592	510	0	1102
37	97	760	583	0	1343
37	98	557	426	0	983
37	99	727	558	0	1285
37	100	150	128	0	278
37	101	425	373	0	798
37	102	409	373	0	782
37	103	453	412	0	865
37	104	613	539	0	1152
37	105	331	331	1	663
37	106	335	316	0	651
37	107	725	574	0	1299
37	108	749	600	0	1349
37	109	580	451	0	1031
37	110	374	328	0	702
37	111	613	478	0	1091
37	112	275	201	0	476
37	113	585	425	0	1010
37	114	541	439	0	980

1	2	3	4	5	6
37	115	567	402	0	969
37	116	693	581	0	1274
37	117	481	426	0	907
37	118	703	592	0	1295
37	119	367	270	0	637
37	120	514	413	0	927
37	121	570	465	0	1035
37	122	580	431	0	1011
37	123	694	548	0	1242
37	124	554	431	0	985
37	125	376	295	0	671
37	126	732	545	0	1277
37	127	509	415	0	924
37	128	537	400	0	937
37	129	611	477	0	1088
37	130	661	515	2	1178
37	131	451	355	0	806
37	132	647	641	0	1288
37	133	558	562	0	1120
37	134	287	268	0	555
37	135	496	459	0	955

1	2	3	4	5	6
37	136	501	488	0	989
37	137	472	493	0	965
37	138	578	538	0	1116
37	139	392	396	0	788
37	140	443	428	0	871
37	141	427	450	0	877
37	142	371	363	0	734
37	143	624	556	0	1180
37	144	684	683	1	1368
37	145	574	425	0	999
37	146	414	325	0	739
37	147	673	571	0	1244
37	148	539	480	0	1019
37	149	457	293	0	750
37	150	461	327	0	788
37	151	347	268	0	615
37	152	597	426	0	1023
37	153	621	518	1	1140
37	154	545	451	0	996
37	155	577	419	0	996
37	156	623	543	0	1166

1	2	3	4	5	6
37	157	635	446	0	1081
37	158	597	478	0	1075
37	159	585	477	0	1062
37	160	684	555	1	1240
37	161	630	465	0	1095
37	162	587	505	1	1093
37	163	578	412	1	991
37	164	596	501	1	1098
37	165	580	459	1	1040
37	166	614	480	0	1094
37	167	362	286	0	648
37	168	593	487	0	1080
37	169	674	515	0	1189
37	170	492	394	0	886
37	171	523	440	0	963
37	172	687	583	0	1270
37	173	419	388	0	807
37	174	521	459	0	980
37	175	634	537	0	1171
37	176	315	291	0	606
37	177	512	443	0	955

1	2	3	4	5	6
37	178	707	599	0	1306
37	179	699	580	1	1280
37	180	267	253	0	520
37	181	650	630	0	1280
37	182	460	452	0	912
37	183	409	339	0	748
37	184	559	513	0	1072
37	185	615	521	0	1136
37	186	651	593	0	1244
37	187	628	533	0	1161
37	188	449	369	0	818
37	189	620	574	0	1194
37	190	589	570	0	1159
37	191	386	312	0	698
37	192	729	625	0	1354
37	193	718	636	0	1354
37	194	472	408	0	880
37	195	650	613	0	1263
37	196	549	508	0	1057
37	197	542	524	0	1066
37	198	719	593	0	1312

1	2	3	4	5	6
37	199	511	437	0	948
37	200	528	467	0	995
37	201	612	508	0	1120
37	202	724	549	0	1273
37	203	607	520	0	1127
37	204	223	196	0	419
37	205	635	540	0	1175
37	206	735	626	0	1361
37	207	505	438	0	943
37	208	422	378	0	800
37	209	681	574	0	1255
37	210	674	594	0	1268
37	211	490	456	0	946
37	212	724	628	0	1352
37	213	577	480	0	1057
37	214	307	250	0	557
37	215	515	493	0	1008
37	216	537	498	0	1035
37	217	341	318	0	659
37	218	483	434	0	917
37	219	446	411	0	857

1	2	3	4	5	6
37	220	694	600	0	1294
37	221	394	318	0	712
37	222	651	563	0	1214
37	223	547	478	0	1025
37	224	567	476	0	1043
37	225	566	498	0	1064
37	226	449	369	0	818
37	227	653	540	0	1193
37	228	449	416	0	865
37	229	633	546	0	1179
37	230	718	578	0	1296
37	231	316	301	0	617
Total		128264	106652	12	234928

31. श्री नितिन त्यागी : क्या **खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता फोरम में प्रेजीडेंट अथवा सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु वकील पात्र हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक उपभोक्ता फोरम में कितने वकील प्रेजीडेंट अथवा सदस्य नियुक्त किए गए हैं;

(ग) सेवानिवृत्त जजों सहित कितने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता फोरमों में प्रेसीडेंट अथवा सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) क्या यह सत्य है कि अरूण कुमार आर्य नई दिल्ली फोरम के प्रेजीडेंट नियुक्त किए गए थे तथा उनकी पत्नी श्रीमती मंजू बाला शर्मा को आई.एस.बी.टी. उपभोक्ता फोरम का सदस्य नियुक्त किया गया था?

खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) सूची संलग्नक "अ" के अनुसार संलग्न है।

(ग) सूची संलग्नक "अ" के अनुसार संलग्न है।

(घ) जी, हां।

संलग्नक "अ"

Period from January, 2014 to May, 2018

Sl.No.	Name	Status
1	2	3
	President	
1	Sh. B.B.Chaudhary	Retired Judge
2	Sh. MP Mehndiratta	Retired Judge
3	Sh. Babu Lal	Retired Judge
4	Ms. Bimla Makin	Retired Judge
5	Sh. CK Chaturvedi	Retired Judge
6	Sh. SNA Zaidi	Retired Judge
7	Sh. Rakesh Kapoor	Retired Judge
8	Sh. S.K. Sarvaria	Retired Judge

1	2	3
9	Md. Anwar Alam	Retired Judge
10	Mr. N.K. Goel	Retired Judge
11	Sh. Kunda Singh Mohi	Retired Judge
12	Sh. Mukesh Kr. Gupta	Retired Judge
13	Sh. Randhir Singh Bagri	Retired Judge
14	Sh. Narender Kumar Sharma	Retired Judge
15	Sh. Arun Kumar Arya	Retired Judge
16	Ms. Rekha Rani	Retired Judge
17	Sh. Sukhdev Singh	Retired Judge
18	Sh. A.S. Yadav	Retired Judge
	Member	
19	Ms. Promila Seth	Retired Govt. Servent
20	Mr. D.R. Tamta	Retired Govt. Servent
21	Sh. S.S. Fonia	Retired Govt. Servent
22	Sh. Vikram Kumar Dabas	Retired Govt. Servent
23	Sh. Subhash Gupta	Retired Govt. Servent
24	Ms. Naina Bakshi (General)	Retired Govt. Servent
25	Sh. Ravindra Shankar Nagar	Retired Govt. Servent
26	Sh. Harendra Mohan Vyas	Retired Govt. Servent

1	2	3
27	Sh. S.S. Sidhu	Retired Govt. Servent
28	Sh. Harish Chander Suri	Retired Govt. Servent
29	Ms. Manju Bala Sharma	Retired Govt. Servent
	President	
1	Sh. M.C. Mehra	Advocate
2	Sh. Divya Jyoti Jaipuriar	Advocate
	Member	
3	Ms. M.B. Siddiqui	Advocate
4	Ms. Smita Shanker	Advocate
5	Sh. SR Aggarwal	Advocate
6	Mr. Nishat Ahmed Alvi	Advocate
7	Poonam Malhotra	Advocate
8	Sh. Bariq Ahmad	Advocate
9	Ms. Usha Khanna	Advocate
10	Ms. Puneet Lamba	Advocate
11	Ms. Sonica Mehrotra	Advocate
12	Ms. Nipur Chandana	Advocate
13	Dr. P.N. Tiwari	Advocate
14	Ms. Harpreet Kaur Charya	Advocate

32. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सत्य है कि घोंडा विधानसभा के अंतर्गत गांवडी रोड (पांचवां पुस्ता का मार्जिनल बंघ गावंडी से घोंडा चौक तक) की चौड़ाई 30 से 35 फुट है जबकि मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इसे 100 फुट होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे मास्टर प्लान 2021 के अनुसार 100 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : गांवडी रोड को चौड़ा करने का कोई भी प्रस्ताव इस विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है। चूंकि गांवडी रोड़ लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग : जी, हां।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग : मास्टर प्लान के अनुसार इस रोड़ पर चिह्नित (Demarcation) पर कराने के लिए व अतिक्रमण हटाने के लिए जिला अधिकारी (उत्तरी–पूर्व) का पत्र संख्या 20 (अतिक्रमण) सिविल सड़क अनुरक्षण मंडल (उत्तर–पूर्व) सड़क/दि.स./ 2017 दिनांक 07.04.2018 एवं 1580 दिनांक 23.05.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है। चिह्नित (Demarcation) एवं अतिक्रमण हटाने के उपरांत इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

33. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिल्ली में विधान सभा–वार कुल कितने राशनकार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इस समय राशन कार्ड में नाम जुड़वाने अथवा हटवाने की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) जनवरी, 2014 से अब तक तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में फर्जी राशन कार्ड या अन्य कारणों से कितने उचित दर राशन दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड/निरस्त किए गए हैं व उनपर क्या कार्रवाई की गई है, पूर्ण विवरण दें; और

(घ) नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली में मई माह की एलोकेशन के अनुसार 19,42,289 कार्ड जारी किये जा चुके हैं। विधान सभा–वार कुल राशन कार्ड का विवरण संलग्नक "अ" के अनुसार संलग्न है।

(ख) जी, हां। वर्तमान में राशन कार्डों में नाम जुड़वाने/हटवाने का काम सतत् रूप से चल रहा है।

(ग) जनवरी, 2014 से अब तक तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में 09 उचित दर दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड/निरस्त किये गये हैं। विवरण संलग्नक "ब" के अनुसार संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही है।

तिलक नगर मंडल कार्यालय में उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

1. म/स राजेंदर प्रसाद सुरेंदर कुमार उ.द. दुकान संख्या 7347 एफआईआर संख्या 559 दिनांक 31.03.2015 उचित दर दूकान का लाइसेंस निरस्त किया गया।

2. म/स हसिजाब्रोस उ.द. दुकान संख्या 7949 एफआईआर संख्या 1309 दिनांक 08.09.2015 उचित दर दूकान का लाइसेंस निरस्त किया गया।

3. म/स रामजीदास उ.द. दुकान संख्या 1915 एफआईआर संख्या 0096 दिनांक 20.01.2016 उचित दर दूकान का लाइसेंस निरस्त किया गया।

4. म/स ज्योति स्टोर उ.द. दुकान संख्या 7023 एफआईआर संख्या 0590 दिनांक 14.07.2016 और तहरीर संख्या 50ब दिनांक 10.10.2016 उचित दर दूकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

5. म/स लाल चंद स्टोर उ.द. दुकान संख्या 8803 एफआईआर संख्या 0520 दिनांक 16.06.2016 उचित दर दूकान का लाइसेंस निरस्त किया गया।

6. म/स अजित कपूर स्टोर उ.द. दुकान संख्या 4248 उचित दर दूकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

7. म/स लोचवस्टोर उ.द. दुकान संख्या 7914 उचित दर दूकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

संलग्नक "अ"

Circle-wise card possition as per May, 2018 allocation

Sl. No.	District	Circle	No. of Ration Card			
			AAY	PR-S	PR	Total Card
1	2	3	4	5	6	7
1	Central	22-Ballimaran	282	1290	17103	18675
2		20-Chandni Chowk	904	1950	13933	16787
3		23-Karol Bagh	869	1123	20390	22382
4		21-Matia Mahal	466	1056	14833	16355
5		25-Moti Nagar	2498	1691	12568	16757
6		24-Patel Nagar	1146	2805	23273	27224
7		19-Sadar Bazar	1231	3511	20208	24950
1	East	61-Gandhi Nagar	1215	2859	21190	25264
2		56-Kondli	894	2425	27261	30580
3		60-Krishna Nagar	607	1918	18493	21018
4		58-Laxmi Nagar	126	485	14984	15595
5		57-Patparganj	589	1826	20038	22453
6		62 -Shahdara	937	2529	20412	23878
7		55-Trilokpuri	616	1439	24629	26684
8		59-Vishwas Nagar	984	2462	13027	16473

1	2	3	4	5	6	7
1	New Delhi	50-Greater Kailash	191	547	5162	5900
2		41-Jangpura	866	1844	10082	12792
3		42-Kasturba Nagar	465	655	4785	5905
4		43-Malviya Nagar	156	717	6383	7256
5		40-New Delhi	601	713	5624	6938
6		54-Okhla	261	2825	30134	33220
7		44-R.K. Puram	811	2704	11251	14766
1	North	04-Adarsh Nagar	3496	8065	17956	29517
2		02-Burari	1321	2673	40547	44541
3		18-Model Town	2033	3942	9451	15426
4		15-Shakur Basti	875	1596	4469	6940
5		14-Shalimar Bagh	1180	1808	11951	14939
6		03-Timarpur	930	1636	20368	22934
7		16-Tri Nagar	1099	2944	17960	22003
8		17-Wazirpur	3202	7992	12434	23628
1	North East	67-Babarpur	357	1653	25289	27299
2		66-Ghonda	1455	2438	29622	33515
3		68-Gokalpur	874	2919	38116	41909
4		70-Karawal Nagar	1598	3560	43969	49127
5		69-Mustafabad	1057	3024	43041	47122

1	2	3	4	5	6	7
6		64-Rohtash Nagar	1066	6016	26483	33565
7		65-Seelampur	1112	5280	29203	35595
8		63-Seemapuri	1557	5111	24247	30915
1	North West	05-Badli	3233	3893	46830	53956
2		07-Bawana	2701	7160	42853	52714
3		09-Kirari	900	2474	51944	55318
4		08-Mundka	841	4583	32948	38372
5		01-Narela	2215	4561	37217	43993
6		06-Rithala	430	1093	35006	36529
7		13-Rohini	850	1132	7078	9060
8		10-Sultanpur Majra	1886	4519	30336	36741
1	South	48-Ambedkar Nagar	69	372	16495	16936
2		53-Badarpur	286	581	45227	46094
3		46-Chhattarpur	622	3939	21618	26179
4		47-Deoli	737	2820	34220	37777
5		51-Kalkaji	1026	5681	8580	15287
6		45-Mehrauli	1176	2000	14746	17922
7		49-Sangam Vihar	6	517	33546	34069
8		52-Tughlakabad	894	4671	30796	36361

1	2	3	4	5	6	7
1	South West	36-Bijwasan	1222	4101	38891	44214
2		38-Delhi Cantt	588	573	11769	12930
3		33-Dwarka	456	3338	29980	33774
4		34-Matiala	1034	3910	45195	50139
5		35-Najafgarh	969	1816	38359	41144
6		37-Palam	189	3024	30839	34052
7		39-Rajender Nagar	1830	2766	17858	22454
8		32-Uttam Nagar	70	1251	33531	34852
1	West	28-Hari Nagar	1315	1366	13608	16289
2		30-Janakpuri	271	789	23022	24082
3		26-Madipur	1710	3211	18923	23844
4		12-Mangolpuri	2156	4072	21159	27387
5		11-Nangloi Jat	1429	2369	31734	35532
6		27-Rajori Gardan	1140	3232	19486	23858
7		29-Tilak Nagar	671	1430	14086	16187
8		31-Vikas Puri	1029	1191	51196	53416
	Total		73878	188466	1679945	1942289

34. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी–झोंपड़ी निवासियों के पुनर्वास एवं विकास के संबंध में सरकार की कोई विस्तृत नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा झुग्गी निवासियों के लिए अब तक कितने मकान बनाये गए हैं;

(घ) झुग्गी वासियों से अग्रिम राशि के रूप में किस पद पर और कितनी राशि वसूल की गई है;

(ङ) झुग्गी वासियों को कितने मकान आबंटित किए गए हैं;

(च) झुग्गी वासियों के लिए ऐसे कितने मकान है जो बनकर तैयार है परन्तु अभी तक आबंटित नहीं किए गए हैं; और

(छ) क्या यह भी सत्य है कि झुग्गी वासियों को आबंटित किए गए कुछ मकान अभी तक खाली पड़े है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम व जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति–2015 के तहत झुग्गियों/जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिये एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भूस्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु उस जगह की जरूरत है, जहां जे.जे. बस्ती बसी है, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही शुरू करता है। इस नीति को माननीय उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् दिनांक 11.12.2017 को उप सचिव, शहरी विकास विभाग,

दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। दिनांक 20.09.2017 के आदेशों के अनुसार भारत सरकार एवं उसके उपक्रमों की भूमि पर से झुग्गी–झोपड़ी का पुनर्वास डी.डी.ए. द्वारा किया जाएगा।

(ग) डूसिब द्वारा झुग्गीनिवासियों के लिए अब तक 10684 फ्लैट बनाए गए हैं, और 7400 फ्लैटों पर कार्य चल रहा है। (सूची संलग्न हैं)। इसके अतिरिक्त DSIIDC द्वारा निर्मित 17660 फ्लैट्स में से 1461 (1168 बापरौला में एवं 293 बवाना) फ्लैट DSIIDC से DUSIB को हस्तांतरित किए गये हैं।

(घ) विभाग द्वारा जिन झुग्गीवासियों की पात्रता 25.02.2013 की नीति के अनुसार निर्धारित की गई थी उनसे 68,000/– रुपये लाभार्थी अंश के मद में अग्रिम राशि के रूप में लिए थे तथा जिनकी पात्रता का निर्धारण दिल्ली स्लम व जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार निर्धारित की गई है उनसे लाभार्थी अंश के मद में 1,12,000/– रुपये अग्रिम राशि ली गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से 30,000/– रुपये 5 वर्ष के आबंटित फ्लैट के रख रखाव के मद में प्राप्त किये गए हैं। अभी तक इन दोनों मदों में कुल 38.50 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं।

(ङ) झुग्गी वासियों को अभी तक 1866 फ्लैट आबंटित किये जा चुके हैं।

(च) झुग्गीनिवासियों के लिए 4525 ई.डबल्यू.एस. फ्लैट बनकर तैयार है जिसमें से 1866 फ्लैट आवंटित किए गये हैं और बाकि 2659 फ्लैट आवंटित नहीं किये गये हैं। 7620 मकान जोकि सांवदा घेवरा में बन रहे हैं, उन्हें 1985 रजिस्ट्रेशन स्कीम वालों को आवंटन के लिए रखा गया है।

(छ) जी, हां। 3 मकान विभिन्न कारणों से खाली हैं।

Annexure-I

Status of EWS Housing under JNNURM

(A) DUSIB

Sl. No.	Present Status	Location No. of units	No. of units	Allotted	Possession	Remarks
1	Completed	Dwarka Site-II	736	–	–	–
2	Completed	Dwarka Site-III	288	–	–	–
3	Completed	Sutanpuri	1060	–	–	–
4	Completed	Dwarka Site-I	980	755	755	–
5	Completed	Savda Ghevra	7620	–	–	To be allotted to Registrants of 1985 Special Registration
		Total	10684			
6	In progress	Bhalswa Jahangir	7400	–	–	96% were completed.
		Total	18084			
(B) Flats taken over from DSIIDC*						
1	Completed	Bawana	293	266	265	–
2	Completed	Baprola	1168	845	843	–
		Grand Total	1461	1866	1863	

***Details of Houses being constructed by DSIIDC**

Completed-17660 Handed over to DUSIB-1461 In Progress-16600

35. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा में स्थित जमा विहार, उत्सव विहार पार्ट–1, बलदेव विहार, शिव विहार, उत्सव विहार पार्ट–2, को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मुंडका विधानसभा में वन विभाग द्वारा 10.02.2015 से अब तक लगाए गए पौधों का विवरण क्या है;

(ग) मेरे द्वारा 26.02.2017 को दिए गए पत्र पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है; और

(घ) मुंडका विधानसभा में आर.एम.सी. प्लांट्स और क्रशिंग प्लांट्स का विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) मुंडका विधानसभा में स्थित रामा विहार, उत्सव विहार पार्ट–1, बलदेव विहार, शिव विहार, उत्सव विहार पार्ट–2 में आवासीय क्षेत्र होने के कारण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण सिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है।

वन विभाग द्वारा रामा विहार, उत्सव विहार भाग 1 और 2, शिव विहार और बलदेव विहार की स्थिति रिपोर्ट उप सचिव यू.सी., शहरी विकास विभाग, जी.एन.सी.टी.डी. दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है।

(ख) मुंडका विधानसभा में 10.02.2015 से अब तक 5113 पौधे लगाये गये हैं।

(ग) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति एवं वन विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कोई पत्र दिनांक 26.02.2017 को प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु 26.07.2017 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में अब तक निम्नलिखित चार आर. एम.सी. प्लांट को Consent to Establish जारी किया है:–

1. M/s ND Con Construction, K.No. 126/16(14-12) Village Mundka, Delhi-110041.
2. M/s ND Con Construction, K.No. 1637, 1640, Village Mundka, Delhi-110041.
3. M/s ENPEE Con Kh. No. 16-17, Gali No. 6, near Harmandi Dharmkanta, Mundka, Delhi-110041.
4. M/s Shri Ram Ready Mix Plant Pvt. Ltd., H.No. 126/6/3/3115, Village Mundka, Delhi-110041.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की जानकारी में कोई भी क्रशिंग प्लांट नहीं चल रहा है।

36. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि किर्बी प्लेस, बरार स्क्वेयर, सदर बाजार, झरेडा, शंकर कैंप, विवेकानंद कैंप, हरिजन बस्ती व मोती बाग की झुग्गियों में विकास कार्यों हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली कैन्टोनमेंट विधानसभा के झुग्गी वासियों को वैकल्पिक स्थान देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का विवरण क्या है; और

(घ) दिल्ली कैन्टोनमेंट की इन झुग्गियों में सरकार द्वारा दी गई नागरिक सुविधाओं का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा इन झुग्गी बस्तियों के विकास कार्य हेतु किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) लागू नहीं होता है।

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति–2015 के तहत झुग्गियों/जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भूस्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु उस जगह की जरूरत है, जहां जे.जे. बस्ती बसी है, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही शुरू करता है। इस नीति को माननीय उप–राज्यपाल दिल्ली द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात दिनांक–11.12.2017 को उप सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। दिनांक 20.09.2017 के आदेशों के अनुसार भारत सरकार एवं उसके उपक्रमों की भूमि पर से झुग्गी–झोपड़ी का पुनर्वास डी.डी.ए. द्वारा किया जाएगा।

(घ) दिल्ली कैन्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र नं. 38 में तीन सरकारी विभाग कार्यरत है जो नागरिक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

1. दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड
2. सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं
3. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

उपरोक्त सरकारी विभाग ही इस क्षेत्र की झुग्गियों में सुविधाएं प्रदान करते हैं इसलिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है परन्तु माननीय विधायक के प्रयत्नों से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

द्वारा संजय बस्ती में सी.सी. पेवमेंट बनाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र डूसिब को दिया है जिसका कार्य 31.10.2018 तक पूरा कर दिया जाएगा।

37. श्री जगदीप सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरि नगर विधानसभा के वार्ड 9–एस, 10–एस व 11–एस में पिछले तीन वर्षों में अधिकृत एवं स्वीकृत प्लान के साथ कितने रिहाइशी भवन बनाए गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में वैंकट हॉल बनाने हेतु कितने परमिटजारी किए गये हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में गैर–आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों (जैसे फैक्ट्रियाँ, गोदाम, दुकानें इत्यादि) का विवरण क्या है;

(घ) किओस्क/बूथों के आबंटन की नीति का विवरण क्या;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आबंटित की गई कियोस्क/बूथों का विवरण क्या है; और

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कियोस्क/बूथों के आबंटन के लम्बित आवेदनों का विवरण क्या?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से 03.12.2017 तक दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के भवन कार्यालय द्वारा हरि नगर के कुल 140 नक्शा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस अवधि में बेन्केट हॉल बनाने हेतु भवन विभाग द्वारा कोई भी नक्शा/परमिट

स्वीकृत नहीं किया गया है। हालांकि बेन्केट हॉल का कन्वर्जन चार्ज सेल्फ डिपोजिट स्कीम के अंतर्गत जमा किया जाता है। क्षेत्र में चल रहे पिछले तीन वर्षों में वेन्केट हॉल के कन्वर्जन चार्ज के विवरण की प्रतिलिपि अनुलग्न 'क' पर संलग्न है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से 01.06.2018 तक मुख्यालय द्वारा औद्योगिक (ऑन लाइन) स्वीकृत नक्शों की सूची 'ख' पर संलग्न है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दिल्ली नगर निगम में विभागीकरण से पूर्व ही पीसीओ बथ का आबंटन किया गया था परन्तु विभाजीकरण के पश्चात् दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में किओस्क/बूथों के आवंटन से सम्बन्धित कोई नीति वर्तमान में प्रचलन में नहीं है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस अवधि में कोई भी कियोस्क/बूथ आबंटित नहीं किया गया है।

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किओस्क/बूथ के आबंटन के लंबित आवेदनों का चारों जोनों का विवरण निम्नलिखित है:—

जोन	लम्बित आवेदनों की संख्या
पश्चिमी क्षेत्र	1192
नजफगढ़ क्षेत्र	1500
मध्य क्षेत्र	शून्य
दक्षिणी क्षेत्र	शून्य

अनुलग्नक 'क'

List of Banquet Halls running in West Zone in Ward No. 95, 105 & 113 under AC (Hari Nagar)

Dated	Owner/Occupier	Property No.	Parking charges	Conversion charges	Reg. fees	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7
31.03.15	Sameer Arora & ors	A-29, Mayapuri, Industrial Area	86273	1330000		1416273
06.04.15	Sameer Arora & ors	A-29 & A-30, Mayapuri, Industrial Area		2000		2000
15.03.16	Sameer Arora	A-29, Mayapuri, Ph-I		1035276		1035276
25.04.16	Sameer Arora Grand Dreams Banquet	A-29, Mayapuri Phase-I, Indl. Area (Indl. to Comm)		458550		458550
28.06.17	Sameer arora	PN-A-29, Mayapuri Indl Ph-I		1455256		1455256
07.04.15	Jaspal Singh (Golden Gate Banquet Hall)	B-18, Mayapuri, Ph-I		500000		500000
18.06.15	Jaspal Singh	B-18, Mayapuri, Ph-I	406315	2366534		2772849
26.10.16	Jaspal Singh	B-18, Mayapuri, Ph-I		511505		511505

1	2	3	4	5	6	7
22.06.17	Jaspal Singh	B-18, Mayapuri, Ph-I, Industrial Area		491832		491832
30.01.18	Jaspal Singh	B-18, FF, Mayapuri Phase-I		763048		763048
05.03.18	Jaspal singh	B-18, BM, Mayapuri	334495	529032		863527
01.10.15	Navdeep Malhotra (M.C Kenzie Philip India Pvt. Ltd.)	C-97, BM, GF, FF, Mayapuri, Ph-II	1478960	245000	1000	1724960

अनुलग्नक 'ख'

Details of building plans sanctioned during 01.06.2015 to 01.06.2018 for Industrial by Building Head Quarter in AC Hari Nagar, West Zone

Sl. No.	Zone	Plan/ Request ID No.	Request Status	Building Type	Owner Name	Property Address	Architect	Structural Engineer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	West	10034045	Plan Released	Industrial	M/S Safdarjang Motors, Pvt. Ltd.	100-B -100, Rewari Line Industrial Area Phase-1, Mayapuri New Delhi	M.D. Bhudhiraja	Ishu Motwani

2	West	10034468	Plan Released	Industrial	Sh. Ashwani Kumar Ghai	23-Plot No. 23, Block-A, Rewari Line, Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064	K.B. Kanal	S.L. Dhir
3	West	10034468	Plan Released	Industrial	Sh. Baldev Sapra	23-Plot No. 23, Block-A, Rewari Line, Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064	K.B. Kanal	S.L. Dhir
4	West	10034468	Plan Released	Industrial	Sh. Gobindram Sapra	23-Plot No. 23, Block-A, Rewari Line, Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064	K.B. Kanal	S.L. Dhir
5	West	10034468	Plan Released	Industrial	Sh. Sanjeev Kumar Ghai	23-Plot No. 23, Block-A, Rewari Line, Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064	K.B. Kanal	S.L. Dhir
6	West	10038137	Plan Released	Industrial	Sh. Harbans Singh	213/1-213/1 Block-C Rewari Line Industrial Area Phase-II, New Delhi	Yudeveer Singh	Sushil Kumar
7	West	10038379	Plan Released	Industrial	Smt. Avinash Rani	132-C-132, Rewari Line Industrial Area, Phase-2, Mayapuri, New Delhi-110067	Shashi Bhushan Dhingra	Narinder Kumar
8	West	10039073	Plan Released	Industrial	Sh. Mandeep Singh Arora	13-Plot No.-13, Block-WH, Rewari Line Industrial Area, Ph-1, Mayapuri, Delhi-110064	Preet Gola	Anita Gola

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	West	10039256	Plan Released	Industrial	Sh. Amit Middha	48-Plot No-C-48 Rewari Line Industrial Area, Mayapuri, Phase-II, New Delhi	Alok Kumar Agnihotri	Satya Dev Gupta
10	West	10039256	Plan Released	Industrial	Sh. Vineet Kumar	48-Plot No-C-48 Rewari Line Industrial Area, Mayapuri, Phase-II, New Delhi	Alok Kumar Agnihotri	Satya Dev Gupta
11	West	10041372	Plan Released	Industrial	Sh. Harvinder Singh Sethi	11-Plot No. 11 Block No. D Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi	Sarabjit Singh Bedi	Sushil Kumar
12	West	10041373	Plan Released	Industrial	Sh. Harvinder Singh Sethi	10-Plot No. 10 Block No. D Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi	Sarabjit Singh Bedi	Sushil Kumar
13	West	10044607	Plan Released	Industrial	Sh. Tarun Chaudhry	Plot No. 69-Plot No. 69, Block-C, Maya Puri Industrial Area Phase-II, New Delhi-110064	Shiv Narain Tayal	Harvinder Singh Rattan
14	West	10044607	lan Released	Industrial	Smt. Anu Chaudhry	Plot No. 69-Plot No. 69, Block-C, Maya Puri Industrial Area Phase-II, New Delhi-110064	Shiv Narain Tayal	Harvinder Singh Rattan

15	West	10046552	Plan Released	Industrial	Sh. Anupam Mahajan	41-Plot N0.-41, Block-B, Mayapuri Industrial Area Phase-II, New Delhi-110064	Shiv Narain Tayal	Sushil Kumar
16	West	10046552	Plan Released	Industrial	Smt. Suman Mahajan	41-Plot N0.-41, Block-B, Mayapuri Industrial Area Phase-II, New Delhi-110064	Shiv Narain Tayal	Sushil Kumar
17	West	10046995	Plan Released	Industrial	Sh. Gurmeet Singh	44-Plot No. W-44 At Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi-110064	Jagjit Singh Bedi	Sushil Kumar
18	West	10046995	Plan Released	Industrial	Sh. Harpreet Singh	44-Plot No. W-44 At Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi-110064	Jagjit Singh Bedi	Sushil Kumar
19	West	10047713	Plan Released	Industrial	Sh. Gaurav Kakkar	182-Plot No.182 Block-C Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi	Yudeveer Singh	Sushil Kumar
20	West	10047713	Plan Released	Industrial	Smt. Satnam Kakkar	182-Plot No.182 Block-C Rewari Line Industrial Area Mayapuri Phase-II, New Delhi	Yudeveer Singh	Sushil Kumar
21	West	10048521	Plan Released	Industrial	Sh. Yash Pal Dora	140-Plot No.140 Block No. F Rewari Line Industrial Area Phase-II Mayapuri, New Delhi	Sarabjit Singh Bedi	Sushil Kumar

38. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन विधानसभा में डूसिब द्वारा चलाए जा रहे बस्ती विकास केन्द्रों का विवरण क्या है;

(ख) इन बस्ती विकास केन्द्रों में क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) इन बस्ती विकास केन्द्रों में सुविधाएं पाने वाले झुग्गी वासियों की औसतन संख्या क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में मरम्मत पुननिर्माण पर किए खर्च का केन्द्र–वार विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि अधिकांश केन्द्र अत्यंत दयनीय एवं जर्जर अवस्था में हैं;

(च) क्या सरकार ने इन केन्द्रों का निरीक्षण किया है;

(छ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ज) अवांछित घटनाओं को रोकने हेतु इन केन्द्रों की मरम्मत व पुर्ननिर्माण की क्या सरकार की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क)

क्रम सं.	बी.वी.के./संस्था का नाम	एनजीओ का नाम
1	2	3
1.	ट्रांजिट कैंप रघुबीर नगर	सौशल अवेर्नेस फॉर एजुकेशन

1	2	3
2.	हॉट मिक्स ख्याला	इलेक्शन डिपार्टमेंट
3.	जे.जे. क्लस्टर श्याम नगर	महिलायें प्रगति की ओर
4.	जे.जे. क्लस्टर F–एक्सटेंशन ख्याला	भूमितल नाईट शेल्टर प्रथम तल सोशल अवेर्नेस फॉर एजुकेशन
5.	हरिजन कॉलोनी तिलक नगर	भूमितल शिशु निर्माण समिति प्रथम तल नेशनल थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी

(ख) 1. **ट्रांजिट कैंप रघुबीर नगरः–** कम्प्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, रिक्रिएशन सेंटर फॉर ओल्ड ऐज पीपल।

2. **हॉट मिक्स ख्यालाः–** निर्वाचन/वोटर कार्ड संबंधी कार्य।

3. **जे.जे. क्लस्टर श्याम नगरः–** बयूरी पार्लर, सिलाई, कटाई, जागरूक कार्यक्रम के साथ–साथ समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग स्लम एवं SC/ST वर्ग की प्राइमरी शिक्षा मुफ्त दी जाती है।

4. **जे.जे. क्लस्टर F –एक्सटेंशन ख्यालाः–** नाईट शेल्टर प्राइमरी फॉर बेसिक एजुकेशन, सीनियर सिटीजन हेल्प सेंटर, बालवाड़ी।

5. **हरिजन कॉलोनी तिलक नगरः–** हैल्थ फैसिलिटिज, शिक्षा, सामाजिक कार्य।

(ग) एनजीओ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार निम्न हैः–

1. **ट्रांजिट कैंप रघुबीर नगरः–** 80

2. **जे.जे. क्लस्टर श्याम नगरः—** 100

3. **जे.जे. क्लस्टर एक्सटेंशन ख्यालाः— 230**

4. हॉट मिक्स ख्याला—निर्वाचन विभाग संबंधी कार्य पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जाता है।

5. **हरिजन कॉलोनी तिलक नगरः—** अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में मरम्मत, पुर्ननिर्माण पर केवल रघुवीर नगर स्थित केन्द्र पर 5.60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं जिसका कार्य 6.1.2017 को पूर्ण कर दिया गया था।

(ङ) इस विधानसभा क्षेत्र में पाँच बस्ती विकास केन्द्र हैं जिनमें से तीन बस्ती विकास केन्द्र — हरिजन कॉलोनी ब्लॉक 12 तिलक नगर, एफ ब्लॉक विस्तार ख्याला और श्याम नगर के ब्लॉक में मरम्मत कार्य की आवश्यकता है।

(च) और (छ) विभागीय अधिकारियों जैसे की अधिशासी अभियन्ता (सि०/ई०), सहायक अभियन्ता (सि०/ई०) व उप निदेशक (बस्ती विकास केन्द्र) द्वारा इन बस्ती विकास केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जाता है एवं कोई विसंगति जानकारी में आने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

इस प्रकार के निरीक्षणों का कोई विवरण नहीं रखा जाता है।

(ज) और (झ) ऐसी कोई अवांछित घटना की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हरिजन कॉलोनी ब्लॉक 12 तिलक नगर बस्ती विकास केन्द्र का मरम्मत व पुर्ननिर्माण का कार्य प्रगति पर है और 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कर

दिया जाएगा। एफ ब्लॉक विस्तार की मरम्मत का एस्टीमेट बना दिया है इसी वित्तीय वर्ष में कार्य सम्पन्न हो जाएगा। के—ब्लॉक श्याम नगर की झुग्गियां पुर्नवास की योजना में हैं इसलिए अभी तक इसका ऐस्टीमेट नहीं बनाया गया है।

39. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा में जनवरी, 2015 से अब तक कितने उचित दर राशन दुकानदारों ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं;

(ख) वजीरपुर विधानसभा में जनवरी, 2015 से अब तक कितनी नई उचित दर दुकानों को लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उचित दर दुकानों से बायोमैट्रिक सिस्टम को हटा लिया गया है;

(घ) घर द्वार पर राशन वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) नए आवेदकों को राशन कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

(च) क्या यह भी सत्य है कि उचित दर दुकानों पर चीनी सब्सिडाइज्ड रेट पर नहीं बेची जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2015 से अब तक 09 उचित दर दुकानों के लाइसेंसी ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं।

(ख) मंडल कार्यालय के अंतर्गत जनवरी, 2015 से अब तक कोई भी नई उचित दर दुकान का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) घर द्वारा पर राशन वितरण की योजना सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(ङ) नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है।

(च) जी, नहीं। ए.ए.वाई. श्रेणी के कार्डधारकों को प्रति माह एक किलोग्राम चीनी दी जा रही है।

(छ) उपरोक्तानुसार।

40. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा की विभिन्न कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइप लाइन बिछाई गई है;

(ख) इन पाइप लाइनों को बिछाने की तिथियों का कॉलोनी–वार विवरण क्या है;

(ग) इन लाइनों को बिछाने से कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(घ) इन लाइनों पर फंड की कितनी राशि खर्च की गई है;

(ङ) इन लाइनों को कमीशन न करने के क्या कारण हैं;

(च) इन लाइनों के द्वारा पानी की सप्लाई कब तक शुरू हो जाएगी; और

(छ) जब तक ये लाइनें कमीशन नहीं कर दी जातीं तब तक इस क्षेत्र के लोगों को पानी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) पाईप लाईन बिछाने की तिथि का कॉलोनी–वार विवरण अनुलग्नक 'अ' में दी गई है।

(ग) पाईप लाईन बिछाने से लाभान्वित लोगों की संख्या अनुलग्नक 'अ' में दी गई है।

(घ) पाईप लाईन डालने पर खर्च की गई राशि अनुलग्नक 'अ' में उल्लेखित है।

(ङ) इन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई करने के लिए सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र में 5.9 मिलियन गैलन क्षमता का भूमिगत जलाषय बनाया जा रहा है व पेरिफेरल लाईन बिछाई जा रही है। इनके पूरा होने के उपरांत इन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई आरंभ की जाएगी।

(च) इन लाइनों के द्वारा पानी की सप्लाई सोनिया विहार भूमिगत जलाशय से होगी, जिसका निर्माण कार्य नवम्बर, 2019 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(छ) इन नई डाली गई लाइनों में पानी चालू होने तक, पीने के पानी की सप्लाई टैंकरों द्वारा जारी रखी जाएगी।

संलग्न–अ

List of Unauthorized Colonies where water pipeline laid in Mustafabad AC-69

Sl. No.	Registration No. as per list of 1639 U/A colonies	Name of Colony	Cost (Rs. in lacs)	Population Benefited	Date of Completion for laying of water line
1.	1349	Rajiv Gandhi Nagar	203.24	20000	07.03.2016
2.	137	Rama Garden, B-Block,	41.87	8550	30.06.2016
3.	1037	Shiv Vihar Phas-VIII	29.72	6255	31.08.2016
4.	276	Shiv Vihar U-Block	21.65	6250	30.09.2016
5.	549	Shiv Vihar Phase-VI	60.91	12200	30.11.2016
6.	274	Ambika Vihar, A-Block, East Karawal Nagar	75.02	9315	30.11.2016
7.	505	Mahalaxmi Nagar	40.73	12400	30.11.2016
8.	651	Ambika Vihar B&C Block	95.67	20745	24.03.2017
9.	277	Shanti Nagar Shiv Vihar	66.67	12525	31.03.2017
10.	279	Shiv Vihar Phase-IX	83.31	5300	25.10.2016
11.	369	Shiv Vihar Phase-X	122.00	20325	14.03.2018
12.	349	O&P Block Shiv Vihar Karawal Nagar	105.22	13775	31.08.2018 (Tentative date of completion)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

38. श्री भावना गौड़ : क्या **माननीय मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महावीर इन्क्लेव वार्ड में डाली गई दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन में, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बरसाती पानी एवं नालियों/गलियों के गंदे पानी की लाइन को भी जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघ नहीं है;

(ग) क्या दिल्ली जलबोर्ड द्वारा इस संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यालय को इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को बरसाती पानी/नालियों को दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाईन से तुरन्त रोकने के लिए एक नोटिस भेजा है जिसकी सं. 355 दिनांक 14.05.2018 है। (प्रतिलिपि अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है।)

OFFICE OF THE EX. ENGINEER (Q DR. XIV
DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
SEWAGE PUMPING STATION: OPP. METRO YARD
NAJAFGARH: NEW DELHI-110043

No. DJB/EE(C) DR-XIV/2018/355 Dated: 14.05.18

To

The Executive Engineer M-4
Zonal Building 5th Floor
SDMC, Near Dhansa Stand
Najafgarh, New Delhi-110043

Subject:- Illegal connections of storm water Drains/Gali grating into the manholes of the newly laid DJB sewer lines in the L-Block of Mahavir Enclave in Palarn constituency.

Ref:- A few self-explanatory photographs on above subject enclosed hereby.

Sir,

It is regretted that in the L-Block area of Mahavir Enclave, the recently laid sewe/ manholes of the DJB sewerage system have been illegally broken and the recently constructed gali gratings have been illegally connected into the manholes of the sewerage system. This is in utter violation of clause 79 of DJB act and is likely to render the newly laid system inconsequential by siltation and clogging by the foreign matter likely to ingress in to the laid sewer system.

It is hereby directed to immediately remove these illegal connections and make good the damages with in a period not exceeding three days as reckoned from the date of issue of this Jetter. This letter Is being issued without any prejudice to DJB rights to take further coercive action including lodging of FIR if deemed fit.

Matter may please be treated as Most Urgent.

Sd/-

End: Site photographs. EE(C) Dr.XIV

Copy to:-

1. Ms. Bhawna Gaur, Hon'ble MLA Palam AC.
2. CE (Dr.) Proj-l
3. SE (Dr.) Proj S & SW.
4. DC, SDMC, Najafgarh Zone with request to intervene in the matter.
5. M/s L.R. Sharma & Co. with respect to letter dated 09-05-18 along with direction to give specific report of the damaged manholes node wise and deploy sufficient watch and ward to avoid such illegal acts.
6. Office Copy AE along with spare copy for JE.
7. Master File.

EE(C) Dr.XIV

39. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सभी अधिकारियों की सूची प्रदान करें जिन्होंने एक ही कार्यालय में तीन वर्ष पांच वर्ष, सात वर्ष दस वर्ष से अधिक काम किया है, चाहे उनकी यह कार्यावधि एक बार में रही हो या कुछ अंतराल सहित नहीं हो;

(ख) सतर्कता विभाग में पदस्थ अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ग) इन अधिकारियों की कुल सेवा अवधि में से कितना समय सतर्कता विभाग में रहा है और कितना अन्य प्रभागों/विभागों में रहा है;

(घ) सतर्कता विभाग में कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) लंबित मामलों में सूची इस ब्यौरे के साथ उपलब्ध कराएं कि कौन–सा मामला कब से लंबित है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) सूची अनुलग्न 'क' में संलग्न है।[1]

(ख) सूची अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।[2]

(ग) सूची अनुलग्नक 'ख' एवं 'ग' में संलग्न है।

(घ) सतर्कता विभाग में वर्तमान में 153 मामले लंबित है।

(ङ) विषय–वार लंबित मामलों की सूचियां अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है, जिनमें यह भी दिखाया गया है कि मामले कब से लंबित है।

40. श्री संजीव झा : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा के सभी जोहड़ के विकास की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके विकास के लिए अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उसका कोई एस्टीमेंट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कुल कितने जोहड़ हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक किया जाएगा; और

(च) इन जोहड़ों के विकास के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गई है?

---

[1] व [2]सभी संलग्नक www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

माननीय मुख्यमंत्री : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) लागू नहीं।

41. **श्री पवन कुमार शर्मा** : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को मिलने वाले पानी में कटौती की जा रही है जिससे जनता को पानी की समस्या से जुझना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मानसून सीजन में उपलब्ध पानी के आधिक्य का यमुना के फल्ड प्लेन्स भंडारण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(घ) क्या इस योजना का कोई अनुमान तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर आने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस राशि का प्रावधान बजट में किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और यदि नहीं तो क्या सरकार इस प्रकार की किसी समयबद्ध योजना पर विचार करने की इच्छा रखती है;

(ज) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की किसी योजना पर विगत न कोई अध्ययन हुआ है;

(झ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ञ) इसे लागू न कर पाने के कारणों का विस्तृत विवरण क्या हैं;

(ट) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अपशिष्ट पानी को पीने लायक शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के किसी नयी कार्य योजना पर काम कर रही है; और

(ठ) यदि हां, तो यह कार्य योजना कब तक व कितनी आपूर्ति के लिए मूर्त रूप ले लेगी?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) जी, नहीं।

(ज) जी, हां।

(झ) यमुना नदी में पल्ला बैराज बनाने का प्रस्ताव था, जिससे मानसून सीजन में बाढ़ के पानी का भंडारण किया जा सके और उस अतिरिक्त कच्चे पानी को पेयजल तथा भू–जल का लेबल बढ़ाने में उपयोग किया जा सके। यह प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग की Pre-feasibility रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित था। इस रिपोर्ट में 8 मीटर की ऊंचाई (Pond लेवल 212 मी. के साथ) की बैराज बनाने का प्रस्ताव था। इससे 120.24 MLM प्रतिवर्ष (72.4 MGD) का भंडारण होना था। इससे दिल्ली राज्य में 15 किलोमीटर लंबाई और हरियाणा एवंम् यू.पी. राज्य में 40 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र का डूबना निश्चित था।

(ञ) इस प्रस्तावित बैराज से दिल्ली, हरियाणा और यूपी के क्षेत्र में

Submergers होना था। Submergers को दिल्ली राज्य में ही सीमित करने के लिए CWC ने बताया की अगर यह बैराज 208 मीटर Pond लेवल तक बनाई जाती है तो अधिकतम 5 MLM का भंडारण हो पायेगा। यह पानी की मात्रा बहुत कम है और इसमें भी interstate issue बन सकते थे। इसलिए इसे लागू नहीं किया गया।

(ट) जी, हां।

(ठ) यह योजना दिसंबर, 2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है, इसके पूर्ण होने पर लगभग 7–8 MGD कच्चा पानी ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इसके अंतर्गत पपनकला एसटीपी में द्वारका डब्ल्यू.टी.पी. तक अवजल पम्पिंग द्वारा लाया जायेगा।

42. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणी के होटलों, मोटलों व विवाह–स्थलों पर अगले वाले करों की सूची उपलब्ध कराए; और

(ख) क्या वायुमार्ग के यात्रियों के लिए दिल्ली को ट्रांजिट हॉल्ट बनाने के लिए होटल उद्योग को कुछ प्रोत्साहन लिए जाने की कोई योजना है?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) विभिन्न श्रेणी के होटलों, मोटलों व विवाह–स्थलों पर लगने वाले करों की सूची संलग्न है।

(ख) दिल्ली माल और सेवा कर संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

विभिन्न श्रेणी के होटलों, नोटलों व विवाह स्थलों पर लगने वाले करों की सूची

अधिसूचना संख्या नं. 11/2017 के अनुसार आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं 9963 के तहत कवर की जाती है। होटल, मोटल और भोज हॉल की विभिन्न श्रेणियों के लिये सेवाओं और करों का विवरण निम्नानुसार हैः–

सारणी

अध्याय, खंड या शीर्ष	सेवा वर्णन	दर (प्रतिशत)
1	2	3
शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं)	(i) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी हे, चाहे परिसर से या उससे दूर खपत के लिए जहां मानव उपभोग या पेय के लिए ऐसे भोजन या किसी अन्य खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है। ऐसे होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल	25

1	2	3
	भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर, स्थलों, या सितार होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो, (बशर्ते कि ऐसे माल और सेवा पर लगाया जाने वाला इनपुट कर नहीं लिया गया है।)	
	(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो।	6
	(iii) ऐसे नाल की, जो खाद्य या मानव उपयोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में,	9

1	2	3
	चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, केंटीन भी है, चाहे परिसर से या उससे दूर खपत के लिए जहां मानव उपयोग या पेय के लिए ऐसे भोजन या किसी अन्य खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है। ऐसे होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायो, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो।	
	(iv) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ऐसी बाह्य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपयोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लीकर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थपित संदाय या अन्य मूल्यदान प्रतिफल के लिए है।	9

1	2	3
	(v) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो।	9
	(vi) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंस्न केंद्र, क्लब, पांडाल, शमियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है), को किराए पर देने के साथ–साथ नकदी, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है।	9

1	2	3
	(vii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो।	14
	(ix) आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं (ii) (iii) (v) (vi) (vii) और (viii) के अलावा।	9

43. श्री एस.के. बग्गा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013–14 के फार्म–9 के आधार पर केन्द्रीय कर निर्धारण के कितने मामले हुए हैं;

(ख) वर्ष 2013–14 के केन्द्रीय कर निर्धारण के कितने एकपक्षीय मामले हुए हैं;

(ग) वर्ष 2013–14 के केन्द्रीय कर निर्धारण के कितने मामले नियमित आधार पर हुए हैं;

(घ) वर्ष 2013–14 में कितने व्यापारियों के तीन बार केन्द्रीय कर निर्धारण फार्म–9 के आधार पर नियमित आधार पर एक पक्षीय और पार्टी आधार पर हुआ हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) वर्ष 2013–14 में पंजीकृत व्यापारियों का वर्ष 2013–14 में दो बार केन्द्रीय कर निर्धारण या तीन बार कर निर्धारण होने के क्या कारण रहे हैं;

(च) व्यापारियों का कोई कसूर न होने पर भी वर्ष 2013–14 की दो या तीन बार केन्द्रीय कर निर्धारण किये जाने पर व्यापार एवं कर विभाग क्या कदम उठा रहा है;

(छ) पंजीकृत व्यापारियों के वर्ष 2013–14 से 30 जून 2017 तक रिफण्ड के वर्ष–वार कितने मामले लम्बित है;

(ज) जीएसटी में कितने व्यापारियों को रिफंड दिया गया है, इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(झ) 30 जून, 2017 तक वैट में कितने व्यापारी पंजीकृत थे और मई 2018 तक कितने व्यापारी पंजीकृत हैं?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) वर्ष 2013–14 के फार्म–9 के आधार पर केन्द्रीय कर निर्धारण के कुल 114593 मामले हुए हैं।

(ख) से (घ) कर निर्धारण की मौजूदा प्रक्रिया जो कि पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है, में वर्गीकृत रूप में कर निर्धारण की जानकारी रखने का कोई प्रावधान नहीं हैं। वर्ष 2013–14 के केन्द्रीय कर निर्धारण के कुल 246899 मामले हुए हैं। वर्ष 2013–14 के फार्म–9 के आधार पर केन्द्रीय कर निर्धारण के कुल 114593 मामले हुए हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय कर अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय कर एवं दण्ड के निर्धारण हेतु राज्य के संबंधित विकी कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अतः दिल्ली मूल्यसंबंधित कर अधिनियम, 2004

की धाराओं 32, 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय कर निर्धारण किया जाता है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार किसी अनियमितता या त्रुटि पाये जाने पर किसी भी पहले से किये गये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण का निर्धारित समय–सीमा में मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं कर निर्धारण अधिकारी के विश्लेषण के अनुसार पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है। डीवैट ऐक्ट में किसी भी कर निर्धारण के खिलाफ कर दाता द्वारा आपत्ति दाखिल करने के विस्तृत प्रावधान हैं एवं इन आपत्तियों का निपटारा करने के लिए, विभाग द्वारा उपलब्ध अधिकारी वर्ग में से काफी संख्या में आपत्ति सुनवाई प्राधिकरण नियुक्त किये गये हैं। समय–समय पर कर निर्धारण अधिकारियों के लिए भी विभागीय परिपत्र जारी किये जाते हैं।

(छ)	वर्ष	संख्या
	2013—14	768
	2014—15	19517
	2015—16	9697
	2016—17	13628
	2017—18	28590

(ज) कुल 984 जीएसटी रिफंड के मामलों का निवारण किया गया है, जिसमें कुल 54,33,20,640 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

(झ) 30 जून, 2017 तक वैट में 403289 व्यापारी पंजीकृत थे और मई 2018 तक (रिर्टन काउंट के अनुसार) वैट में 1452 व्यापारी पंजीकृत हैं।

44. **श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में पैट्रोल पर वैट में 12 प्रतिशत और डीजल पर वैट में 10.5 प्रतिशत वृद्धि की है;

(ख) उस समय भी इनको लगाये जाने का क्या औचित्य था;

(ग) आज जब सरकार का बजट 53,000 करोड़ रुपये पार करने जा रहा है, तब इसे जारी रखने का क्या कारण है;

(घ) क्या यह सत्य है कि गत अक्तूबर में केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर एक्साईज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करते समय राज्य सरकारों को 5 प्रतिशत वैट में कमी करने की सलाह दी थी;

(ङ) राजस्व सम्पन्न होने के बावजूद भी सरकार द्वारा वैट में अभी तक कमी न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015 में दिल्ली सरकार ने पैट्रोल पर वैट 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत एवं डीजल पर वैट 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.6 प्रतिशत कर दिया था;

(छ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने 14 जुलाई 2015 के पैट्रोल पर वैट की दरों में 5 प्रतिशत और डीजल पर वैट की दरों में 4.1 प्रतिशत वृद्धि करने के बाद 18 जनवरी, 2016 को पुनः इन पदार्थों पर क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत की वृद्धि की थी;

(ज) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015 और 2016 में पैट्रोल पर 7 प्रतिशत तथा डीजल पर 5.5 प्रतिशत अधिक

वैट लगाकर दिल्ली की जनता को कई हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला था; और

(झ) क्या सरकार उपरोक्त वृद्धि को वापस लेने पर विचार कर रही है?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) जी, नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) सरकार का मौजूदा बजट राजस्व प्राप्ति के आकलन पर आधारित है;

(घ) इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है;

(ङ) 7 मई, 2016 से डीजल पर कर दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 16.75 प्रतिशत भी किया गया है;

(च) और (छ) पिछले 3 वर्षों में दिल्ली में पैट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में मामूली वृद्धि की गई है जो कि क्रमशः दिनांक 16 जुलाई, 2015 से एवं 19 जनवरी 2016 से की गई। इसके साथ ही 7 मई 2016 से डीजल पर वैट की दर में कमी भी की गई थी;

19 जनवरी 2016 के बाद से दिल्ली में पैट्रोल व डीजल की वैट दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा पैट्रोल व डीजल पर वैट की एकसमान न्यूनतम नियत दर की अनुशंसा की गई थी। उत्तर भारत के राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक दिनांक 21.05.2015 को हुई जिसमें अलग–अलग वैट दर होने के कारण, एक राज्य से दूसरे राज्य में बाजार

के स्थानांतरण से होने वाली राजस्व हानि पर चर्चा हुई और कर दरों में समानता लाने पर विचार किया गया। तत्पश्चात् दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बिक्रीकर आयुक्तों की बैठक में डीजल के विक्रय मूल्य पर 17.25 प्रतिशत वैट लगाने की अनुशंसा की गई एवं दिल्ली में लागू वायु परिवेश प्रभार (Air Ambience Charge) का समन्वय करके दिल्ली में डीजल पर वैट 12.5 प्रतिशत से 16.6 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में पैट्रोल पर वैट दर सबसे कम थी जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 25 प्रतिशत या उससे अधिक थी। अतः इसे 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2016 में क्योंकि दिल्ली में पैट्रोल एवं डीजल की खुदरा कीमत पड़ोसी शहरों की तुलना में कम थी, अतः बाजार के स्थानांतरण से होने वाली राजस्व हानि को बचाने के लिए पैट्रोल एवं डीजल पर क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई;

(ज) जी, नहीं; और

(झ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

45. **श्री ओमप्रकाश** : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उप मुख्यमंत्री ने इस वर्ष अपना आउटकम बजट पेश करते हुए यह वायदा किया था कि विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर कार्य को पूरा किया जाने की टाइम लाइन निर्धारित कर रही है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा किस–किस योजना के कार्यान्वयन के लिए टाइम लाइन निर्धारित की गई है;

(ग) अब तक किन–किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है;

(घ) टाइम लाइन के किर्यान्वित में असफल होने के क्या कारण रहे; और

(ङ) इसका योजनाओं के क्रियान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) बजट भाषण के भाग–ग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तीरके से पूरा करने की यह घोषणा की गई थी।

(ख) भाग–ग के अंतर्गत 6 विभागों की कुल 19 योजनायें है, जिसकी सूची संलग्न है।

शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

(ग) लागू नहीं।

(घ) इस योजना के (Installation of 1.2 lakh CCTV Cameras in all Govt. school buildings) के पूर्वतः DSIIDC द्वारा क्रियान्वित किया जाना था परन्तु माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के दिनांक 06.04.2018 के निर्देशानुसार अब इस योजना को PWD क्रियान्वित करेगा। जिस कारण इस योजना के क्रियान्वयन के लिए टाइम लाइन बदलाव की आवश्यकता है। इस योजना के टाइम लाइन को पुनः निर्धारण करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2018–19 में पूर्ण होने की संभावना है, जैसा कि बजट स्पीच में कहा गया है।

(ङ) उपरोक्त।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

(ग) यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन्सुरेंस स्कीम, आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास (Development of Hospital Information management system) तथा डाक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की योजना के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है।

(घ) **यूनिवर्सल हेल्थ केयर इनशुरन्स स्कीमः–** एम्पॉवर्ड समिति ने अभी आर.एफ.पी. को अंतिम रूप नहीं दिया है।

आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकः–

(1) भूमि स्वामी विभाग (Land Owning Agencies) जैसे दिल्ली जल बोर्ड, डी.डी.ए., पी.डब्ल्यू.डी. आदि द्वारा भूमि को अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने में विलम्ब।

(2) मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को इम्पैनलमेंट की जा रही है।

(3) मोहल्ला क्लिनिक के इस्तेमाल होने वाले टेबलेट की स्पेसिफिकेशन के पूरा होने में आई.टी. विभाग द्वारा विलम्ब।

अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास योजनाः–

इसके लिए ड्राफ्ट निविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजना–

इस योजना के विभिन्न विवरणों के लिए विशेषज्ञों की बहुअनुशासनात्मक/बहुआयामी समिति/उप–समिति का गठन अभी तक गठित किया जाना है।

दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार

विकेन्द्रीकृत अवजल शोधन संयंत्र परियोजनाएं तथा बल्क फ्लोमीटर लगाने की परियोजना को पूरी करने का निर्धारित समय–सीमा अभी शेष है।

भाग–ग के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं।

प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

"डोर–स्टेप" डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज" प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से एक माह पीछे है जिसके पीछे टेंडर डॉक्यूमेंट का मूल्यांकन में लगा अधिक समय का, टाइमलाइन निर्धारित करते समय सही आंकलन न कर पाना था एवं मूल्यांकन की 'प्री–क्वालिफिकेशन रिपोर्ट' को फाइनेंस व लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन जानने का प्रावधान टाइमलाइन में नहीं किया गया था जोकि कमेटी रिपोर्ट अनुसार आवश्यक था। कृपया क्रियान्वित कार्य की टाइमलाइन 'परिष्टि–अ' पर देखें।

यह योजना निर्धारित समय से लगभग एक माह की देरी से लागू हो पाएगी।

परिवहन विभाग से प्राप्त सचूना के अनुसार

विभाग की निम्न योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पायी हैं:–

1. 1000 पूर्णतया इलेक्ट्रिक बसों की खरीददारी।

कारण : केबिनेट नोट के मसोदे में शुद्धिकरण एवं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा आदेशित अतिरिक्त जानकारी डिम्ट्स (DIMTS) के सलाहकार से प्राप्त करने में समय लगने के करण इस योजना में विलम्ब हुआ हैं।

2. 1000 क्लस्टर बसों को क्लस्टर योजना में जोड़ना।

कारण : कार्यालय की प्रक्रिया एवं इस मामले का उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के धीन होने के कारण।

3. दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 1000 स्टैण्डर्ड फ्लोर बसे लाने हेतु।

कारण : वर्तमान में कार्य समयानुसार चल रहा हैं।

उपरोक्तानुसार।

समय अवधि में वृद्धि हो सकती हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

जानकारी प्राप्त होते ही प्रेषित की जायेगी।

योजनाओं की सूची

Section C: Projects With Specific Timelines

DIRECTORATE OF EDUCATION

1 Installation of 1.2 lakh CCTV in all Govt. school buildings

HEALTH

1 Implementation of Universal Healthcare in Delhi

2 Aam Aadmi Mohalla Clinic

3 implementation of Hospital Information Management System

TRANSPORT

1 To roll out 1000 fully-electric buses

2 To start the work to induct 1000 standard size buses in DTC fleet.

3 About 1000 new cluster buses to be added under duster scheme.

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

1 Door Step Delivery of Public Services

DELHI JAL BOARD (WATER SUPPLY)

1 Metering and Leakage Management

2 Sewerage facilities in Unauthorised Colonies

FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

1 Door Step Delivery of Ration

परिष्टि–अ

Government of National Capital Territory of Delhi Administrative Reforms

Sl. No.	Milestone	Time-line	Status as on 29.05.2018
1	2	3	4
1.	Floating of eTender	01.03.2018 (with effect from 02.03.2018)	Done
2.	Pre-Bid Meeting	08.03.2018 (Concluded)	Done
3.	Response to queries	14.03.2014	Done
4.	Last date of submission of bid	23.03.2018 upto 02.00 pm	Done
5.	Opening of eTender	23.03.2018 at 03.00pm	Done
6.	Scrutiny of documents submitted in relation to Pre-qualification	03.04.2018 (05 working days) -Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee before awarding the marks.	Done

1	2	3	4
7.	Presentation on the Project	06.04.2018 (03 days notice to bidder)	Done
8.	Opening of Technical Bid	10.04.2018 (One working day)	Done
9.	Scrutiny of documents submitted in relation to Technical - Qualification and awarding marks by the Committee	17.04.2018 (05 working days) - Depends on the number of bids and their reply to various queries sought by the Committee before awarding the marks.	Done Done
10.	Opening of Financial Bid and recommending the successful bidder by the Committee	19.04.2018	(On 23.05.2018)
11.	Approval of recommendation of the Committee by the Hon'ble Minister	20.04.2018	Approved on 28.05.2018
12.	Approval by the Finance Department	25.04.2018	Sent to Finance Department for Expenditure Sanction on 29.05.2018
13.	Vetting of the draft agreement by the Law Department	27.04.2018	Sent to Law Department on 31.05.2018

1	2	3	4
14.	Signing of agreement with the successful bidder	01.05.2018	
15.	Launching of the project	15.06.2018 (T+6 weeks as per RFP)	

VFS Global Services Private Limited has been selected as the Intermediary agency for the project with the approval of Hon'ble Minister AR. Agreement to be signed with the company has been sent to Law Department on 31.05.2018. Upon receipt of Expenditure Sanction from Finance Department, agreement is likely to be signed with the company within a week. The project "Doorstep Delivery of Public Services" will be launched within 06 weeks there from as per the terms of the RFP.

46. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्य सचिव श्री अंशु प्रकाश, सचिव–सह–आरसीएस श्री जे.बी. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीयूएसआईबी श्री शूरबीर सिंह को उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार तथा दिल्ली विधान सभा की समितियों के विरुद्ध टायर याचिकाओं के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा वकील उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो एतद्संबंधी फाइल नोटिंग की प्रतिलिपियां तथा प्रत्येक मामले में वकीलों को दी गई फीस की राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या यह सत्य है कि मुख्य सचिव श्री अंशु प्रकाश, सचिव–सह–आरसीएस श्री जे.बी. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीयूएसआईबी श्री शूरबीर सिंह को उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार तथा दिल्ली विधानसभा की समितियों के विरुद्ध दायर याचिकाओं के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों द्वारा दायर मामलों में अपने बचाव के लिए दिल्ली विधानसभा और उसकी समितियां रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पैनल से इतर अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती हैं, संपूर्ण ब्यौरा दें;

(ङ) वह कौन–सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दिल्ली विधानसभा और उसकी समितियों को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पैनल से इतर अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने और उनकी फीस के भुगतान के लिए उन्हीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर निर्भर न करना पड़े जिनके विरुद्ध उन्हें अदालत में अपना बचाव करना है?

(वित्त विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

47. श्री महेंद्र गोयल : क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा जनमत करवा कर रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद करने की प्रक्रियाा अपनाई जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया से अब तक कितनी दुकानें बंद करवाई गई हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अब यह प्रक्रिया विभाग द्वारा बंद कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, विस्तृत जानकारी दें; और

(ङ) सन् 2015 से अब तक विभाग द्वारा शराब की कितनी दुकानें कहां–कहां पर खोली गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) स्थानीय नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर चर्चा एवं जांच कर शराब की दुकानों के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ प्रयोग किये गए हैं।

(ख) से (घ) इस प्रक्रिया के तहत एक दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके पश्चात् यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं; और

(ङ) सन् 2015 से अब तक विभाग द्वारा शराब की कुल–131 दुकानें खोली गई, तथा कुल–56 दुकानें स्थानान्तरित की गयी है, इनकी सूची संलग्न "क" तथा "ख" पर है;

संलग्नक 'क'

Details of liquor vends opened since 2015 (Fresh Licenses)

Sl. No.	Licence Type	Name of the Liquor	Date of opening/order	Address of the Vend	Remark
1	2	3	4	5	6
1.	L-6	DTTDC	23.10.2015	A-5/12, Krishna Nagar, Jheel Road, Delhi	Fresh license
2.	L-6	DSIIDC	28.07.2015	WZ-107, Sant Garh, Near Keshavpur Sabzi Mandi Outer-Ring Road, Vikas Puri, Delhi	Fresh license was granted but shop was not opened due to public agitation.
3.	L-6	DSIIDC	26.10.2015	3/12 &3/13 Shiv Market Khichripur, Delhi	Fresh license was granted but shop was not opened due to public agitation.
4.	L-6	DSIIDC	26.10.2015	Shop No. 1 RZ-2520 A, Gali No. 27 & 28 main Jagdamba Road, Tughlakabad Extn., Delhi	Fresh license was granted but shop was not opened due to public agitation.
5.	L-6	DCCWS	26.06.2015	Shop No.44, W. Mall, Plot No. 9 Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
6.	L-6	DCCWS	21.10.2015	Khasra No. 35/20/2, Main Bawana Road near Yamuna Canal, Village Samaypur, Delhi	Fresh license
7.	L-6	DCCWS	17.02.2016	Shop No. 1491-G & 1491-A Ground Floor Kashmeri Gate, Near Ritz Cinema, Delhi	Fresh license
8.	L-6	DSCSC	19.10.2015	Shop No. 3, Ambika Plaza, Pocket-A, Block-8, Sector-3, Bawana, Delhi	Fresh license
9.	L-6	DSCSC	19.10.2015	Shop no. 1071/44 Khasra No. 110/2 Khajuri Khas, Delhi	Fresh license
10.	L-8	DSCSC	20/10/2015	Shop No. 2 Ambika Plaza, Pocket-A, Block-8, Sector-3 Bawana, Delhi-39	Fresh license
11.	L-10	M/s SAR Pioneer Infrastructure Pvt. Ltd.	02.01.2015	Shop No. GF-18, Plot No. 9B & 9C, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi	Fresh license

12.	L-10	M/s Lee Beauty Care Pvt. Ltd.	05.01.2015	Shop No. 07, Hotel Plot Shalimar Bagh, Distt. Centre, Shalimar Bagh, Delhi	Fresh license
13.	L-10	M/s Nargesh Kumar	12.1.2015	Shop No. DSM010, GF. DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, Delhi	Fresh license
14.	L-10	M/s Kashish Electricity Services Pvt. Ltd.	09.03.2015	Shop No. G-27 to 31, Pearl & W Mall, Manglam Palace, District Centre, Plot No. 9, Sector-3, Rohini, Delhi	Fresh license
15.	L-10	M/s Brooks Magazines Pvt. Ltd.	19.03.2015	Shop No. 135/136, G.F. DLF South Court, Saket, Delhi	Fresh license
16.	L-10	M/s GPC Garments Pvt. Ltd.	22.04.2015	Shop No. G-5, Plot No. 9B & 9C, Cross River Mall, CBD, Shahdara, Delhi	Fresh license
17.	L-10	Amit Infotech Pvt. Ltd.	08.05.2015	Shop No. G-19, Plot No. 9B & 9C, Cross River Mall, CBD, Shahdara, Delhi	Fresh license
18.	L-10	Manoj Kumar	04.06.2015	Shop No. 2 & 2A, G.F., D-Mall, Plot No. A, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
19.	L-10	M/s Anirudh Bhardwaj	25.06.2015	Shop No. 1 & 2, Ground Floor, TDI Mall, Rajouri Garden, Delhi	Fresh license
20.	L-10	M/s Mehak Garments Pvt. Ltd.	26.06.15	Shop No. 26 & 27, G.F., Parsvnath Metro Mall, Inderlok, Delhi	Fresh license
21.	L-10	M/s Marusha Engineer & Developers (P) Ltd.	27.07.15	Shop No. G-2, Plot No. 9B & 9C, Central Business District Ground, Delhi	Fresh license
22.	L-10	M/s Parasnath Foods Pvt. Ltd.	10.08.15	Shop No. G-1D, Plot No. 9B & 9C, Central Business District Ground, Delhi	Fresh license
23.	L-10	M/s Diamond Buldcon Pvt Ltd.	04.09.2015	G-7, 8798 & 10, GF, RG City Centre Mall, Lawrence Road, Delhi	Fresh license
24.	L-10	M/s New Way Distributors (P) Ltd.	15.09.2015	Shop No. G-1, GF, Sonia Cinema Complex, Vikas Puri, New Delhi	Fresh license
25.	L-10	M/s Rad	15.09.2015	Shop No. G-51 & G-52, GF,	Fresh license

		Electrical Pvt. Ltd.		Plot No. 01-A, Distt. Centre, Mayur Vihar-I, Delhi	
26.	L-10	M/s East Storey Exporting House Pvt. Ltd.	15.09.2015	Shop No. G-17 & G-18, ground floor, RG City Centre, Lawrence Road, New Delhi	Fresh license
27.	L-10	M/s Katyal Enterprises Pvt. Ltd.	21.09.2015	Shop No. 15 & 38, Gr. Floor, The Galleria Mayur Vihar, New Delhi	Fresh license
28.	L-10	M/s Dazzling Drinks Pvt. Ltd.	21.09.2015	Shop No. 22, Anantraj Galleria Mall, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi	Fresh license
29.	L-10	Alvira Realty Services Pvt. Ltd.	22.09.2015	Shop No. 001 & 101, DT City Center Shalimar Bagh, New Delhi	Fresh license
30.	L-10	M/s Hasco Systems (P) Ltd.	24.09.2015	16/10194, Shop No. 1, Karol Bagh Mall, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi	Fresh license
31. .	L-10	M/s CALX Papers (P) Ltd.	29.09.2015	Shop No. 131, DLF, South Court, Saket, Delhi	Fresh license
32.	L-10	M/s C.V. Automotive Private Ltd.	29.09.2015	Shop No. 15, 16, 17 & 18, Gr. Floor, Ivory Tower, Subhash Nagar, Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
33.	L-10	M/s Shreya Druk-Yul Powertech Pvt. Ltd.	30.09.2015	Shop No. 41, 49 & 50, Gr. Floor, Plot No. P1, PP Trade Centre, Netaji Subhash Place, New Delhi	Fresh license
34.	L-10	M/s Kuber Propcon (P) Ltd.	01.10.2015	Shop No. 23, 24 & 25, G.F., W Mall, Manglam Palace, Delhi	Fresh license
35.	L-10	M/s Harman Autoplast (P) Ltd.	06.10.2015	Shop Unit No. 12, 21, 22 & 23, Block-A, Pocket-8, Sector-3, DSIIDC, Bawana, New Delhi	Fresh license
36.	L-10	M/s Ubique Counsel (P) Ltd.	06.10.2015	Shop No. G-2, Plot No. 1, Shopping Arcade, Distt. Centre, Shastri Park, Delhi	Fresh license
37.	L-10	M/s Raju Impex Pvt. Ltd.	08.10.2015	Shop No. 4, 5 & 6 JMD Kohinoor Galleria Mall, G.K.-II, New Delhi	Fresh license
38.	L-10	M/s VSN Bake Fresh Pvt. Ltd.	12.10.2015	Shop No. G-30, 31, Vikas Cinemall, Plot No. 813/1, GT Road, Shahdara, Delhi-32	Fresh license
39.	L-10	M/s V.G. Agriculture Farms Pvt. Ltd.	14.10.2015	Shop No. 34 &35, TDI Fun Republic Mall, Moti Nagar	Fresh license

40.	L-10	M/s Pasupati Syntex Pvt. Ltd.	15.10.2015	Shop No. GF-25, Ground Floor, City Centre, Shalimar Bagh, New Delhi	Fresh license
41.	L-10	M/s A & S Industries Pvt. Ltd.	15.10.2015	Shop No. G5 & 18, Westend Mall, District Centre, Janakpuri, New Delhi	Fresh license
42.	L-10	M/s Deepika Auto Parts (P) Ltd.	20.10.2015	Shop No. 27 C, GF, Soul City Mall, Plot No. 4, Sector-13, Dwarka, New Delhi	Fresh license
43.	L-10	M/s Esha Mehra	30.10.2015	Shop No. 30 & 31, DLF Galleria Mall, Plot No. 01B, DDA Distt. Centre, Mayur Vihar, Delhi	Fresh license
44.	L-10	M/s Berch Holdings Pvt. Ltd.	30.10.2015	Shop No. 4, 5 & 6 GF, KLJ Tower, Plot No. B-5, Netaji Subhash Place, Wazirpur, Delhi	Fresh license
45.	L-10	M/s Chandra Prabhu Buildtech Pvt. Ltd.	03.11.2015	Shop No. G-11 Ground Floor, Cross river Mall, CBD Ground Shahdra, Delhi	Fresh license
46.	L-10	M/s Fusion Exposition	05.11.2015	Shop No. CR-23, Concourse Level, Shivaji Stadium Metro Station, Business Area, New Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
47.	L-10	M/s Adventure Drinks Pvt. Ltd.	19.11.2015	Shop No. 14, Plot No. D-4, Rectangle one ABW Tower, Saket, New Delhi	Fresh license
48.	L-10	M/s GFS Financial Solution Pvt. Ltd.	20.11.2015	Shop No. G-4, Cross River Mall, CBD, Shahdara, Delhi	Fresh license
49.	L-10	M/s Radixthink KPO Pvt. Ltd.	20.11.2015	G-29, 30 & 30, TDI Mall, Moti Nagar, New Delhi	Fresh license
50.	L-10	M/s Vrindavan Apparels Pvt. Ltd.	20.11.2015	Shop No. G-90, V3S East Centre, Plot No. 12, Laxmi Nagar District Centre, Delhi	Fresh license
51.	L-10	M/s Fortune Pius Marketing Solution Pvt. Ltd.	23.11.2015	Shop No. G-8,9, 10, 11, 12, 12A, 12B, Plot No. 21, Metroplex East, Laxmi Nagar, Delhi	Fresh license
52.	L-10	M/s Kashish Management & Services Pvt. Ltd.	24.11.2015	Shop No. G-10, 11 & 40, GF, Eros Metro Mall, Plot No. 8, Sector-14, Dwarka, New Delhi	Fresh license
53.	L-10	M/s Pathplus Liquors Pvt. Ltd.	30.11.2015	Shop No. G-1, Hotel at 1, Shastri Park Distt. Centre, New Delhi	Fresh license

54.	L-10	Jagat Realcon Pvt. Ltd.	18.12.2015	Shop No. G-7 & 8, A-2 & A-3, Pacific Mall, K.P. Block, Pitampura, Delhi	Fresh license
55.	L-10	M/s Grace Light Construction Pvt. Ltd.	17.12.2015	Shop No. G-3, North Square Mail, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi	Fresh license
56.	L-10	M/s Manas Fabrics Pvt. Ltd.	21.12.2015	Shop No G-1C, City Centre, Plot No-lB3, Sector-10, Rohini, Delhi-85	Fresh license
57.	L-10	M/s Kohinoor Buildwell Pvt. Ltd.	21.12.2015	Shop No. G-4, Hotel De Uday, Plot No. 1, District Centre, Shastri Park, Delhi	Fresh license
58.	L-10	M/s Katyayani Marketing Pvt. Ltd.	29.12.2015	Shop No. G-2, Pawa Grand Mall, Prashant Vihar, Rohini, New Delhi	Fresh license
59,	L-10	M/s Star Office Supplies Pvt. Ltd.	04.01.2016	Shop No. G-1, Plot No. 9-B & 9-C, Crossriver Mall, CBD, Shahdara, Delhi	Fresh license
60.	L-10	M/s Lakshit	05.01.2016	Shop No. 33, GF, Rectangle-1, District Centre, ABW Mall, Saket, New Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
61.	L-10	M/s Manoj Kumar	05.01.2016	Shop No. 41 &42, W Mall, Plot No. 9, Manglam Place, District Centre, Secotr-3, Rohini Delhi-85	Fresh license
62.	L-10	M/s Sunstar Expotrade Pvt. Ltd.	18.01.2016	Shop No. 19, Vikas Cine Mali, GT Road, Shahdara, Delhi-110032	Fresh license
63.	L-10	M/s Sandeep Kataria	21.01.2016	Shop No. GF-32, DLF Galleria Mall, Mayur Vihar, New Delhi	Fresh license
64.	L-10	M/s Kanhiya Developers Pvt. Ltd.	18.02.2016	Shop No. G-6, 1 Shastri Park, District Centre, New Delhi-110053	Fresh license
65.	L-10	M/s S.R. Sales Communications	23.02.2016	Shop No. G-16, CRM, Plot No. 9B & 9C, CBD Ground, Shahdara, Delhi	Fresh license
66.	L-10	M/s ANP Medical Pvt. Ltd.	03.05.2016	Shop No. G-5, Plot No. 1, District Centre Shastri Park, Delhi-110053	Fresh license
67.	L-10	M/s Mukul Vinod Mehra	16.05.2016	Shop No. DSC-123 & 124, DLF South Court Mall, District Centre, Saket, New Delhi	Fresh license

68.	L-10	M/s Space Villa Pvt. Ltd.	16.05.2016	Shop No 13A, Ground Floor, Karol Bagh Mall, Karol Bagh Delhi	Fresh license
69.	L-10	M/s Manish Jain	27.06.2016	Shop No. G-7, 8, 9, 10, at Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034	Fresh license
70.	L-10	M/s Chander Mehta	28.06.2016	Shop No. G-30, DLF Tower-B, Jasola, Delhi	Fresh license
71.	L-10	M/s Veetrag Construction Pvt. Ltd	20.07.2016	Shop No RG-13, GF, Airport Metro Express Station, New Delhi	Fresh license
72.	L-10	M/s Buddy Mantra Hospitality Pvt. Ltd.	18.07.2016	Shop No MS 1-4, ACB, IGI Airport, Delhi	Fresh license
73.	L-10	M/s Tandon Exports Pvt. Ltd.	25.07.2016	Shop No. UGF-01 & 02, Gold Souk, Pitampura, Delhi	Fresh license
74.	L-10	M/s United Garments Pvt. Ltd.	03.08.2016	Shop No G-10, G.F. Mall, The Arss Felix, Plot No. 40, Block-A, CC Paschim Vihar, Delhi-110063	Fresh license
75.	L-12	Sajjan More	02.01.2015	Shop No. G1, G2 ,G3 and G6, Plot No. 5 Pocket 2 Sector A-9 Narela, Delhi-11004	Fresh license

1	2	3	4	5	6
76.	L-12	Claro Enterprises	12.01.2015	S-122, S-123, PVC Market Jwalapuri, Delhi	Fresh license
77.	L-12	Avni Electronics	12.05.2015	Plot No. 6, G/F, RU Plaza, Sector-10A, Pocket-5, LSC Market Narela, Delhi, North Delhi, Delhi-110040	Fresh license
78.	L-12	Alliance Overseas	13.05.2015	Shop 1 Part of Shop No. 2, Ramjilal Complex, Plot No. 1 & 2, LSC Mkt., JJ Slum Tenament, Kalkaji, Delhi-110019	Fresh license
79.	L-12	Saas Bahu Departmental Store	09.07.2015	Shop No. 16 to 19 Arihant Square Shopping Complex Sector 4 Cluster 1 Bawana Ind. Area DSIIDC Bawana, Delhi, North West Delhi, Delhi-110039	Fresh license
80	L-12	JGS Departmental Store	24.07.2015	Shop No 42, 43, 44 & 49, GF, FC-4, DSIDC, Industrial Complex, Narela, Delhi, North West Delhi, Delhi-110040	Fresh license
.81.	L-12	Bansal Traders	24.07.2015	Shop No 6,8,16,Vardhman	Fresh license

				Plaza Bhera Enclave, Delhi, West Delhi, Delhi-110087	
82.	L-12	M/S Discount Zone	04.08.2015	G-4 & G-5, 67-68 Chandra Bhawan Nehru Place, Delhi, South Delhi, Delhi-110019	Fresh license
83.	L-12	Food Land By Orchid (Unit of Meenu Agencies Pvt. Ltd.)	10.08.2015	D11, LSC, Vasant Vihar, New Delhi-110057, Delhi, South West Delhi, Delhi-110057	Fresh license
84.	L-12	Shivam Departmental Store	21.08.2015	Shop No. 43,Ground Floor Mall Road, Kingsway Camp G.T.B Nagar, Delhi-9	Fresh license
85,	L-12	The Brew Store	22.09.2015	Shop No. 1, 2, Girraj Plaza, Plot No.6, L.S.C. Bodella Phase-2, Vikas Puri, Delhi	Fresh license
86.	L-12	Sharda Traders	07.10.2015	Shop No. B-1, Ground Floor, Vasant Kunj, New Delhi-110070	Fresh license
87.	L-12	M/s Globe Tech Industrial Products	09.10.2015	Shop No.G-49, 50, 51, Vardhman Fashion Mall, Road No. 43, Pitampura, Delhi-34,	Fresh license
88.	L-12	M/s Mohit General Store	21.10.2015	Shop No.46, GF, Kingsway Camp, Mall Road, Delhi-9	Fresh license

1	2	3	4	5	6
89.	L-12	M/s Mishra Sports	23.10.2015	A-4, L.S.C. Punjabi Bagh Enclave, New Delhi-63.	Fresh license
90.	L-12	M/s Mascot Life Care Products	28.10.2015	GF, 1A, 2A, 12/13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Commercial Complex, Delhi-9	Fresh license
91.	L-12	M/s J.N. International	03.11.2015	G-71, 72, 74, GF, Vardhman Premium Mall, LSC, Outer Ring Road, Deepali Chowk, Pitampura, Delhi-34	Fresh license
92.	L-12	M/s Luthra Trading Co.	03.11.2015	G-2, G-3, G-4, GF, Manish Metro Mall, Plot No. 6, Sector 12, Dwarka, New Delhi	Fresh license
93.	L-12	M/s Sequence Gallery	03.11.2015	C-29, GF, Community Centre, Janakpuri, Delhi	Fresh license
94.	L-12	M/s The Brew Store	09.11.2015	Shop No. B-24, G.F., B Block, Community Centre, Janakpuri, Delhi	Fresh license
95.	L-12	M/s U-Like Enterprises	24.11.2015	Property No.13, GF, Community Center, Rampura Lawrance Road, Delhi-35	Fresh license

96.	L-12	M/s J.G.S. Departmental Store	03.12.2015	Shop No. PB-12A, 24-A, 25-A, 26-A, Pul Bangas Metro Station, Roshanara Road Delhi-6	Fresh license
97.	L-12	M/s The Brew Store	17.12.2015	Shop No. 1, 1B, 2, Plot No. 27, Community Centre Naraina Industrial Area, Phase-I, Delhi.	Fresh license
98.	L-12	M/s Shokeen Trading Co.	17.12.2015	Shop No.G-8, 9, 10 and 11, Vardhman Fashion Mall, LSC, Road No.43, Pitampura, Delhi.	Fresh license
99.	L-12	M/s Jindal Co-operative Store Ltd.	18.12.2015	G-34, 35, 37, 38, Vardhman Crown Mall, Plot no.2, LSC, Sector 19, Dwarka, Delhi	Fresh license
100.	L-12	M/s Manoj Traders	21.12.2015	Shop No.4, 5 & 21, 22, GF, Amba Tower, Plot No. 2, DC Chowk, Sector-9, Rohini, Delhi-85	Fresh license
101.	L-12	M/s Enokee Foods	22.12.2015	Shop No.28, Block No. 4-5, Rajindera Bhawan, Rajendra Place, New Delhi	Fresh license
102.	L-12	M/s Aggarwal Departmental Store	04.01.2016	Shop No.24, 30, 31, LSC Market, Sheikh Sarai Phase 2, Delhi-17	Fresh license

1	2	3	4	5	6
103.	L-12	M/s The Brew Store	21.01.2016	Shop No. 1, 2, 3, Block S, Jawala Puri, Delhi-87	Fresh license
104.	L-12	M/s Ashi Exports P. Ltd.	08.02.2016	G-85, 86, 87, 89, Vardhman Central Mall LSC, Nehru Vihar	Fresh license
105.	L-12	M/s Ashi Export P Ltd.	08.02.2016	G-59, 60, 73, Vardhman Mall, LSC, Pocket 10, Sector A-6, Narela, Delhi	Fresh license
106.	L-12	M/s Chaudhary Trading Company	12.02.2016	Shop No. G 30, 33, 34, 35, GF, Vardhman Plaza, Plot No. 3, Community Centre, D.B. Gupta Road, Motia Khan, New Delhi	Fresh license
107.	L-12	M/s Ashi Export P Ltd.	07.03.2016	Shop No.35, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi	Fresh license
108.	L-12	M/s Ashi Export P. Ltd.	11.03.2016	Shop No. 29, Main Market, Moti Nagar, New Delhi-110015	Fresh license
109.	'L-12	M/s The Brew Store	14.03.2016	Shop no. 19, 20 & 21, Gujrawala Town, Part-I, Delhi	Fresh license
110.	L-12	M/s Sequence Store	17.03.2016	Shop No. G1, G2, G3, G4, GF, Vardhman Select Mall, Facility	Fresh license

				Centre-V Sector-I, Narela Industrial Area, Delhi-40	
111.	L-12	M/s Ashi Export P. Ltd.	18.03.2016	Shop No. 29, Transport Centre, Punjabi Bagh, New Delhi-110026	Fresh license
112.	L-12	M/s Shiv Departmental Store	21.03.2016	Shop No.G-19, Virat Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9	Fresh license
113.	L-12	M/s Ashi Exports P. Ltd.	31.03.2016	A-9 , 10, GF, LSC, Shivaji Enclave, New Delhi	Fresh license
114.	L-12	M/s 9 to 9 Departmental Store	21.04.2016	Shop No. 65, GF, South Patel Nagar Market, New Delhi	Fresh license
115.	L-12	M/s The Brew Store	21.04.2016	Shop No. 50, Transport Centre, Azadpur, Subzi Mandi, Delhi-33	Fresh license
116.	.L-12	M/s The Trident Store	29.04.2016	G-93, VCM, Plot No. 2, Sector 19, Dwarka, New Delhi-75	Fresh license
117.	L-12	M/s A2Z Security Systems	29.04.2016	Shop No. 5, Plot No. 14, Neelkanth Chambers-II, LSC, Saini Enclave, New Delhi-92	Fresh license
118.	L-12	M/s A&T India	06.05.2016	GF, Shop No. 1, Janakpuri East Metro Station, New Delhi	Fresh license

1	2	3	4	5	6
119.	L-12	M/s New Modern Bazar Departmental Stores Pvt. Ltd.	17.05.2016	20, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi	Fresh license
120.	L-12	M/s Narendra Departmental Store	18.05.2016	140, Kingsway Camp, Mall Road Delhi	Fresh license
121.	L-12	M/s Vidushi Marketing & Promotions Pvt. Ltd.	02.06.2016	No.7, Shop No.11, 12, 13, 14, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, Delhi-8	Fresh license
122.	L-12	9 TO 9 Departmental Store	06.06.2016	Plot No. 1, Block No. 52, Prehlad Market, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi	Fresh license
123.	L-12	Ashi Export Pvt. Ltd.	07.06.2016	G-1, 2, 3, 4, 5, 6, Plot No. 8, Facility Centre, Mayapuri, Phase-II, New Delhi	Fresh license
124.	L-12	Swashi Enterprises	07.06.2016	Shop No. 7, Plot No. 2, Kushal Cinema Building, G Block, Community Centre, Jahangirpuri, New Delhi	Fresh license

125.	L-12	Shanker Enterprises	09.06.2016	B-9, Shop on Ground Floor, Model Town, Delhi-9	Fresh license
126.	L-12	Om Sai Enterprises	10.06.2016	G-54, 57A, G-58 and half Portion of G-54A, GF, Vardhman Central Mall, LSC, Nehru Vihar, Delhi	Fresh license
127.	L-12	JS Departmental Store	10.06.2016	Shop No. 11, GF, Krishna Market, Kalka ji, New Delhi-19	Fresh license
128.	L-12	M/s Shri Banke Bihari Trading Co.	15.07.2016	GF, Plot No. 12, Rampura Shopping Centre, Lawrence Road Industrial Area, Delhi-110035	Fresh license
129.	L-12	M/s Laxmi Naryan Narender Kumar	25.07.2016	9648/12, Multani Dhanda Pahar Ganj, Delhi-55	Fresh license
130.	L-12	M/s 9 to 9 Departmental Store, (a unit of M/s Aditya Overseas Pvt. Ltd.)	03.08.2016	Shop No. 5 and part of shop No. 4 G.F. Badarpur Metro Station, Badarpur, Delhi	Fresh license
131.	L-12	M/s Ashi Export Pvt. Ltd.	25.05.2016	Shop No. 29,south Patel Nagar Market, New Delhi	Fresh license

संलग्नक 'ख'

Details of liquor vends shifted since 2015

Sl. No.	Licence Type	Name of the Liquor	Date of opening/ order	Address of the Vend	Remark
1	2	3	4	5	6
1.	L-6	DTTDC	19..01.2018	Shop No. 25, Sector-B-7, Plot No. 11 Vasant Kunj, New Delhi	Shifted from Shop No. 26, DDA Market Sector-17, Rohini
2.	L-6	DTTDC	01.10.2015	Shop No. 28, Central Market, Naraina, New Delhi-110028	Shifted from Shop No. 16/2, DDA Central Market Naraina, New Delhi -110028
3.	L-6	DTTDC	29.10.2015	Shop No. 37, Kingsway Camp, Delhi -110009	Shifted from Shop No. 40, Mall Road, GTB Nagar Delhi
4.	L-6	DTTDC	27.11.2015	Shop No. C-5B, Khasra No. 40/11 Gali No. 2 Sadatpur, Karawal Nagar, Delhi	Shifted from shop No. A-143, Rishi Nagar, Sahakur Basti, Delhi-34
5.	L-6	DTTDC	02.03.2016	Shop No. 37, Guru Nanak Market, R-Block, Greater Kailash-I Delhi	Shifted from Shop No. 446, Jheel Kuranja, Delhi

6.	L-6	DTTDC	05.10.2015	Shop No. C-2, Malviya Nagar, New Delhi	Shifted from shop No. 38, LSC, Shiekh Sarai, Phase-II Delhi
7.	L-6	DTTDC	06.05.2015	Shop No. Khasra No. 14 & 15 Main Road, Kotla Village, Mayur Vihar, Delhi	Shifted from shop No. 15, Auto Mobile Truck Market, Pandav Nagar, Patparganj, Delhi-110092
8.	L-6	DTTDC	14.03.2016	Shop No. G-9, G-10, Ground Floor, Plot No. 10, Sikka Complex, Community Centre, Preet Vihar Delhi	Shifted from Shop No. 6-7, Vats Market, Pitampura, Delhi
9.	L-6	DTTDC	05.10.2015	Shop No. A-8, Prem Nagar, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar West, New Delhi-110059	Shop No. 10, DDA Shopping Complex, LIG Rajouri Garden, New Delhi-110027
10.	L-6	DCCWS	28.07.2016	Shop No. 5 Khasra No. 573, Libaspur Road Siraspur Delhi-42	Shifted from B -1/15-16, DDA Market Nand Nagri, Delhi
11.	L-6	DCCWS	24.01.2015	Shop No. 44, W Mall, Pilot No. 9, Manglam Palace, Distt. Centre, Sec-3, Rohini, Delhi	Shifted from Shop No. 3, Kh. No. 19/9/2, Main 100 Feet Road, Darshan Vihar, Burari, Delhi-84
12.	L-6	DCCWS	18.05.2018	Shop No. 78A, Vishnu Garden Extn., NW Block, New Delhi	Shifted from Shop No. 3, LSC, Panchsheel Park, New Delhi

1	2	3	4	5	6
13.	L-6	DCCWS	17.04.2018	Kh. No. 403, GTK Road, Alipur, Bakoli, Delhi	Shifted from CW-43, Sanjay Gandhi Transport Nagar, Delhi
14.	L-6	DCCWS	07.04.2016	Shop No. G3 & 4, D-Block, Plot No. 10, LSC Prashant Vihar, Outer Ring Road, Delhi	Shifted from Shop No. 183-186, DDA Market, Trilokpuri, Delhi
15.	L-6	DCCWS	30.03.2016	G-39 & 40, Vardhman Fortune Mall, Community Centre, GTK Road, Near Gujrawala Town, Delhi	Shifted from Shop No. 28, Azadpur, Transport Centre
16.	L-6	DCCWS	23.02.2016	Shop No. A-47/142, Gulab Bagh, Uttam Nagar, Main Najafgarh Road, New Delhi	Shifted from Shop No. 26 & 27, LU Block, DDA Market, Pitampur, New Delhi
17.	L-6	DCCWS	16.05.2016	Plot No. 53, Kh. No. 63/15, Mundka Udhyog Nagar, South Side Mudhka, Delhi	Shifted from Shop No. 7, Ramjilal Complex, LSC, Central Market, DDA Flat, Kalkaji, Delhi
18.	L-6	DCCWS	24.04.2018	Kh. No. 585/202, Khichripur Main Market, Delhi	Shifted from Shop No. 1 & 2, Plot No. 16, Commercial Complex Rampura, Delhi

19.	L-6	DCCWS	30.11.2015	Shop No. 21 & 21, Arihant Square Complex Sector-4, Cluster-1, Bawana Industrial Area, Delhi	Shifted from 7A/75, W.E.A., Karol Bagh, Delhi
20.	L6	DCCWS	04.08.2017	Shop No. 111 & 112, PVC Market, Jawalapuri, New Delhi	Shifted from Kh. No. 403, G.T.K. Road, Alipur Bakoli, Delhi
21.	L-6	DCCWS	15.02.2015	35/20/2, Main Bawana, Road, Near Yamuna Kanal, Samaypur, Delhi	Shifted from 35/19, Main Bawana Road, Samaypur, Delhi
22.	L-6	DCCWS	12.03.2016	Shop No. 146/1, GTK, Road to main Chand Dhania Road, Siraspur, Delhi	Shifted from Shop No. 118-120, New Usmanpur, Delhi
23.	L-6	DCCWS	01.08.2016	WZ-247/3B, Najafgarh, Road, Uttam Nagar, New Delhi	Shifted from Plot No. 10, BA, Mangolpuri, Phase-II, New Delhi
24.	L-6	DSCSC	25,01.2018	Shop No. 852 (new) & V-439 (Old Vijay Park), Village Moujpur, New Delhi-110053	Shifted from Shop No. 1071/ 44 Khasra No. 110/2 Khajuri Khas, Delhi
25.	L-6	DSCSC	31.01.2018	Shop No. 28/1, GF Main 60 ft. Road, Viswas Nagar, Delhi	Shifted from Shop No. 19-20 Sewa Nagar, Delhi

1	2	3	4	5	6
26.	L-6	DSCSC	05.02.2018	Shop no. G-3, Plot No. 7, Nagal Raya, New Delhi	Shifted from Khasra No. 94, Ramji Lal Market, Sarita Vihar, Delhi
27.	L-6	DSCSC	03.01.2018	Shop No. 3 & 4B Amar Park, Rohtak Road Zakhira, Delhi	Shifted from Shop No. 8D, UG, LSC, MOR Land, Rajinder Nagar
28.	L-6	DSCSC	21.04.2015	Shop No. 11 GF Crescent Square Plot No. 14, Community Centre, Rohini Sector-9, Delhi	Shifted from G-3/64-65, Harsh Bhawan, Nehru Place Delhi
29.	L-6	DSCSC	07.04.2016	Shop No.9 Group-I, Zone-A, DDA Complex, Tikri Border Delhi	Shifted from 56/12, Sharhati Apartment, Jawalheri, Paschim Vihar, Delhi
30.	L-6	DSCSC	26.02.2016	Shop No. 8A, Regal Building Annexe Block-C, Regal Cinema, Connaught Place, Delhi	Shifted from Shop No. 197, Kamala Market, New Delhi
31.	L-6	DSCSC	11.09.2015	Shop No. 279, Under Defense Colony Fly over Market, Defense Colony Delhi	Shifted from Shop No. under Flyover Market Defense Colony New Delhi
32.	L-7	M/s Trading	14.05.2018	Plot No. 193, Metro Pillar	Shifted from Shop No. 1 ESS

		Co.		No. 544, Main Rohtak Road, Mundaka, Delhi	Plaza, Plot No. 1, Community Centre, Sector-3, Rohini, Delhi
33.	L-8	DCCWS	12.03.2018	Khasra No 146/1, GTK Road to Mam Chand Dhania Road, Siraspur, Delhi-42	Shifted from Shop No. 118-120, New Usmanpur Delhi
34.	L-8	DCCWS	09.08.2016	WZ-247/3,-B, Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi	Shifted from Plot No.100, B.A., Mangolpuri, Delhi
35.	L-8	DTTDC	05.03.2018	Khasra No. 458, 100 futa Road, Burari	Shifted from Shop no B-l/7, 39 & 40, Nand Nagri, Delhi
36.	L-8	DTTDC	28.05.2018	Khasra No. 14 & 15, Main Road, Kotla Village, Mayure Vihar, Phase-I, Delhi	Shifted from A-7, GF, Truck Parking, Timarpur, Delhi
37.	L-8	DTTDC	03.06.2015	Shop No. B-1, Suraj Park, Opp. Badli Industrial Area, Samaypur, Badli, Delhi	Shifted from Shop No. 1, G.T. Karnal Road, Delhi
38.	L-10	M/s Premium Lead Services Pvt. Ltd.	22.03.2018	G-08, Ground Floor, Worldmark 1. Asset Area No. 11, Aerocity NH-8, New Delhi-37	Shifted from MGF Metropolitan Mall, Saket, New Delhi
39.	L-12	Hot Spot Departmental Store	09.04/2015	Shop No. 18, East Avenue Market, East Avenue Road, Punjabi Bagh, New Delhi	Shifted from Shop No. 6, Lehna Singh Market, Chandrawal Road, Malkaganj, Delhi

1	2	3	4	5	6
40.	L-12	Maa Ambey Traders	20.11.2015	Shop No. 36, Tagore Garden, Extension Market, New Delhi	Shifted from Shop No. G-1, 2 & 3. P.No. 59, GF, Sector-20, Dwarka, New Delhi
41.	L-12	Natural Departmental Store	06.04.2016	Shop No. 1 to 4, Kanhaiya Nagar, Metro Station, New Delhi	Shifted from 46, Basant Lok, Vasant Vihar, Delhi
42.	L-12	UDI Departmental Store	06.07.2017	CW-265, Sanjay Gandhi Transport Nagar, Delhi	Shifted From CW-235, SGT Nagar, Samaipur Badli, New Delhi-110042
43.	L-12	Dbeers Enterprises	05.07.2017	Shop No. 6 & 7, 1/8, WHS Block, Kirti Nagar, New Delhi	Shifted From Plot No. 7, Block B-1,Community Centre, Janakpuri, Delhi-110058
44.	L-12	Virenderdutt & Company	14.09.2015	Property No. 43, Community Centre, Zamrudhpur, Kailash Colony, Extn. New Delhi	Shifted From Plot No. 2, LSC Market No-1, Sector-4 Dwarka, Delhi
45.	L-12	Ravinder Departmental Store	30.10.2015	Plot No. 89, 90, 91, Pocket-S-PVC-Market, Jwalapuri, Delhi	Shifted From Shop No. 2, 3, & 4, Pankaj Plaza, Plot No. 93, Sector-20, Dwarka , New Delhi
46.	L-12	Kumar Departmental	02.06.2015	Shop No. 2, 3, 4, 5, V-4, Mayure Plaza, GF, Plot No. 5,	Shifted From Shop No. 1, 2, 3, Good Luck Plaza Sec-20, Plot

		Store		Block-G, LSC, Mayur Vihar, Phase-III, Delhi	No. 59, Dwarka Delhi
47.	L-12	Bhairav Departmental Store	28.06.2016	D-8, GF, Phase-II, Mayapuri, Industrial Area, New Delhi	Shifted From Shop No. U22 BGN Ground Floor Rajouri Garden Metro Station Delhi, Delhi-110027
48.	L-12	Aaditya Interiers & Departmental Store	09.07.2017	Commercial Complex, G.F, R.G. House, Karampura, New Delhi	Shifted from Plot No. A-27 GF Phase-1 and Mark Near NDPL Office Mangol Puri Industrial Area Mangol Puri, Delhi, Delhi
49.	L-12	Chill Out Departmental Store	16.12.2015	Plot No-3, LSC, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi	Shifted from Shop No. 19, 20, 21, LSC Market, Gujrawala Town Part-1, Delhi
50.	L-12	V-care Enterprises	26.07.2016	Shop No. 2, Krishna Market, Lajpat Nagar, New Delhi	Shifted From Shop No. 21/8, 21/10, 21/11 Choti Sabzi Mandi, Janakpuri New Delhi
51.	L-12	Adharv Enterprises	29.12.2015	Shop No. C-30, Block-C, Community Centre, Janakpuri, New Delhi	Shifted From Shop No. DS I, Pocket C, Block C, Community Centre, Janakpuri, New Delhi
52.	L-12	JGS Departmental Store	05.07.2017	Shop No. 6 &7, GF, LSC, Kalkaji, near, Govindpuri, Extension, New Delhi	Shifted from Shop No. 5, 6 & 7, Plot No. 11, G.F. Nanda Devi Tower, LSC, Block D, Prashant Vihar, Delhi

1	2	3	4	5	6
53.	L-12	Ashi Export Pvt. Ltd.	15.07.2017	Plot No.16, Basement Community Centre, PVR, Saket, Malviya Nagar, Extension, New Delhi	Shifted from Shop No. 4, Community Centre, Saket, New Delhi
54.	L-12	Ankit Electronics	14.07.2017	Shop No. G-33, 34, 60, Vardhman Foutune Mall, Plot No. B Shopping Centre, GTK Road, Dilkush Bagh, Delhi	Shifted from G-19 to 23, G-43A, G-45, 46, 47, 50, 70, 91, GF, Satyam Tower, Plot No. 14 & 19, Block A-2, DDA, Community Centre, Paschim Vihar, Delhi
55.	L-12	9 to 9 Departmental Store	05.07.2017	Shop No. 2/108, Lady Harding Road, Gole, Market, New Delhi	Shifted from Shop No. CW-232, SGT Nagar, Delhi
56.	L-12	Shri Bankey Bihari Traders Departmental Store	23.06.2017	CW-264, SGT Nagar, Delhi Nagar, Delhi	Shifted from CW-58, SGT

48. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रंगापुरी–महिपालपुर–बिजवासन क्षेत्र में हरियाणा से शराब लाकर अवैध रूप से बेचे जाने से दिल्ली सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के क्या उपाए किये जा रहे हैं;

(ग) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में शराब बिक्री की अधिकृत दुकानें कितनी हैं; सूची उपलब्ध कराएं; और

(घ) क्षेत्र के विवाह – स्थलों द्वारा उपयोग की जाने वाली शराब की मात्रा को कम बताये जाने को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में कोई भी शराब जो अवैध रूप से हरियाणा से तस्करी कर लाई जाती है उसकी बिक्री से सरकार को राजस्व की क्षति होती है।

(ख) इस विभाग की ई.आई.बी. शाखा द्वारा लगातार गोपनीय सूचना एकत्रित कर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत स्थानीय पुलिस के माध्यम से अवैध शराब की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। दिनांकः 01.01.2017 से 30.05.2018 तक रंगपुरी, महिपालपुरी व बिजवासन क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी तथा बिक्री के सम्बन्ध में 15 मुकदमें थाना – बंसतकुंज दक्षिण व कापसहेड़ा, दिल्ली में पंजीकृत कराये गए हैं इन क्षेत्रों से उपरोक्त समय में कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल 4212 शराब की बोतलें व 06 गाड़ियां जब्त की गयी हैं।

(ग) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में शराब की बिक्री की अधिकृत कुल 11 दुकानें है, जिनकी सूची संग्लन है। (संलग्नक "क")

(घ) विवाह–स्थलों पर उपयोग की जाने वाली शराब का परमिट (परमिट संख्या पी–10) विभाग द्वारा जारी किया जाता है। विभाग द्वारा जारी परमिट पी–10 पर मेहमानों की संभावित संख्या तथा परमिट धारक द्वारा खरीदी गयी शराब की मात्रा का विवरण दर्ज होता है। यह शराब दिल्ली की अधिकृत दुकानों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा समय–समय पर विवाह–स्थलों का ओचक निरीक्षण कर पी–10 परमिट की वैधता तथा उसपर अंकित सूचना की जांच की जाती है। उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है।

संलग्नक 'क'

Details of liquor shop located/situated in Bijwasan Constituency

Sl. No.	Name of the liquor shop	Address	License Type
1	2	3	4
1.	M/s Sparkle Breweries Pvt. Ltd.	1st Floor, Plot No. 62, Chander Plaza, Sector-20, Dwarka, New Delhi	L-7
2.	M/s Buddy Distribution Pvt. Ltd.	LA-03, Landside Arrival Terminal-3, IGI Airport, New Delhi	L-10
3.	M/s Buddy (T1 Delhi)	Domestic Arrival Terminal 1C, IGI Airport, Delhi, Unit No. C-01	L-10

1	2	3	4
4.	Buddy (T1D), Retail Pvt. Ltd.	Domestic Departure Terminal ID, IGI Airport, Delhi shifted to Unit No. 13, Domestic Departure Security Hod Area, Domestic Terminal ID, IGIA, Airport, New Delhi vide order dated 18.11.14	L-10
5.	Buddy (T3 Delhi), Retail Pvt. Ltd.	Domestic Departure Terminal-3, IGI Airport, Delhi	L-10
6.	M/s Buddy Mantra Hospitality Pvt. Ltd.	Shop No. MS 1-4, ACB, IGI Airport, Delhi	L-10
7.	M/s Delhi Duty Free Services Pvt. Ltd.	Airport Building No. 301, New Udaan Bhawan, Complex, Near Terminal-3, IGI Airport, New Delhi	L-22
8.	M/s DSIIDCLtd.	Plot No. 10, Baba Haridas Nagar, Najafgarh, Delhi	L-6
9.	M/s DSIIDC Ltd.	Plot No. 10, Baba Haridas Nagar, Najafgarh, Delhi	L-8
10.	M/s DSCSC Ltd.	Khasra No. 26/16, Old NH-8, Gurgaon Road, New Delhi	L-6
11.	M/s DSCSC Ltd.	Khasra No. 26/16, Old NH-8, Gurgaon Road, New Delhi	L-8

49. श्री एस.के. बग्गा : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शराब की कितनी दुकानों को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) शराब की दुकान को बंद करवाने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) दुकान बंद करवाने में कितना समय लगता है;

(घ) शराब की दुकानों पर नकली शराब बेचे जाने के कितने मामले सामने आये हैं;

(ङ) शराब की दुकानों पर नकली शराब पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई की जाती है; और

(च) दिल्ली में शराब की नयी दुकान खोलने के लिए क्या–क्या शर्तें है, तथा कितनी फीस ली जाती है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में कुल करीब 860 शराब की दुकानें हैं।

(ख) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अनुच्छेद–25 के तहत सार्वजनिक शांति के संरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर निर्धारित समय अथवा अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। अनुच्छेद–25 की कॉपी संलग्न "क" पर है। दिल्ली आबकारी निगम, 2010, के नियम 22(2) के अंतर्गत दुकानों को जनहित में स्थांतरित किया जा सकता है।

(ग) इस प्रक्रिया की कोई निर्धारित समय–सीमा नहीं है।

(घ) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ङ) किसी भी शराब की दुकानों पर नकली शराब पकड़े जाने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अनुच्छेद 33 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाती है।

(च) दिल्ली में शराब के दुकानों का लाइसेंस दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, तथा दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2010, एवं लाइसेंस की नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाता है। वर्तमान में खराब की नयी दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है।

संलग्न "क"

25. Closing of shops for preservation of public peace

The Deputy Commissioner or any other officer authorized by him may, be notice in writing to the licensee, require that any shop in which any liquor is sold shall be closed at such time or for such period as he may think necessary for preservation of public peace:

SECTION THE DELHI EXCISE ACT, 2009 11

PROVIDED that the total closure days in the licensing year shall not exceed fifteen days in all or more than three days continuously at any one time:

PROVIDED FURTHER that if the Excise Commissioner is of the opinion that any particular shop or all shops in any particular area shall be closed for a period exceeding fifteen days in a year or more than three days continuously at any one time, he may do so for reasons to be recorded.

50. **श्री महेंद्र गोयल** : क्या **माननीय पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में कुल कितने वृक्ष है;

(ख) विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सन् 2015 में दिल्ली में कुल कितने वृक्ष थे;

(ग) विभाग दिल्ली में वृक्षों की गिनती कितने समय के अंतराल पर करवाता है;

(घ) पिछले वित्त वर्ष में वृक्ष काटने पर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, पूर्ण विवरण दे;

(ङ) नए वृक्ष लगाने की इस वित्त वर्ष में सरकार की क्या योजनाएं है; और

(च) उसके लिए कितना बजट विभाग के पास है पूर्ण विवरण दे?

माननीय पर्यावरण और वन मंत्री : (क) से (ग) वृक्ष गणना का कार्य सभी सिविक एजेंसियों को अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में करने का फैसला लिया गया था। इसके अंतर्गत सिविक एजेंसियों को अपने–अपने क्षेत्रों में वृक्षों पर नंबर डालकर सूची तैयार करनी थी और समय–समय पर यह सूचना दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी को उपलब्ध कराने पर वेबसाइट पर डालना था। इस प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित सूचना डी.पी.जी.एस. की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार सन् 2013, 2014 और 2015 में कुल 166 आर.डब्ल्यू.ए. में वृक्ष गणना के अनुसार 28412 वृक्ष है।

इसके अलावा डी.पी.जी.एस. को 1367 स्कूलों में वृक्ष गणना के भेजे गए आंकड़ों के अनुसार कुल 125075 वृक्ष हैं।

इसके अलावा डी.पी.जी.एस. को आई.एफ.सी.डी. द्वारा 84 स्थानों पर वृक्ष गणना के भेजे गए आंकड़ों के अनुसार कुल 41094 वृक्ष हैं।

बाकी, सिविक एजेंसिस जैसे कि एम.सी.डी., पी.डब्ल्यू.डी., डी.डी.ए., सी.पी.डब्ल्यू.डी., एन.डी.एम.सी. इत्यादि से वृक्ष गणना की सूचना डी.पी.जी.एस. अथवा पर्यावरण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

अतः वृक्षों का कुल योग सभी सम्बन्धित एजेंसीज से प्रापत होने पर ही वर्णित किया जा सकता है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 (बी) के अंतर्गत ट्री ऑथोरिटी की 09.11.2017 की मीटिंग में भी सभी सिविक एजेंसिस द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में वृक्ष गणना का कार्य करने हेतु पुनः निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा एफ.आर.आई. देहरादून से वृक्ष गणना करने की प्रार्थना भेजने को भी कहा गया था, जिसमें कार्य प्रगति पर है।

वन एवं वन्य जीव विभाग के द्वारा दिल्ली के वृक्षों की गिनती नहीं बनाई गई है। किन्तु भारत वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India, Dehradun) प्रति दो वर्षों के अंतराल पर पूरे भारत वर्ष की भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का Forest & Tree Cover 2015 में 299.77 sq.km. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.22%) से बढ़कर 2017 में 305.41 sq.km. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.59%) हो गया है।

(घ) उप–वन संरक्षक (उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिण) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार वृक्ष अधिकारी है जो कि अवैध वृक्ष काटने पर संज्ञान लेते हैं। वृक्ष अधिकारी (उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी) की रिपोर्ट के अनुसार 2017–18 वित्त वर्ष में अवैध वृक्ष काटने पर 195 लोगों पर कार्यवाही हुई, जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

उत्तरी वन प्रभाग द्वारा–48

पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा—125

दक्षिणी वन प्रभाग द्वारा—24

(ङ) 2018—19 में वन विभाग 20 ग्रीनिंग एजेंसियों के साथ मिलकर 20.13 लाख (Free Distribution of Saplings सहित) नए पौधे लगाने की योजना है।

(च) 20 ग्रीनिंग एजेंसी अपने बजट से वृक्षारोपण करती है। वन विभाग के पूर्ण बजट का विवरण Annexure-A पर संलग्न है।[1]

1. www.delhiassembly.nic.in उपलब्ध है।

51. कर्नल दवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगपुरी पहाड़ी — रजोकरी क्षेत्र में क्रमशः कितना क्षेत्र वन तथा रिज के अंतर्गत आता है;

(ख) इसमें से कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है व इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या डी.यू.एस.आई.बी. रंगपुरी जे.जे. क्लस्टर के पुनर्वास हेतु कुछ कदम उठाएगा जिससे रिज क्षेत्र को पूर्व स्थिति में लाया जा सके?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) अधिसूचना 1996 के अनुसार रजोकारी रिज का कुल क्षेत्रफल 3106 बीघा 01 बिस्वा है और रंगपुरी 1365 बिघा 05 बिस्वा है।

---

[1]संलग्नक www.delhi assembly.in.in पर उपलब्ध।

(ख) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दिशा के अनुसार रंगपुरी और रजोकरी में revenue द्वारा TSM सीमांकन का कार्य प्रक्रिया में है और अतिक्रमण के तहत क्षेत्र का पूरा विवरण केवल सभी ज्ञात होगा जब सीमांकन का क्रय पूरा हो जाएगा। हालांकि अगर रिज क्षेत्र में कोई नया अवैध अतिक्रमण किया जाता है, तो उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाता है।

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से प्राप्त पत्र क्रमांक–D-70/DD(PC)/DUSIB/18 दिनांक 29.05.2018 के अनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सम्बन्धित भूस्वामी संस्था के अनुसार पर पुर्नवास राशि अग्रिम प्राप्त होने के पश्चात् दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुर्नवास नीति–2015 के अनुसार योग्य झुग्गीवासियों को पुनर्वासित करता है। चूंकि जे.जे. बस्ती रंगपुरी के पुनर्वास हेतु सम्बन्धित भूस्वामी संस्था के अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा इस बस्ती को पुनर्वासित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है (Copy enclosed as Annexure-A)।

चूंकि जे.जे. बस्ती रंगपुरी आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण है इसलिए वन विभाग ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पुर्नवास हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है।

ANNEXURE-A

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमांक–D-70/DD(PC)/P VSIB/18 दिनांक–29.5.2018

51. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय वन और पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगपुरी पहाड़ी–रजोकरी क्षेत्र में क्रमशः कितना क्षेत्र वन तथा रिज के अंतर्गत आता है;

(ख) इसमें कितने क्षेत्र अतिक्रमण हो चुका है व इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या डीयूएसआईवी रंगपुरी जे.जे. क्लस्टर के पुनर्वास हेतु कुछ कदम उठाएगा जिससे रिज क्षेत्र को पूर्व स्थिति में लाया जा सकें?

माननीय वन और पर्यावरण मंत्री : (क) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सम्बन्धित भूस्वामी संस्था के अनुरोध पर पुर्नवास राशि अग्रिम प्राप्त होने के पश्चात् दिल्ली स्लम जे. जे. पुर्नस्थापना एवम पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार योग्य झुग्गीवासियों को पुनर्वासित करता है। चुंकि जे.जे. बस्ती रंगपुरी के पुनर्वास हेतु सम्बन्धित भूस्वामी संस्था से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा इस बस्ती को पुनर्वासित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

सहायक निदेशक (ससंद कक्ष)

उप सचिव (वन व पर्यावरण) लेबल–6 सी विंग, दिल्ली सचिवालय

52. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनता द्वारा पॉलिथिनों में भरकर कूड़ा फेंका जाना विकराल रूप धारण कर चुका है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि समस्या तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब ये बैग नदी नालों में जमा हो जाते हैं;

(ग) इस समस्या से पर्यावरण पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सरकार नागरिकों को जागरुक करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) सरकार थैलियों पर लगे बैन को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है;

(ङ) अब तक कितने लोगों के विरुद्ध क्या–क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार सभी मोटाई के पॉलिथीन बैगों पर पूरी तरह से रोक लगाने की योजना पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ज) यदि नहीं तो प्लास्टिक की थैलियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) और (ख) प्लास्टिक की थैलियों वजन में हल्की होने के कारण हवा में उड़कर या कूड़े कचरे के साथ नदियों/नालों/नालियों में जमा होकर पानी के बहाव में बाधा डालती है इससे सीवर लाइनें/नालियों रुकने के कारण सीवेज का इकट्ठा होना/जल भराव आदि की समस्या भी हो जाती है।

(ग) से (ज) दिल्ली सरकार जनता को प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग के विरुद्ध जागरुक करती आई है। दिल्ली सरकार ने जन जागरुकता के लिए FM पर और अखबारों में इस विषय पर इश्तिहार भी दिए हैं।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों प पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर विचार किया और दिनांक 20.09.2011 को प्रारूप अधिसूचना व दिनांक 23.12.2012 को फाइनल अधिसूचना निकाली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न–बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों भी शामिल हैं) के प्रयोग, विनिर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय एवं बुलाई पर प्रतिबंध लगाया है। यह अधिसूचना याचिका संख्या WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05.12.2016 के फैसले के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.06.2017 को याचिका संख्या OA 281/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अंतरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है एवं दोषियों को 5000/– रुपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का क्रियान्वयन तीनों नगर निगम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जा रहा है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की कार्रवाई रिर्पोट के अनुसार दिनांक 18.05.2018 तक 39385 किलो 50 माइक्रोन से कम

प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। दोषियों के 2992 चालान काटे गए एवं 5265000/— रुपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं।

53. **श्री पवन कुमार शर्मा** : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण के विनियमन और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मौजूदा नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन विभिन्न रिपोर्टों की और ध्यान दिया है, जिसमें दिल्ली की वायु की गुणवत्ता को अत्यंत हानिकारक एवं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारकों का कोई अध्ययन करवाया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए हैं; इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(च) क्या सरकार के पास वायु प्रदूषण के लिए दोषी व्यक्तियों, संस्थानों के खिलाफ ठोस दंडात्मक कदम उठाने के लिए उपयुक्त वैधानिक नियम कानून उपलब्ध है;

(छ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के चलते दमा और श्वसन रोगों के मरीजों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है;

(झ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलनात्मक अध्ययन क्या है; और

(ञ) इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) • दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है, पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डीपीसीसी के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डीपीसीसी द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है।

- **खुले में अपशिष्ट/कूड़ा–करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा–कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

  1. पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने "मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 पर अपना व्हाटस्प खाता" खोला है।

  2. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब–डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ–साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

  3. सूखी पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर

रोक लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कहा गया है।

- **निर्माण कार्यों में धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के एिल धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

  (1) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब–डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ–साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

  (2) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने ऐसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

- सभी संबंधित पक्षों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा–कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

- दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग में हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए हैं। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। अपने कर्त्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए, इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अंतर्गत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघन को सूचित करने कक निर्देश दिए गए हैं।

- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समयबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

- याचिका संख्या ओए 21/2014 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों/निर्णयों के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के जरिए संबद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है।

- **बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा** : प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। हाल में खरीदे

गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

- माननीय उप–राज्यपाल दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि व दीर्घावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

- **पटाखे चलाने पर रोक** : धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम 20–क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किये गये।

- **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रदेश करने पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) की वसूली** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना भी जारी की गयी है।

सड़कों की सफाई उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाये गये मेकैनिकल रोड़ स्वीपर्ज की मदद से भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पानी का छिकड़ाव उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और लोक निर्माण विभाग और द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट 2018–2019 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्ताव दिया है। जैसे किः

- पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने हेतु ग्रीन कवर बढ़ाना। जिसके लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी है।

- सरकार आरडब्ल्यूए, मार्किट एसोसिएशन और एमजीओ के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी में है।

- सेंट्रल रिज एरिया में विलायती एसोसिएशन और एनजीओ के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी में है।

- 2018–19 में जोनापुर, आया नगर, डेरा मांडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू पाकेट ए और अलीपुर में नए सिटी–फारेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है इसके अलावा सेंट्रल रिज में वॉकिंग–ट्रेल विकसित किए जाएंगे, जिनसे नागरिकों को दिल्ली में ही घने वृक्षों के बीच सांस लने का मौका मिलेगा।

- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इंडस्ट्रीयल यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।

- इसी तरह दिल्ली के रेस्टोरेंटों में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए 5 हजार रुपये प्रति तंदूर तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।

- साथ ही 10केवीए या इससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले व्यावसायियों को भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित इलेक्ट्रिक जेनरेटर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए 30 हजार रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।

- दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनाने और इसके खतरे के प्रति, हर पल सतर्क बनाने के उद्देश्य से पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में वायु प्रदूषण के लेवल की जानकारी देने वाले करीब एक हजार इंडोर डिस्पले पैनल लगाये जायेंगे।

- दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से एक मॉडल डेवलप किया जायेगा ताकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे कि सर्दी के दौरान दिल्ली में स्मॉग की मात्रा अचानक बढ़ती है, इनकी जानकारी पहले से हो सके।

(ख) जी, हां।

(ग) वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को सम्बन्धित विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) 2015 में आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्त्रोतों की पहचान निम्नानुसार की गई है:—

- वाहन प्रदूषण;
- सड़क और मिट्टी की धूल;
- निर्माण और तोड़ फोड़ गतिविधियों के कारण उत्पन्न धूल;
- सूखे पत्ते/कचरे आदि को जलाना;
- प्रदूषकों का दूसरे राज्यों से आना विशेषतयः पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने के कारण;
- औद्योगिक स्रोतों/थर्मल पावर स्टेशन;

उपरोक्त अध्ययन में सुझाये गये उपायों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं समय—समय पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की जाती है।

(ङ) उपरोक्त दिए गए (क) के उत्तर के अनुसार।

(च) से (छ) माननीय एनजीटी के आदेश/निर्णयः ओ.ए. सं. 21/2014 में वायु प्रदूषण संबंधी एनजीटी के आदेशों/निर्णयों का दिल्ली के मुख्य सचिव के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के जरिए संबद्ध विभागों

से अनुपालन कराया जा रहा है।

इसके तहत पत्तियों, कूड़ा या प्लास्टिक आदि जलाने के दोषी पाए जाने पर इसके लिए 5000/– रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त आदेश के तहत धूल से होने वाले प्रदूषण का दोषी पाये जाने पर 50,000–5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इन प्रावधानों को विभिन्न विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।

(ज) इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(झ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ञ) उपरोक्त दिए गए (क) के उत्तर के अनुसार।

54. श्री एस.के. बग्गा : क्या **खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने लोगों को राशन कार्ड बना कर दिए है;

(ख) दिल्ली में वर्ष 2016–17 व 2017–18 में कितने राशन कार्ड रद्द किए गए हैं;

(ग) राशन कार्ड रद्द करने की क्या प्रक्रिया है;

(घ) राशन कार्ड रद्द करने के पहले क्या कार्डधारी को इसकी सूचना दी जाती है;

(ङ) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में कितने लोगों के राशन कार्ड रद्द होने के बाद पुनः बनाए गए हैं;

(च) क्या राशन की दुकानों पर आटा बेचने की अनुमति है; और

(छ) राशन की नई दुकान खोलने के लिए कितना समय लगता है तथा इसके लिए किन दस्तावेजों का जमा किए जाना अनिवार्य है?

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली में वर्तमान में कुल 19,42,289 राशन कार्ड बनाये गये हैं।

(ख) दिल्ली में वर्ष 2016–17 में 6716 कार्ड तथा वर्ष 2016–17 में 6718 कार्ड तथा वर्ष 2017–18 में 3494 राशन कार्ड रद्द किये गये हैं।

(ग) समय–समय पर लाभार्थियों का विभाग द्वारा बनाये गये दिशा–निर्देश के अनुसार सत्यापन किया जाता है तथा अयोग्य पाये जाने पर उनको नोटिस जारी किया जाता है। असंतोषजनक जवाब पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 2016–17 में (1751) कार्ड तथा वर्ष 2017–18 में (शून्य) राशन कार्ड रद्द होने के बाद पुनः बनाये गये।

(च) जी, नहीं।

(छ) राशन की नई दुकान खोलने के लिये 66 दिन का समय नियत है तथा इसके लिये जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्नक "अ" के अनुसार संलग्न है।

संलग्नक "अ"

उचित दर दुकान के आवेदन के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेज की सूची

(i) पहचान का सबूत।

(ii) यदि निवास प्रमाण में आवासीय पते का उल्लेख नहीं किया गया है तो निवास का सबूत।

(iii) शैक्षिक योग्यता का सबूत।

(iv) प्रस्तावित परिसर के कानूनी कब्जे का प्रूफ।

(v) पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की प्रति।

(vi) यदि आवेदन किसी भी आरक्षित श्रेणी दस्तावेज के तहत जमा किया जा रहा है तो उससे सम्बंधित दस्तावेज़।

(vii) आवेदक के ईआईडी युक्त आधार कार्ड या आधार नामांकन पर्ची की प्रति।

(viii) स्वयं घोषणा की आवेदन ने नियम और शर्तें पढ़ी हैं और एफपीएस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ix) आयु प्रमाण।

(x) आवेदक की फोटो।

(xi) आवेदक द्वारा सभी दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए।

55. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी में किस श्रेणी में कितने राशन कार्डधारक हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) राशन की दुकान न खुलने की शिकायत मिलने पर विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है;

(ग) अब तक की गई ऐसी कार्रवाइयों को पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ लोग जनकपुरी में राशन की दुकानें ठेके पर लेकर चला रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन दुकानदारों का ब्यौरा दें;

(च) क्या एक परिवार के दो सदस्य एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग–अलग राशन की दुकानें चला सकते हैं; और

(छ) जनकपुरी में कितने दुकानदारों के पास एक से ज्यादा राशन की दुकानें हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में श्रेणी–वार राशन कार्डधारकों का विवरण निम्न है:–

कार्डों की श्रेणी	कार्डधारकों की संख्या
एएवाई	271
पीआरएस	789
पीआर	23022
कुल	24082

(ख) शिकायत प्राप्त होने पर, दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन) कन्ट्रोल आर्डर 1981 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) विभाग द्वारा 01.01.2018 से जनकपुरी में कुल 06 दुकानों को कारण बताओं नोटिस दिया गया। 02 पर जुर्माना लगाया गया और 04 पर कार्रवाई जारी है।

(घ) इस प्रकार की कोई सूचना विभाग के संज्ञान में नहीं है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) जी, हां।

(छ) इस प्रकार की कोई राशन दुकान जनकपुरी में नहीं है।

56. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा सरकारी राशन की दुकानों पर राशन बाटने के लिए मशीन लगाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में भी ये सभी मशीनें कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;

(घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में राशन कार्डधारकों की और उनके राशन देने के लिए चल रही राशन की दुकानों की संख्या क्या है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि राशन कार्डधारकों की संख्या के अनुपात में दुकानों की संख्या बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो सरकार राशन कार्डधारकों के अनुपात में राशन की दुकानें खोलने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली सरकार के आदेश के अनुपालन में मशीनों से राशन वितरण के कार्य को दिनांक 25.04.2018 से अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।

(घ) वर्तमान में रिठाला विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्डधारकों की कुल संख्या 36,529 है जिन्हें 30 राशन की दुकानों द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं।

57. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति की नई दुकानों का आबंटन होना है;

(ख) यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) फर्जी और अनाधिकृत उपभोक्ताओं की पहचान के लिए बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में राशन उपभोक्ताओं के सत्यापन की क्या योजना है?

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) जी, नहीं। बिजवासन मंडल कार्यालय में खाद्य आपूर्ति की कोई नई दुकान का आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत फर्जी और अनाधिकृत उपभोक्ताओं की पहचान करके उनका कार्ड निरस्त करना एक सतत् प्रक्रिया है।

58. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने झुग्गीवासियों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) झुग्गी क्षेत्रों में राशन की कितनी दुकानें हैं;

(घ) कितने झुग्गीवासियों के राशन कार्ड बनाए गए हैं; और

(ङ) कितने झुग्गीवासियों के राशन कार्ड रद्द किए गए हैं?

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली सरकार 72,77,995 लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राशन उपलब्ध करा रही है जिसमें झुग्गीवासी भी शामिल है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) इस प्रकार का श्रेणी–वार रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(घ) अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

59. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित राशन की दुकानों से मशीनों के माध्यम से राशन सामग्री देना बंद कर दिया है;

(ख) गरीब जनता के साथ दुव्यवहार करने वाले राशन दुकानदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई कर रही है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में है कि अधिकतर राशन दुकानदार अपनी दुकान के साथ अनाज की चक्की खोलकर राशन प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले गेहूं का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार इन राशन दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है;

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में है कि राशन दुकानदारों के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों से शिकायत करने पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती;

(च) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या उचित कदम उठा रही है?

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत मिलने पर विभागीय जांच के उपरांत दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन) कंट्रोल आर्डर 1981 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना विभाग के संज्ञान में नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ङ) विधायक कार्यालय राजौरी गार्डन से उचित दर दुकान संख्या 1473 व 1977 के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसपर जांच के पश्चात् दोनों दुकानदारों को दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन) कंट्रोल आर्डर 1981 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है।

(च) उपरोक्तानुसार।

60. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा में प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने राशन कार्डधारक हैं;

(ख) दिल्ली छावनी में नए राशन कार्ड बनवाने हेतु कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया है;

(ग) ये राशन कार्ड कब तक बना दिए जाएंगे;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के 5 सर्किलों पर सिर्फ एक ही एफएसओ कार्य कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अन्य एफएसओ की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी;

(च) क्या दिल्ली छावनी विधानसभा की झुग्गियों में राशन वितरण हेतु वाहन का कोई प्रावधान किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो वाहन का प्रबंध कब तक कर दिया जाएगा?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के श्रेणी–वार राशन कार्डधारकों का विवरण निम्न है:–

कार्डों की श्रेणी	कार्डधारकों की संख्या
एएवाई	588
पीआरएस	573
पीआर	11757
कुल	12918

(ख) दिल्ली छावनी में नये राशन कार्ड बनवाने हेतु 12918 आवेदनों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ग) मण्डल कार्यालय में कुल 35 आवेदन ही ऐसे हैं जिसमें अभी तक स्वीकृति दी जा चुकी है।

(घ) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यरत एफएसओ के पास तीन अन्य मण्डल का प्रभार है।

(ङ) सेवा विभाग द्वारा एफएसओ नियुक्ति होने पर संबंधित मण्डल कार्यालयों में एफएसओ नियुक्त कर दिये जायेंगे।

(च) मोबाइल वैन का प्रावधान उन क्षेत्रों के लिये किया जाता है जहां नियमित लाइसेंस नहीं दिये जा सकते या दुकानें आर्थिक रूप से चलानी संभव नहीं होती। इस क्षेत्र में 12,918 कार्डधारी हैं जिन्हें 12 उचित दर दुकानों द्वारा राशन दिया जा रहा है जोकि पर्याप्त है।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

61. श्री नितिन त्यागी : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कन्जूमर फोरमों में प्रत्येक में दिनांक 01.04.2015 और 31.03.2018 के बीच कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) जिन मामलों को वापस ले लिया गया, पारस्परिक निपटारा कर लिया गया, निरस्त कर दिया गया या जो दोषपूर्ण थे, उनके अतिरिक्त कितने ऐसे मामले थे जिनका निपटारा गुण–दोष के आधार पर किया गया;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक कन्जूमर फोरम को चलाने के लिए मासिक रूप से कुल कितनी राशि, दिए जाने वाली वेतन राशि सहित, खर्च की जाती है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली के कन्जूमर फोरमों में प्रत्येक में दिनांक 01.04.2015 और 31.03.2018 के बीच कुल 18,199 मामले दर्ज किये गये। विवरण संलग्नक "अ" के अनुसार, संलग्न है;

(ख) संलग्नक "अ" के अनुसार संलग्न है; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक कन्जूमर फोरम को चलाने के लिए राशि मासिक आधार पर न देकर उनकी साल की संभावित खर्चे के अनुसार मांग के आधार पर दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान कन्जूमर फोरम व स्टेट कमीशन को चलाने के लिए दी गई राशि व खर्च की गई राशि का वर्ष–वार विवरण संलग्नक "ब" के अनुसार संलग्न है।

संलग्नक "अ"

क्र. सं.	उपभोक्ता फोरम	मामले दर्ज हुए	वापस लिया गया	पारस्परिक निपटारा किया गया	निरस्त किया गया या जो दोषपूर्ण थे	मामले जिनका निपटारा हुआ गुण दोष के आधार पर हुआ
1.	उत्तर	960	186	265	128	650
2.	दक्षिण–1	1232	150	422	707	866
3.	पश्चिम	2406	130	500	877	330
4.	उत्तर–पूर्व	1171	63	234	357	192
5.	उत्तर–पश्चिम	2853	375	994	758	1192
6.	नई दिल्ली	2352	194	1105	932	956
7.	दक्षिण–पश्चिम	1980	128	418	675	723
8.	मध्य	1359	71	278	178	743
9.	पूर्व	2370	183	512	630	970
10.	दक्षिण–2	1516	128	510	766	1021
	कुल	18199	1608	5238	6008	7643

संलग्नक 'ब'

Budget alloted and Expenditure during 2015-16 to 2017-18 by District Forum and State Commission

	Total 2015-16		Total 2016-17		Total 2017-18	
	Budget Alloted	Expenditure	Budget Alloted	Expenditure	Budget Alloted	Expenditure
State Commission	14563	14357	17375	17144	19970	19776
DF-I North	4410	4308	6360	6335	5440	5402
DF-II South-I	4200	4121	4060	3941	4620	4432
DF-III West	5475	5273	5345	5278	5732	5718
DF-IV North East	5410	5384	6240	6190	5009	4861
OF-V North West	4195	4076	6670	6541	6890	6870
DF-VI (New Delhi)	8455	7086	8070	7051	7120	6887
DF-VII (South West)	5155	5103	5320	5247	5643	5628
DF-VIII (Central)	5290	4044	8095	8055	6450	6256
DF-IX (East)	7050	6646	6120	5451	6021	5925
DF-X (South-II)	5575	4819	4970	4813	5884	5844

62. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी के कितने राशन कार्ड बने हैं;

(ख) बीपीएल के कितने राशन कार्ड है, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार की नए राशन कार्ड बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो नए राशन कार्ड कब तक बनने शुरू हो जाएंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र के श्रेणी–वार कार्डधारकों का विवरण निम्न है:–

कार्डों की श्रेणी	कार्डधारकों की संख्या
एएवाई	1066
पीआरएस	6016
पीआर	26483
कुल	33535

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बीपीएल कार्ड बनाने का प्रावधान नहीं है;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है; और

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

63. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये राशन कार्ड कब से बनने शुरू होंगे;

(ख) क्या राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने का काम जारी है; और

(ग) कितनी नई उचित दर दुकानें खोली जा रही हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है;

(ख) राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने का कार्य सतत् रूप से चल रहा है; और

(ग) विभाग में 17 नई उचित दर दुकानें खाले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

64. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **माननीय सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में मार्केट एसोसिएशन/एनजीओ के चुनाव कब करवाये जाते हैं;

(ख) इसके प्रावधान क्या हैं;

(ग) वे कौन–2 मानदंड हैं जिसकी पात्रता के तहत उपरोक्त एसोसिएशन को चुनाव के लिए योग्य माना जाता है, पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करायें; और

(घ) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा तक ऐसी कितनी संस्थाओं/एनजीओ को मान्यता दी गई है एवं कितनी संस्थाओं/एनजीओ पर विचार नहीं किया गया है; पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें?

सहकारिता मंत्री : (क) राजस्व विभाग के जिलाधिकारी कार्यालय केवल एसोसिएशन/एनजीओ को पंजीकरण करते हैं।

(ख) और (घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

65. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा के अंतर्गत तीन पुलों; जनक सेतू, पंखा रोड फ्लाईओवर तथा नारायणा फ्लाईओवर के नीचे सौन्दीर्यकरण करवाने का कार्य किस स्तर पर चल रहा हैं; और

(ख) उक्त पुलों के नीचे सौन्दर्यकरण का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्री : (क) दिल्ली छावनी विधानसभा के अंतर्गत तीन पुलों; पंखा रोड फ्लाईओवर तथा नारायणा फ्लाईओवर के नीचे सौन्दीर्यकरण का कार्य लोक निर्माण के अधीन नहीं है;

जनक सेतू फ्लाईओवर के नीचे एम.सी.डी. द्वारा दुकानें बनाई गई हैं और पुल के नीचे का भाग एम.सी.डी. के अंतर्गत आता है।

पंखा रोड फ्लाईओवर के नीचे लोक निर्माण विभाग व एम.सी.डी. के कार्यालय बने हुए हैं अतः इसके नीचे सौन्दर्यकरण हेतु केवल उद्यान द्वारा कुछ कार्य किया जाना संभव है जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं; और

(ख) पंखा रोड फ्लाईओवर के सौन्दर्यकरण का कार्य 31.08.2018 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

66. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी के शिव नगर सोम बाजार रोड पर एनसीडी के एमसी प्राइमरी स्कूल की जमीन की क्या माप है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस स्कूल में पार्क या खेलने का मैदान रहा है, विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) जनकपुरी में एमसीडी के पार्कों की संख्या, इनक्रोचमेंट हुए पार्कों की संख्या व कितने पार्कों पर टैण्ट वालों का कब्जा है, पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) जनकपुरी के वार्ड–15 एस और वार्ड–16 एस में कितने एमसीडी के दिव्यांग बूथ हैं तथा इनमें से कितने वैध और कितने अवैध हैं, पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) जनकपुरी में वार्ड 18–एस में कितने गन्ने के कोल्हू, कितनी गन्ने के रस की दुकानें हैं और कितनी सड़क पर अवैध दुकानें हैं;

(च) इन्हें हटाने के लिए एमसीडी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(छ) अब तक एमसीडी द्वारा किस स्थान से कितनी दुकानें हटाई गईं, इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ज) जनकपुरी में सी4ई मार्केट बेकरी शॉप, शिव नगर डीडीए मार्किट कवर्ड बरांडा, सी1, ए2ए जनकपुरी में बस शेल्टर पर बने कमरे, डी–24 तथा चाणक्या प्लेस–1 के पास पार्क हो रहे अवैध निर्माण का पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** जनकपुरी के शिव नगर की भूमि का माप लगभग 650 गज है जिसमें 5वीं तक का विद्यालय चल रहा है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : वर्तमान में विद्यालय परिसर में बच्चों के खेलने हेतु छोटी खुली जगह उपलब्ध है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : जनकपुरी में एमसीडी के पार्कों की संख्या–250 है। जनकपुरी के किसी भी पार्क में अतिक्रमण नहीं है। जनकपुरी के किसी भी पार्क में टैण्ट वालों का कब्जा नहीं है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : जनकपुरी के वार्ड 15–एस. में 11 और 16–एस. में 6 वैध दिव्यांग बूथ है। अवैध बूथों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : जनकपुरी के वार्ड 18–एस में 8 गन्ने के कोल्हू हैं। जो गन्ने के रस की बिक्री कर रहे थे। इनको विभाग द्वारा सीजड किया गया था। सड़क पर 6 खाने–पीने की अवैध दुकानें भी है। इनके खिलाफ विभाग द्वारा चालान किया गया है।

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : जन स्वास्थ्य विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय–समय पर रैड की जाती है। रेड के दौरान अखाद्य भोज्य पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है तथा खाद्य–पदार्थों की बिक्री में प्रयुक्त सामान जब्त किया जाता है।

(छ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : 'च' के अनुसार

(ज) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : जैसे ही भवन विभाग के समक्ष कोई अवैध निर्माण से संबंधित मामला संज्ञान में आता है तो डीएमसी ऐक्ट

के अनुसार तुरंत कार्यवाही की जाती है और इस क्षेत्र में अवैध निर्माण/अनाधिकृत क्षेत्र से संबंधित सर्वे करेंगे तथा उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। तत्काल में C4E बेकरी शॉप के आस–पास अतिक्रमण मैनटेनस विभाग द्वारा 02.05.2018 को कार्यवाही कर दी गई।

67. **श्री राजेश ऋषि** : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में किए गए ऐसे सभी सिविल कार्यों जैसे सड़कें, पार्क, बैकलेन्स, टॉयलेट आदि की सूची उपलब्ध कराएं, जिनका वर्कऑर्डर 1 जनवरी, 2017 तथा 30 मई, 2018 के बीच हुआ हो;

(ख) उक्त कार्यों के वर्कऑर्डर की प्रति उपलब्ध कराएं;

(ग) उक्त सभी कार्यों में किस निधि का प्रयोग किया गया है;

(घ) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के तीनों वार्डों में सेनीटेशन स्टाफ व सेनीटेशन इंस्पेक्टरों की सूची उपलब्ध कराएं जिसमें उनका पदनाम, उनके फोन नंबर तथा उन्हें आबंटित बीट का विवरण हो;

(ङ) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के तीनों वार्डों में हॉर्टीकल्चर विभाग के संपूर्ण स्टाफ, माली आदि की सूची उपलब्ध कराएं, जिसमें उनका पदनाम, उनके फोन नंबर तथा उन्हें आबंटित बीट का विवरण हो;

(च) एशियाड गांव स्थित एसडीएमसी पार्क में विवाह समारोहों को रोके जाने के निर्णय संबंधी सभी फाई नोटिंग/पत्राचार उपलब्ध कराएं;

(छ) ग्रेटर कैलाश के विधायक द्वारा 1 जनवरी 2017 से 20 मई, 2018 के बीच जितने एस्टीमेट के लिए अनुरोध किया गया है उनकी संपूर्ण सूची उपलब्ध कराएं, जिसमें एसडीएमसी द्वारा एस्टीमेंट का अनुरोध प्राप्त किए जाने की तिथि तथा क्षेत्रीय विधायक को वे एस्टीमेट प्रदान किए जाने की तिथि का विवरण हो;

(ज) एसडीएमसी द्वारा एस्टीमेट प्रदान करने में विलंब का कारण प्रत्येक मामले में अलग–अलग बताएं व इस विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम भी बताएं;

(झ) उन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं जिन पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि खिड़की एक्सटेंशन में दुकानें और रेस्टोरेंट रात में समय पर बंद हों;

(ञ) उक्त अधिकारियों द्वारा विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों की संख्या व तत्संबंधी निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध कराएं;

(ट) उन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं जिनपर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि खिड़की एक्सटेंशन में दुकानों और रेस्टोरेंटों द्वारा अतिक्रमण न किया जाए;

(ठ) उक्त अधिकारियों द्वारा विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों की संख्या व तत्संबंधी निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध कराएं;

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– एस.डी.एम.सी. द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में किये गये ऐसे सभी सिविल कार्यों जैसे सड़कें, पार्क, बैकलेंस, टॉयलेट आदि कार्यों जिनका वर्क ऑर्डर 01 जनवरी, 2017

तथा 20 मई 2018 के बीच हुआ था उन सभी कार्यों की सूची 'क' पर संलग्न है।*

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– उपरोक्त कार्यों के वर्कऑर्डर की सूची 'ख' पर संलग्न है।*

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– उपरोक्त कार्यों की सूची जो कि 'क' पर संलग्न है में प्रत्येक कार्य की निधि का भी उल्लेख किया गया है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसारः– सेनीटेशन स्टाफ व सेनीटेशन इंस्पेक्टरों की सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।*

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के तीनों वार्डों में हॉटीकल्चर विभाग के संपूर्ण स्टाफ, माली आदि की सूची अनुलग्नक 'ङ' पर संलग्न है।

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– एशियाड गांव स्थित एक एसडीएमसी पार्क में विवाह समारोहों को रोके जाने के निर्णय संबंधी सभी फाइल नोटिंग/पत्राचार की सूची अनुलग्नक 'ङ' पर संलग्न है।*

(छ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– माननीय विधायक ग्रेटर कैलाश विधान सभा द्वारा 1 जनवरी,

---

*सभी संलग्नक www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

2017 से 20 मई, 2018 के बीच में जितने भी एस्टीमेट बनाने का मौखिक अनुरोध किया गया उनकी सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः— ग्रेटर कैलाश के विधायक द्वारा 1 जनवरी, 2017 से 20 मई, 2018 के बीच में जितने भी एस्टीमेट का अनुरोध किया गया है उसकी सम्पूर्ण सूची अनुलग्नक 'ङ' पर संलग्न है।*

(ज) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः— दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा एस्टीमेंट समय अनुसार प्रदान कर दिये गये।

(झ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ञ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्तानुसार।

(ट) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसारः— दिनांक 09.11.2017, 12.02.2018, 23.03.2018 व 09.05.2018 को खिड़की एक्सटेंशन में सामान्य शाखा द्वारा पुलिस के साथ में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ठ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसारः— जन स्वास्थ्य विभाग से इस क्षेत्र में 02.02.2018 से श्री के.के. शर्मा, ए.पी.एच.आई. कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उन्होंने 36 चालान किये। वे इस क्षेत्र का समय—समय पर निरीक्षण करते हैं।

---

*सभी संलग्नक www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

68. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अशोक बिंदुसार (ईस्ट ऑफ कैलाश कैंप), जगदंबा कैंप, लाल गुम्मद कैंप (साधना एन्क्लेव के पीछे) तथा लाल गुम्मद (बीआरटी के समीप डीडीए ग्रीन कवर के अंदर) जेजे कैंपों में रास्ते के अधिकार के अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण, दिल्ली जल बोर्ड जैसी सेवाओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए कौन–सा विभाग उत्तरदायी है;

(ख) एतद्संबंधी प्रासंगिक आदेशों/अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराएं; और

(ग) उक्त जेजे कैंपों में अतिक्रमण हटाने के लिए 1 जनवरी, 2014 से 20 मई 2018 के बीच विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसका संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अशोक बिंदुसार (ईस्ट ऑफ कैलाश कैंप), जगदंबा कैंप, लाल गुम्मद कैंप (साधना एन्क्लेव के पीछे) तथा लाल गुम्मद (बीआरटी के समीप डीडीए ग्रीन कवर के अंदर) जेजे कैंपों में रास्ते के अधिकार के अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण, दिल्ली जल बोर्ड जैसी सेवाओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए Land owning agency जैसे कि DUSIB और दिल्ली जल बोर्ड PWD, SDMC एवं डीडीए उत्तरदायी है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड : डीयूएसआईबी की 675 झुग्गी बस्तियों की लिस्ट के अनुसार विवरण निम्नलिखित हैः–

- अशोक बिन्दुसार कैंप निकट (चन्दर आर्य विद्या मंदिर), कोड 419

- जगदम्बा कैंप निकट (एसएफएस शेख सराय), कोड 656
- लाल गुम्बद (साधना एन्क्लेव के पीछे) कोड 423
- लाल गुम्बद (बीआरटी के समीप डीडीए ग्रीन कवर के अंदर) – लिस्ट में इस नाम की कोई जे.जे. बस्ती नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय विधायक जे.जे. बस्ती श्री राममन दास मालवीय नगर कार्नर मार्कट, कोड 424 का उल्लेख कर रहे हैं।

उपरोक्त सभी जे.जे. बस्तियों का भूमि मालिकाना विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण है।

जे.जे. बस्तियों में रास्ते के अधिकार के अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व सड़क की चौड़ाई के अनुसार उसके रख–रखाव करने वाले विभाग यानि सम्बन्धित दिल्ली नगर निगम अथवा लोक निर्माण विभाग का है।

सार्वजनिक स्थलों एवं दिल्ली जल बोर्ड जैसी सेवाओं पर अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व भूमि मालिकाना विभाग (डीडीए) एवं वैधानिक क्षेत्र अधिकार अनुसार भवन निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने वाले विभाग जो कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है।

दिल्ली जल बोर्डः– प्रश्न उल्लेखित स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड की सम्पत्ति पर अतिक्रमण हटाने हेतु दिल्ली जल बोर्ड का संबंधित एस्टेट मैनेजर (Estate Manager) उत्तरदायी है।

दिल्ली पुलिसः– सरकार जवाब दे। दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय–समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2014,

2015, 2016, 2017 एवं 2018 (20.05.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अधिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।*

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड : डीयूएसआईबी का दायित्व जे. जे. बस्ती ने मूल–भूत सुविधायें प्रदान करने का है। अतिक्रमण हटाने/रोकने का उत्तरदायित्व भूमि मालिकाना विभाग का है। आदेशों/अधिसूचनाओं की प्रतियां डीयूएसआईबी में उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड : संबंधी कार्यालय आदेशों की प्रतिलिप संलग्न है।*

दिल्ली पुलिस : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड : अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व भूमि मालिकाना विभाग (डीडीए) का है तथापि डीयूएसआईबी द्वारा संदर्भित जे.जे. बस्तियों में से दो बस्तियों में कार्यहित में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित हैः–

- जगदंबा कैंप–जे.जे. बस्तियों में नालियों की सफाई का कार्य सम्बन्धित नगर निगम के अधीन है। माननीय विधायक के अनुरोध पर केवल इस विशेष मामले में, इस बस्ती में नाले के पुर्ननिर्माण का कार्य डीयूएसआईबी द्वारा, माननीय विधायक द्वारा लिखित

---

*सभी संलग्नक www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

आश्वासन कि झुग्गीवासी नाले के उपर का अतिक्रमण स्वयं हटायेंगे, अक्टूबर, 2016 में शुरू किया गया। 20 प्रतिशत प्रगति के बाद झुग्गी वासियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने के कारण कार्य बाधित है। माननीय विधायक के आदेशानुसार डीयूएसआईबी द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रोग्राम 7 बार दिनांक 23.06.2017, 04.09.2017, 14.09.2017, 03.10.2017, 11.12.2017, 23.04.2018 एवं 28.05.2018 को तय किया गया, जो कि बाहरी पुलिस बल न मिलने के कारण कार्यान्वित नहीं हो पाया।

- **अशोक बिन्दुसार कैंप** : डीयूएसआईबी द्वारा विकसित शिशुवाटिका में नजदीकी झुग्गी वासियों द्वारा अपशिष्ट सामान रख देने के कारण अस्थायी अतिक्रमण को पुलिस बल की सहायता से दिनांक 25.05.2018 को हटाया गया।
- अन्य विभाग जैसे डीडीए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का विवरण डीयूएसआईबी के पास उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड : उल्लेखित स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड की किसी भी सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं है।

दिल्ली पुलिस : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

69. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 के दौरान संस्तुत कार्यों की सूची व उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी सहित उपलब्ध कराएं;

(ख) उक्त कार्यों में से जितने भी कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी कंप्लीशन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं;

(ग) विधानसभा क्षेत्र एसी50 में एमएलए लैड फंड का प्रयोग करते हुए बीएसईएस राजधानी पावर लि. ने जहां–जहां एलईडी लाइटें/पौल लगाए हैं, उन सभी स्थानों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं;

(घ) क्या यह सत्य है कि स्थानीय विधायक द्वारा तीन परियोजनाओं की संस्तुति की गई थी जिनकी स्वीकृति डीयूडीए द्वारा दिनांक 10.12.2015, 10.12.2015 तथा 7.1.2016 को क्रमशः 17,74,673/– रुपए 18,01,958/– व 7,31,221/– रुपए की राशि के लिए प्रदान कर दी गई थी;

(ङ) यदि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हनीं हुए हैं तो इस विलंब के लिए स्पष्ट कारण, तथा इस विलंब के लिए उत्तरदायी बीएसईएस राजधानी पावर लि. के अधिकारियों के नाम बताएं; और

(च) कार्य में हुए इस विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : वर्ष 2015–16 में शहरी विकास विभाग द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल रुपये 16.00 लाख दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को MLALAD Scheme के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य के लिए स्वीकृति की गई है "Imprerement springthening of the road from H. No. 1 to 18, 57 to 49, 70 to 95, 301 to 316 & 207 to 180, om Sant Nagar in ward No. 192 Central Zone" वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में शहरी विकास विभाग द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई भी राशि जारी नहीं की गई। डूडा के बनने

के बाद MLALAD Scheme के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति डूडा (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार) द्वारा ही जा रही थी।

बीएसईएस : The reply for part 'क' are as per "ANNEXURE-1"*

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 के दौरान संस्तुत 19 कार्यों की सूची व उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

इन कार्यों में से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 18 कार्य पूर्ण कर लिए हैं तथा कार्य को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि उस कार्य को परियोजना विभाग द्वारा एम–ब्लॉक मार्किट की स्कीम में शामिल कर लिया गया था।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– ग्रेटर कैलाश विधान सभा को विधायक द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 के दौरान संस्तुत कार्यों की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।*

(ख) **बीएसईएस** : The reply for part 'ख' are as per "ANNEXURE-1"

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय विधायक द्वारा संस्तुत 119 कार्यों में से 18 कार्य

---

*सभी संलग्नक www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

पूर्ण हो चुके हैं और माननीय विधायक द्वारा जारी की गई 18 कार्यों की कंप्लीशन रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– जितने भी कार्य पूरे हो चुके हैं उनके कंप्लीशन की रिपोर्ट संलग्न है।*

(ग) **बीएसईएस** :

1. In electrical division Saket 120 nos. LED under scheme No. MH15SL1185 has been installed. The location wise details are giver (ANNEXURE-II). The MLA satisfaction letter is also enclosed (ANNEXURE-III).
2. In electrical division Hauz Khas 50 nos. Sodium lights under scheme No. HK14ML1057 has been installed. The location wise details are given (ANNEXURE-IV).
3. In electrical division Nehru Place 150 nos. LEDS & 50 nos. Poles under scheme No. NP15SL1053 has been installed. The location wise details are given (ANNEXURE-V).
4. In electrical division Alaknanda 43 nos. Sodium lights under scheme No. AN14ML1069 has been installed. The location wise details are given (ANNEXURE-VI).

(घ) **बीएसईएस** : The reply for part 'घ' are as per "ANNEXURE-1".

(ङ) **बीएसईएस** : The reply for part 'ङ' are as per "ANNEXURE-1".

(च) **बीएसईएस** : The reply for part 'च' are as per "ANNEXURE-1".

---

*सभी संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध है।

70. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुविधा कुंज, पीतमपुरा में डिवाईन मर्सी चर्च के पास डी.डी.ए. पार्क जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सत्य है कि डिवाईन मर्सी चर्च के सामने वाले पार्क की दीवार ऊंची करने तथा तार लगाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है, इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) क्या इसके लिए उपलब्ध किये गये फण्ड का पूर्ण विवरण और टैण्डर आमंत्रित करने की तिथि क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

71. कुमारी राखी बिड़ला : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफी समय से बहुत सारी बिल्डिंग्स बिना नक्शा पास कराये बन रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके खिलाफ छापेमारी/निरीक्षण दौरे किए गए हैं; पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदारर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जी, हां।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : छापेमारी/निरीक्षण के दौरान मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2016 से अप्रैल, 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 28 भवनों को अवैध निर्माण में डीएमसी–एक्ट के धारा 343 व 344 के तहत बुक किया गया व 14 भवनों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं।

72. श्री मदन लाल : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पुल पिलंजी के समीप नगर निगम का कूड़ादान बहुत बुरी स्थिति में है और टनों कूड़ा महीनों से नाले पर बने पुल के पास सड़क पर पड़ा हुआ है; और

(ख) क्या इस कूड़े को हटाने और इस क्षेत्र को कूड़ा मुक्त रखने की सरकार की कोई योजना है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिण दिल्ली नगर निगम** : पुल पिलंजी के पास बने कूड़ेदान को PWD के द्वारा बारापुला एलिवेटेड प्रोजेक्ट के बीच में संरेखण में आने के कारण तोड़ा गया था तथा उसी जगह नया कूड़ेदान PWD के द्वारा बनाया गया है। इस कूड़ेदान पर आस–पास के क्षेत्र का कूड़ा M/s DSSIL के द्वारा रखे गये लोहे के छह डिब्बा (1100 लीटर capacity each) के अन्दर इकट्ठा किया जाता है व उसे रोजाना दिन में दो बार। इस कूड़ेदान से प्रत्येक दिन लगभग 5 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है। यह कूड़ा Mobile Compactor Transfer Station (MCTS) द्वारा उठाया जाता है। कूड़ेदान के पास पड़े मलबे एवं सिल्ट को उठवा दिया जाता है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : क्षेत्र में स्थित कूड़ेदानों से नियमित रूप से रोजाना दिन में दो बार कूड़ा उठाया जाता है तथा पुल पिलंजी में लगभग 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के पास नगर निगम द्वारा क्षेत्र का कूड़ा इकट्ठा करने एवं उठवाने के लिए Fixed Compactor Transfer Station (FCTS) लगाया गया है जोकि पूरे दिन कार्यरत रहता है। इस Fixed Compactor Transfer Station (FCTS) द्वारा प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है।

73. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तरी तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालयों के 13,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन तथा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को एरियर जारी नहीं किया गया है।

(ख) सरकार की नगर निगमों के शिक्षकों को वेतन तथा सेवा निवृत्त अध्यापकों को एरियर देने की क्या नीति है;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा यह राशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम विद्यालयों के शिक्षकों को मार्च पेड अप्रैल का वेतन दिया जा चुका है तथा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों का एरियर पैंडिंग हैं।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : निर्धारित नीति के अनुसार पिछले मास का वेतन अगले मास की प्रथम तिथि को दिया जाये तथा सेवानिवृत्त

अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के दिन सभी लाभांश व एरियर का भुगतान कर दिया जाये परन्तु उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण समय पर वेतन तथा एरियर नहीं दिये जा पा रहे हैं।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : अप्रैल मास के वेतन का व्यय 48 करोड़ रुपए है तथा एरियर का व्यय 35 करोड़ रुपए है। कुल व्यय 83 करोड़ रुपए है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : वेतन के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए प्रतिमाह आवश्यकता होती है, एवं एरियर के लिए अब तक कुल 350 करोड़ रुपए की राशि लम्बित है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : दिल्ली सरकार Grant in Aid की दूसरी किस्त मिलने पर अप्रैल मास के वेतन की पेमैंट की जायेगी।

74. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी एमसीडी ने सफाई करने और कूड़ा उठाने के संदर्भ में नीतिगत प्रावधान और नियम क्या हैं, संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि एमसीडी के क्षेत्राधिकार में सभी कटरों, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और अनाधिकृत कॉलोनियों में कूड़ा उठाना और सफाई करवाना भी सम्मिलित है;

(ग) एमसीडी नार्थ के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या क्या है;

(घ) एमसीडी नार्थ के सिविल लाइन जोन के वार्ड मलकागंज, वार्ड तिमारपुर, वार्ड गुरू तेग बहादुर नगर और वार्ड मुखर्जी नगर में प्रत्येक इलाके में बीट और उस बीट पर लगे हुए सफाई कर्मचारी का नाम सहित क्या विवरण है;

(ङ) इन सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन की गाड़ियों, बीट वाईज सुपरवाईजर/सफाई निरीक्षक आदि के नाम व सम्पर्क विवरण क्या है;

(च) सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों में एमसीडी द्वारा बनाए गए या रखरखाव किये जा रहे ढलावों की सूची क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि नार्थ एमसीडी प्रत्येक बीट पर उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की सूचना और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की सूचना बोर्ड पर लिखकर सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो कब तक; और

(झ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी एमसीडी में सफाई करने और कूड़ा उठाने के संदर्भ में नीतिगत प्रावधान और नियम Sold Waste Management Rules 2016 तथा उत्तरी एमसीडी By laws 2017 है जिसकी कॉपियाँ अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जी, हां। निजी कटरों को छोड़कर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और लगभग 450 अनाधिकृत कॉलोनियों से कूड़ा उठाना और सफाई करवाना सम्मिलित है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी एमसीडी के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है तथा प्रत्येक वार्ड में कम से कम तीन गाड़िया कूड़ा उठाने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : कर्मचारियों के सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है तथा पूरा विवरण उत्तरी एमसीडी की वेबसाईड पर उपलब्ध है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सूची अनुलग्नक 'ङ' पर संलग्न है।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : नार्थ एमसीडी प्रत्येक बीट पर उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की सूचना पहले से ही वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की सूचना बोर्ड पर लिखकर सार्वजनिक करने पर विचार किया जा रहा है।

(ज) और (झ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त अनुसार।

75. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 के अनुपालन के संदर्भ में दिल्ली नगर निगम (उत्तरी) द्वारा किये गए प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) उक्त एक्ट के अनुपालन के संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भविष्य की कार्य योजना क्या है;

(ग) विभाग द्वारा स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 के अनुपालन में क्या—क्या कदम उठाए जाने वांछित हैं;

(घ) स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अनुपालन में बनने वाली टाउन वैंडिंग कमेटी के निर्माण की दिशा में प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(ङ) स्ट्रीट वैंडर एक्ट 2014 के अनुपालन में सभी स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वे की दिशा में प्रगति की क्या स्थिति है;

(च) एमसीडी नार्थ के सिविल लाइन जोन के वार्ड मलकागंज, वार्ड तिमारपुर, वार्ड गुरू तेग बहादुर नगर और वार्ड मुखर्जी नगर में जिस किसी भी प्रकार के तहबाजारी लाईसेंस दिए गए हैं उनकी नाम और आकार सहित पूरी सूची क्या है; और

(छ) एमसीडी नार्थ में वर्तमान में तयबाजारी किस नीति और किन नियमों के अंतर्गत संचालन सम्बन्धी सभी दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 के अनुपालन के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10.01.2018 को नियम जारी किए गए हैं तथा नियम अनुसार टाउन वैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया के अनुसार स्ट्रीट वैंडर्स की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 के अनुसार टाउन वैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट के अनुपालन में टाऊन वैंडिंग कमेटी बनाने हेतु स्ट्रीट वैंडर्स द्वारा टाऊन वैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराया जाना है जिसकी प्रक्रिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 के अनुपालन में नियम 20 के तहत विवाद समाधान कमेटी का गठन होना है। नियम 38 के तहत पटरी विक्रेता स्कीम बनाने का प्रावधान है जो कि नगर विक्रय कमेटी के गठन के बाद ही सम्भव है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : टाऊन वैंडिंग कमेटी के गठन के संबंध में मामला शहरी स्थानीय निकायों के पास लंबित है। उन्होंने कमेटी के 12 सदस्यों का चुनाव कराना है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : टाऊन वैंडिंग कमेटी के गठन के उपरांत सभी स्ट्रीट वैंडर्स का सर्व टाऊन वैंडिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : स्ट्रीट वैंडर्स के सर्वे में अभी कोई प्रगति नहीं है क्योंकि वह सर्वे टाउन वैंडिंग कमेटी द्वारा किया जाना है जिसका की अभी गठन होना है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाइन उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना अनुलंग्नक 'क' संलग्न है।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी स्ट्रीट वैंडर्स स्कीम 2007 अनुलंग्नक 'ख' संलग्न है।

नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) : यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है।

76. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमसीडी नार्थ के सिविल लाइन जोन के चार वार्ड मलकागंज, वार्ड तिमारपुर, वार्ड गुरू तेग बहादुर नगर और वार्ड मुखर्जी नगर में एमसीडी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी होर्डिंग्स की सूची आकार और उनसे मिलने वाले राजस्व का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम में होर्डिंग्स लगाने व्यावसायिक विज्ञापन करने के संदर्भ में नीतिगत प्रावधान व नियमों से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं एवं पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम की नयी विज्ञापन नीति के अनुसार नियम के छः क्षेत्रों को 15 क्लस्टरों में बांटा गया है। सम्बन्धित एरिया सिविल लाइन जोन के आबंटित 2 क्लस्टरों के अंतर्गत आता है, जिससे की क्रमशः 25.50 लाख एवं 34.50 लाख का राजस्व प्रतिमाह प्राप्त होता है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम में होर्डिंग्स लगाने, व्यावसायिक विज्ञापन लगाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

अनुमोदित प्रावधानों व नियमों का पालन किया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।[1]

77. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी किस विभाग के किस अधिकारी व कर्मचारी की है;

(ख) विगत दो वर्षों में नार्थ एम.सी.डी. में कितने मकानों के बिल्डिंग प्लान स्वीकृत किए गए, पते सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में कितने बिल्डिंग के लिए सेक्सन प्लान व कम्प्लीशन सर्टीफिकेट दिया गया, पते सहित पूर्ण विवरण, सी.सी. की कॉपी सहित उपलब्ध करें;

(घ) बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के बिल्डिंग निर्माण होने पर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जब भी किसी अवैध निर्माण की सूचना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान प्राप्त होती है या इस संबंध में कोई शिकायत पत्र प्राप्त होता है तो क्षेत्रीय भवन विभाग के संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध डी.एम. सी. एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

---

[1]संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी क्षेत्रीय भवन से संबंधित अधिकारियों की होती है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विगत दो वर्षों में नॉर्थ एमसीडी में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत किए गए नक्शों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।[1]*

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विगत दो वर्षों में नॉर्थ एमसीडी में बिल्डिंग प्लान व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट स्वीकृत किए गए नक्शों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।[1]*

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के बिल्डिंग निर्माण होने पर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उन पर दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : पिछले दो वर्षों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा अवैध निर्माण संबंधित शिकायतों की जांच के उपरांत 59 दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुध 21 आर.डी.ए. केस रजिस्ट्रड किये गये हैं। वर्षानुसार विवरण अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।[2]*

78. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल विधानसभा क्षेत्र एसी–18 में दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए व रक्षा क्षेत्र से की कौन–सी भूमि कहां–कहां स्थित है; पूर्ण विवरण प्रदान करें;

[1 व 2]*सभी संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) उपरोक्त सभी विभागों की जमीनों पर मास्टर प्लान के अनुसार क्या उपयोग सुनिश्चित किया गया है, मास्टर प्लान की कॉपी भी प्रदान करें;

(ग) इस विधानसभा क्षेत्र में डीडीए, एमसीडी, दिल्ली सरकार तथा अन्य केन्द्रीय एजेंसियों की कितनी ग्रीन लैंड सुनिश्चित है; और

(घ) इस विधानसभा क्षेत्र में कितनी जमीन 'जोहड़' के रूप में निर्धारित है, पूर्ण विवरण क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

79. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के महेन्द्रू एंकलेव के विकास हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) महेन्द्रू एंकलेव में विधायक निधि से क्या-क्या कार्य कराए जा सकते हैं;

(ग) क्या महेन्द्रू एंकलेव में बिल्डिंग निर्माण के लिए एमसीडी से नक्शा पास किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो वहां हो रहे अवैध निर्माण के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) महेन्द्रू एंकलेव में सड़कों की मरम्मत की सरकार की क्या योजना है; विस्तृत विवरण दें; और

(च) क्या सरकार उसके विकास के लिए विचायक निधि लगाने की अनुमति दे सकती है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के महेन्द्रू एंकलेव के विकास की कोई योजना नहीं है।

अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) : महेन्द्रू एंकलेव परन्तु एक संभ्रांत कॉलोनी है। भारत के राजपत्र दिनांक 24.03.2008 के खंड 36 के अनुसार सभी विनियम सार्वजनिक और निजी भूमि का संभ्रांत वर्गों द्वारा बसाई गई बस्तियों/अनाधिकृत कॉलोनी पर लागू नहीं होता है। अतः एवं वर्तमान में महेन्द्रू एंकलेव की सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा महेन्द्रू एंकलेव में विधायक निधि से कोई कार्य नहीं किया गया है।

इस संबंध में सूचना शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार से वांच्छित है।

शहरी विकास (एमएलएलैड) : विधायक निधि से कार्य, मौजूदा एमएलएलैड दिशा–निर्देशों के अनुसार कराये जा सकते हैं।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : महेन्द्रू एंकलेव एक अनाधिकृत कॉलोनी है तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस कॉलोनी का नक्शा पास नहीं किया गया है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : महेन्द्रू एंकलेव क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है। विगत तीन वर्षों में उपरोक्त

क्षेत्र में अवैध निर्माण हेतु किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। क्षेत्र में अवैध निर्माण पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता जिम्मेदार है।

(ङ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास)** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(च) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : विधायक निधि से कार्य, मौजूदा एमएलएलैड दिशा–निर्देशों के अनुसार कराये जा सकते हैं।

80. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आजादपुर टर्मिनल के पास अयोध्या टेक्सटाइल मिल की जमीन पर एम2के ने एक आवासीय हाउसिंग का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस भू–भाग का क्षेत्रफल बताते हुए, ले–आउट प्लान व सम्पूर्ण पत्राचार की कॉपी उपलब्ध करायें;

(ग) अयोध्या टेक्सटाइल मिल को वास्तव में डीडीए से मिली भूमि का एरिया, मिल बंद होने के बाद डीडीए को लौटाई जाने वाली भूमि का एरिया और मिल द्वारा एम2के को बेची गई जमीन का एरिया कितना है;

(घ) नार्थ एमसीडी ने किन मालिकाना दस्तावेजों के आधार पर कितनी जीन पर एम2के को बिल्डिंग सेंक्शन दिया, ले–आउट प्लान के साथ सम्पूर्ण सूचना दी जाए;

(ङ) क्या यह सत्य है कि एम2के ने बिल्डिंग का निर्माण पीडब्ल्यूडी की सर्विस रोड व अन्य जगह पर अवैध कब्जा कर बनाया है;

(च) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) एम2के हाउसिंग आजादपुर की समस्त ले–आउट प्लान, प्रस्तावित यूनिट, कुल निर्मित यूनिट सहित पार्क की जगह आदि की भी सूचना उपलब्ध करें?

(ज) इस अवैध निर्माण को हटाने का दायित्व किसका है; और

(झ) इस पर कब तक कार्रवाई की जायेगी?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

81. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा से 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 के एफ भवन निर्माण में क्या कोई नक्शा एमसीडी (नार्थ) से पास करवाया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इस भवन का निर्माण किसकी अनुमति से किया गया;

(ग) 9/7 शक्तिनगर दिल्ली के मकान की समस्त ले आउट प्लान की कॉपी प्रदान करें;

(घ) 9/7 शक्तिनगर दिल्ली–07 के अवैध निर्माण व भ्रष्टाचार में कौन–कौन से अधिकारी दोषी हैं; और

(ङ) क्या 9/7 शक्तिनगर दिल्ली–07 के बिल्डिंग निर्माण का कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है;

(च) यदि हां, तो उसकी समस्त कॉपी उपलब्ध करें;

(छ) बिना नक्शे व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बने हुए भवन के खिलाफ उत्तरी एमसीडी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ज) इस संबंध में अब तक की सम्पूर्ण सूचना व पत्राचार की कॉपी दी जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : रिकॉर्ड के अनुसार 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 का नक्शा भवन मुख्यालय उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा फाईल संख्या 02/एसपी/बी/एच क्यु/एनडीएमसी/ 2014 दिनांक 17.02.2014 को पास हुआ है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : बिल्डिंग प्लान स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : सितम्बर, 2017 से अब तक सम्पत्ति संख्या 9/7 शक्तिनगर दिल्ली–07 में कोई भी शिकायत जांच पड़ताल के लिएसंज्ञान में नहीं आई है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सम्पत्ति संख्या 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 के बिल्डिंग निर्माण का कोई कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। परन्तु इस सम्पत्ति संख्या के भवन को 28.10.2016 में नियमित किया गया।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'ङ' के अनुसार।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त उत्तर 'क' एवं 'ङ' के अनुसार।*

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : स्वीकृति पत्र दिनांक 17.09.2014 तथा नियमित पत्र दिनांक 28.10.2016 की प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न है।*

82. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों को प्रमुख योजना मदों में आबंटित की जाने वाली राशि शून्य कर दी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2017–18 में शहरी विकास तथा यातायात के योजना मद में 1227.42 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राशि को पूरी तरह शून्य कर दिया गया है;

(घ) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2017 के दौरान उत्तरी तथा दक्षिणी नगर निगमों को 472.56 करोड़ रुपये प्रति निगम आवंटित किये थे;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 280.30 करोड़ रुपये अबंटित किये गये थे;

(च) क्या यह सत्य है कि उत्तरी तथा दक्षिणी नगर निगमों को गत वर्ष शहरी विकास के लिए 452.56 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे;

---

*संलग्नक www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

(छ) क्या यह सत्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार द्वारा किसी भी नगर निगम को इन क्षेत्रों में कोई भी राशि आबंटित नहीं की गई है; और

(ज) उपरोक्त आबंटन न किये जाने के क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) योजना विभाग (दिल्ली सरकार): जी, नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा बजट 2018–19 में तीनों नगर निगमों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 1611.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	शिक्षा	315
2.	खेल और युवा सेवाएं	003
3.	चिकित्सा	113
4.	जन स्वास्थ्य	114
5.	पोषण	066.35
6.	नगर निगमों को वित्तीय सहायता	1000

(ख) **लेखा नियंत्रक (शहरी विकास)** : सत्य नहीं है, वित्तीय वर्ष 2017–18 को संशोधित अनुमान के अनुसार शहरी विकास तथा यातायात के योजना मद के रुपये 1100.60 करोड़ आवंटित किये गए थे।

(ग) **योजना विभाग (दिल्ली सरकार)** : जी नहीं, उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(घ) **योजना विभाग (दिल्ली सरकार)** : जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के संशोधित अनुमान के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शहरी विकास तथा यातायात के योजना मद में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को रुपये 480.60 करोड़ तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को रुपये 338 करोड़ आवंटित किये गए थे।

(ङ) **लेखा नियंत्रक (शहरी विकास)** : यह सत्य नहीं है, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के संशोधित अनुमान के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम को रुपये 282 करोड़ आबंटित किये गए थे।

(च) **लेखा नियंत्रक (शहरी विकास)** : यह सत्य नहीं है, वित्तीय वर्ष 2017–2018 (गतवर्ष) के संशोधित अनुमान के अनुसार शहरी विकास के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को रुपये 460.60 करोड़ आबंटित किये गए एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को रुपये 323 करोड़ आबंटित किये गए थे।

(छ) **योजना विभाग (दिल्ली सरकार)** : जी नहीं, उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ज) **योजना विभाग (दिल्ली सरकार)** : उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं।

83. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिये हैं कि चौथे दिल्ली वित्तीय आयोग के अनुरूप दिल्ली नगर निगमों को शीघ्रातिशीघ्र देय राशि जारी करे;

(ख) उपरोक्त राशि कब तक जारी करेगी;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा राशि जारी न किये जाने के कारण दिल्ली में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं;

(घ) उपरोक्त आदेश के अंतर्गत निगमों को कितनी राशि देय है; और

(ङ) सरकार पांचवे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को कब सदन के पटल पर रखेगी?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **नगर निकाय (शहरी विकास विभाग)** : यह आंशिक रूप से सत्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.04.2018 व 25.05.2018 के तहत केवल पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को चतुर्थ दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01.11.2017 के भुगतान संबंधी आदेश किए हैं।

(ख) **नगर निकाय (शहरी विकास विभाग)** : मामला विचाराधीन है।

(ग) **नगर निकाय (शहरी विकास विभाग)** : कोई टिप्पणी नहीं।

(घ) **नगर निकाय (शहरी विकास विभाग)** : मामला विचाराधीन है।

(ङ) **नगर निकाय (शहरी विकास विभाग)** : मामला विचाराधीन है।

84. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमएलएलैड फंड के कार्य डूडा से यूडी में कब शिफ्ट किए गए;

(ख) इसके बाद अभी तक एमएलएलैड फंड के कुल कितने प्रस्ताव लाए हैं;

(ग) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार, कितने अस्वीकार किए गए व कितने लंबित पड़े है; और

(घ) अस्वीकृत व लंबित पड़े प्रस्तावों का इनके कारणों के साथ विवरण दिया जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : एमएलएलैड फंड के कार्य DIDAs (राजस्व विभाग दिल्ली सरकार) से 13.12.2007 से शहरी विकास विभाग में शिफ्ट किए गए हैं।

(ख) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : इसके बाद 25.05.2018 तक, एमएलएलैड फंड के कुल 827 प्रस्ताव/Work estimates शहरी विकास विभाग में प्राप्त हुए हैं।

(ग) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : इसके बाद 88 Work estimates स्वीकृत किये जा चुके हैं, 66 Work estimates अस्वीकृत किये जा चुका हैं, 679 Work estimates विचाराधीन/लम्बित है।

(घ) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : अस्वीकृत व लम्बित पड़े प्रस्तावों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः–

1. Executing agencies द्वारा तैयार Work estimates, मौजूदा MLALAD GUIDELENES के अनुसार नहीं पाए गए।

2. Executing agencies द्वारा तैयार Work estimates, DSR 2014 के अनुसार प्राप्त नहीं हुए।

3. Executing agenciess द्वारा तैयार Work estimates, CPWD work manned/GFR नियमों के अनुसार प्राप्त नहीं हुए।

4. बार–बार अनुरोध करने के बाद भी डूडा ने विगत वर्षों में जारी की गई धनराशि में से शेष धनराशि का विवरण व धनराशि, शहरी विकास विभाग को वापस नहीं की इत्यादि।

85. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमएलएलैड फंड से विधान सभा क्षेत्रों में सिक्योरिटी गेट व साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं;

(ख) वर्ष 2015 से लेकर अब तक किन–किन विधानसभाओं में एमएलएलैड फंड से सिक्योरिटी गेट व साइन बोर्ड लगवाए गए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि विधायकों द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए है व अस्वीकार कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : सिक्योरिटी गेट व साइन बोर्ड लगाना मौजूदा एलएमएलैड दिशा–निर्देशों की Permissible work की लिस्ट में अंकित नहीं है।

(ख) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : वर्ष 2015–16 से अब तक शहरी विकास विभाग द्वारा किसी भी विधानसभा में एमएलएलैड फंड से सिक्योरिटी गेट व साईन बोर्ड लगाने का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : वर्ष 2015–16 से अब तक शहरी विकास विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई भी प्रस्ताव किसी भी विधानसभा क्षेत्र का स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : उपरोक्त कार्य मौजूदा एमएलएलैड दिश–निर्देशों के अंतर्गत Permissible work की लिस्ट में शामिल नहीं है।

86. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक तीनों नगर निगमों में अवैध निर्माण के चलते कितने भवन बुक किए गए, जोन वाइज वर्षानुसार पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(ख) उपरोक्त बुक की गई संपत्तियों में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया, उसका भी वर्ष–वार जोन वाइज अलग–अलग ब्यौरा दें;

(ग) एक बार बिल्डिंग डिमोलिश या सील होने के बाद दोबारा न बने, यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है;

(घ) बिल्डिंग दोबारा बनने पर संबंधित अधिकारी पर किस एक्ट में क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसी संपत्तियो, जिनका सील, डी–सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और

(ङ) ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी–सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और

(च) तीनों नगर निगमों के अंतर्गत कुल बुक की गई बिल्डिंगों की आज की स्थिति का जोन वाइज विवरण दिया जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण के चलने भवन बुक किए गए उनका जोन वाइज व वर्षानुसार पूर्व ब्यौरा अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय भवन विभागों द्वारा बुक किये गये अवैध निर्माणों की संख्या की सूची संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक अवैध निर्माण के चलते बुक किये गये भवनों का दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोनों का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	कुल
नजफगढ़	664	828	644	742	191	3069
दक्षिणी क्षेत्र	1184	1161	961	1096	326	5228
पश्चिमी क्षेत्र	1370	790	914	1047	389	4510
मध्य क्षेत्र	1503	1713	1485	1594	406	6701

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त बुक की गई सम्पत्तियों में से जितनों को गिराया गया व जितनों को सील किया गया, उसका भी वर्षानुसार व जोन वाइज अलग—अलग ब्यौरा अनुलंग्नक 'क' में दर्शाया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय भवन विभागों द्वारा तोड़े गये एवं सील किये गये अवैध निर्माणों की संख्या उपरोक्त सूची में दी गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक अवैध निर्माण को गिराया या सील किया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोनों का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	नजफगढ़		दक्षिणी क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		मध्य क्षेत्र	
	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील
2014	363	37	305	267	453	144	715	140
2015	304	73	340	250	176	184	610	160
2016	308	18	268	185	240	54	615	170
2017	204	12	299	244	250	56	679	142
2018	72	05	49	35	55	80	131	63
कुल	1331	145	1261	981	1174	456	2750	675

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : अवैध निर्माण वाली सम्पत्तियों को डी–सील करने के बाद उनका दुबारा अवैध निर्माण न हो इसके लिए सहायक अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय थानाध्यक्ष और निगरानी हेतु पत्र लिखा जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : अवैध निर्माणों एवं उनके पुनः निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने के जिम्मेदारी भवन विभाग के अधिकारियों की है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय भवन विभाग के स्टाफ की होती है तथा डेमोलिशन/सीलिंग की कार्यवाही करने के बाद इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन को अनाधिकृत निर्माण दोबारा न हो वॉच–वार्ड राख्ने हेतु सूचना दी जाती है जिन सम्पत्तियों की सील भवन

मालिकों द्वारा स्वयं तोड़ दी जाती है। यह संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ अधिनियम, 466ए डीएसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती हैं।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : MCD कर्मचारी पर CCS (Conduct) Rules 1964 व MCD Service (Conduct and) Regulation 1964 DMC Act के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : इस तरह के मामलों की जांच में जिस अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है उसके विरुद्ध सेवा नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही साबित होती है तो दंडात्मक कार्रवाई सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंतर्गत की जाती है। ऐसी संपत्तियां जिनका सील, डी–सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ है। इस संबंध में चारों जोनों को पत्र भी लिख दिया गया है। (कॉपी संलग्न है)

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : ऐसी सम्पत्तियों जिनका सील/डी–सील/डिमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, इस प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : ऐसे अवैध निर्माण जिनमें सील, डी–सील या डिमोलिशन होने के बाद पुनः निर्माण हुआ है उनकी संख्या उपरोक्त सूची में दी गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 1.1.2014 से 30.04.18 तक भवन विभाग पश्चिमी क्षेत्र द्वारा 4510, मध्य क्षेत्र द्वारा 6701, दक्षिणी क्षेत्र 5228 एवं नजफगढ़ क्षेत्र 3069 सम्पत्तियों पर अवैध

निर्माण एवं नक्शे के विरुद्ध निर्माण कार्य के चलते डीएमसी एक्ट की धारा 343/344 के तहत बुक किया गया है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के अनुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : कुल बुक किये गये अवैध निर्माणों की आज की स्थिति का सर्वे करने के लिए दो महीने समय की आवश्यकता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2014 से 30.04.2018 तक भवन विभाग पश्चिमी क्षेत्र द्वारा 4510, मध्य क्षेत्र द्वारा 6701, दक्षिणी क्षेत्र 5228 एवं नजफगढ़ क्षेत्र 3069 संपत्तियों पर अवैध निर्माण एवं नक्शे के विरुद्ध निर्माण कार्य के चलते डीएमसी–ऐक्ट की धारा 343/344 के तहत बुक किया गया है।

अनुलंग्नक 'क'

जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण के चलते जितने भवन बुक किए गए, उनका जोन वाइज वर्षानुसार पूर्ण ब्यौराः

जोन	2014	2015	2016	2017	2018
सिटी–एस.पी	447	265	231	513	203
सिविल लाईन	595	888	776	429	112
रोहिणी	254	234	251	266	159
नरेला	175	194	158	133	96
केशव पुरम	612	804	656	690	227
करोल बाग	594	397	396	419	160

उपरोक्त बुक की गई सम्पत्तियों में से जितनों को गिराया गया व जितनों को सील किया गया, उसका वर्ष—वार जोन वाइज अलग—अलग ब्यौराः

वर्ष	सिविल लाईन		रोहिणी		केशव पुरम		करोल बाग		सिटी—एस.पी		नरेला	
	गिराये गये गए	सील किए	गिराये गये गए	सील किए	गिराये गये गए	सील किए	गिराये गये गए	सील किए	गिराये गये गए	सील किए	गिराये गये	सील किए गए
2014	167	31	24	08	310	49	447	76	612	72	09	11
2015	255	44	38	10	295	31	265	25	490	98	08	03
2016	548	58	50	21	222	31	231	25	459	144	10	10
2017	296	33	79	05	283	20	299	23	410	171	11	09
2018	137	330	47	13	82	05	124	20	183	340	10	02

अवधि	विवरण	शाह. उ. क्षेत्र	शाह. द. क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
2014	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	545	958	1503
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	511	432	943

1	2	3	4	5
	सील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	114	70	184
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए निर्माणों की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।		
2015	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	715	1208	1923
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	367	478	845
	सील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	213	54	267
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए निर्माणों की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।		
2016	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	909	811	1720
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	426	430	856

1	2	3	4	5
	सील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	119	34	153
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए निर्माणों की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।		
2017	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	1150	1068	2218
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	350	464	814
	सील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	129	262	391
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए निर्माणों की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।		
2018 (30 अप्रैल तक)	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	326	539	865
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	93	163	256

1	2	3	4	5
	सील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	129	262	391
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए निर्माणों की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।		

MOST URGENT
TIME BOUND

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENINEER (BUILDING)
HQ 9th FLOOR: DR. S.P.M. CIVIC CENTRE: E-W1NG:
MINTO ROAD NEW DELHI-110002

No.South DMC/SE(B)HQ/2018/143 **Dated: 01.06.2018**

Subject : Vidhan Sabha Starred Question No. 86 for 07.06.2018 – Information sought by Sh. Jarnail Singh, Hon'ble MLA.

Kindly refer to letter No. F.33/331/AO/C&C/2018/1779 dated 30.05.2018 from the C&C Department vide which Vidhan Sabha Starred Question No. 86 due for 07.06.2018 has been sent wherein Sh. Jarnail Singh, Hon'ble MLA has sought information w.r.t. unauthorized construction from all the three Corporations w.e.i. January, 2014 to April, 2018 (copy of question is enclosed).

In this regard, it is informed that the information provided by the Zonal Building Departments, South DMC w.r.t. point No.(d) is not satisfactory क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा दी गई जानकारी संतोषजनक नहीं है। which is reproduced as under:-

(घ)	बिल्डिंग दोबारा बनने पर संबंधित अधिकारी पर किस एक्ट में क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी–सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और

In view oi above, all Zonal Building Departments are requested to provide information relating to above point immediately, for onward submission to the Urban Development Department, GNCTD.

This may be treated as **MOST URGENT & TIME BOUND** in order to avoid embarrassment of the Department in the Assembly.

Encl: As above.

S.E. (Building) HQ
South DMC

All Zonal EEs(B), South DMC
(Central, South, West & Najalgarh Zones)

87. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घौंडा विधानसभा क्षेत्र–66 के वार्ड नंबर 44–ई, 45–ई, 46–ई व 47–ई में कितनी प्रापर्टी पिछले चार साल में एमसीडी ने बुक की है और कितनी प्रापर्टी पर कार्रवाई हुई है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : घौंडा विधानसभा क्षेत्र–66, के वार्ड नम्बर 44–ई, 45–ई, 46–ई, 47–ई में कुल 537 प्रोपर्टी पिछले चार वर्षों में बुक की गई है जिनका विवरण निम्न हैः–

क्रमांक	वर्ष	प्रोपर्टी बुक
1.	2015	115
2.	2016	208
3.	2017	138
4.	2018	76
	कुल	537

कार्यवाही का ब्यौरा वार्ड वाईज उपलब्ध नहीं है।

88. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घौंडा विधानसभा–66 के अंतर्गत सोडियम लाइटों को हटाकर एलईडी लाइटे लगाने का कार्य कब तक करा दिया जाएगा; और

(ख) इस कार्य में अब तक विलम्ब के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : यह कार्य अगस्त, 2018 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत करीब 1,12,000 सोडियम लाईटें बदलनी है तथा इस कार्य को पूरा करने की अवधि 09 माह है। यह कार्य नवम्बर, 2017 से शुरू है तथा आशा है कि अगस्त, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

89. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार यमुना खादर पांचवा पुश्ते के सामने डीडीए की खाली पड़ी जमीन को बिना पक्का किए इस पर खेल का मैदान बनाने पर विचार कर रही है।

(संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

90. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा मं अप्रैल, 2017 से लेकर अब तक भवन विभाग द्वारा किन–किन संपत्तियों को बुक किया गया है वार्ड वाईज पूर्ण ब्यौरा दें;

(ख) इन संपत्तियों पर क्या–क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या यह सत्य है कि भवन विभाग द्वारा पालम की कुछ संपत्तियों को सील किया गया था; सील और डीसीएल की गई संपत्तियों का ब्यौरा दें;

(घ) क्या इन सील की गई संपत्तियों पर अभी भी अवैध निर्माण हो रहा है; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि पालम विधानसभा में बिल्डिंग निर्माण का कार्य भवन विभाग के नियम कानून को ताक पर रख कर किया जा रहा है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : पालम विधानसभा में अप्रैल, 2017 में अब तक बुक किए गए संपत्तियों के ब्यौरे की सूची संलग्न है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** :

वार्ड	डिमोलशन एक्शन	सील्ड
वार्ड नं. 51 एस (मधुविहार)	09	00
वार्ड नं. 52 एस (महावीर एक्लेव)	08	00
वार्ड नं. 53 एस (साध नगर)	05	00
वार्ड नं. 51 एस (पालम)	11	00

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय नजफगढ़ (भवन) कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त संपत्तियों में से किसी को सील नहीं किया न ही किसी को डी–सील किया।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध भवनों को निर्माण के बारे में कोई मामला क्षेत्रीय नजफगढ़ (भवन) के संज्ञान में आता तो उस पर डीएमसी–एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : 'घ' के अनुसार।

संलग्न

Sub: Ward Wise details of bookings against unauthorized construction done from 1st April 2017 to 31st May 2018 in Palam Constituency (consisting of Ward No.51, 52, 53 & 54)

Sr. No.	U.C. File No. & Dt.	Owner/builder	Address of Property	Ward No.
1	2	3	4	5
1	F.No.229/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. **G-249**, Gali No. 8, Vishwas Park	51
2	F.No.230/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. **E-34**, Vishwas Park, Rajapuri	51
3	F.No.231/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. C-1/91, Madhu Vihar, Rajapuri	51
4	F.No.232/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. K-76, Som Bazar Road, Vishwas Park, Rajapuri	51
5	F.No.233/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. K-15, Som Bazar Road, Vishwas Park, Rajapuri	51
6	F.No.234/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. 1-53-43, Main Bharat Vihar Road, Rajapuri	51
7	F.No.235/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. I-55, Main Bharat Vihar Road, Rajapuri	51

1	2	3	4	5
8	F.No.236/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	Surya Model Public School, Vishwas Park	51
9	F.No.237/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No. C-77, Vishwas Park, Rajapuri	51
10	F-.No.277/UC/NG/17 Dated 3/7/2017	Mukesh Kumar	P.No. C-1/35, Street No.5, Rajapuri	51
11	F.No.300/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Raj Kumari	P.No. C-91, Madhu Vihar	51
12	F.No.301/BfUC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	P.No. K-76, Gali No.13, Rajapuri	51
13	F.No.307/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Chander Mohan Lamba	P.No. **D-122**, Madhu Vihar, Solanki Market	51
14	F.No.335/B/UC/NG/17 Dated 3/8/2017	Prahlad Singh	P.No. G-105, Gali No.7, Vishwas Park	51
15	F.No.336/B/UC/NG/17 Dated 3/8/2017	Gangadeen	P.No. G-122, Gali No.8, Vishwas Park	51
16	F.No.358/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	P.No. A-157, GaIiNo.25, Bharat Vihar, Rajapuri	51
17	F.No.359/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	H.No. A-101, Gali No.19, Bharat Vihar, Rajapuri	51

18	F.No.457/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Owner/builder	P.No. C-l5-16, Gali No. 6, Rajapuri	51
19	F.No.478/B/UC/NG/17 Dated 3/10/2017	Owner/builder	P.No. **B-11**, Vishwas Park, Uttam Nagar	51
20	F.No.516/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. K-1/10, Gali No. 34, Rajapuri	51
21	F.N0.517/B/UC/NG/17 Dated 3 1/10/2017	Owner/builder	P.No. K-1/11, Gali No. 34, Rajapuri	51
22	F.No.518/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. I-14, Gali No. 31, Rajapuri	51
23	F.No.519/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. J-89 (Opp. J-105), Gali No. 37, Rajapuri	51
24	F.No.520/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. A;80, Gali No. 19, Bharat Vihar, Rajapuri	51
25	F.No.521/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. E-30, Gali No. 11, Rajapuri	51
26	F.No.522/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. C-l/21-C, Gali No. 5, Rajapuri	51
27	F.No.523/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. A-1/89 (adj. to A-1/90), Gali No. 3, Rajapuri	51

1	2	3	4	5
28	F.No.524/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. B-27, Gali No. 6, Rajapuri	51
29	F.No.525/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. C-4, Gali No. 6, Rajapuri	51
30	F.No.569/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Satish Kumar	P.No. G-249, Gali No. 8, Vishwas Park	51
31	F.No.592/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	P.No. D-39, Gali No. 12, Bharat Vihar, Rajapuri	51
32	F.No.615/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Mukesh	P.No. E-34, Vishwas Park, Rajapuri	51
33	F.No.616/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Pankaj Jain	P.No. C-102, Vishwas Park, Rajapuri	51
34	F.No.617/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Ashok Arora	P.No. D-1/4, Gali No. 8, Rajapuri	51
35	F.No. 618/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Raj Kumar	P.No. J-87, Opp. J-105, Gali No. 37, Rajapuri	51
36	F.No.619/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Ashok Rana	P.No. J-86, Gali No. 37, Rajapuri	51
37	F.No.620/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Puran Gupta	P.No. A-1/1, Madhu Vihar, Rajapuri	51

38	F.No.735/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. K-l/4-A, Gali No. 34, Rajapuri	51
39	F.No.736/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. K-1/5, Gali No. 34, Rajapuri	51
40	F.No.737/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. K-140, Gali No.9, Som Bazar Road, Rajapuri	51
41	F.No.738/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. G-140, Gali No.26, Rajapuri	51
42	F.No.739/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. **A-80**, Gali No. 19, Bharat Vihar, Rajapuri	51
43	F.No.740/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Mr. Singhla	Prop. adj. to D-14 ('Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
44	F.No.32/B/UC/NG/l 8 Dated 15/1/2018	Owner/builder	Plot No. 4 (New No.3-A), Khasra No. 99/12, Vishwash Park, S-Block, Palam Colony	51
45	F.No.50/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	P.No. **D-14**, Main Road. Vishwas Park, Rajapuri	51
46	F.No.51/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	P.No. G-255, Behind Petrol Pump, Main Road, Vishwas Park	51
47	F.No.52/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Mr. Singhla	Prop. **adj. to D-14** (Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
48	F.No.97/B/UC/NG/18 Dated 13/3/2018	R.S. Thakur	P.No. S-15-B, Vishwas Park, Madhu Vihar	51

1	2	3	4	5
49	F.No.139/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Owner/builder	P.No. D-225, Madhu Vihar, Rajapuri, Madhu Vihar	51
50	F.No.140/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Sanjay Gupta	P.No. J-26, Gali No. 37, Rajapuri, Madhu Vihar	51
51	F.No.141/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Sanjay Gupta	P.No. J-84, Gali No. 35, Rajapuri, Madhu Vihar	51
52	F.N0.142/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Anup/Anuj	P.No. I-101, Gali No. 35, Rajapuri, Madhu Vihar	51
53	F.No.143/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Owner/builder	P.No. G-201, Adj. to G-204, Rajapuri, Madhu Vihar	51
54	F.No.144/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Baldev Arora	P.No. D-30, Vishwas Park, Rajapuri, Madhu Vihar	51
55	F.No.145/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Dinesh	P.No. C-102, Vishwas Park, Rajapuri, Madhu Vihar	51
56	F.No.146/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Ranvir Solanki	P.No. D-29, Solanki Market, Madhu Vihar	51
57	F.No.147/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Mukesh Jain	P.No. J-98, Gali No.37, Rajapuri, Madhu Vihar	51
58	F.No.187/B/UC/NG/18 Dated 25/4/2018	Owner/builder	P.No. **D-14**, Main Road, Vishwas Park, Rajapuri	51

Sr. No.	U.C. File No. & Dt.	Owner/builder	Address of Property	Ward No.
1	2	3	4	5
1	F.No.127/B/UC/NG/17 Dated 5/4/2017	Dinesh Yadav	P.No. 1, Main Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
2	F.No.130/B/UC/NG/17 Dated 5/4/2017	Ravi Verma	P.No. **C-88**, Mahavir Enclave	52
3	F.No.146/B/UC/NG/17 Dated 18/4/2017	Owner/builder	P.No. RZ-**D-2/2**, Vinodpuri, Mahavir Enclave	52
4	F.No.195/B/UC/NG/17 Dated 26/5/2017	Owner/builder	P.No.L-9, Mahavir Enclave	52
5	F.No.196/B/UC/NG/17 Dated 26/5/2017	Owner/builder	P.No. H-l/41-A, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
6	F.No.208/B/UC/NG/17 Dated 12/6/2017	Owner/builder	Prop. adj. to RZ-A-6, Old Som Bazar Road, Mahavir Enclave	52
7	F.No.209/B/UC/NG/17 Dated 12/6/2017	Ram Prasad	P.No. B-137, Pappan Kalan, Sec-1, Dwarka	52
8	F.No.283/B/UC/NG/17 Dated 10/7/2017	Rama Devi	P.No. B-31, JJ Colony, Sec-1, Dwarka	52
9	F.No.308/B/UC/NG/17 Dated 19/7/2017	Mukesh Solanki	P.No. **B-11-12**, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52

1	2	3	4	5
10	F.No.317/B/UC/NG/17 Dated 21/7/2017	Sakya	P.No. A-1/137, Vijay Enclave (Palam)	52
11	F.No.346/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	Prop. opp. near to My Mart and Bikaner Sweets, Gurudwara Road, Main Palam-Dabri Road, Mahavir Encl.	52
12	F.No.347/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	P.No. B-8, Main Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
13	F.No.350/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	P.No. L-4, Main Palam-Dabri, Mahavir Encl.	52
14	F.No.351/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	P.No. A-1/21, Opp. to Shanti Niwas Apartment and in street opp. Vishal Mega Mart, Mahavir Encl.	52
15	F.No.365/B/UC/NG/17 Dated 11/8/2017	Kunwar Pal	P.No. RZ-C-3/74, Mahavir Enclave-I	52
16	F.No.366/B/UC/NG/17 Dated 11/8/2017	Amar Malik	P.No. RZ-A-9, Old Som Bazar Road, Mahavir Enclave-I	52
17	F.No.367/B/UC/NG/17 Dated 11/8/2017	Vijay Kumar	P.No. RZ-CD-123, Mahavir Enclave-I	52
18	F.No.402/B/UC/NG/17 Dated 24/8/2017	Shivam Cable	Prop, at back of RZ-F-1, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52

19	F.No.415/B/UC/NG/17 Dated 28/8/2017	Ajay Goyal	P.No. A-40, Dwarkapuri (Vijay Enclave), Dabri-Palam Road, Mahavir Enclave	52
20	F.No.416/B/UO/NG/l7 Dated 28/8/2017	Bajrang Lal Garg	P.No. H-6/A, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
21	F.No.420/B/UC/NG/17 Dated 28/8/2017	Saukat Ali	P.No. A-115, Sector-1, JJ Colony, Dwarka	52
22	F.No.424/B/UC/NG/17 Dated 1/9/2017	Owner/builder	Prop. Opp. to RZ-T-1, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
23	F.No.425/B/UC/NG/17 Dated 1/9/2017	Bhopal Singh Chaudhary	Prop. Opp. to RZ-T-1, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
24	F.No.426/B/UC/NG/17 Dated 1/9/2017	Narender Lochav	Prop. adj. to Ravat's, RZ-8-A, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
25	F.No.431/B/UC/NG/17 Dated 11/9/2017	Rajesh Aggarwal	P.No. B-2/38, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52
26	F.No.451/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Owner/builder	Prop. opp. RZ-D-3/2-A, Vinodpuri, Vijay Enclave	52
27	F.No.453/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Ravi Kumar	PlotNo.C-88, Opp. to SDMC, Primary School. Mahavir Enclave	52
28	F.No.502/B/UC/NG/17 Dated 23/10/2017	Owner/builder	P.No. F-3, Vijay Enclave, Near Easy Day, Old Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
29	F.No.506/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. RZ-B-9, Nanda Block, Mahavir Enclave	52

1	2	3	4	5
30	F.No.5.07/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. H-6, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
31	F.No.508/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. A-88, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
32	F.No.509/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. H-4/21, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
33	F.No.512/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. S-10, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
34	F.No.513/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. J-5, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
35	F.No.514/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. D-2/2, Vinodpuri, Vijay Enclave	52
36	F.No.515/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. C-14, Mahavir Enclave	52
37	F.No.526/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. C-11/A, Mahavir Enclave	52
38	F.No.527/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. C-35, Mahavir Enclave	52
39	F.No.528/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. T-17, Nanda Block, Mahavir Enclave	52

40	F.No.529/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Indra Narain Jha	P.No. RZ-C-12/21, Mahavir Enclave	52
41	F.No.530/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to RZ-B-91, Mahavir Enclave	52
42	F.No.531/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to R2-G-6/A, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
43	F.No.532/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. RZ-F-6, Shiv Main Market, Mahavir Enclave	52
44	F.No.538/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to H-2/97, Mahavir Enclave	52
45	F.No.640/B/UC/NG/17 Dated 16/11/2017	Brij Mohan	P.No. A-1/91, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52
46	F.No.642/B/UC/NG/17 Dated 16/11/2017	Owner/builder	P.No. RZ-C-53, Swastik Aptt., Mahavir Enclave	52
47	F.No.707/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	P.No. I-13, Mahavir Enclave, Old Som Bazar Road	52
48	F.No.708/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	P.No.C-36, Mahavir Enclave	52
49	F.No.709/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	Prop. opp. to A-1/71-D, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52

1	2	3	4	5
50	F.No.710/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	Prop. adj. to A-l/112-H, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52
51	F.No.711/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	Prop. adj. to B-1/23-A, Mahavir Enclave	52
52	F.No.712/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	P.No. I-10, Tamil Enclave, Near Dabri Mod, Mahavir Enclave	52
53	F.No.717/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	Prop. opp. to Super Garg Store, Palam Dabri Road, Mahavir Enclave	52
54	F.No.728/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No. A-6, Mahavir Enclave, Mandir Marg	52
55	F.No.34/B/QC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	Prop. opp. to Sidhant Hospital, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
56	F.No.35/BAJC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	Prop. adj. to My Mart Mall, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
57	F.No.64/B/UC/NG/18 Dated 22/1/2018	Owner/builder	P.No. H-2/50, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
58	F.No.65/B/UC/NG/18 Dated 22/1/2018	Owner/builder	P.No. H-2/52, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52

59	F.No.66/B/UC/NG/I8 Dated 22/1/2018	Owner/builder	P.No. H-2/34, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
60	F.No.67/B/UC/NG/18 Dated 22/1/2018	Owner/builder	P.No. H-1/33, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
61	F.No.74/B/UC/NG/18 Dated 2/2/2018	Owner/builder	P.No. H-1/39, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
62	F.No.75/B/UC/NG/18 Dated 2/2/2018	Owner/builder	P.No. E-7, Kali Badi Road, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
63	F.No.76/B/UC/NG/18 Dated 2/2/2018	Owner/builder	P.No. E-17, Kali Badi Road, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
64	F.No.88/B/UC/NG/I8 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. B-53, adj. to Tara Devi Medical Store, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
65	F.No.89/B/UC/NG/I8 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. E-11, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
66	F.No.90/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. B-5, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
67	F.No.91/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. K-5, Nanda Block, Mahavir Enclave	52
68	F.No.93/B/UC/NG/18 Dated 9/3/2018	Owner/builder	Prop. opp. Ekta Aptt. (B-39), Mahavir Vihar, Mahavir Encl.	52

Sr. No.	U.C. File No. & Dt.	Owner/builder	Address of Property	Ward No.
1	2	3	4	5
1	F.No.167/B/UC/NG/17 Dated 28/4/2017	Vinod	Prop. adj. to WZ-428, Gali No. 18-K, Sadh Nagar	53
2	F.No.168/B/UC/NG/17 Dated 28/4/2017	Owner/builder	P.No. RZ-443-C, GaliNo.24, Sadh Nagar, Main 60 feeta Road	53
3	F.No.275/B/UC/NG/17 Dated 27/6/2017	Owner/builder	Prop. opp. H.No.RZ-344 (corner plot), Gali No. 6, Sadh Nagar, Palam	53
4	F.No.296/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Hari Singh	House between 42/4 and RZ-F-552, Gali No. 42, Sadh Nagar	53
5	F.No.297/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	Prop. adj. to E-45, Gali No. l7-A, Sadh Nagar	53
6	F.No.298/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Vandana	P.No.WZ-862, Gali No. 16, Sadh Nagar	53
7	F.No.299/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	Prop. adj. to E-248 (corner plot), Gali No. 16, Sadh Nagar	53
8	F.No.456/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Owner/builder	Prop. adj. to Mahakali Mandir, Left Side Gali No. 16, Sadh Nagar	53
9	F.No.504/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. C-38, Gali No.9, Sadh Nagar, Palam Colony	53

10	F.No.576/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Golu Solanki	P.No. WZ-884, Gali No. 9, Sadh Nagar, Palam	53
11	F.No.577/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Nitin Gupta	P.No. D-301, Gali No.9, Sadh Nagar, Palam	53
12	F.No.578/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Sunita	P.No. D-24-B, Gali No. S-A, Sadh Nagar, Palam	53
13	F.No.579/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Rajesh Jain	P.No. D-286, Gali No.9, Sadh Nagar	53
14	F.No.580/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Ram Bhagat, Mahinder	P.No. WZ-171, Gali No. 1, Near Ram Chowk, Sadh Nagar, Palam	53
15	F.No.581/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Ram Narain Aggarwal	P.No. D-251, Gali No. 8-A, Sadh Nagar, Palam	53
16	F.No.582/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Pramod	P.No. WZ-268, Gali No. 9, Sadh Nagar, Palam	53
17	F.No.583/B/QC/NG/17 Dated 3/11/2017	Owner/builder	P.No. RZ-F-540, Gali No. 42, Sadh Nagar	53
18	F.No.584/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to WZ-312, Gali No. 8, Sadh Nagar, Palam	53
19	F.No.585/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to RZ-169, Gali No. 6, Sadh Nagar, Palam	53
20	F.No.586/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to WZ-123/23, Gali No. 9, Sadh Nagar, Palam	53

1	2	3	4	5
21	F.No.587/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	P.No. WZ-202, Gali No. 13-14, Along Railway Line, Sadh Nagar, Palam	53
22	F.No.588/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	P.No. RZ-23-E, Gali No. 8, Sadh Nagar, Palam	53
23	F.No.589/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Ghan Shyam Aggarwal	P.No. F-169/2, LHS Bharat Gas Agency, Pradhan Chowk, Sadh Nagar	53
24	F.No.590/B/UG/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	Prop. at RHS of Bharat Gas Agency, Pradhan Chowk, Sadh Nagar	53
25	F.No.591/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	Prop. opp. WZ-456 and WZ-443-C, Main 60 ft. Road, Sadh Nagar, Palam (Opp. Gall No. 2)	53
26	F.No.719/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	Prop. adj. to R2-478/10, Gali No. 45, Sadh Nagar-II	53

Sr. No.	U.C. File No. & Dt.	Owner/builder	Address of Property	Ward No.
1	2	3	4	5
1	F.No.131/B/UC/NG/17 Dated 5/4/2017	Mohit	P.No. C-360-61, Harijan Basti, Palam	54

2	F.No.197/B/UC/NG/17 Dated 26/5/2017	Owner/builder	P.No. D-1/14, Palam Kunj, Palam Extn., Dwarka	54
3	F.No.198/B/UC/NG/17 Dated 26/5/2017	Ankit Gupta	P.No. D-1/25, Palam Kunj, Palam Extn., Dwarka	54
4	F.No.210/B/UC/NG/17 Dated 12/6/2017	Suresh Kumar	P.No. 10-A, Mohan Park, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
5	F.No.259/B/UC/NG/17 Dated 23/6/2017	Lucky Jain	P.No. E-551, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
6	F.No.295/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Bodh Raj	P.No. WZ-454-C, Raj Nagar-I, Main Road, Palam	54
7	F.No.3 02/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Sarohi	P.No. WZ-794, Village Palam, Badiyal Mohalla	54
8	F.No.303/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	P.No. WZ-721, Village Palam, Badiyal Mohalla	54
9	F.No.304/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	P.No. WZ-607, Village Palam, Badiyal Mohalla	54
10	F.No.305/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	P.No. A-72, Palam Extn., Near Gold Zym, Sec-7, Rampahl Chowk	54
11	F.No.306/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Happy	P.No. RZ-40/19, Gali No.5, Raj Nagar-I, Palam	54
12	F.No.337/B/UC/NG/17 Dated 3/8/2017	Mr. Dass	P.No. RZ-11-C, Puran Nagar, Opp. PS Palam Village	54

1	2	3	4	5
13	F.No.477/B/UC/NG/17 Dated 3/10/2017	Lokesh Sharma	P.No. 561-C, Khasra No. 29/17, Harijan Basti, Ramphal Chowk, Palam	54
14	F.No.505/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/builder	P.No. C-353-354-355. Palam Kunj. Sec-7, Dwarka, Near Ramphal Chowk	54
15	F.No.570/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. F-638, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
16	F.No.571/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. E-533, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
17	F.No.572/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/builder	P.No. D-1/14. Palam Kunj, Palam Extn., Dwarka	54
18	F.No.573/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Ankit Gupta	P.No. D-1/25, Palam Kunj, Palam Extn., Dwarka	54
19	F.No.574/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Owner/builder	Prop. adj. to D-426-B, Standard Meat Shop, Palam Extn., Ramphal Chowk	54
20	F.No.575/B/UC7NG/17 Dated 3/11/2017	Ankit	P.No C-11, Palam Extn., Sector-7, Dwarka	54
21	F.No.720/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	H.No. 30-H, Gali No.4, Raj Nagar-I, Palam Colony	54
22	F.No.721/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/builder	P.No. C-353-354-355, Palam Kunj, Sector-7, Dwarka, Near Ramphal Chowk	54
23	F.No.741/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	K.K. Saini	P.No. C-391, Palam Extn., Dwarka	54

24	F.No.11/B/UC/NG/18 Dated 3/1/2018	Owner/builder	Flat No. 168, DDA Pkt-13, Manglapuri, Phase-I	54
25	F.No.12/B/UC/NG/18 Dated 3/1/2018	Owner/builder	P.No. RZ-38-H, Gali No. 4, Raj Nagar-I, Palam	54
26	F.No.13/B/UC/NG/18 Dated 3/1/2018	Owner/builder	P.No. A-47-A, Palam Extn., Palam, Dwarka, Sec-7	54
27	F.No.30/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Rameshwar, Mulchand, Suresh	P.No. 4, Near Surya Garden, Data Ram Road, Palam, Sec-7, Dwarka	54
28	F.No.31/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Owner/builder	P.No. l, Data Ram Road, Palam, Sector-7, Dwarka	54
29	F.No.33/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Owner/builder	P.No. WZ-498-C, Gali No.2, Patli Gali, Near Nirankari Bhawan, Raj Nagar-I, Palam Colony	54
30	F.No.85/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. C-357, Palam Extn., Ramphal Chowk	54
31	F.No.86/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/builder	P.No. WZ-904, Bata Chowk, Palam	54
32	F.No.87/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Narender & Surender	P.No. WZ-802, Palam Village, Mohalla Badiyal, Behind Shiv Mandir	54
33.	F.No.95/B/UC/NG/18 Dated 13/3/2018	Owner/builder	P.No. WZ-800-A, Badiyal Mohalla, Palam Village	54
34	F.No.130/B/UC/NG/18 Dated 19/3/2018	Harish Vats	Plot No. 611, Palam Colony Road, Near SBI Bank	54

91. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कई विधायकों ने अपने एलएमए लैड फंड का कुछ हिस्सा दिल्ली नगर निगम को विकास कार्यों के लिये दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण (नाम एवं राशि) सहित तीनों नगर निगम, अलग–अलग उपलब्ध करवायें;

(ग) क्या यह कार्य पूर्ण हो चुके हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त काम कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : सह सत्य है।

शहरी विकास (एमएलएलैड) : जी, हां।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : हां, वह सत्य है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– इस वर्ष किसी भी विधायक द्वारा उद्यान विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर को कोई भी MLA Fund नहीं दिया गया है।

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– हां, यह सत्य है कि कई माननीय विधायकों ने अपने एमएलए लैड फंड का कुछ हिस्सा दिल्ली नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दिया है। छठी विधान सभा में निम्नलिखित माननीय विधायकों द्वारा विभिन्न वित्त वर्ष में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को विकास कार्यों के लिए एमएलए लैड फंड दियाः–

वर्ष	माननीय विधायकों की संख्या	कुल विकास कार्य
2015–16	15	168
2016–17	17	154
2017–18	11	65

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : उद्यान विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2016–17 में एसी–57 के विधायक श्री मनीष सिसोदिया ने रुपये 2,36,692/– अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा श्री राम निवास गोयल (एसी–62) में रुप्यै 40,30,196/– तथा एसी–63 के विधायक श्री राजेन्दर पाल गौतम ने रुपये 10,55,097/– (सूची संलग्न है)।

शहरी विकास (एमएलएलैड) : शहरी विकास विभाग द्वारा MLA LAD scheme के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को रुपये 198.13 लाख, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को रुपये 445,02 लाख और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को रुपये 10.59 वर्ष 2018–19 में जारी किये गये।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : वर्ष 2017–18 में एमएलए लैड के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम में होने वाले एवं DUDA द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : छठे विधान सभा संबंधित कार्यों की सूची जिसमें वित्त वर्ष 2015–16, 2016–17 के अनुसार एवं माननीय विधायक के अनुसार कार्यों एवं फंड का पूर्ण विवरण (नाम एवं राशि) विस्तार सहित 'क' पर संलग्न है।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : केवल एक कार्य पूरा नहीं हुआ है (सूची संलग्न है)।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : कुछ कार्य पूर्ण हो चुके है, कुछ कार्य इस समय चल रहे हैं एवं कुछ वर्क ऑर्डर करने की पाईप लाईन में है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– वित्त वर्ष अनुसार पूर्ण हो चुके कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

वित्त वर्ष 2015–16

कुल 168 कार्यों में से 141 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 19 कार्य माननीय विधायक की सहमति से बंद कर दिए गए हैं। 2 कार्य भी विभिन्न कारणों से बंद किए जाने हैं। 4 कार्यों में आम जनता के विरोध एवं साई पर रूकावट के कारण काम रुके हुए हैं। 2 कार्यों में किसी भी ठेकेदार ने निविदाएं नहीं ली।

वित्त वर्ष 2016–17

कुल 154 कार्यों में से 130 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 3 कार्य माननीय विधायक की सहमति से बंद कर दिए गए हैं और 1 कार्य भी विभिन्न कारणें से बंद किया जाना है। बाकी 20 कार्य अभी पूरे कराए जा रहे हैं जिनमें से कुछ कार्यों में आम जनता के विरोध एवं साइट पर रुकावट के कारण काम रूका हुआ है।

वित्त वर्ष 2017–18

कुल 65 कार्यों में से 29 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बाकी 36 कार्यों अभी पूरे कराए जाने है जिनमें से कुछ कार्यों में कार्य प्रगति पर है कुछ

कार्यों में अभी कार्य शुरू करना है। विधान सभा क्षेत्र अनुसार एवं वित्त वर्ष अनुसार कार्य का पूर्ण विवरण 'क' पर संलग्न है।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया है उसके खिलाफ एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कराने की प्रक्रिया जारी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः— जो कार्य अभी लंबित है उनका पूर्ण विवरण 'क' पर संलग्न है। अधिकांश लंबित कार्य आम जनता के विरोध, कार्य करने में आई रुकावट जैसे कि जल बोर्ड कार्य, जमीनी विवाद के कारण, निविदा में ठेकेदारों की भागीदारी बिल्कुल नहीं होना आदि कारणें से कार्य लंबित है। कुछ कार्यों में अभी कार्य शुरू करना है तथा वर्क आर्डर में दर्शायी गई समयावधि के अनुसार कार्य समय पर समाप्त हो जाएंगे।

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : एक कार्य को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : आभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः— वर्तमान में चल रहे कार्यों को कार्य में आई बाधा के हटने के पश्चात् पूर्ण कर लिए जाएगा। कुछ कार्य समयनुसार चल रहे हैं जिन्हें कार्य आदेश में दर्शायी गई समयावधि के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर में MLA LAD के कार्यों को तत्पर करने के लिए एवं किसी प्रकार के व्यवधान को निपटाने के लिए सभी सम्बन्धित मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदार बनाया गया है इसकी सूचना सभी MLA's को दे दी गयी है जिसकी सूचना अनुलंग्नक (ख) पर संलग्न है।

South Delhi Municipal Corporation A/c wise Report

Name of Agency:- Central Zone SDMC **Name of MLA:- Sh. Praveen Kumar**

Sl. No.	Sanction letter No.	Date	Sanctioned	Released	Detail of Work
1	DM(SE)SDMC(DUDA)/ML ALAD/2015-16/DUDA/59-73	2.2.2016	16.58	14.96	Improvement/development of road (from Gurudwara to Apna Bazar) by pdg. RMC in Nehru Nagar Ward No. 156, CNZ.
2	DM(SE)SDMC(DUDA)/ML	2.2.2016	13.17	6.59	Re-surfacing of road by pdg. Dense.
		Total	29.75	21.55	

Note: Report compiled in Planning Department, as per report given by Concerned Division/Department.

Name of Agency:- South Zone SDMC **Name of MLA:- Sh. Madan Lal**

Sl. No.	Sanction letter No.	Date	Sanctioned	Released	Detail of Work
1	2	3	4	5	6
1	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/117-134	2.15.2016	7 67	3.84	Construction of Toilet Complex B.P. Marg near Bus Stand (Towards Defence Colony) in W.No. 159, CNZ.

संलग्न

AC No.:- 42 Year:- 2015-16 DUDA

Contractual Amount	Work Order No.	Date	Whether work awarded within 60	If not, reason for delay	Date of Start work	Date of Completion of work	Present Status	Concerned Division/ Department
14.96	213	6.7.2016	No	Completed	7.16.2016	9.29.2016	Completed	EE(M)-I/ CNZ
11.47	617	12.16.2016	No delay	Procedural	4.20.2018	4.24.2013	Physically completed at site	EE(M)-I/ CNZ
26.43								

AC No.:- 42 Year:- 2015-16 DUDA

Contractual Amount	Work Order No.	Date	Whether work awarded within 60	If not, reason for delay	Date of Start work	Date of Completion of work	Present Status	Concerned Division/ Department
7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.42	199	5.17.2016	No	Procedural delay			Closed	EE(M)-I/ CNZ

1	2	3	4	5	6
2	DM(SE)MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1252-1260	31.03.2016 & 01.12.2017	5.2	3.76	Construction of Ornamental Gate in Park opposite H.No. A-25 in NDSE-II in Ward No. 159, CNZ.
3	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1182-1190	31.03.2016 & 17.11.2017	5.20	4.77	Construction of Ornamental Gate in Shahid Bhagat Singh park in Jangpura Extn. in Ward No. 157, CNZ.
4	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1173-1181	31.03.2016 & 1711.2017	5.20	4.72	Construction of Ornamental Gate in P Block Park in Jangpura Extn. in W.No. 157, CNZ.
5	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1200-1208	31.03.2016 & 17.11.2017	5.20	4.82	Construction of Ornamental Gate in Park behind Mpl. Flats at Meharchand Market Lodhi Colony in W.No. 157, CNZ.
6	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440	3.31.2016	5.20	2.6	Construction of Ornamental Gate in K-block Park Jangpura Extn. in Ward no. 157, CNZ.
7	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1337-1345	31.03.2016 & 08.12.2017	5.20	3.61	Construction of Ornamental Gate in Agrasen Park near Dhalao in Bapu Park in Ward No. 158, CNZ.
8	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 01.12.17	31.032016 & 01.12.2017	5.20	3.61	Construction or Ornamental Gate in Housing Society NDSE-I in Ward No. 158, CNZ.

7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00	271	7.22.2016	No	Procedural delay	7.31.2016	5.15.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
4.85	331	8.11.2016	No	Procedural delay	4.10.2017	6.9.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
4.81	334	8.11.2016	No	Procedural delay	4.11.2017	6.9.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
4.85	332	8.11.2016	No	Procedural delay	4.11.2017	5.30.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
4.85	333	8.11.2016	No	Procedural delay			Closed	EE(M)-I/ CNZ
5.00	367	8.24.2016	No	Procedural delay	2.8.2017	4.17.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
5.00	365	8.24.2016	No	Procedural delay	2.8.2017	4.17.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ

1	2	3	4	5	6
9	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 1346-1354	31.03.2016 & 08.02.2017	5.20	4.41	Construction of Ornamental Gate in Amrit Nagar Park in Ward No. 158, CNZ.
10	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA /427-440	3.31.2016	6.82	3.41	Imp. Dev. of side burms by pdg. Interlocking tiles from H.No. A-1 to B-29, J-1 to J-92, A-51 to A-67 and B-1 to B-16 in NDSE-I in Ward No. 158, CNZ.
11	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA/427-440 & 2070-2080	31.03.2016 & 15.03.2017	6.23	5.41	Development of lane opposite Radha Krishna Mandir in Amar Colony in Ward No. 160, CNZ.
12	DM(SE)/MLALAD/2015-16/ DUDA /427-440 & 1191-1199	31.03.2016 & 17.11.2017	5.20	4.77	Construction of Ornamental Gate in Birbal Park in Jangpura Extn. in Ward No. 157, CNZ.
		Total	67.52	49.73	

Note: Report compiled in Planning Department, as per report given by Concerned Division/Department.

7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.20	366	8.24.2016	No	Procedural delay	4.26.2017	6.25.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
6.45	368	8.24.2016	No	Procedural	10.20.2016	11.22.2016	Completed. The expenditure for of Rs. 281393/- well within the amount by the DUDA Rs. 3.41 Lac.	EE(M)-I/ CNZ
5.41	522	1.2.2016	No	Procedural delay	11.28.2016	12.29.2016	Completed	EE(M)-I/ CNZ
4.79	330	8.11.2016	No	Procedural delay	4.11.2017	6.9.2017	Completed	EE(M)-I/ CNZ
63.63								

92. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत साहा नगर वार्ड में मारूदयाल बिल्डिंग है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से बसी है;

(ग) यहां कुल कितने परिवार निवास करते हैं;

(घ) वर्तमान में इस कालोनी की स्थिति क्या है; और

(ङ) जब से यह कालोनी बसी है क्या वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** जी हां, पालम विधानसभा वार्ड के अंतर्गत मारूदयाल बिल्डिंग है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : यह निजी क्षेत्र होने के कारण इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : लगभग 50 परिवार रहते हैं।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : यह एक निजी क्षेत्र है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस बिल्डिंग के आस–पास सफाई व्यवस्था की मूल भूत सुविधाएं दी जा रही है।

93. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि फोटो चौक पर ऑल्डएज रिक्रिएशन सेन्टर के लिए एमसीडी को कोई बजट आबंटित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है और यह किसके अधीन आता है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के शुरू होने और खत्म होने की तिथि बताई जाए;

(घ) क्या यह सत्य है कि इसका लोकार्पण किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा;

(च) यदि नहीं हुआ, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इसकी जानकारी दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक को दी गई; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास (एमएलएलैड):** जी, हां।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : फोटो चौक पर ओल्ड एच रिक्रिएशन सेंटर के लिए एमसीडी को ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत 317.77 लाख रुपए बजट आबंटित हुआ था।

(ख) **शहरी विकास (एमएलएलैड)** : शहरी विकास विभाग द्वारा ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास वॉर्ड स्कीम के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिया गया।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक 27.12.2012 को हुई एवं उक्त स्कीम पास की गई तथा जिसकी निट्स एफ–57/15/टीवाईएडीबी/मिटिंग/यूडी/पीजीएल/2012/407–460 दिनांक 10.01.2013 के माध्यम से शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई थी।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : यह कार्य 29.9.2013 को प्रारंभ किया गया था एवं 27.09.2014 को पूर्ण किया गया था।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : फोटो चौक पर निगम के ओल्डएज रिक्रिएशन सेंटर का **लोकर्पण/उद्घाटन** नहीं किया गया। इस केन्द्र को सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 15.05.2017 के अनुसार से पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने दिनांक 21.09.2017 के डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर को स्थापित करने हेतु सौंप दिया गया था। डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर की स्थापना की जा चुकी है जिसको शीघ्र ही संचालन हेतु चयननित पक्ष को दिया जाएगा।

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्तानुसार।

(च) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इसके लिए लोकार्पण के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : लागू नहीं।

(ज) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : लागू नहीं।

94. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एमसीडी द्वारा रोहतास नगर विधान सभा में एलईडी लाईट्स लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये लाइट्स कब और कहां–कहां लगनी है और लगाई गई हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि अब एमएलएलैड फंड से एलईडी लाइट्स नहीं लगाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो यह दायित्व किस विभाग को दिया गया है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : जी, हां।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : विवरण संलग्न है।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : यह सत्य नहीं, डार्क स्पॉट् पर एमएलए फंड से लाइटें लगाई जा सकेंगी।

शहरी विकास (एमएलएलैड) : जी, नहीं।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : सभी लैंड–ओनिंग एजेंसी/विभाग अपने क्षेत्रों में लाईट लगा सकते हैं।

शहरी विकास (एमएलएलैड) : जी, नहीं।

संलग्न

Act - Weekly progress report regarding replacement of conventional lights with LED lights upto 31-05-2018

Sl. No.	Ward No.	Name of Ward	Total nos. of Conventional lights	Nos. of light replaced with LED
1	1E	MVR I & II	2339	1371
2	2E	Trilokpuri East	1206	632
3	3E	Trilokpuri West	1486	146
4	12E	Patparganj	1555	362
4	13E	Kishan Kunj	1474	27
5	14E	Laxmi Nagar	1837	200
6	18E	Anand Vihar	4583	1209
7	19E	IP Extensin	1390	117
8	21E	Krishna Nagar	2872	22
9	24E	Geeta Colony	2261	721
10	37E	Ram Nagar	2293	68
11	40E	Maujpur	1935	60
12	41E	Chauhan Banger	942	500
		Total		5435

95. **श्री संजीव झा** : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधान सभा में भवन निर्माण के लिए क्या–क्या प्रक्रिया है;

(ख) एमसीडी द्वारा पिछले 5 सालों में कितने मकानों को अवैध पाया गया है;

(ग) इन अवैध मकानों में से कितने मकानों को नोटिस दिया गया है;

(घ) कितने अवैध इमारतों पर कार्रवाई की गई;

(ङ) निगम द्वारा अन्य अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां कार्रवाई हुई है वहां पुनः कोई निर्माण नहीं हुआ है;

(छ) क्या दोबारा अवैध निर्माण होने की स्थिति में किसी जिम्मेदारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ज) यदि नहीं, तो उसका कारण बताएं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : भवन निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों भवन उपनियमों (UBBL), MPD-2021 एवं दिल्ली नगर निगम अधिनियमों के अंतर्गत स्वीकृत है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 01.01.2013 से 31.03.2018 तक कुल 3139 मकानों को अवैध पाया गया है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तर संख्या 02 के अनुसार सभी मकानों को नोटिस दिया है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 01.01.2013 से 31.03.2018 तक कुल 2421 मकानों के उपर तोड़–फोड़ एवं सिंलिंग की कार्रवाई की गई।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जब कभी भी कोई अवैध निर्माण से संबंधित गतिविधियां विभाग के संज्ञान में आती हैं विभाग के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विभाग में उपलब्ध स्रोतों के अंतर्गत सुनिचित किया जाता है कि तोड़–फोड़ के उपरांत कोई निर्माण नल हो एवं समय–समय पर संबंधित थानाध्यक्ष को इस संदर्भ में पत्राचार किया जाता है।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : ऐसी कोई जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है तथापि दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध CCS Conduct Rules के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : 'छ' के अनुसार।

96. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीयूएसआईबी द्वारा बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2015 से अब तक किये गये कार्यों की विस्तृत सूची क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2015 से अब तक किये गये कार्यों की विस्तृत सूची संलग्न हैं।

Annexure

List of works Carried out by DUSIB in AC 36 Bijwasan from January, 2015 to till date

Sl. No.	Project Name	Actual Date of Completion	Status
1	2	3	4
1	JSC: Upgradation of existing 20 seater prefab JSC at Arjun Camp Mahipal Pur (AL-22 16-17)	8/11/2016	Complete
2	ElUS: Providing and laying CC pavement and culvert in JJ cluster at Arjun Camp Mahipal Pur (AL-78 16-17)	18/12/2016	Complete
3	EIUS: Improvement of drainage and R/L CC Pavement of peripheral road in JJ Cluster at Milk Pur Kohi Rang Puri Paharl Ph-IV (Shankar Camp) (AL-73 14-15)	16/03/2015	Complete
4	JSC: Construction of additional W.C seats in JSC at Sonia Gandhi Camp Samalkha (AL-70 14-15)	1/4/2015	Complete
5	EIUS: Construction of storm water drains and CC pavement in lanes of JJC Sonia Gandhi Camp Samalkha, Bijwasan (AL-68 16-17)	10/1/2017	Complete
6	EIUS: Providing and laying on deteriorated approach and other lanes no. 1, 19, 20, 13, 14, 15 etc. as per sketch plan and c/o drains in JJ Cluster Milk Pur Kohi Rangpuri Pahari (lsreial Camp)(AL-96 14-15)	29/04/2015	Complete

1	2	3	4
7	EIUS Sub-Head: Construction of drains and Providing and laying Cement concrete pavement in lanes no. 23, 24, 29, 57 and 58 in JJ Cluster Sonia Gandhi Camp Samalkha (AL-79 14-15)	13/04/2015	Complete
8	EIUS: P/L CC pavement and c/o drains in deteriorated lanes of JJC Rangpuri Paharl Nallah Block-C (AL-82 14-15)	27/04/2015	Complete
9	JSC: Making approach road for prefab JSC at JJ cluster Rangpuri Paharl Nallah (AL-16 15-16)	13/11/2015	Complete
10	PAY & amp; amp; USE JSC-SH- Minor repair distempering off doors washed marble chips piaster on external walls etc. (no upgradtion) in the 20 seater prefab JSC in JJC Arjun camp Mahipalpur. (AL-25 15-16)	09/09/2015	Complete

97. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनेक शिकायतें किए जाने के बाद भी डीयूएसआईबी के शौचालय उतने स्वच्छ नहीं हैं जितने होने चाहिए;

(ख) डीयूएसआईबी के शौचालयों की देख–रेख कर्ताओं की सूची उपलब्ध कराएं;

(ग) डीयूएसआईबी शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए क्या उपाय करता है और उनकी जांच कैसे की जाती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि डीयूएसआईबी ने कुछ निर्माणाधीन टॉयलेट ब्लॉक्स को डीडीए द्वारा गिराया जाने दिया;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय सांसद श्री हर्षवर्धन ने इन टॉयलेट ब्लॉक्स को

(च) क्या यह भी सत्य है कि डीयूएसआईबी के पास टॉयलेट ब्लॉक्स निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की वांछित अनुमति है;

(छ) यदि हां, तो डीयूएसआईबी उनका निर्माण कब शुरू करने जा रहा है; और

(ज) क्या वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का वार्ड संख्या 72 'खुले में शौच' से मुक्त हो गया है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) यह सत्य नहीं है कि इन शौचालय की सफाई नहीं हो रही है सफाई के लिए विभिन्न एजेंसियों को ठेका दिया गया है। उनके कार्य में कभी–कभी कमी पायी जाती है जिसे तुरंत ठीक करा दिया जाता है। अतः डीयूएसआईबी ने और अच्छे ढंग से सफाई हो, उसके लिए नयी बड़ी एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तथा उसकी निविदा लगा दी गई है।

(ख) विधान सभा वजीरपुर क्षेत्र में डीयूएसआईबी के शौचालाय के देख रेख कर्ताओं की सूची संलग्न है।

(ग) डीयूएसआईबी शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए निविदा प्रक्रिया

के द्वारा रखरखाव की एजेंसियां (O&M agencies) नियुक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त की विभाग के फील्ड स्टाफ समय–समय पर इन शौचालयों का निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा एसबीएम टीमें बनाई गई हैं, जो कि इन शौचालयों का निरीक्षण करती रहती है तथा कोई कमी होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा कमी पूरी कराई जाती है।

(घ) यह सत्य नहीं है कि डीयूएसआईबी ने कुछ निर्माणधीन टॉयलेट को डीडीए द्वारा गिराया जाने दिया था। बल्कि डीडीए ने डीयूएसआईबी को बिना बताए ये शौचालय अशोक विहार, विपरीत ब्लॉक–बी, सी में गिरा दिये थे।

(ङ) ऐसा कोई पत्र विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है।

(च) डीयूएसआईबी को शौचालय बनाने की डीडीए द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद इन शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था।

(छ) डूसिब द्वारा उपरोक्त स्थान पर शौचालय बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। डूसिब ने डीडीए को पत्र के द्वारा शौचालयों को तोड़ने के कारण हुए नुकसान की पूर्ति के लिए लिखा है व दोवारा शौचालयों के निर्माण की अनुमति मांगी है परन्तु अभी तक अनुमति नहीं मिली।

(ज) वजीर पुर औद्योगिक क्षेत्र वार्ड संख्या 72 को खुले में शौच से मुक्त करना दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र का विषय है।

Annexure

List of O&M Agencies of DUSIB JSCS in Ac-17 Wazir Pur

Sl. No.	Location	Type of Building	Name of Maintenance Agency
1	2	3	4
1	B Block, Shamshan Ghat Wazir Pur	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
2	K Block Wazir Pur	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
3	J1J2 Block Wazir Pur JJ Colony, JSC No. 1	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
4	J1J2 Block Wazir Pur JJ Colony JSC No. 2	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
5	Sawan Park Chowk No. 3 Ashok Vihar JSC No. 2	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
6	Near Arya Samaj Mandir Shakti Nagar Extension	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
7	Jailer Wala Bagh Ashok Vihar, 30 YRS	Pucca	Aurangabad District Sulabh Shaushalya Sansthan
8	Chander Shekhar Azad Colony, Wazir Pur Industrial Area	Pucca	Amresh Kumar Jha
9	Patharwala Bagh E Block Wazir Pur JJ Colony Phase-II	Pucca	Mahatama Phule Sansthan

1	2	3	4
10	DDA Park Chander Shekher Azad Colony Wazir Pur Industrial Area, Opposite C 54, JSC No. 1	Pucca	Sindhu Social Welfare & Environment Society
11	DDA Park Chander Shekher Azad Colony Wazir Pur Industrial Area, Opposite C 54, JSC No. 2	Pucca	Sindhu Social Welfare & Environment Society
12	Shahdeed Udam Singh Park Industrial Area Wazirpur	Pucca	Sindhu Social Welfare & Environment Society
13	Opposite K & L-Block Wazirpur JJ Colony	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
14	J3 Block Wazir Pur JJ Colony JSC No.2	Pucca	Mahatama Jyoti Phule Sansthan
IS	Prem Ban Bridge along Railway Line Sukhdev Nagar	Pucca	Sindhu Social Welfare & Environment Society
16	Jailer Wala Bagh Ashok Vihar, Site 1	Prefab	Amresh Kumar Jha
17	Prem Ban Bridge along Railway Line Sukhdev Nagar	Prefab	Sindhu Social Welfare & Environment Society
18	Jailer Wala Bagh Ashok Vihar, 0	Prefab	Amresh Kumar Jha

1	2	3	4
19	Jailer Wala Bagh Ashok Vihar, Site 2	Prefab	Amresh Kumar Jha
20	Jailer Wala Bagh Ashok Vihar, Site 3	Prefab	Amresh Kumar Jha
21	C-Block Azad Colony Opposite Narula Factory Wazir Pur Industrial Area	Prefab	Amresh Kumar Jha
22	Patharwala Bagh E-Block Wazir Pur JJ Colony Phase-IV	Pucca	Mahatama Phule Sansthan
23	J-Block Murga Market Ashok Vihar Ward No. 31 Wazir Pur Village	Pucca	Tirthankar Mahavir Samajik Sews Sansthan

OFFICE OF THE PRINCIPAL SECRETARY
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
GOVT. OF NCT OP DELHI, IST FLOOR C WING
DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

F.No. 1 (S)/OSD/SBA/2014/Pt. file/755-786 Dated: 19.06.2017

To

The Vice Chairman
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA, New Delhi.

Subject:- Demolition of 9 Nos. Toilet Complexes at DDA Parks/Land at Ashok Vihar, opposite JJ Cluster, Sukhdev Nagar, Wazirpur Industrial Area, New Delhi.

Sir,

I am directed by Chief Secretary, Delhi to draw your kind attention towards the demolition of 9 Nos. Toilet Complexes at DDA Parks/Land at Ashok Vihar, opposite JJ Cluster, Sukhdev Nagar, Wazirpur Industrial Area, New Delhi of Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB).

2. The said toilet complexes were being constructed by DUSIB after due intimation, joint inspection with the concerned officers of DDA and with the permission of the Principal Commissioner (LD & H), DDA conveyed vide letter No.22-A(18)16/11/768 dated 12.05.2016 (Copy enclosed). But, inspite of that, DD (Hort.)-II, DDA had stopped the construction work at the site in the light of orders passed by the Hon'ble District Court. Rohini in the writ petition filed by Federation of Ashok Vihar R.W.A. wherein no stay was given with regard to construction of toilet at the site.

3. DUSIB was allowed to resume the toilet construction work on the request made vide letter No.D-236VSE-II/2017 dated 29.03.2017 followed by a meeting on the issue with Engineer Member, DDA on 09.03.2017 (Copy of minutes enclosed). Despite all the above efforts, DD (Hort.)-II has demolished all the above 09 toilet complexes consisting of 540 WC seats without prior intimation to DUSIB causing a toss of about Rs. 50 Lakhs to the Government.

4. The Ministry of Urban Development. Government of India, has repeatedly instructed that Open Defecation Free (ODF) status is to be achieved In a targeted manner in mission mode approach with participation of all concerned stake holders to improve cleanliness under Swachh Bharat Mission (SBM) programme in Delhi.

This is for your kind information and instructions for remedial action in the present case detailed above.

Yours faithfully,

End. as above.

(RENU SHARMA)
Principal Secretary (UD)

F.No. 1 (5)/OSD/SBA/20l4/Pt. file/ Dated:

Copy for information to:

1. The Jt. Secretary & Mission Director (SBM), Ministry of Urban Development, Govt. of Indian, New Delhi

(RENU SHARMA)
Principal Secretary (UD)

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE MEMBER ENGINEER
Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
(Telephone No. 23378911)

No.WD/4641/319/73/AE-III/EEC-4/DUSIB/17-18/D-28 Dated: 30.05.17

To,

The Principal Commissioner (LD & H)
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, INA, New Delhi

Subject: Demolition of 9 nos. Toilet complexes consisting, of 540 seats (under construction) at DDA Park/Land at Ashok Vihar opposite JJ Cluster, Sukhdev Nagar, Wazirpur Industrial Area, Delhi by DDA Authorities.

Dear Sir,

I would like to invite your kind attention to your letter no. 22-A(18)18/IL/768 dated 12/05/2016 wherein permission to construct toilet complexes at the above mentioned places were conveyed to DUSIB. The sites under reference were taken up under Swachh Bharat Mission Program to make Delhi open

defecation free and are to eater the basic needs of about 17000 people staying in the nearby JJ Cluster at Sukhdev Nagar Wazirpur Industrial area. The toilet complexes were planned to have separate entry from slum cluster sides and no entry from park side was given making park free from possible encroachment/ defecation from slum cluster sides.

Accordingly after due intimation and joint inspection with the concerned counter: parts in DDA the works at the sites were taken up which were stopped by the DD (Hort.)-II, DDA in view of the orders passed by the Hon'ble District Court. Rohini in the writ: petition filed by federation of Ashok Vihar R.W.A. However, Since there was no stay order from the court, your kind intervention was sought in this matter for resuming the works vide this office letter No. D-236/SE-II/2017 dated 29.03.2017. Further, a meeting was also held under the chairmanship of Engineer Member, DDA on dated 09.05.2017 wherein DUSIB was allowed to resume the work of these toilet blocks (copy of the minutes enclosed). Accordingly EE, DUSIB intimated Dy. Director (Hort.-II), DDA vide letter No. D/157/EE C-4/DUSIB/2017 dated 24.05.2017 regarding resuming the works. But on 25.05.2017 the DD (Hort)-II, DDA alongwith Police force demolished all the above said 9 toilet complexes consisting of 540 WC seats (under progress) without any prior intimation to DUSIB. This resulted in uncalled loss of about Rs. 50 Lakh, which could have been avoided and resulted infructuous expenditure.

Hence, the above act of demolition by OD (Hort.)-II, DDA without intimating to DUSIB is found not at all justified and resulted in huge loss to DUSIB arid government; The concerned Ex, Engineer, DUSIB had already requested the Director (Hort.), DDA to intervene in the matter and make good the losses incurred by DUSIB and allow to resume the works. (copy enclosed)

The said park of DDA is under heavy open defecation and DUSIB is trying to make this area OD free by providing sufficient number of toilets. You are therefore, once again requested to intervene in the matter at your personal level and issue necessary direction to Director (Hort.), NW, Delhi to make good the losses incurred by DUSIB and allow DUSIB to resume the works as

already decided In the meeting held on 09.05.2017 with the Engineer Member, DDA.

With regards

(M.K. Tyagi)
Member (Engg.)

Copy to:-

1. Pr Secretary (UD), Govt. of NCT Delhi for kind information please.
2. CEO, DUSIB for kind information please.
3. Engineer Member, DDA for kind information and requested to issue- necessary direction please.
4. Chief Engineer-I, DUSIB.
5. Office Copy.

Member (Engg.)

98. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की बहुत–सी भूमि खाली पड़ी है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि पर अतिक्रमण होने की आशंका है;

(ग) इन खाली पड़े भू–खंडों की साफ–सफाई का उत्तरदायित्व किसका है;

(घ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की कुल भूमि (कब्जे वाली, बिना कब्जे वाली व अतिक्रमणयुक्त) कितनी है, संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराएं; और

(ङ) यदि दिल्ली जलबोर्ड डीयूएसआईबी की भूमि का प्रयोग अंडर–ग्राउंड वाटर रिज़र्वायर बनाने के लिए करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस भूमि पर कब्जा होने की आशंका नहीं है। फील्ड ऑफिसर जैसे कि अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व दूसरे स्टाफ लगातार निगरानी रखते हैं।

(ग) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में खाली जमीन की सफाई का कार्य DUSIB का है।

(घ) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में DUSIB विभाग की जे.जे. कॉलोनी वजीरपुर आती है जिसके अंतर्गत इस विभाग को 293.83 एकड़ भूमि हस्तांतरित है। जिसमें से 167.890 एकड़ भूमि डीडीए द्वारा उपयोग की जा रही है।

(ङ) विभागीय ले आउट प्लान में अंडर–ग्राउंड वाटर रिजर्वायर के लिए, भूमि चिन्हित नहीं है।

99. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डूसिब नोटिफाइड झुग्गी बस्तियों की सूची क्या है;

(ख) उक्त झुग्गी बस्तियों में डूसिब ऐक्ट के अनुपालन के संदर्भ में 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2018 तक पुनर्वास की क्या कोशिशें विभाग द्वारा की गई है; पूर्ण विवरण दें;

(ग) संजय बस्ती, ऑउटरमलेन झुग्गी एवं मलिकपुर टी–हट्स से संबंधित कोर्ट केसेज का पूर्ण विवरण क्या है, दस्तावेज उपलब्ध कराएं;

(घ) बिंदु (ग) में वर्णित केसेज के संदर्भ में डूसिब के वकील द्वारा किये गए प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) डूसिब का बस्ती विकास केंद्र डेयरी नंबर–3 अनाधिकृत तरीके से कब्जे में है इसके संबंधित कोर्ट केस का विवरण क्या है दस्तावेज प्रति उपलब्ध कराएं?

शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार के पास अधिसूचित 675 मूल एवं अतिरिक्त 82 झुग्गी बस्तियों की सूची के अनुसार तिमारपुर विधानसभा (एसी–3) क्षेत्र में निम्नलिखित 16 झुग्गी बस्तियां हैं:–

1. संजय बस्ती तिमारपुर, 2. श्याम बस्ती तिमारपुर, 3. इंद्रा बस्ती नज़दीक तिमारपुर थाना, 4. डेरी न. तीन लखनऊ रोड तिमारपुर, 5. पत्राचार विद्यालय, 6. डॉक्टर अंबेडकर नगर नजदीक वजीराबाद, तिमारपुर, 7. टी–हट्स वजीरपुर शिव मंदिर, 8. नंदलाल कैम्प नजदीक गोपालपुर विलेज पार्ट–I, 9. नंदलाल कैम्प नजदीक गोपालपुर विलेज पार्ट–II, 10. जे.जे. कैंप मुखर्जी नगर डेरी मुंशी राम किंग्सवे कैम्प, 11. सेठी कैम्प इंद्रा विकास कॉलोनी सामने संत निरंकारी सर्वोदय विद्यालय, 12. आउटर्म लेन सामने गुरुद्वारा किंग्सवे कैम्प, 13. पटेल चेस्ट नजदीक ढाका विलेज गाँधी आश्रम के पास मालिक पुर किंग्सवे कैम्प, 14. हडसन ले झुग्गी नजदीक एनडीपीएल ऑफिस किंग्सवे कैम्प, 15. हरिजन लेन झुग्गी बस्ती शिव मंदिर वजीराबाद।

(ख) वर्तमान में संजय बस्ती, तिमारपुर से संबंधित एक मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में विचारधीन है [डब्ल्यू पी (सी) 7323/16 Manju

Sachdeva V/s. OI & Ors.] । माननीय न्यायालय के निदेशानुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा संबंधित भूस्वामी संस्था को दिल्ली स्लम एवम् जे. जे. पुनस्थापना एवम् पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार अग्रिम पुनर्वास राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र दिया जा रहा है। भू–अधिपति संस्था द्वारा मांगी जाने वाली देय राशि जाम कराने उपरांत योग्य झुग्गीवासियों का स्थानांतरण/पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

(ग) (1) WP(C) 7323/16 Manju Sachdeva V/s UOI & Ors. जो कि संजय बस्ती, तिमारपुर से संबंधित है, कि भू–अधिपति संस्था एलएण्डडीओ है। माननीय कोर्ट के दिनांक 13.03.18 के आदेश अनुसार Ministry of Housing and Urban Affairs ने सैंधानतिक रूप से डूसिब को इस बस्ती के याग्य झुग्गीवासियों के लिए देय राशि मंजूर कर ली है। इस विभाग द्वारा/ योग्य भू–स्वामी विभाग को बस्ती के पुनस्थापन हेतु धनराशि जमा कराने के लिए मांग–पत्र जारी किया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 28.07.2018 को हैं। (2) WP (C) 5125/2018 Rajbir Singh V/s. DUSIB जो कि टी–हट्स, ऑट्रमलेन झुग्गी बस्ती से संबंधित हैं। झुग्गीवासियों के विध्वंस हेतु Writ Petition No. 466/2013 Progressive Square RWA V/s. Deepti Vilasa, में माननीय कोर्ट द्वारा 12.08.2016 को आदेश जारी किए गए थे इस झुग्गी बस्ती की भू–अधिपति संस्था डीडीए है। इस मामले में अगली सुनवाई तारीख 18.07.2018 है। (3) WP (C) 5016/2018 Ram Kumar & Ors. V/s. DUSIB & Ors. झुग्गी बस्ती मलिकपुर से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कोर्ट को बताया है कि उनकी झुग्गी एमसीडी द्वारा दिनांक 03.05. 2018 को तोड़ी गई है। माननीय कोर्ट ने इन झुग्गियों का सर्वे करने का आदेश दिये हैं जिससे झुग्गीवासियों की योग्यता निर्धारित की जा सके। अगली सुनवाई तारीख 06.07.2018 है।

(घ) डूसिब के वकील उपरोक्त मामलों में विभाग की पैरवी कर रहे

हैं तथा विभाग का पक्ष दिल्ली स्लम एवम् जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं।

(ङ) बस्ती विकास केंद्र डेयरी नंबर–3 से संबंधित कोर्ट केस मासूम फाउंडेशन एनजीओ बनाम यूओआई एण्ड आदर्श के मध्य W.P. (C)/1898/2008 माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई की तारीख 17.07.2018 है। अंतिम तिथि के न्यायालय के आदेश के प्रति संलग्न है।

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

W.P.(C) 1898/2008

MASOOM FOUNDATION REGD. NGO .....Petitioner

Through : Mr. Anil K. Sangal, Adv. with Mr. Siddharth Sangal, Mr. Abhay K. Tayal and Ms. Sujata, Adv.

versus

UOI & ORS. :.... Respondent

Through : Mr. Parvinder Chauhan, Adv. for R-2 & 3.

Ms. Jyoti Taneja, Adv. along with SI Ajay Kumar. PS Timarpur, for GNCTD.

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE A. K. CHAWLA

ORDER
09.11.2017

Ms. Taneja, learned counsel for the respondent, submits that at present no

alternative site/plot to be offered to the petitioner is available and that the department has no policy to procure land sites to be handed over to any NGO or shifting their existing institutions. Let an affidavit to that effect be filed within four weeks. Response thereto may be filed a week before the adjourned date.

List on 17th July, 2018.

A.K. CHAWLA, J

NOVEMBER 09, 2017
SRwt

100. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ख्याला में चन्देला पार्क के साथ तथा एनडब्ल्यू ब्लॉक में श्मशान भूमि के साथ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त चन्देला पार्क में स्थित जमीन पर तालाब था, जिसको पाट कर अब अनधिकृत रूप से प्लास्टिक का कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो विभाग ने इन जमीनों को खाली कराने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार इन जमीनों को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराने की क्या योजना है; पूर्ण विवरण उपलब्ध करें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ख्याला में चन्देला पार्क के साथ डीयूएसआईबी की कोई भी जमीन नहीं है। एनडब्ल्यू ब्लॉक में श्मशान भूमि के साथ दि.श.आ.सु. बोर्ड

की जमीन पर आईएण्डएफसी विभाग की चौपाल बनी हुई है और अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' के संबंध में यह प्रश्न दि.श.आ.सु. बोर्ड से संबंधित नहीं है।

(ग) लागू नहीं हैं।

(घ) लागू नहीं हैं।

101. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में स्थित पैसिफिक मॉल के पीछे श्याम नगर झुग्गियां हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन झुग्गी के हजारों निवासियों के लिए विभाग द्वारा मात्र एक शौचालय बना हुआ है;

(ग) सरकार इस झुग्गी बस्ती की आबादी को देखते हुए शौचालयों की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) नए शौचालयों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है पैसिफिक मॉल के पीछे श्याम नगर की झुग्गियां हैं।

(ख) के ब्लॉक श्याम नगर जे.जे. बस्ती की 714 झुग्गियों के लिए डीयूएसआईबी का 41 सीट का शौचालय चालू है। तथ्झा इसके अतिरिक्त एमसीडी उत्तरी विभाग का शौचालय है जिनकी 32 सीटे हैं तथा चालू है।

(ग) इस झुग्गी बस्ती की आबादी को देखते हुए डीयूएसआईबी द्वारा एक अतिरिक्त शौचालय (40 मीटर) बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस प्रस्तावित शौचालय को 31 मार्च, 2019 तक पूरा करा दिया जाएगा।

102. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से बोरवेलों, ट्यूबवैलों हैंडपम्पों इत्यादि को सील अथवा बंद किया जा रहा है;

(ख) इनके बंद किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) जिन क्षेत्रों में ये स्रोत बंद किये जा रहे हैं, वहां पर सरकार ने जलापूर्ति की क्या व्यवस्था करी है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम बताएं; और

(च) क्या ऐसे क्षेत्रों में पानी के टैंकर नियमित रूप से भिजवाएं जा रहे हैं?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) और (ख) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 31.01.2018 एवं 20.03.2018 कार्यालय आदेश संख्या 496/2016 के अनुसार क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की गुणवत्ता पीने योग्य नहीं है। अतएव बोर–वेल, ट्यूबवैल्स एवं हैंडपम्पों की सील करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) से (च) मामला संख्या 0A 496/2016 के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिनांक 31.01.2018 आदेशानुसार नार्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार, जनकपुरी, रोहिणी सेक्टर–11 एवं 28, बरवाला, निजामपुर, औचंदी एवं आस–पास के क्षेत्र हैं, इन चिन्हित क्षेत्रों में जलापूर्ति पहले से उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

103. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति करने वाले जल–संयंत्र कौन से हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन सभी जल–संयंत्रों को परस्पर जोड़ने की योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) अशोक विहार फेज–I, II, III, IV, सत्यवती कॉलोनी, वजीरपुर गांव तथा वजीरपुर जे.जे. कॉलोनी में सामान्य जल आपूर्ति हेतु केशवपुरम 'यूजीआर' में अपेक्षित जल–स्तर क्या है;

(घ) क्या केशवपुरम यूजीआर को पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए अपग्रेडेशन की आवश्यकता है;

(ङ) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र यूजीआर की क्या संभावनाएं हैं; और

(च) जल आपूर्ति अंतिम सिरे तक हो सके इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) हैदरपुर एवं वजीराबाद जल संयंत्र से वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र को जल आपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केशवपुरम यूजीआर में अपेक्षित जल स्तर 5 मीटर से 5.10 मीटर है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) क्षेत्र में कोई उपयुक्त स्थान नए यूजीआर के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है।

(च) जल आपूर्ति वर्तमान में अंतिम सिरे तक लगभग की जा रही है। इसके साथ मांग के अनुसार अतिरिक्त पानी की उपलब्धता पानी के टैंकरों द्वारा की जा रही है।

104. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रीन बेल्ट मेन वाटर सप्लाई लाइन परियोजना के प्रथम चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत नगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त प्लांट पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें पूरी तरह सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) बी एवं सी ब्लॉक, औद्योगिक क्षेत्र की वाटर पाइप लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के पास मरम्मत कार्य हेतु कितने श्रमिक हैं; और

(च) छठी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए समस्त खर्च का विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) यह दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

(ख) भारत नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन में 7 पंप लगे हुए हैं, जो सभी चालू हालत में है।

(ग) जी, हां। पम्पिंग क्षमता बढ़ाने के लिए राइजिंग मेन डालने के कार्य को जल बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(घ) पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ङ) जल कार्य हेतु 27 श्रमिक एवं सीवर कार्य हेतु 59 श्रमिक (आपातकालीन जल सेवा केंद्र सहित) उपलब्ध है।

(च) छठी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए समस्त खर्च का विवरण अनुलंग्नक 'अ' में संलग्न है।

अनुलग्नक 'अ'

Subject:-Expenditure encurred in Wazirpur Assembly Constituency (AC17) w.e.f. Feb. 2015 to 31.03.2018

S.No.	Period	Total Expenditure
1	01.02.2015 to 31.03.201 5	1,43,59,886 00
2	01.04.2015 to 31.03.2016	2,83,34,112.00
3	01.04.2016 to 31.03.2017	4,13,52,723.00
4	01.04.12017 to 31.03.2018	1,61,25,705.00
	Total	10,01,72,426.00

Subject: Expenditure encurred in Wazirpur Constituency (AC-17) w.e.f. February, 2015 to 31.03.2015

Sl. No.	Name of Work	Head of Accounts	Head wise total	Gross Amount
1	2	3	4	5
1	Operdration and maintenance for the portable jetting cum suction machine Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer		304669
2	Repl. of undersized sewer line in passages in A-2 Block Keshav Puram AC-17	Branch Sewer		867713
3	P/L of 250 mm dia sewer line H.No. 09 to 20 Sawan Park, Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer		611136
4	Desilting of damaged sewerage system of A Block WPIA, Ashok Vihar by SSMN AC-17	Branch Sewer		1146025
5	Desilting of periperal sewer line by super sucker machine at Captain Satish Marg (Furniture Mkt) Rishi Nagar and near bartan market WPIA	Branch Sewer		878675
6	Tracing of burried manholes rectification and raising of manholes in Nimri Colony and SFS, UG, MIG flats Ashok Vihar Phase-IV AC-17	Branch Sewer		370046
7	Annual repair of tubewells room in Ward No. 65 AC-17	Branch Sewer		321475

8	Rectification of damaged m/Holes, sewer line const. of add m/hole raising repair end desilting of damaged/ burried manholes	Branch Sewer		593057
9	Hiring of a vehicle mounted jetting cum suction machine for maintenance of sewerage system AC-17	Branch Sewer		386393
10	Repl. of old damaged and 250 mm dia sewer line in Sawan Park AC-17	Branch Sewer	6714074	1234885
11	Shifting of 800 mm dia M.S. water main due to const. of outfall drain by MCD UNDER the Railway line in Wazirpur Industrial Area over the water main AC-17	Deposit work MCD		1571676
12	Boring and imp. of Installation of T/W, const. of room and making interconnection of 13 Nos. T/W AC-17	Deposit work MCD	2828051	1256375
13	Repairing and painting of water tanks (Trailor) at Water Emergency Ashok Vihar AC-17	GIA Prov. Water Supply in JJC	549390	549390
14	Annual repair of T/W room in Ward No. 66 Ashok Vihar AC-17	R/W/T/W		442133
15	Repair of Tube-Wells room in Ward No. 66 Ashok Vihar AC-17	Ranney Wells & Tubewells	834266	442133

1	2	3	4	5
16	Maintenance of water supply in JJC under Ward No. 66 AC-17	RODTS		178029
17	Augmentation of water supply in Ward No. 66 AC-17	RODTS		1480335
18	Augmentation and improvement of water supply in Ward No. 68 AC-17	RODTS		539830
19	P/L GI water line network in different JJC and JJR Wazirpur AC-17	RODTS	2569823	371629
20	Const. of additional room with to it ATG Lawarance road, UGR repair and renovation of C-4 sewer store and T/Well room of C-5 Keshav Puram AC-17	Staff Qu. & OA	814282	814282
	Total	14359886	14359886	

Subject: Expenditure encurred in Wazirpur Constituency (AC-17) w.e.f. 01.04.2015 to 31.03.2016

Sl. No.	Name of Work	Head of Accounts	Head wise total	Gross Amount
1	2	3	4	5
1	Repairing of Portable jetting cum suction machine, DL-7C-H-5483 at Nimri Store AC-17	Branch Sewer		498755

2	Desilting of main sewer line by Super Sucker machine Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	451461
3	Engg. of 10 no. SGB AT Wazirpur AC-17	Branch Sewer	207966
4	Repl. of Sewer line by Pipe Burstgang method in D-Block H.No. 269 to main sewer line Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	2156124
5	Hiring of vehicle mounted jetting cum suction machine for maintenance of Sewerage system in AC-17	Branch Sewer	806300
6	Engg. of 10 no. SGB AT Wazirpur AC-17	Branch Sewer	240286
7	Strengthening and raising of mainholes at different places in JJR Wazirpur AC-17	Branch Sewer	452142
8	Replacement of damaged/old sewer line in B-Block Ashok Vihar Phase-I AC-17	Branch Sewer	2437416
9	Restoration of Settled deep 450 mm dia main sewer line opp. pkt. B Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	665000
10	Restoration of settled deep 456 mm dia main sewer line opp. pkt. B Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	1369149
11	Hiring of Vehicle mounted jetting cum suction machine for AC-17	Branch Sewer	639418

1	2	3	4	5
12	Hiring of portable jetting cum auction machine mounted on MBF along with thydraulicaly operate in Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer		488975
13	Desilting/Cleaning of deep internal peripheral sewer lines in JJR, Wazirpur by Super sucker machine AC-17	Branch Sewer		996498
14	Imp. of sewerage system by B&C Block Wazirpur industrial Area in Ashok Vihar-I by debiting by super sucker machine in AC-17	Branch Sewer	11920064	510574
15	Shifting of 800 mm dia MS water main due to const. of outfall drain buy MCD under the Railway line in W.P.I.A. AC-17	Deposit Work (MCD)	1884629	1884629
16	Re-development of tubewells to Ward No. 65 AC-17	R/W/TW		501660
17	Redevelopment of tubewells in Ward No. 66 AC-17	R/W/T/W		409548
18	Repair & maintenance of Deep Bore Pumps in Ward No. 65 & 66 under Wazirpur AC-17	R/W/T/W		76956
19	Imp. of functioning of rain water harvesting at Ashok Vihar OHT AC-17	R/W/T/W	1064118	75954
20	Replacement of 300 mm A/C water line at main road Bharat Nagar new Red Light AC-17	RODTS		485450

21	Tracing & removal of contamination in C-4, C-8 Block Keshav Puram by Shifting of 100 mm dia C1/D1 water line by 100 mm dia D1 water line for stair core & Flats in Wazirpur AC-17	RODTS	2034121
22	Maintenance of water supply in Ward No. 65 under EE (NW) AC-17	RODTS	462937
23	Repl. of 300 mm dia AC water line at main rood Near Bharat Nagar AC-17	RODTS	454615
24	RR charges for the work of old damaged 21" QC water line on main road opposite Hathora Ram Park, Keshav Puram AC-17	RODTS	343025
25	Conts. of chambers for installation of SCADA system in DMA'S by JIC-A team in Pitam Pura AC-17	RODTS	1405005
26	P/L GI wafer line and improvement of water supply in JJC Wazirpur AC-17	RODTS	570890
27	Replacement of old water line in Block C-3 Ashok Vihar Phase-II AC-17	RODTS	991490
28	Imp. of W/S in Chawpal Wali Gali Wazirpur Village & A Block, Ashok Vihar Phase-I by providing 100 mm dia water line in Wazirpur AC-17	RODTS	1348342
29	Removal of contamination & maintenance of water services in JJR Wazirpur AC-17	RODTS	1170486

1	2	3	4	5
30	Providing laying 100 mm dia water line in Shakti Nagar apart. for feeding UGP Ashok Vihar AC-17	RODTS		531079
31	Shifting of old damaged 21" dia C1 water line on main road opposite Hathora Ram Park, Keshav Puram AC-17	RODTS	11034512	1237072
32	Payable To M/S Tanuj Enterprises on A/C of 1st & F.Bill against CA No. 44/13-14 for the Work of Replacement of Deep/Damaged Water Line from A-87/6 to A-61 & A-38 to A/85-1 in WPIA AC-17	Rplmnt. - ODS/ Streng-thening Trunk-D	911224.00	911224.00
33	Special repair at Nimri Sewer Store and water store at SFS Ashok Vihar AC-17	Staff Qr. & O.A.	1280257	1280257
34	Installation of rain water harvesting system at Beni Wale Bagh, JE Store Ashok Vihar in AC-17	Imp. of W.W.	239308	239308
	Total	28334112	28334112	

Subject: Expenditure encurred in Wazirpur Constituency (AC-17) w.e.f. 01.04.2016 to 31.03.2017

Sl. No.	Name of Work	Head of Accounts	Head wise total	Gross Amount
1	2	3	4	5
1	Repl. of damaged/old sewer line in C Block, Ashok Vihar-I	Branch Sewer		2494232

3	Repl. of sewer line B-1 to B-16, C-17 to C-26 and M-1 to M-10, Satyawati Colony, Ashok Vihar Phase-III by pipe bursting method	Branch Sewer	2484300
4	P/L 250 mm dia sewer line from 69 to 96, Bharat Nagar	Branch Sewer	1475647
6	P/L 250 mm dia sewer line In lift-out portion in B-Block Wazirpur Industrial Area	Branch Sewer	17.1/440
8	Replacement of old/damaged/undersized sewer line by pipe bursting method (Pantode) A-Block H.No. 1 to Mother Diary, Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	2084651
9	Replacement of old damaged sewer line by pipe bursting method in F-Block H.No. 70 to 105 in Ashok Vihar-I AC-17	Branch Sewer	2490998
10	Rectification of damaged Old/undersized sewer line by Pipe Bursting method from H.No. 22 to 86 in E-Block, Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	1864090
12	Replacement of sewer line by HOD method of 280 mm O/D in I-Block from 192 to 203, Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer	2071673
13	Hiring of Vehicle mounted jetting cum suction machine 8000 its capacity for maintenance of sewerage system in Ward No. 65, Wazirpur Const. AC-17	Branch Sewer	602799

1	2	3	4	5
14	Hiring of Vehicle mounted jetting cum suction machine 8000 its Capacity for maintenance of sewerage system in Ward No. 65 Wazirpur const. AC-17	Branch Sewer		292334
15	Hiring of Vehicle mounted jetting cum suction machine maintenance of sewerage system Wazirpur const. AC-17	Branch Sewer		295200
16	Engaging of 10 nos. S.G. Beldar for sewerage maintenance work in AC-17	Branch Sewer		509283
17	Raising & Repeating including trading of burried manholes in Ward No. 65 AC-17	Branch Sewer		544897
18	Imp. of peripheral sewer line by super sucker machine in Ashok Vihar AC-17	Branch Sewer		1008246
19	Repl. of sewer line from 1A to 15A, 44A to 56A, 57A to 71A in Pocket-B Ashok Vihar Phase-II	Branch Sewer		852205
20	Repl. of sewer line behind Murga Market in Wazirpur	Branch Sewer		1406573
21	Hiring of vehicle jetting machine in Ward No. 67-68	Branch Sewer		961738
22	Hiring of vehicle Jetting machine in Ward No. 65	Branch Sewer		594318

23	Hiring of jetting cum jetting machine in Ward No. 65	Branch Sewer		124274
24	Hiring of jetting cum suction machine mounted on Mohindra Balero for JJ Colony Wazirpur	Branch Sewer		342672
25	Restoration & settled deep S/L in front of Sindhi Dharam Shall Phase-I Ashok Vihar	Branch Sewer		967212
26	P/L loop line due to settlement of main S/L of J-Block Phase-I Ashok Vihar	Branch Sewer		917163
27	Hiring of super sucker machine for desilting of sewer line in Ward No. 66	Branch Sewer		387600
28	Repl. of settled sewer line at different places in JJR Wazirpur	Branch Sewer	28899214	2389663
29	Maintenance of water services Ward No. 55	Imp. of existing work		704583
30	Installation of rain water harvesting system at Nimri Sewer Store under AC-17	Imp. of Ext. Water		218449
31	Demolition of defunt water OHT at G-Block JJ Colony Wazirpur	Imp. of Ext. Water		532656
32	Removing contamination of water and maintenance of water supply in Ashok Vihar-II, III & IV in AC-17	Imp. of Ext. Water	2212869	657181

1	2	3	4	5
33	Repl. of MS water line by P/L 800 mm dia MS pipe feeding to K. Puram UGR in Prem Bari Pul	RODTS		532485
34	Augmentation and maintenance of water supply in Wazirpur Industrial Area	RODTS		2481529
35	Replacement of Old Damaged GI Pipe line in JJC opposite Ayurvedic Hospital Haider Pur AC-17	RODTS		142673
30	Repair of water leakages in 400 and 150 mm dia water main in Tri Nagar AC-17	RODTS		243323
37	Imp. of sewerage system by replacement of damaged sewer line & const. of additional mainholes and desilting of sewer line in various pockets in K. Puram	RODTS		463889
38	P/L 100 mm dia water line from 37 to 96 Bharat Nagar	RODTS		479659
39	Augmentation and Improvement of water supply in Ward No. 69 in K. Puram	RODTS		924834
40	RR charges for the work of repl. of 100 mm dia water line in A-Block Ashok Vihar-III	RODTS		2190874
41	RR charges for the work of repl. of 100 mm dia water line Wazirpur 467 Wali Gali Wazirpur Village	RODTS		362155

42	RR charges for the work of P/L 150 mm dia water line in B&C-Block Wazirpur Industrial Area	RODTS	10240640	2419219
	Total	41352723	41352723	

Subject: Expenditure encurred in Wazirpur Assembly Constituency (AC-17) w.e.f. 01.04.2016 to 31.03.2017

Sl. No.	Name of Work	Head of Accounts	Head wise total	Gross Amount
1	2	3	4	5
1	Cleaning of deep peripheral sewer lines by Super Sucker Machine in JJR Wazirpur under EE (NW) III, AC-17	Branch Sewer		454780.00
2	Restoration of settled deep sewer line on main road near Sanjay Market J-III Block JJ Colony Wazirpur AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		919199.00
3	Engaging 10 Nos. S.G. Belders for maintenance of sewerage system in AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		400500.00
4	Restoration of settled peripheral sewer line by P/L 600 mm dia Sewer line opposite C-2 near Axis Bank main Road Ashok Vihar Phase-I in Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		1135735.00

1	2	3	4	5
5	Restoration of settled peripheral sewer line by P/L 480 mm dia loop sewer line opposite J-56 Ashok Vihar Phase-I in Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		1132257.00
6	Repair and restoration of settled 250 mm dia sewer line behind B-1 Satyawati Colony Ashok Vihar III in Wazirpur Constituency under EE (NW) III.	Branch Sewer		80810.00
7	Repair and restoration of settled deep sewer line at central market opposite building No. 3&4 near post office Ashok Vihar Phase-I in Wazirpur constituency AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		137728.00
8	Hiring of vehicle mounted jetting cum auction machine 8000 litres capacity for maintenance of sewerage system in Ward No. 74 (Nimri Colony) in Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	Branch Sewer		602500.00
9	Installation of pump and construction of shed for trolley near H.No. L528 JJ Colony Wazirpur, AC-17.	Branch Sewer		934626.00
10	Repair of leakages in 800 mm dia water main at main carriage way of Maharaja Nahar Singh Marg in Keshav Puram & Green Belt along Western Yamuna Canal and in 700 mm dia near red light opposite B-4 Market Keshav	Branch Sewer	6488640	490505.00

	Puram & in Green Belt opposite G&I Block Ashok Vihar Phase-I in Wazirpur Constituency in AC-17.			
11	Improvement of water supply in different JJ Cluster of Wazirpur JJ Colony under EE (NW) III.	Imp. of existing works		600034.00
12	Improvement of water supply by P/L 100 mm dia water line in Wazirpur Village in WP-436 to 437 and WP-302 to 488 lane in Keshav Puram Ward No. 67 in AC-17 Wazirpur Constituency under EE (NW) III.	Imp. of existing works		376184.00
13	Improvement of water supply by P/L 150 mm dia water line for Sawan Park UGR Ashok Vihar Phase-III in Wazirpur Constituency. AC-17 under EE (NW) III.	Imp. of existing works		328583.00
14	Improvement of water supply by P/L 100 mm dia D1 water line in K&C Block Sawan Park, Ashok Vihar Phase-III in Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	Imp of existing works	1940973	636172.00
15	Redevelopment of tubewells in JJ Colony Wazirpur under EE (NW) III, AC-17	R/W/T/W		296558.00
16	Boring of tubewell construction of room and making interconnection to existing water lines in E-Block JJ Colony Wazirpur under EE (NW) III, AC-17, (Re-invite)	R/W/T/W		759917.00

1	2	3	4	5
17	Boring of tubewell construction of room and making interconnection to existing water lines in L-Block JJ Colony Wazirpur under EE (NW) III, AC-17. (Re-invite)	R/W/T/W		700010.00
18	Redevelopment of tubewells in JJ Colony Wazirpur under (NW) III, AC-17.	R/W/T/W	2215537	378122.00
19	Removal of contamination and improvement of supply in Sawan Park and Satyawati Colony Ashok Vihar Phase-III under NW-III.	RODTS		579750.00
20	Improvement of water supply by P/L 100 mm dia D1 water line from Murga Market main lane in Wazirpur Village in Ashok Vihar Phase-I Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	RODTS		980452.00
21	Repair of water leakages in 700 mm dia water main in Green belt along Western Yamuna Canal Ashok Vihar and removal of contamination/improvement of water pressure by laying of water line in Wazirpur Village under EE (NW) III.	RODTS		1115035.00
22	Repair and maintenance of water supply system of Sawan Park Ward, Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	RODTS		600507.00

23	Improvement of water supply by P/L 100 mm dia Water line for A & A-1 Block Satyawati Colony Ashok Vihar Phase-III in Wazirpur Constituency AC-17 under EE (NW) III.	RODTS	3523262	247518.00
24	Improvement of sewerage system by PA, peripheral sewer line for J-Block Ashok Vihar Ph-I and Wazirpur Village in Wazirpur Constituency in AC-17 under EE (NW) III.	Trunk Sewer	1299933.00	1299933.00
25	Hiring of Two Nos. of tractors for Ashok Vihar water Emergency under EE (NW) III for the period of 01.04.17 to 30.09.17	Water Supply in U/A colony		334158.00
26	Hiring of two Nos. of tractors for Ashok Vihar water emergency under EE (NW) III from 11.10.2017 to 31.03.2017	Water Supply in U/A colony	657360	323202.00
	Total		16125705	16125705.00

105. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता नार्थ–1 में 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2018 तक लगी हुई आरटीआई आवेदनों की सूची और आवेदनकर्ताओं की सूची के बारे में पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड अधिशासी अभियंता नार्थ 1 में 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 किये गये आरटीआई आवेदन के संदर्भ में क्या उत्तर दिये गये, कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें; और

(ग) 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक पीजीएमएस के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड अधिशासी अभियंता नार्थ 1 के क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत क्या शिकायतें प्राप्त हुई एवं उस पर क्या कार्रवाई की गई, कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) सूचना संलग्नक 'अ' में संलग्न है।

(ख) सूचना संलग्नक 'ब' में संलग्न है।

(ग) सूचना संलग्नक 'स' में संलग्न है।

106. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर, 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पूर्व, फरवरी, 2014 से फरवरी, 2015 तक राष्ट्रपति शासन के दौरान तथा वर्तमान में जल आपूर्ति की समय–सारिणी क्या रही है;

---

*सभी संलग्नक www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में 'यूजीआर' तथा 'ओएचटी' के विकेंद्रीकरण को समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य था;

(ग) उक्त सभी यूजीआर व ओएचटी में से प्रत्येक का सटीक स्थान तथा उनके उपयोग के संदर्भ में उनकी वर्तमान स्थिति बताएं;

(घ) क्या उक्त सभी यूजीआर वे ओएचटी में मरम्मत की आवश्यकता है;

(ङ) वे क्या कारण थे जिनके चलते दिल्ली जल बोर्ड तथा एमएनडब्ल्यूएस ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में दिन में एक बार जल आपूर्ति का निर्णय किया;

(च) इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में जल आपूर्ति के समय की सटीक जानकारी कॉलोनी–वार अलग–अलग उपलब्ध कराएं जिसमें आपूर्ति समय के अंतिम मिनट तक का उल्लेख हो;

(छ) डीयर पार्क यूजीआर, एमबीआर जीके तथा एमएनडब्ल्यूएस के ऑरबिंदों कॉलेज के सामने वालजे यूजीआर के अंतर्गत चल रहे सभी हेड्स के वॉटर इनफ्लो और आउटफ्लो का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ज) आउटफ्लो के उक्त ब्यौरे में प्रत्येक हेड से होने वाली जल आपूर्ति की अवधि, जल आपूर्ति का प्रेशर तथा जल आपूर्ति की मात्रा का विवरण एवं प्रत्येक आउटफ्लो और इनफ्लो पाइप की विभिन्न टेपिंग्स का विवरण भी उपलब्ध कराएं;

(झ) इस विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार के लिए लगभग दो वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए हाइड्रोलिक मॉडलिंग प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है;

(ञ) उक्त प्रोजेक्ट की समय–सीमा भी बताएं जिसके अंदर और जिसके अनुसार मेरे विधानसभा क्षेत्र में उक्त प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा;

(ट) इस विधानसभा क्षेत्र में जल–उपलब्धता की दृष्टि से सबसे खराब स्थिति वाले क्षेत्र कौन से हैं और कितने समय से उनकी यह स्थिति है;

(ठ) दिल्ली जल बोर्ड इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है और यह सुधार कब तक हो जाएगा;

(ड) क्या यह सत्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ट्यूबवेल समान गुणवत्ता के जल की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना बंद कर दिए गए;

(ढ) यदि हां, तो क्यों; और

(ण) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों से कितनी कमी की पूर्ति की जा सकेगी;

(त) गीतांजलि एन्क्लेव और नवजीवन विहार में चौबीसों घंटे जल आपूर्ति का अनुभव कैसा रहा है तथा विधानसभा क्षेत्र एसी–43 में एमएनडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में चौबीसों घंटे जल आपूर्ति हेतु समय–सीमा क्या है;

(थ) एसी–43 जल बोर्ड के क्षेत्रांतर्गत चौबीसों घंटे जल आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(द) गंदे पानी की शिकायतों के निपटान के लिए क्या स्थायी निर्देश एवं व्यवस्था है;

(ध) क्या दिल्ली जल बोर्ड के पास मोटरयुक्त वॉटर टेंकर हैं जिनसे आपात स्थिति में ओवरहेड टेंकों तक पानी पहुंचाया जा सके;

(न) यदि हां, तो इसका विवरण उपलब्ध कराएं; और

(प) यदि नहीं, तो क्यों; और

(फ) विगत तीन वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा विधानसभा क्षेत्र–वार उपलब्ध कराएं?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) **पीपीपी क्षेत्रः–**

जल आपूर्ति समयः

मालवीय नगर	3.30 से 6.30 सुबह
दिसम्बर, 2013 से पूर्व तथा	3.30 से 5.30 सायं
फरवरी, 2014 से फरवरी, 2015 तक	कुछ क्षेत्रों में केवल T/Well का पानी दिया जाता था।
वर्तमान जल आपूर्ति समय	सुबह 04.00 से 7.00 उच्च दबाव के साथ गीतांजलि तथा नवजीवन विहार 24×7

पीपीपी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रः

दिसम्बर, 2013 से पूर्व तथा
फरवरी, 2014 से फरवरी, 2015 तक

डीयर पार्क यूजीआर	सुबह 3 से 6 तक
	शाम 3 से 6 तक
एमबीआर जी.के.–1 यूजीआर	सुबह 1 से 5 तक
	शाम 1 से 5 तक

वर्तमान जल आपूर्ति समयः

डियर पार्क यूजीआर	सुबह 2 से 6 तक
	शाम 4 से 6 तक
एमबीआर जी.के.–1 यूजीआर	सुबह 12.30 से 5.30 तक
	शाम 2.30 से 5.30 तक

(ख) मालवीय नगर यूजीआर बनने से पहले स्थानीय यूजीआर को ट्यूबैवल तथा फिल्टर पानी से भरा जाता था, अब मालवीय नगर यूजीआर बनने के पश्चात् फिल्टरड पानी वितरित किया जाता है तथा अब स्थानीय यूजीआर की आवश्यकता नहीं है।

(ग)

क्रमांक	स्थान	उपयोग
1	2	3
1.	मालवीय नगर यूजीआर बसंत कौर मार्ग	प्रयोग में हैं।
2.	मालवीय नगर ओएचटी बसंत कौर मार्ग	प्रयोग में नहीं हैं।
3.	शिवालिक ए–ब्लॉक यूजीआर बसंत कौर मार्ग	प्रयोग में नहीं हैं।
4.	विजय मंडल डीडीए फ्लैट यूजीआर	प्रयोग में नहीं हैं।
5.	कुमार बस्ती हौज रानी यूजीआर	प्रयोग में नहीं हैं।
6.	अधचिनि डीडीए फ्लैट यूजीआर	प्रयोग में नहीं हैं।
7.	यूजीआर सफदरजंग एन्कलेव	प्रयोग में नहीं हैं।

1	2	3
8.	ग्रीनपार्क ओवर हेड टैंक	प्रयोग में नहीं है। इस परिसर को कनिष्ठ अभियन्ता एवं स्टोर के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(घ) जो यूजीआर प्रयोग में है, उनकी मरम्मत आवश्यकता अनुसार की जाती है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्र में पानी की आपूर्ति दो बार की जाती है।

पीपीपी क्षेत्र

पहले दो बार जल की आपूर्ति कम दबाव पर की जाती थी जिस से अंतिम छोर पर पानी ने उपलब्ध होने की बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी। अब जल की आपूर्ति उच्च दबाव पर की जाती है।

जल आपूर्ति दिन में एक बार करने के निर्णय के निम्न कारण भी हैः—

- कुछ कॉलोनियों में भूजल के स्थान पर फिल्टर वाटर की उपलब्धता करना;
- कुछ नई कॉलोनियों में जल आपूर्ति शुरू करना तथा
- मालवीय नगर यूजीआर पर पूरा पानी नहीं उपलब्ध होना है।

(च) **पीपीपी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र** : अर्जुन नगर, हुमायूं, पुर, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन, सफदरगंज, इंकलेव, युसुफ सराय, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया में पानी की सप्लाई सामान्यतः डियर पार्क से सुबह 2 से 6 बजे पूर्वाह्न और शाम को 4 से 6 बजे अपराह्न की जाती है। हौज खास, मेफेयर गार्डन, मस्जिद मोड, उदय पार्क, नीती बाग में पानी की सप्लाई सामान्यतः एमबीआर ग्रेटर कैलाश से सुबह 12.30 बजे से 5.30 तक तथा शाम 2.30 से 5.30 बजे तक की जाती है।

पीपीपी क्षेत्र

पीपीपी क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनियों में जल आपूर्ति का समय मालवीय नगर, शिवालिक, खिड़की एक्सटेंशन, सर्वप्रिय विहार सुबह 04.00 से 7.00 है।

(छ)

यूजीआर का नाम	Inflow (MGD)	Outflow (MGD)
डियर पार्क बीपीएस	15 से 16 एमजीडी	15 से 16 एमजीडी
एमबीआर	18 से 20 एमजीडी	18 से 20 एमजीडी
मालवीय नगर		
100 mm dia line from GK	4-5 MGD	4-5 MGD
700 mm dia from GK	4-5 MGD	4-5 MGD
1000 mm dia from Deer Park	1-1.5 MGD	1-1.5 MGD

(ज)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पम्पिंग (एमजीडी)	प्रेशर
(A)	**डियर पार्क बीपीएस**		
1.	ग्रीन पार्क	3.84 MGD	30-35 PSI
2.	पुरानी महरौली	3.75 MGD	35-40 PSI
3.	नई महरौली	2.56 MGD	30-35 PSI
4.	किशन गढ़	3.0 MGD	90-100 PSI
5.	मुनिरका	3.84 MGD	40-45 PSI
(B)	**एमबीआर**		
1.	डियर पार्क क्षेत्र	3.25 MGD	30-35 PSI
2.	गीतांजली मेन	15-18 MGD	35-65 PSI
(C)	**मालवीय नगर**		
1.	Header-1 Vihar, Katvariya Sarai	5-6 MGD	2-2.8 Kg/cm^2
2.	Header-2 IGNOU, Lodo Sarai, Saidulajab, Neb Sarai	3-3.3	2-3.3 Kg/cm^2

(झ) कन्सलटेंट ने विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट दे दी है जिस पर कार्रवाई प्रगति पर है।

(ञ) कार्य आबंटन के बाद विभिन्न कार्यों में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

(ट) और (ठ) सूचना संलग्नक 'अ' में संलग्न है।

(ड) और (ढ) ट्यूबवेलों में पानी का जल स्तर गिरने व क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार करने के बाद ट्यूबवेल बंद किये गए हैं।

(ण) अतिरिक्त पानी के लिए पड़ोसी राज्यों से प्रयास किये जा रहे हैं।

(त) और (थ) उपभोक्ताओं तक इसका नाम पहुंचा है तथा अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने पर पीपीपी के बाकी क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था की जाएगी।

(द) गंदे पानी की शिकायतों को उच्च वरियता के आधार पर निपटाया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सामान्यतः निम्न कार्रवाई की जाती हैः–

1. पुराने क्षतिग्रस्त कनेक्शनों को चिन्हित करके नियमानुसार बदलवाया जाता है।

2. गंदे पानी की शिकायतों के निपटाने के लिए पुरानी क्षतिग्रस्त पानी की लाइनों का बदलने का कार्य किया जाता है।

3. नालों तथा मेनहॉल से जाने वाली पाइप लाइन को बहार किया जाता है।

(ध) जी, नहीं।

(न) भाग 'ध' के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(प) दिल्ली जल बोर्ड की मोटरयुक्त वॉटर देकर से उपभोक्ता के ओवरहेड टेंकों तक पानी पहुंचाने की कोई नीति नहीं है।

(फ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विधानसभा—वार कोई बजट का प्रावधान नहीं होता है। पिछले 3 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(करोड़ों रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	खर्च
1.	2017—18	1548.52 (अनुमानित)
2.	2016—17	1380.29
3.	2015—16	1677.49

विगत तीन वर्षों में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में किये गये खर्चे का ब्यौरा निम्न है:—

2015—16	2016—17	2017—18
274.20	376.57	485.34 (लाखों में)

पीपीपी मालवीय नगर प्रोजेक्ट में विगत तीन वर्षों में कुल 33.56 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं जिसका विधानसभा अनुसार विवरण उपलब्ध नहीं है।

2015—16	2016—17	2017—18
1271	1133	952 (लाखों में)

अनुलंग्नक 'अ'

विषयः— दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत पानी की परेशानी वाले क्षेत्रः—

1.	ब्राह्मण बस्ती मस्जिद मोठ	—	इस क्षेत्रों में गर्मियों में कुछ घरों में पानी की समस्या आती हैं, इसके निवारण के लिए पिछले साल एक ट्यूबवेल लगाया था। जो इस क्षेत्र में सप्लाई दे रहा है। इस क्षेत्र में फिल्टर वॉटर की उपलब्धता के लिए ऑन लाईन वास्टर लगाया है, और ट्रेन्च लेस द्वारा पानी की लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।
2.	सी—4, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया	—	इस क्षेत्र में गर्मियों में कुछ घरों में कम पानी आने की समस्या आती हैं, पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पानी की लाईन डालने का बर्क आर्डर हो चुका है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
3.	बी—4, सफदरजंग इन्कलेव	—	पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पुरानी लाईन को बदलना प्रस्तावित इसके बाद पानी उपलब्ध हो सकेगा।
4.	ए—1 ब्लॉक सफदरजंग इन्कलेव	—	इस ब्लॉक के कुछ घरों में गर्मियों में पानी की आपूर्ति और खप्त में अंतर के कारण दबाव कम हो जाता है। स्थानीय वितरण प्रणाली में बदलाव कर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।

5.	के–ब्लॉक ग्रीन पार्क एक्सटेंशन	–	इस ब्लॉक के कुछ घरों में गर्मियों में पानी की आपूर्ति और खपत में अंतर के कारण दबाव कम हो जाता है। स्थानीय वितरण प्रणाली में बदलाव कर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।

Subject:- Primary reservoir and rising main under SW-III.

Sl. No	Name and Size of Rising Main	Name of Tapping	Size of Tapping
1	2	3	4
1.	900/600 mm dia Green Park Main	Near HDFC Bank B-6 Mkt	100 mm dia
		Near B-6/23	150 mm dia
		Near B-6/23	150 mm dia
		Near B-7/10	100 mm dia
		B-7/109	100 mm dia
		F 14, Arjun Nagar	100 mm dia
2	900mm dia Deer Park Main	Near Red Light Arjun Nagar	100 mm dia
		Opp. School	100 mm dia
		B-5/1 S.J. Enclave	100 mm dia
		Near Mahindra Showroom	100 mm dia
		Near NCC Office	150 mm dia
		B-5/130 S.J.E	100 mm dia

1	2	3	4
		B-5/25 S.J.E	100 mm dia
			100 mm dia
		Between B-2 & B-3 Block	100 mm dia
			100 mm dia
			100 mm dia
		Near A-1 Mkt S.J. Enclave	100 mm dia
			100 mm dia
			100 mm dia
		Near Kamal Cinema	100 mm dia
		Car Parking	100 mm dia
		Near Gate of C-7 Block	100 mm dia
		Near Telephone Exchange	50 mm dia
		K-17 Hauz Khas	100 mm dia
		C-2/4 Hauz Khas	150 mm dia
		K-1 Hauz Khas	50 mm dia
		Opp Aurobindo Mkt	300 mm dia
		Near Taxi Stand	150 mm dia
		C-9 Hauz Khas	100 mm dia
		C-1 Green Park	150 mm dia
		Near Mahindra Showroom	100 mm dia

1	2	3	4
		Near Mandir	100
			100 mm dia
		Near Fruit Mkt Gautam	300
		Nagar	100 mm dia
		Red Light Arjun Nagar	100 mm dia
		Inside Hauz Khas UGR	100 mm dia
		Near Hauz Khas UGR	100 mm dia
		Hauz Khas UGR for filling of UGR	100 mm dia
		Inside Park Hauz Khas UGR	150 mm dia

107. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अनेक क्षेत्रों में लोगों को सीवर युक्त दूषित पेय जल मिल रहा है;

(ख) सरकार को किन–किन क्षेत्रों व कॉलोनियों से सीवर युक्त पेय जल आपूर्ति की शिकायतें मिली हैं;

(ग) सरकार को अब तक सीवर युक्त पेय जल की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनों का समाधान किया गया है;

(घ) सरकार की पुरानी पाईप लाईनों को बदलने की क्या योजना है?

(ङ) किन–किन क्षेत्रों में कितनी–कितनी पाईप लाईनों के बदले जाने की योजना है; और

(च) सरकार द्वारा नई पाईप लाईन बिछाने के कितने दिन बाद पेय जल उपलब्ध करा दिया जाता है?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी पेय जल की आपूर्ति से संबंधित जी भी शिकायतें नित्यप्रति प्राप्त होती हैं, इन्हें तुरंत ठीक कर दिया जाता है। अप्रैल 2018 में 1158 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका समाधान कर दिया गया है।

(घ) और (च) समय–समय पर आवश्यकतानुसार व धन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से बदला जाता है जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है तथा पाईप लाइन के बदले जाने की स्थिति में कार्य संपन्न होते ही पेय जल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाती है।

108. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने झुग्गी बस्तियों में घर–घर पानी पहुंचाने का वायदा किया था;

(ख) इसको लेकर सरकार की क्या नीति है और अब तक क्या प्रगति हुई है

(ग) इसके लिए वर्ष 2018–19 में कितना बजट आबंटित है;

(घ) अब तक कितनी झुग्गी बस्तियों में पानी पहुंचा दिया गया है; और

(ङ) कब तक पाइप लाइन बिछाकर सभी बस्तियों के सभी मकानों में पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) और (ख) झुग्गी बस्तियों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पब्लिक हाईड्रेन्ट सिस्टम एवं टैंकरों के द्वारा पाने के पानी की आपूर्ति की जाती है।

(ग) झुग्गी बस्तियों में पानी पहुंचाने के कार्य के लिए वर्ष 2018–19 में रुपये 7.00 करोड़ आबंटित किये गये हैं।

(घ) सभी झुग्गी बस्तियों में पानी की आपूर्ति सार्वजनिक नल (पब्लिक हाईड्रेन्ट) तथा टैंकरों द्वारा की जा रही है।

(ङ) यह एक नीतिगत मामला है।

109. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किये जाने वाले पानी की भारी किल्लत है;

(ख) क्या यह सत्य है कि अधिकतर क्षेत्रों में पानी का दबाव बहुत कम है और इसके कारण ग्राउंड फ्लोर से उपर रहने वाले अधिकतर नागरिकों को पानी नहीं पहुंच पाता है;

(ग) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति कितनी बार की जाती है और किस–किस समय की जाती है;

(घ) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में किन–किन कॉलोनियों व क्षेत्रों में पानी की सबसे अधिक किल्लत है; और

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड राजौरी गार्डन क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं, परन्तु पिछले कुछ महीनों से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने तथा कच्चे पानी की कम उपलब्धता के कारण (हरियाणा से) पानी की मात्रा में कुछ कमी आई है जिससे कि कुछ क्षेत्रों में जो कि नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित है वहां पर कम समय के लिए पानी की उपलब्धता हो पा रही है।

(ख) जी, नहीं। कुछ क्षेत्र में जो कि नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित हैं वहां पर पानी की उपलब्धता कम दबाव पर होती है।

(ग) राजौरी गार्डन विधान सभा में पानी की सप्लाई प्रातः 5 बजे से 7.45 बजे तक और सायं 5 बजे से 7.30 बजे तक की जाती है।

(घ) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में नवयुग ब्लॉक एफ ब्लॉक विष्णुगार्डन तथा संतनगर एक्सटेंशन में पानी की किल्लत है।

(ङ) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई ख्याला पम्प हाउस से की जाती है। राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंदर समान रूप से पानी की उपलब्धता अच्छे प्रेशर पर करने हेतु ख्याला पम्प हाउस के कमांड क्षेत्र में हाइड्रोलिक मॉडलिंग का कार्य प्रगति पर है। इसके द्वारा अनुमोदित सुझावों की स्वीकृति के उपरांत इन सुझावों को लागू किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अच्छे दबाव से पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।

110. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड के पास विभिन्न श्रेणियों में कितने उपभोक्ता है;

(ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड में अलग–अलग श्रेणियों में कुल कितने कनेक्शन लगा रखे हैं;

(ग) इनमें से कितने उपभोक्ता लगातार भुगतान कर रहे हैं व कितनों के लिए लंबे समय से लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि मीटर चलते होने के बावजूद भी मीटर रीडरों द्वारा बिल बंद मीटर के हिसाब से गलत बिल बनाने की दिल्ली जल बोर्ड के पास शिकायतें आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दें?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ता दो श्रेणियों में आते हैं – घरेलू (I) एवं व्यावसायिक (II)। राजस्व प्रबंधन प्रणाली (R.M.S.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्टिव उपभोकताओं की संख्या निम्न प्रकार हैः–

घरेलू उपभोक्ता (C-I)	:	21,71,147
व्यावसायिक उपभोक्ता (C-II)	:	81,014
कुल	:	22,52,161

(ख) राजस्व प्रबधंन प्रणाली (R.M.S.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की अलग–अलग श्रेणियों में उपभोक्ताओं की संख्या निम्न प्रकार हैः–

घरेलू उपभोक्ता (C-I)	:	38,273
व्यावसायिक उपभोक्ता (C-II)	:	2,385
कुल	:	40,658

(ग) राजस्व प्रबंधन प्रणाली (R.M.S.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कुल 24,236 उपभोक्ताओं पर रुपए 91,08,83,905/– की राशि बकाया है। (प्रिंसिपल राशि रुपए 48,96,59,627/– (+) लेट पेमेंट सरचार्ज राशि रुपए 41,12,24,278/–)

वर्ष 2017–18 में राजस्व प्रबंधन प्रणाली (R.M.S.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के 11,390 उपभोक्ताओं से रुपए 6,02,98,147/– का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें से रुपए 1,68,99,575/– बकाया राशि (Arrears) का था।

(घ) और (ङ) इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर उसकी जांच करके उस पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः श्रीमती सरिता सिंह 280।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि नियम 280 के तहत आपने मुझे मेरी क्षेत्रीय समस्याओं को रखने का मौका दिया। आज मैं अपने क्षेत्र में जो बिजली की कटौती हो रही है, उसका ध्यानआकर्षण करना चाहूंगी मंत्री जी का कि जब से गर्मी आयी है, तब से लगातार बिजली की कटौती बढ़ गयी है और मेरे पूरे क्षेत्र में स्पेशियली अशोक नगर में, जगतपुरी में, न्यू मार्डन शाहदरा में, वेलकम में, स्पेशियली मैं नाम मेंशन कर रही हूं, भगवानपुर खेड़े में, राम नगर में, स्पेशियली यहां पे लाइट्स बहुत ज्यादा जा रही हैं और लाइट जाने का जो टाइमिंग है, वो हर दिन सेम हो रहा है। यानी सुबह जिस टाइम जल बोर्ड का पानी आता है, सुबह के टाइम

पे, नियमित रूप से उस समय लाइट चली जाती है जिस वजह से लोग पानी भी नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसमें एक बार डाइरेक्शन मंत्री जी की तरफ से बिजली कंपनी बीएसईएस को दी जाए, सीओ को दी जाए कि जो लाइटें हैं... जो लाइट्स डेली काटी जा रही हैं, वो किसलिए काटी जा रही हैं। माना जा सकता है कि किसी कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो एक दिन होगा, 3–4 घंटे के लिए लाइट चली गयी, पर डेली मेंटेनेंस का काम नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इसकी पूरी जानकारी ली जाए और इसको सख्त हिदायत दी जाए कि लाइट की जो कटौती बहुत भारी मात्रा में हो रही है, उसको कम किया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोम दत्त जी।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मेरी विधान सभा के अंदर काफी संख्या में जो छोटे–छोटे दुकानदार हैं, उनसे जुड़ी हुई एक समस्या रखना चाह रहा हूं। दिल्ली में हर साल पहले ऐसा होता था कि 30 जून तक जो छोटे–छोटे व्यापारी हैं, छोटे–छोटे उद्यमी हैं, उन्हें 30 जून तक कन्वर्जन चाज जमा कराने होते थे और ये व्यवस्था मास्टर प्लान–2021 के मुताबिक दिल्ली में तीन तरह के रोड नोटिफाइड किए गए थे कमर्शियल रोड, मिक्स्ड लैंड और पेडेस्ट्रियन रोड। तो इन रोड के ऊपर जो भी व्यापारी अपनी दुकानें चला रहे थे, व्यापार चला रहे थे, उनको हर साल 30 जून तक ये कन्वर्जन चार्जिज जमा कराने होते थे और ये व्यवस्था 10 साल के लिए लागू की गयी थी और 10 साल से वो लगातार जमा भी करा रहे हैं। अब ये 11वां साल है, रोजाना बहुत सारे दुकानदार आते हैं जो ये कहते हैं कि अब ये 11वां साल है और क्या हमें ये कन्वर्जन चार्जिज अब भी पे करने हैं। क्योंकि एमपीडी–2021

के मुताबिक ये 10 साल के लिए किए गए थे। इस संदर्भ में मैंने विभाग से एमसीडी के अंदर भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश करी कि 11वां साल है, ये 10 साल से लगातार जमा करा रहे हैं इनके पास 10 साल की रसीदें भी हैं और ये 10 साल के लिए भी वैलिड किया गया था न्यूजपेपर में भी यही लिखा था कि 10 साल के लिए इन लोगों को कन्वर्जन चार्जिज जमा कराने हैं। ये समय—सीमा अब खत्म हो गयी है तो 11वें साल में क्या करना है, इस मामले पे विभाग से जो एमसीडी का डिपार्टमैंट है जो ये कन्वर्जन चार्जिज रिसीव करता है, वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा, संबंधित अधिकारियों से भी बात करी है और मुद्दा सिर्फ मेरी विधान सभा का ही नहीं है दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों जो छोटी—छोटी दुकानें चल रही हैं इन रोड के ऊपर, उनके मन में भी यही सवाल है कि 10 साल पूरे हो गये हैं, क्या उन्हें अभी भी ये कन्वर्जन चार्जिज जमा कराने हैं, नहीं कराने हैं, क्योंकि एज पर रूल, एज पर मास्टर प्लान ये समय—सीमा 10 साल की है जो कंप्लीट हो चुकी है और हर साल कई हजार करोड़ रुपये कन्वर्जन चार्जिज ऑलरेड्डी 10 साल से वसूल किए जा चुके हैं, एक भी कन्वर्जन चार्ज के नाम पे पार्किंग नहीं बनी, इसें आगे क्या होगा, इस विषय में आपसे चाहता हूं कि इसका जवाब अधिकारियों से लेके बताया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान परिवहन विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। डीटीसी की जजो बसें हैं उनको जो ड्राइवर हैं, वो अपनी

मनमर्जी से जो है रूट को चेंज कर लेते हैं। दिल्ली कैंट के क्षेत्र से जो सदर बाजार के पास से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ई दिल्ली के तरफ से होके जाती हैं तो दिल्ली कैंट में जो सादर बाजार है, उसको साइड में छोड़ के और डायरेक्ट उन बसों को निकाल दिया जाता है।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, इसमें बस रूट नं. आपने कोई मेंशन नहीं किया। कोई है तो तब तो चीज सॉलिड बनती है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः ठीक है, मैं लिख कर दे दूंगा और मैंने लिखा पहले भी मंत्री को लिखा हुआ है और जो है, उसके बाद जो महराम नगर गाँव है, एयरपोर्ट के सामने से बसों को न गुजार के सीधा पालम गांव की तरफ को ले जाया जाता है और पालम से आने वाली बसों को सीधा नई दिल्ली की तरफ ले आते हैं। इसी प्रकार पुरानी नांगल जो गांव है, वहां पर जो है ना, कई सारे बस के रूट बने हुए हैं परंतु उन रूट के ऊपर बस नहीं है जिसकी कई बार जो है ना, माननीय मंत्री जी को भी कई बार लिख चुका हूं। पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया जिसके कारण अनेकों लोगों को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि यह समस्या दिल्ली कैंट ही नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या है। इस परेशानी के कारण लोगों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि परिवहन विभाग के ऊपर जो है ना, अपनी मनमर्जी से काम हो रहा है। इसीलिए इनके ऊपर कोई जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनकी चेकिंग के लिए कुछ अधिकारी लगाए जाएं ताकि इस तरह से जो रूट को चेंज करने वाले जो ड्राइवर हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो जनता जो बस के अंदर सफर कर रही है, उसको इसका फायदा मिल सके, धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में बिजली के बिलों को जमा कराने के लिए नकद सीमा (कैश लिमिट) की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में बिजली के बिलों को कैश में जमा कराने के लिए इस समय चार हजार रुपये की सीमा निर्धारित है अर्थात् यदि बिजली के बिल की राशि चार हजार रुपये से अधिक है तो उस बिल का भुगतान नकद धनराशि में नहीं किया जा सकता, उसका भुगतान केवल चैक या कैशलेस साधनों द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है।

अध्यक्ष जी, चार हजार रुपये से अधिक के बिजली के बिलों को जमा कराने के लिए नगद राशि में जमा कराने की तय सीमा के कारण बहुत से बिजली उपभोक्ताओं को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके बिजली के बिल चार हजार रुपये से अधिक राशि के आते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके या तो बैंक में खाते नहीं है और यदि उनके खाते हैं भी तो उनमें चैक बुक की सुविधा नहीं हैं। अतः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए, बिजली कंपनियों, बीआरसी को निर्देश जारी करके बिजली बिलों को कैश में जमा कराने की सीमा हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये करवाने की कृपा करें ताकि प्रभावित लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके, धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री प्रवीण कुमार जी, अनुपस्थित, जगदीश प्रधान जी अनुपस्थित, सिरसा जी अनुपस्थित, प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाशः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

मैं आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से संगम विहर विधान सभा देवली विधानसभा की पानी की समस्या की ओर कराना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 2015 में अध्यक्ष जी 90 करोड़ की सैंक्शन जल बोर्ड ने करी थी कि सोनिया विहार की लाइन पूरे संगम विहार में बिछा दी जायेगी आज साढ़े तीन चार साल हो गये, न पानी की लाइन बिछी... मगर अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 50 परसेंट एरिये मे ंपानी दिया, वहां पर लोगों ने अपने प्राइवेट सोर्स से लाइन डाल के वहां पानी का यूज किया। अभी कुछ महीनों से हरियाणा की वजह से पानी नहीं आ रहा था तो पूरी दिल्ली की समस्या समझ में आती है।

अध्यक्ष जी, मेरे इधर एसडीएम ने सात आठ प्राइवेट बोर सील कर दिये जो लोग उनसे पानी पीते थे। वो भी अब उन्हें बिना पानी रहना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, जल बोर्ड ने पिछले चार साल में अब जो काम हरियाणा नहीं कर सकता जो हम हरियाणा के ऊपर निर्भर हैं, वो अलग बात है कि चलो हरियाणा से जब आयेगा, तब आयेगा, हम जनता को समझाएंगे।

अध्यक्ष जी, पिछले एक महीने से लोग सुबह मेरे घर पर तीन बजे आ जाते हैं। तीन बजे मुझे जगाते हैं कि साहब, पानी नहीं आ रहा। उन्हें जैसे तैसे समझाते हैं, वो अलग बात है अध्यक्ष जी। मगर जो हम कर सकते हैं, हम ट्यूबवैल लगा सकते हैं, हम टैंकर भेज सकते हैं समर एक्शन प्लांट पहले बनता था, इस साल शायद वो भी हमारे वॉइस चेयरमेन साहब की वजह से हीं बन पाया, पता नहीं क्या कारण रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ। मेरी विधान सभा में अध्यक्ष जी, इतनी दिक्कत आई, अभी

टैंकर बढ़े, वॉइस चेयरमेन साहब के इधर मैंने पर्सनली मीटिंग करी। उन्होंने कहा, 15 टैंकर बढ़ा देते हैं। न टैंकर बढ़े... तीन। अध्यक्ष जी, पिछले चार साल से एक ट्यूबवैल नहीं लग पा रहा। अब ये किसकी कमी है, देखना पड़ेगा। अभी कल नरेश जी भी इसी बात का बखान कर रहे थे कि उनके उधर साठ ट्यूबवैल सैंक्शन हैं मगर लग नहीं पा रहे। अध्यक्ष जी, मेरे इधर 70 से 80 बोर सैंक्शन हैं, लग नहीं पा रहे। मैंने पूरा जल बोर्ड में पता करा कि पूरे साऊथ दिल्ली में 700 से 800 बोर हैं जो लग नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, अगर ये ऐसे ही हम अपने रिसोर्स का पानी नहीं लगा के दे पाएंगे तो एक दिन आयेगा कि हमारे कपड़े फट जाएंगे।

अध्यक्ष जी, मैंने एक समाधान बताया था वॉइस चेयरमेन साहब को, जलबोर्ड वाले को कि जगह—जगह पर जैसे ट्यूबवैल इसलिए नहीं लग पा रहे कि ट्यूबवैल वालों को पेमेंट नहीं हो पाता। प्रायरिटी बेसिस पर उन्हें छह महीने बाद पेमेंट होता है। तो दिल्ली में दो ही ठेकेदार थे। एक भी चला गया, एक ब्लैक लिस्ट हो गया। अब एक ही बचा है। अगर ये थोड़ा इनीशियेट करके प्रायरिटी बेसिस पर ट्यूबवैल लगाने का काम करें तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनी में शायद ट्यूबवैल लग के लोगों को राहत मिलेगी। तो अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से कि... एक सुझाव था मेरा कि इसे वाइस चेयरमेन साहब थोड़ा प्रायरिटी पर लें ताकि दिल्ली में हम जो कर सकते हैं, जल बोर्ड कर सकता है, उस पर काम हो सके, लोगों को पानी मिल सके। मेरा घर, मेरी विधान सभा में है। वाइस चेयरमेन साहब दो विधान सभा दूर रहते हैं। वो तकलीफ मैं समझता हूं। लोग मेरे घर आ जाते हैं तो अगर वाइस चेयरमेन साहब इस तकलीफ को थोड़ा समझें तो लोगों को राहत मिलेगी, थोड़ा पानी मिलेगा। मैं अभी बस इतना कहना चाहता

हूं, जहां बोरवेल सील हो गये, प्राइवेट बोर से लोग पानी भरते थे, कम से कम ट्यूबवैल लगा दिये जायें, टैंकर बढ़ा दिये जायें ताकि लोगों को पानी मिल सके। अध्यक्ष जी, बस यही कहना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या का समाधान जल बोर्ड के अधिकारियों को टाइटली थोड़ा लेकर अच्छे से आदेश दे के इस पानी की समस्या का समाधान करा जाये, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अजय दत्त जी। अनुपस्थित, संदीप कुमार जी, सहरावत जी, बारहवां है, भावना गौड़।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पालम विधान सभा क्षेत्र की जे.जे. सैक्टर एक और जे.जे. कॉलोनी सैक्टर सात की ओर दिलाना चाहती हूं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पालम विधानसभा क्षेत्र में बसाई गई जे.जे. कॉलोनियों को दिल्ली नगर निगम के हैण्ड ओवर किया गया था लेकिन पिछले लगभग 15 और 20 सालों में दिल्ली नगर निगम द्वारा इन कॉलोनियों के विकास की बात तो दूर, सही तरीके से इसका रख रखाव अर्थात् मेन्टेनेंस का कोई कार्य वहां पर नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इन कॉलोनियों के पास जो पार्क स्थित हैं, उन पर अवैध कब्जे कर लिए गये हैं। कुछ जगह शैड्स भी डाल दिये गये हैं। अतः जे.जे. कॉलोनी सैक्टर–एक एवं जे.जे कॉलोनी सैक्टर–सात के निवासी चाहते हैं कि उनकी कॉलोनियों को दिल्ली सरकार के हैण्ड ओवर किया जाये ताकि वहां सही तरीक से मेन्टेनेंस और विकास के कार्य संभव हो सकें।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि पालम विधानसभा की सैक्टर–एक जे.जे. कॉलोनी और

सैक्टर–सात जे.जे. कॉलोनी को दिल्ली सरकार के हैण्ड ओवर करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि इन कॉलोनियों में आवश्यक एवं नियमित रख रखाव के साथ–साथ यथासंभव अधिक से अधिक विकास कार्य करवाकर वहां के निवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः भई अजय दत्त जी, आप कहां बैठे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है! अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गुहार को सुना। उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और में आपको आज ऐकनोलेज भी करता हूं कि आपने इस सदन को... इतने गरिमा पूर्ण सदन को चलाते हैं।

माननीय अध्यक्षः हां, पढ़िए, पढ़िए आप।

श्री अजय दत्तः और हमें एक पिता के समान मार्गदर्शन भी देते हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं, बताना भी चाहिए ना। अध्यक्ष जी, अंबेडकर नगर से होता हुआ एक रोड जाता है जिसे हम एमबी रोड कहते हैं मेहरौली बदरपुर रोड और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है बदरपुर से शुरू होता है और मेहरौली लास्ट में जाकर के ये गुड़गांव तक मिलता है तो मेरे एरिया में ये रोड जब निकलता है तो यहां पर बहुत जाम लगता है। तो कई बार मैंने सुझाव दिया ट्रैफिक पुलिस को कि इस जाम को हटायें और उसके बाद हमने मौके पर जाकर देखा तो ट्रैफिक पुलिस के लोग एक दो दिन तो ठीक कर देते हैं फिर उसके बाद नहीं करते और काफी कुछ सोचने के बाद हमें... हमने वहां की लोकल पब्लिक के साथ वहां पर जाकर निरीक्षण किया और पता चला कि वहां पर हम कुछ नया कर सकते हैं और ये डिसीजन हुआ पब्लिक के साथ कि यहां

पर... क्योंकि रोड बहुत चौड़ा है तो इसे यूटर्न में बदल दिया जाये क्योंकि एक स्ट्रेच... ये ले के खानपुर से लेके और तिगड़ी तक बीच में एक बहुत बड़ी कॉलोनी आती है जिसे हम खानपुर देवली रोड की कॉलोनी कहते हैं। आठ कॉलोनी हैं, वहां पर बड़ी–बड़ी और उसमें करीबन एक लाख लोग रहते हैं जो रोज वहां से आते जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी और यूडी पैक और जितनी भी ऐजेंसीज हैं, उनको भी लिख चुका हूं और कहना चाहता हूं कि वहां पर एक यू–टर्न की व्यवस्था बना दी जाये जिससे कि एक तो रोड जो यू–टर्न करने वाले लोग हैं, उनके लिए जाम न रहे और उन लोगों के लिए भी जाम न रहे जो बदरपुर से ले के मेहरौली तक और आगे गुड़गांव तक ट्रैवल करते हैं। तो मैंने इस संदर्भ में कई पत्र व्यवहार भी किए हैं। मुझे कोई संतोषजनक इस पर उत्तर नहीं मिला है और वहां की पब्लिक बहुत रोष में है। वो कहती है कि आप हमारी आवाज को या हमारे काम को नहीं करा रहे। वहां पर पर्याप्त जगह अवेलेबल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीडब्ल्यूडी और बाकी जितने भी संस्थान हैं, उनको आदेश दीजिए कि खानपुर देवली रोड के पास जो यू–टर्न है, उस पर आप स्ट्रैच है, उस पर आप यू–टर्न बनाकर वहां के लोगों को सहयोग दें जिससे कि उन्हें आवागमन में सुविधा हो। धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपको फिर दोबारा दिल की गहराइयों से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं, जयहिंद... मैं हाथ जोड़कर... क्योंकि हमारे सारे मेम्बर चाहते हैं, मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करूं, मैं हाथ जोड़कर आपक धन्यवाद करता हूं।

सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी...

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए, बैठिए। अब सरकारी संकल्प...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है नरेश जी, दो मिनट प्लीज। मैं बता देता हूं अपने माननीय मंत्रियों को एलजी के साथ बैठक है, वहां जाना है। सदन चलेगा तो इसलिए मैं... गोपाल जी को भी जाना है, मनीष जी को भी जाना हे, सत्येंद्र जैन जी को भी जाना है। मैं इसलिए गोपाल जी को अपना जो कल का विषय था, उस पर बोलना है। बाकी जो कुछ रह गया है थोड़ा बहुत जिनका भी, मैंने...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं प्लीज। वो समय बाउंड है, मेरे पास लिखकर समय आया हुआ है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज मेरे पास लिखकर समय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भई, समय की सीमा, उनको जाना है। मेरे पास वो...

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः उसे पढ़ा हुआ मान लें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए ठीक है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पढ़े हुए... 13 पूरे तो हो गए, संख्या बोल दी मैंने। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 6 जून, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी चर्चा आरंभ करेंगे।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से दिल्ली का सदन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर चर्चा कर रहा है। कल माननीय उप मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रस्ताव सदन के सामने रखा था। आज अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान छपा है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के पास अधिकार है और उस अधिकार के तहत जितने काम किए जा सकते हैं, उन कामों को करने में सरकार फेल रही है। इसलिए सदन के अंदर पूर्ण राज्य की बात को उठाकर के और अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जो कुछ करना चाहती है, उसमें बहुत सारे काम हमने किए हैं लेकिन जो हमने काम किए, आज उन कामों को न करने देने के लिए आज दिल्ली का अधूरा राज्य होने का फायदा उठाते हुए जो कुछ काम दिल्ली के अंदर हो रहा है, उन कामों को भी ठप्प करने की कोशिश हो रही है और जिसका सबसे बड़ा जीता–जागता उदाहरण आज सदन के अंदर हम सबने देखा है क्योंकि आज दिल्ली के अंदर अगर पानी नहीं आ रहा है... पानी क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह के समय अब पानी आता है, उसका टाइम बदल दिया जा रहा है। कौन बदल रहा है, वहां बैठे हुए अधिकारी बदलते हैं, वहां बैठे हुए कर्मचारी बदलते हैं। अगर बैठे हुए

अधिकारी और कर्मचारी पानी का समय बदल देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आज दिल्ली के अंदर अगर कोई बैठा हुआ अधिकारी और कर्मचारी पानी का समय बदल देता है, उसके खिलाफ दिल्ली का मंत्री कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर नहीं कर सकता, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दिल्ली अगर जा पूर्ण राज्य होता तो आज दिल्ली के अंदर किसी अधिकारी और कर्मचारी की जुर्रत नहीं होती कि सुबह पानी का टाइम बदल दे और जब पानी का टाइम फिक्स हो, उस समय लाइटें काट दी जाए। अगर ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास होता, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो आज दिल्ली के अदंर आज ये जो पानी और बिजली का खेल चल रहा है, वे खेल बंद हो जाता। इसलिए पूर्ण राज्य चाहिए दिल्ली के लोगों को।

आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कई सदस्यों ने कहा... कमिटियों ने कहा कि दिल्ली के अंदर लगातार भ्रष्टाचार बंद रहा है और जब भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया जाता है, वो कहते हैं सर्विसेज का मैटर है। सर्विसेज के मैटर है। सर्विसेज के मैटर के तहत जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये जवाब मिल सकता है; क्या बिहार के अंदर ये जवाब मिल सकता है; क्या मणिपुर के अंदर ये जवाब मिल सकता है; क्या मिजोरम के अदंर ये जवाब मिल सकता है; क्या गोवा के अंदर ये जवाब मिल सकता है? दिल्ली को इसलिए जवाब नहीं मिल रहा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और आज दिल्ली के विकास के लिए ये जरूरी हो गया है कि सदन के अंदर भी और सड़क के अंदर भी जनता के साथ मिलकर के अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो पूर्ण राज्य की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा

कोई विकल्प आज दिल्लीवालों के पास नहीं बचा है। इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा।

दिल्ली के अंदर, अध्यक्ष महोदय, जो सबसे पहला षडयंत्र हुआ, कल हमारे प्रतिपक्ष के माननीय विधायक सिरसा जी कह रहे थे जब शीला दीक्षित जी ने 15 साल में सरकार चला ली बिना पूर्ण राज्य लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं चल रही है? जब दिल्ली के अंदर माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, एसीबी किसके पास थी? एसीबी शीला दीक्षित के अंडर में आती थी, अंडर में नहीं है। एसीबी को कब्जा किया केंद्र सरकार ने।

अध्यक्ष महोदय, 15 साल तक शीला दीक्षित जी के अंडर में भी एसीबी थी। जब भारतीय जनता पार्टी के अलग–अलग मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर में भी थी। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उनके अंडर में भी थी। हमारी जब दुबारा सरकार बनी, पहले 6–7 महीने में हमारे अंडर थी लेकिन एसीबी को कब्जा किया गया, किस तर्क के साथ किया गया, एसीबी को छीना गया, एसीबी एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस केन्द्र सरकार का सब्जेक्ट है, इसलिए केन्द्र सरकार के अंडर में आना चाहिए अगर पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के पास होती और दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के पास होती तो जो आज एसीबी थाना बन गया है, वो थाना भी दिल्ली सरकार के पास होता और अगर एसीबी दिल्ली सरकार के पास होती तो आज ये जितने नंगे–नाच खेल रहे हैं, बेईमान अधिकारी, वो जेल–तिहाड़ जेल के अंदर होते। ये पूर्ण राज्य होने का फायदा होता। आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ काटकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के सपने को पूरा कर चुकी होती, अध्यक्ष महोदय।

दिल्ली के अंदर सारी पार्टियों ने... कल सदन के अंदर ये बात आई, सारी पार्टियों ने वादा किया, सारी पार्टियों का वादा है पूर्ण राज्य का लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बन रहा है। आज दिल्ली के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि पूर्ण राज्य बनने से क्या फायदा होगा? अखबारों की रिपोर्ट है, दिल्ली के लोग सवा लाख करोड़ रुपया प्रति साल टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं, सवा लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पूर्ण राज्य न होने का जो सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, सवा लाख करोड़ रुपए में से दिल्ली को केवल सवा तीन सौ करोड़ रुपए मिलते हैं। मिलने कितने चाहिए अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता, आज दिल्ली के लोगों को बावन हजार करोड़ रुपया दिल्ली के पास आता। सवा तीन सौ करोड़ रुपए में जो आज दिल्ली के अंदर विकास का मानचित्र आप देख रहे हैं, अगर बावन हजार करोड़ रुपया दिल्ली को मिलता तो आज दिल्ली का जो नक्शा है, दिल्ली के जो विकास की रफ्तार है, वो कहां जाती, इसका अंदाजा आप लगाइए। इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है।

दिल्ली के अंदर... पूरे देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली ने पूरे देश के लिए अपने स्वागत के लिए सबके लिए दरवाजे खोले। देश के कोने–कोने से बेटे–बेटियां दिल्ली में आकर के एडमिशन लेते हैं लेकिन दिल्ली के बेटे–बेटियों का क्या गुनाह है? 90 परसेंट, 91 परसेंट, 92 परसेंट, 93 परसेंट नम्बर लेकर के भी दिल्ली के लड़के–लड़कियां भटक रहे हैं, वो एडमिशन लेने कहां जाएं? उत्तर प्रदेश में एडमिशन नहीं मिलता उनको, हरियाणा में उनको एडमिशन नहीं मिलता, राजस्थान में उनको एडमिशन नहीं मिलता, मध्य प्रदेश में उनको एडमिशन नहीं मिलता। आज दिल्ली के बेटे–बेटियां की पढ़ाई के लिए जरूरी हो गया है कि अगर किसी के मां–बाप

या औलाद आगे पढ़ सकें, उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये गये वगैर इसका समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए।

दिल्ली के अंदर सुरक्षा की कल भी चर्चा हुई। मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं और दुनिया के अंदर भी ये रास्ता निकला है। हमें इस बात का गर्व है कि दिल्ली देश की राजधानी है, हमें इस बात का फख्र है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं, जहां इस देश की राजधानी निवास करती है। लेकिन उसकी सजा दिल्ली वालों को भुगतने का कोई भी संवैधानिक, कोई परम्परागत, कोई भी नैतिक, मजबूरी नहीं बननी चाहिए। अगर दिल्ली वालों ने अपने सीने पर अगर देश की राजधानी का स्वागत किया है, तो इसका उसका मतलब गुनाह नहीं किया है। देश में केन्द्र की राजधानी के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सारे इंतजाम के लिए अधिकार उनको होना चाहिए।

सदन के सामने हमारा प्रस्ताव है; जो एनडीएमसी का एरिया है, एनडीएमसी का एरिया, केन्द्र सरकार अपने हाथ में रखे और सारी जिम्मेदारी अपने में रखे और पूरे दिल्ली का अधिकार, दिल्ली की विधान सभा और सरकार को दिया जाये और पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार उठाये, जिससे कि ये जो लड़ाई है और बहानेवाजी है, खत्म किया जाये। आज दिल्ली की सारी समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है अध्यक्ष महोदय, कि एनडीएमसी एरिया की सारी जिम्मेदाही चाहे बिजली की जिम्मेदारी हो, चाहे पानी की जिम्मेदारी हो, चाहे शिक्षा की जिम्मेदारी हो, चाहे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, चाहे पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे जो भी लैंड की जिम्मेदारी हो, सारा अधिकार केन्द्र सरकार रखे और वहां की जवाबदेही सुनिश्चित करे बाकी पूरे दिल्ली का सारा अधिकार संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार

हे राज्यों को, वो सारा अधिकार दिल्ली विधान सभा और दिल्ली की सरकार को दिया जाये, जिससे वे बहानेवाजी खत्म हो। सफाई क्यों नहीं हुई? एमसीडी ने नहीं किया। जमीन क्यों नहीं मिली? डीडीए ने नहीं किया? बिजली, पानी हम सब बात करते हैं, सदन के हम सारे मेम्बर... एक चक्रव्यूह है, हम बात करते हैं तो एमसीडी की बात करते हैं, डीडीए की बात करते हैं, दूसरे बात करते हैं, जल बोर्ड की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, ये जो दिल्ली वालों को एक चक्रव्यूह में फंसाया गया है, ये चक्रव्यूह बंद होना चाहिए, एक स्पष्ट डिविजन होना चाहिए। केन्द्र सरकार भी मान–सम्मान के साथ अपने विकास के रास्ते को आगे बढ़ाये और दिल्ली की राज्य सरकार भी मान–सम्मान के साथ दिल्ली वालों के विकास के रास्ते को आगे बढ़ाये, ये बात हम चाहे हैं कि सदन के अंदर इस पर चर्चा हो और हमारे प्रस्ताव में भी इस बात को जोड़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय, आज धीरे–धीरे पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पुलिस दिल्ली के पास नहीं है। दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, एसीबी पुलिस थाना है, इसलिए पुलिस थाना केन्द्र सरकार के पास होनी चाहिए, एसीबी छीन लिया गया। उसके बाद जब अधिकारियों ने मनमानी शुरू की। मुख्यमंत्री के पास सर्विसेज था, शीला दीक्षित के पास सर्विसेज था, 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री के पास सर्विसेज था। दोबारा हमारी सरकार बनी, सर्विसेज मनीष सिसोदिया जी का मंत्रालय था, इनके पास था। आज जो बहाना मार करके सर्विसेज को छीना गया है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? आज हर डिर्पामेंट के अंदर काम ठप्प हो रहा है। चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर सकती और अब चुनी हुई सरकार को षडयंत्र में फंसाने के बाद अब दिल्ली की पूरी विधान सभा को नहीं, पूरे दिल्ली की जनता के अधिकारों पर उनके

मान–सम्मान पर उनको चुनौती दी जा रही है। आज अगर सदन के अंदर आपके निर्देश के बावजूद भी जवाब नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अधूरे राज्य को बहाना बनाते–बनाते, धीरे–धीरे, धीरे–धीरे सारे तंत्र को पैरालाइज करने की कोशिश हो रही है और उसका परिणाम है कि लगातार जिन कामों की रफ्तार थी, वो काम लगातार धीरे–धीरे–धीरे–धीरे डाउन होते जा रहे हैं। चाहे वो मोहल्ला क्लीनिक का काम हो... कल भी जिक्र किया था माननीय सिसोदिया जी ने, मैं आपको अपने मंत्रालय से तथ्य देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले साल सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के जितने भी शहरीकृत और रूरल जितने भी गांव हैं, उनके विकास के लिए, इसी सदन में 600 करोड़ रुपये का बजट पास किया था और ये कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसके विकास के लिए ग्राम विकास बोर्ड बनेगा, रूरल डवलपमेंट बोर्ड को बढ़ा करके। सात महीने तक फाइल ऊपर–नीचे, ऊपर–नीचे, ऊपर–नीचे करते रहे। दिसम्बर में वो बोर्ड गठित हुआ। दिसम्बर में वो बोर्ड गठित होने के बाद, चीफ सेक्रेटरी को लगातार लिखा जा रहा है, लगातार सर्विसेज को लिखा जा रहा है। सारी रिक्वेस्ट करने के बाद, फोन पर बात करने के बाद सब कुछ करने के बाद ग्राम विकास बोर्ड को अधिकारी नहीं दिये जा रहे हैं, कर्मचारी नहीं दिये जा रहे हैं। दिल्ली के 300 गांवों के विकास का जिम्मा आज एक–एक अधिकारी पर टिका है, असंभव है। क्यों नहीं अधिकारी दिये जा रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर सकती, हाथ जोड़ लें, तब भी नहीं कर सकती, नाक रगड़ लें, तब भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें, अधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती सरकार और अधिकारी अगर नियुक्त नहीं होता है तो बोर्ड का काम कैसे चलेगा? बोर्ड का काम नहीं अगर चलेगा तो 300 गांवों का विकास कैसे होगा, ये अधूरे राज्य होने का दुर्दशा जो है, दिल्ली भुगत रही है।

आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया; मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया दिल्ली सरकार ने। देश के अंदर हमने साढ़े नौ हजार से न्यूनतम मजदूरी बढ़ा करके साढ़े तेरह हजार रुपये किय। आठ महीने लगातार, आठ महीने सिर्फ इसलिए डिले हुआ न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय क्योंकि वो फाइल हमें एलजी के पास भेजनी पड़ी। एलजी साहब ने... हमने एक कमेटी बनाई थी, जो उसका रूल है, कमेटी ने सारे जांच—पड़ताल की, मीटिंग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने पास किया, एलजी साहब को भेजा, केवल अहंकार, "हम नहीं पास करेंगे।" वापस कर दिया। दोबारा वही कमेटी बनी, उतनी ही मिटिंगें हुई, वही प्रस्ताव आये, वही सारा कुछ हुआ, आठ महीने बाद जा करके वो न्यूनतम मजदूरी का हम फैसला ले पाये।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं कि आज दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा होने से आज दिल्ली के अंदर न सिर्फ आर्थिक रूप से जैसा हमने कहा कि 52 हजार करोड़ रुपये दिल्ली को मिल सकता है। जितना आज दिल्ली का बजट है, उससे ज्यादा आज पूर्ण राज्य न होने की वजह से दिल्ली वालों का पैसा आज हड़पा जा रहा है और वो अगर विकास में लगता तो आज शिक्षा को क्या विकास की रफ्तार होती?

आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास की रफ्तार होती, जमीन का मैटर कल ही डिस्कस हो चुका है। डिपो बनाने के लिए नाक रगड़ते—रगड़ते, लड़ते—लड़ते, एक—एक डिपो के लिए, जमीन के लिए नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाकर के डिपो की जमीन मिलती है और कल सारे सदस्यों ने उन चीजों पर चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य, जो बनाने का अभियान है, ये बात कई लोग तर्क रखते हैं कि बनाना तो केन्द्र सरकार को है, केन्द्र सरकार में तो भाजपा बैठी है, ये बात सच है कि आज भाजपा बैठी है केन्द्र सरकार में, लेकिन दिल्ली के लोगों ने सात के सात सांसद इसीलिए चुने थे कि ये माननीय सांसद जाकर के उस सदन के अंदर दिल्ली वालों की बात का प्रतिनिधित्व करेंगे और उस सरकार को जो उनका ही किया हुआ वादा हे, उसको याद दिला करके पूर्ण राज्य बनाने के लिए मदद करेंगे, लेकिन आज सब जानते हैं कि उनके कान में जूं नहीं रेंगेगी।

दूसरी बात कही जाती है कि पूर्ण राज्य तभी बन सकता है, जब केन्द्र में सरकार हो, जिस पार्टी की उसकी ही राज्य में सरकार हो। 15 साल के अंदर जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, उस दौरान केन्द्र में कांग्रेस की भी सरकार बनी, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बना, अध्यक्ष महोदय।

मैं सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र में सरकार हो और राज्य में सरकार हो, इससे पूर्ण राज्य बन जायेगा, हमने इतिहास में देखा, नहीं बना। केन्द्र में अगर इस केन्द्र की सरकार हो और उसके सात के सात एम.पी. हों, इससे पूर्ण राज्य बन जायेगा, ऐसा नहीं हुआ? दुनिया के अंदर और पूरे भारत के अंदर जब हमने इतिहास के पन्नों को पलटा, उत्तराखंड बना है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में एक पार्टी के होने से नहीं बना, जनता के संघर्ष से बना है। झारखंड बना है, जनता के संघर्ष से बना है। छत्तीसगढ़ बना है, जनता के संघर्ष से बना है। तेलंगाना बना है, जनता के संघर्ष से बना है। अगर दिल्ली वालों पे अन्याय, जो उनके साथ हो रहा है, आज पूरे दिल्ली के विकास को अगर ठप्प किया जा रहा है। हमने हाथ जोड़ लिया, हमने विनती कर ली,

हमने विधान सभा के अधिकारों का उपयोग कर लिया, हमने सरकार के अधिकारों का उपयोग कर लिया, हमने संविधान का उपयोग कर लिया, हमने अदालत खटखटा ली। सारे दरवाजे जिस तरह से बंद किए जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, जब सारे दरवाजे सत्ता से बंद कर दिये जाते हैं, तो जनता उन दरवाजों को खोलने का रास्ता निकालती है और उसी रास्ते की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे चुने हुए प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। पार्टी कोई भी हो, आज दिल्ली की जनता के अधिकारों को जिस तरह से ठप्प किया जा रहा है, पूरे दिल्ली को ठप्प किया जा रहा है। हमें इस बात का आप सब लोगों से भरोसा और निवेदन है इस सदन के अंदर हम कल भी चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे केन्द्र सरकार के सामने भेजेंगे। लेकिन जो जिस तरह का इतिहास हमें दिख रहा है, मुझे लगता है कि सचमुच अगर ये सदन इस सदन को भी बचाये रखना चाहता है क्योंकि तानाशाही जब आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मसला केवल अध्यक्ष महोदय का नहीं है, मसला केवल सरकार का नहीं है, मसला केवल यहां चुने हुए प्रतिनिधियों का नहीं है, मसला ये है कि दिल्ली के अंदर आगे अब लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा अगर इसको भी बचाना है तो आपको इस लड़ाई को जनता के साथ खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सारे विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल चर्चा के बाद हम प्रस्ताव बनाकर के भेजेंगे और ये सदन में चर्चा के बाद केवल ये चर्चा खत्म हो जाये, इससे पूर्ण राज्य नहीं बनने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आगामी 10 तारीख को... 10 तारीख को, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारे विधायक जो

इस पर सहमत हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सदन में अपने प्रस्ताव करने के बाद आगामी 10 तारीख को हम सीएम के साथ बैठें और इस पर एक विस्तृत रणनीति बननी चाहिए, सारी पार्टियों की तरफ से प्रस्ताव पारित करके घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा का नाम लेकर के अगर हम भी अपना काम इतिश्री कर लेते तो जनता हमें भी माफ नहीं करेगी। हमें इस लड़ाई को जमीन पर जनता के साथ मिलकर के लड़ना है और जब तक पूर्ण राज्य नहीं दिल्ली बन जाता, हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए, इसी रास्ते से सरकार से नहीं बनेगा पूर्ण राज्य, सड़क पर संघर्ष से बनेगा। हमें सरकार से निवेदन का रास्ता भी आगे बढ़ाना चाहिए और जनता के साथ मिलकर के जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस रास्ते की तरफ भी सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। टी ब्रेक के लिए आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

सदन अपराह्न 4.37 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः नमस्कार श्री सोमनाथ जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मंत्री जी को उप मुख्यमंत्री जी ने ...(व्यवधान) गुमराह किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई वो आपका लैटर, देखिए विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनें। आपने मुझे लैटर दिया... नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपका लैटर मेरे पास आया है, उस लैटर में आपने... मैंने मंत्री जी को रैफर कर दिया, चलिए, ठीक है। श्री अनिल बाजपेयी जी। इसमें आधी अधूरी सच्चाई है। मैंने जानकारी ली है, वो राइटिंग में ले रहा हूं, मैं राइटिंग में ले रहा हूं, कल राइटिंग में आ जाएगी। नहीं तो मंडे को आ जाएगी। ऐसा है जो लैटर मुझे आज आप लोगों ने सुबह दिया...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखो सिरसा जी, अगर इस ढंग से डिस्टर्ब करेंगे तो उचित नहीं है। आपने मुझे लैटर दिया, सदन में वहां दिया कमरे में, मैंने मंत्री जी से उसका जवाब मांग लिया राइटिंग में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कौन सा, कौन सा आएगा? जो लैटर सुबह दिया है ना। उसी लैटर को जो सुबह दिया है आपने, तो एक दम थोड़ा जवाब आ जाएगा उसका। आपने लैटर दिया है, सदन में चर्चा के लिए तो लिखा नहीं आपने। आपने दो बातें नहीं करी है, आपने मुझे लैटर दिया, लैटर के नाते मैंने जवाब मांग लिया, सदन में उसपर चर्चा हो। किसी नियम के तहत हो, वो तो आपने कुछ नहीं दिया मुझे। आप बैठिए। आप... नियम है ना, उस नियम के अंदर। आप विजेन्द्र जी, गर्दन हिलाने से, किसी नियम के अंतर्गत है ना? आप किसी... नहीं ऐसे नहीं, नियम है बकायदा, बैठिए। ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए सिरसा जी, आप समझ रहे हैं, सदन में चर्चा करवानी है, कोई नियम है ना या तो उस नियम के अंतर्गत मुझे नोटिस आता। आपने मुझे एक लैटर दिया कोई नियम नहीं मेंशन किया, आपने कहा कि ये ऐसा मामला है, आपने लिख के भेजा, मैंने मंत्री जी को दे दिया; इस पर मुझे तथ्य जानकारी दी जाए। आपने लिखकर भेजा, मैंने मंत्री जी को दे दिया; इस पर मुझे तथ्य जानकारी दी जाए, बस। आपने लैटर दिया है; तथ्य के लिए मैंने लिख दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किस पर आएगा? मेरे पास तथ्य राइटिंग में सदन में जवाब नहीं मांगूगा मैं इसका?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्यों? कैसे मांगूगा? सदन में विषय नहीं है, ये आया सदन में किसी नियम के तहत आया नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, सिरसा जी, या तो आपको मंत्री जी के

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड मेरी बात सुन लीजिए। या तो मंत्री जी के उत्तर को नियम के अंतर्गत आप चैलेंज करते सदन में, नियम के अंतर्गत, किसी नियम के अंतर्गत उठाते आप। कोई नियम आपने...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सिरसा जी, या तो एक नियम के अंतर्गत सदन ... ये किताब है, लॉ है। इस लॉ में एक–एक चीज... कोई मंत्री...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, इस पुस्तक में कोई मंत्री किसी मंत्री के... आप मेरे से बात करिए ना। आप किसी मंत्री के गलत उत्तर दिया है, इस लॉ में उस नियम के अंतर्गत आप प्रश्न उठाइए ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप हर विषय पर हंगामा कर रहे हो। आप किसी नियम में नोटिस लाइए उसको। आप देखिए, चालाकी से बात करेंगे, आप चालाकी से बात करेंगे, काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को नियम से बचा रहे हैं, आप अपने आप को नियम से बचा रहे हैं। नहीं आप इसको नियम के अतर्गत लाइए। आप नियम के अंतर्गत लाइए इसको। मंत्री कोई गलत बयानी करता है, आपको लगता है, गलत बयानी है तो इस नियम के अंतर्गत लाइए। विजेन्द्र गुप्ता जी, आपको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि उनको अपने आप को उनको मालूम है कि तथ्य क्या है। उस नियम के अंतर्गत नहीं लाने से कभी ये मैटर पेटिशन कमेटी को न चला जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा नहीं। न, ऐसे नहीं। आप लाइए नियम के अंतर्गत।

...(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आए और नारेबाजी की)

...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी की)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश जी, ये ठीक नहीं है। जगदीश जी, ये ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाने दें। जगदीश जी, आप भी बैठ जाइए, शांति से। मैं सदन की कार्यवाही चालू करूं। नहीं, नहीं। भई चालू करने दीजिए, प्लीज। प्लीज, चालू करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया बैठें, प्लीज बैठे। झा साहब बैठिए। मैं नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी को आग्रह कर रहा हूं कि अपनी कुर्सी पर बैठें। सिरसा जी को आग्रह कर रहा हूं, अपनी कुर्सी पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठ ही नहीं रहे। आप सुनने को, सदन नियम के अनुसार तो चलेगा। सदन कोई नियम के अनुसार तो चलेगा। कोई नियम नहीं... आप इसको...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, कृपया बैठ जाएं। सदन की कार्यवाही 5.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, सिरसा जी, सिरसा जी, इधर बात करिए आप, उधर नहीं। सिरसा जी, मुझसे बात करिए आप। ये आप मुझसे बात

करिए। आपको जो बात करनी है, मुझसे करिए। सिरसा जी, मैं बार–बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझसे बात करिए। आपने जो बात करनी है, मुझसे करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों को चेतावनी दे रहा हूं कि वो बैठ जाएं। मैं चेतावनी दे रहा हूं बैठ जाएं। मैं माननीय सदस्यों को विजेन्द्र जी को, सिरसा जी को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, जगदीप जी, ये ठीक नहीं है ये। किसको? आप दो मिनट बैठिए वहां। न, आपने जिस चालाकी से लैटर लिखा है, ये मैं मुझे वैसे नहीं चलेगा। बैठिए आप। बैठिए। हां, बैठ जाइए। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूं, चेतावनी के रूप में, बैठ जाएँ। मार्शल्स, मार्शल्स विजेन्द्र गुप्ता जी को बाहर करें, मार्शल्स। नहीं, अभी विजेन्द्र गुप्ता जी को बाहर करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बाहर करिए, बाहर करिए। हां बाहर करिए। कोई बात नहीं है। हाँ, बाहर मैं... मैं बिल्कुल नहीं। मैं रूलिंग दे रहा हूं, मैं रूलिंग दे रहा हूं इस पर। मैं आपको कह चुका हूं, रूलिंग भी दे रहा हूं। नहीं, अब विजेन्द्र जी। मैं कर लूंगा उसको भी, कर लूंगा उसको भी। कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ले लूंगा आप चिंता न करिए। आप पूछ रहे हैं ना, मेरा भी नाम है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः यानी चाहते ये यही हैं, प्लानिंग ये ही करके आए हैं ना। आप ये ही करके आए है ना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप प्लानिंग ये ही करके आए है न आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स, सिरसा जी को बाहर करें प्लीज। मार्शल्स, सिरसा जी को प्लीज बाहर करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं, ये पत्र मैं जब अपने कक्ष में आया तब विजेन्द्र गुप्ता जी, सिरसा जी, जगदीश जी, मुझे देने आए थे। ये पर्सनल कैपेसिटी में वो पत्र दे गए, ठीक है, मैं अध्यक्ष हूं, मुझे दे सकते हैं। कल माननीय मनीष जी ने जो बात रखी थी, जन लोकपाल बिल के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि गलत बोला है और मैंने सदन में कहा कि जो आपने पत्र दिया, मैं माननीय मंत्री जी को इसको रेफर कर रहा हूं और माननीय मंत्री जी उसपे उत्तर मुझे दे दें। उसमें हकीकत जो उन्होंने लिखा है; क्या है, क्या नहीं, अगर इनको ये लगता है कि गलत बयानी है तो नियम है–66 में रूलिंग है, उसमें मुझे लैटर दे सकते थे। उस रूलिंग से बचना चाहते हैं। उस रूलिंग की जानकारी है पूरी इनको और उस रूलिंग में नहीं दिया और प्रश्न पत्र देकर के उसको शोर मचा रहे हैं और मैंने उनको कहा भी, मुझे मिलने आए थे कि माननीय मंत्री जी को भेज रहा हूं, आपने लैटर दिया, मैं लैटर भेज रहा हूं। इसका वो उत्तर देंगे और ये लैटर मैं माननीय मंत्री जी को रेफर कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारती चर्चा शुरू करें।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय आपने मुझे दिल्ली के पूर्ण राज्य होने के मसले पे बोलने का मौका दिया; आपको तहेदिल से धन्यवाद करता हूं और आज मैं इस सदन में खड़ा हूं, माननीय मनीष जी के रेजलूशन के सपोर्ट में। जिस तरह से अभी विपक्ष के साथियों ने जन लोकपाल के ऊपर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया, ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, जन लोकपाल बिल किसके कारण अटका हुआ है और कब का हमने इसे सेंटर में भेजा, सबको मालूम है। और जन लोकपाल लि न आए, इसके लिए कौन प्रयत्न कर रहा है दिल्ली में, वो भी मालूम है। क्योंकि उसके आने के बाद जिनको तकलीफ पहुंचेगी। वो भाजपा और कांग्रेस के साथी हैं, ये सबको ज्ञात है।

अध्यक्ष महोदय, मनीष जी ने अपने अभिभाषण के दौरान वो सारी बाते कहीं कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो क्या–क्या हो जाता और बड़े अच्छे तरीके से बात रखी है कि दिल्ली में अगर पूर्ण राज्य होता तो एजुकेशन के अंदर ये बदलाव होता, हेल्थ में ये बदलाव होता और हम क्या–क्या और कर सकते थे। और साथियों ने पूरी दिल्ली की यात्रा रखी कि दिल्ली के पूर्ण राज्य होने की कब–कब दिल्ली में डिमांड उठी। पार्लियामैंट के अंदर डिमांड उठी, क्या क्या डिबेट्स में कहा गया और किन–किन नेताओं ने क्या कहा, उसको बखूबी सदन के अंदर रखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं 1991 में जब ये चूंकि यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो गई। 1952 में जब पहला असेंबली दिल्ली का बना, जिसके चौ. ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री बने और सिर्फ चार साल वो एक्सपैरिमेंट रहा। चार

साल बाद उनको उनसे रिजाइन... उनका इस्तीफा ले लिया गया और सदन भंग हो गया। उसके बाद कई एक आध दशक के बाद फिर मैट्रोपॉलिटन काउंसिल बना और फिर 1991 में जब यात्रा पहुंची जो बड़े जद्दोजहद के बाद पहुंची तो उस वक्त के साथियों ने लोकसभा के दौरान चर्चा में क्या कहा, ये बड़ा बहुत जरूरी है सदन के आगे रखना।

अध्यक्ष महोदय, जब मदन लाल खुराना जी थे, उस वक्त साउथ दिल्ली से मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट थे। उन्होंने ये बात बखूबी रखी कि जिस तरह का एक्ट बनाया गया, उस एक्ट से दिल्ली का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को बखूबी रखा गया और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये कोई आज का वक्तव्य है। उन्होंने कहाः 'Delhi will be getting an elected body after long struggle. The democratic rights which were snatched away from Delhites, are being restored. For that we support the bill, but we are supporting the bill half heartedly because under the proposed structure limited rights are being provided. A handicapped assembly with many restrictions is being provided. We have many apprehensions regarding that. I don't know how far the expectation of the Delhites would be fulfilled.' *Fir ye aage kaha:* 'The situation of Delhi *jo aaj hum charcha kar rahe the sadan ke ander ki* today there is a rule of bureaucracy in Delhi. The situation of Delhi is becoming bad to worse. The reason is that the bureaucrats who ruled Delhi are not responsible to Delhi. They don't have any attachment to Delhi. Those who don't know the geographical conditions of Delhi, are ruling Delhi. Today Delhi is an orphan and without protector. Whom should the people of Delhi approached to for redressal of with their grievances and the problems as there is no political structure?'

अध्यक्ष महोदय, ये सारी की सारी बातें आज उतनी ही रेलेवेंट हैं, जितनी की तब थी। आज भी सदन के अंदर चर्चा के दौरान हमने यही

बात कही कि भई किसके पास जाएं? जिस तरह से ब्यूरोक्रसी के जरिए भाजपा ने दिल्ली को और दिल्ली की असेंबली को हैंडिकैप्ड करने का प्रयत्न किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूं; अपोजिशन के एक साथियों ने कहा कि भइया, बातें करना ठीक है लेकिन एक्शन लेना ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि जो भाजपा शुरू से ही ये रहा है प्रयत्न कि भई, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो क्या ये सिर्फ बाते ही बातें थी या वो कुछ करना भी चाहते थे। क्योंकि वो जुमलेबाजी में उनके पास पीएचडी हासिल है और वो पीएचडी आज से नहीं, लगता बहुत समय से हासिल है उनको। आज उसका डिग्री बढ़ गया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बड़ी बात जो उस वक्त के पार्लियामेंट के अंदर कही गईः "The second problem is related to land after all what type of the Assembly is going to be constituted. I, therefore, request you to clarify other issues. If, there is any difference of opinion between L.G. and Delhi State Government regarding any issue, the issue will be referred to the Central Government for its final decision. It is not clear here whether the decision of Lt. Governor will be valid till the decision of the Central Government is not received. I want to say some provisions in this are not at all appropriate.

Adhyaksha mahodya, the entire act, which was half heartedly enacted, tried to give an assembly to Delhi, tried to give MLAs to Delhi. I was wondering what sin Delhiites have committed that they don't have power of their vote equivalent to power of the vote of a person living in nearby cities like Gurgaon or Meerut or Faridabad or Noida. Today When a citizen of Delhi comes to us and comes on a... let's a situation specifying on law & order because there were concerns." ऐसी बातें थीं। चर्चा चल रहीं थीं कि पुलिस के मामले मे लोग आएंगे आपके पास। इन्हीं कारणों से थाना लेवल कमेटी

बनाई गई थी। तो जो लैकूनाज था एक्ट के अंदर उन लैकूनाज को भरने के लिए उस वक्त के लोगों ने जो सदन के अंदर उस वक्त थे, उन लोगों ने प्रयास किया कि कुछ न कुछ हम ऐसा करें कि जब एमएलएज के पास लोग आएं तो उनके पास ऐसा न कि कोई जवाब ही न हो। अध्यक्ष महोदय, थाना लेवल कमेटी जो बनाई गई। सेम नोटिफिकेशन से थाना लेवल कमेटी बनाई गई और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई लेकिन प्रजेन्ट एलजी महोदय ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को तो फोर्स में ला दिया लेकिन थाना लेवल कमेटी को लेके नहीं आए। इसका मतलब है कि दिल्ली के विधायक के पास पुलिस को कहने के लिए कुछ भी नहीं है और इन्हीं कारणों से आज जो चर्चा चल रही है; पूर्ण राज्य की जो हमारे साथियों ने बड़े जोरदार तरीके से अपनी बातें रखीं। उसमें साफ—साफ एक चीज जाहिर होता है सबकी पीड़ा, आज सब इतने पीड़ित हैं और इतने दुःखी हैं कि दिल्ली के जनता जो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कई चीजों के जवाब नहीं हैं। इन्हीं कारणों से जैसे कि सौरभ ने कहा उस दिन कि जब हर पार्टी चाह रही है, जब भाजपा ने चाहा, कांग्रेस ने चाहा, आम आदमी पार्टी चाह रही है तो अपोजिशन कहां से। इसको रोकना कौन चाहता है अध्यक्ष महोदय? मैं इन्हीं तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे याद है इस सदन के अंदर जब कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लामैंट को रेगुलाराइज कराने के लिए हमने एफर्ट्स किए तो किस तरह से उसको रोका गया जो जुमलेबाजी की गयी। क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई ढ़ाई लाख कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्परेरी और कैजुअल एम्प्लाइ काम कर रहे हैं। जबकि टोटल वैकेन्सीज दिल्ली में 36000 है सिर्फ। करीब 50000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लाइज हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि गेस्ट टीचर्स को हम परमानेन्ट कर दें जिससे दिल्ली

का शिक्षा का स्तर जो वर्ल्ड क्लास बनता दिख रहा है, उसमें परमानेंस लाई जाए तो क्या हुआ? पहले भाजपा के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री के घर भेजा कि जाओ, उसके पास जाओ। उसने उसको प्रॉमिस किया था कि तुमको परमानेंट करेगा। जब इस सदन में बिल लेके आए। जब एक वो अमेंडमेंट्स लेके आए जिसके कारण वो गेस्ट टीचर्स को हम परमानेंट बना सकते थे तो माननीय एलजी साहब ने आपको एक चिट्ठी भेजी कि ये चीज तो इनके पास है ही नहीं, ये तो सर्विसेज में आता है। साफ–साफ जाहिर होता है कि जो चीज हो सकता है, उसको भी ये होने नहीं दे रहे हैं। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो न तो हमको एलजी साहब के पास जाना पड़ता और न जो इन्टरेक्ट, इन्टरफरेन्स, डाइरेक्ट इन्टरफरेन्स जो एलजी साहब के जरिए भाजपा कर रही है, उसका हमको सामना करना पड़ता, अध्यक्ष महोदय।

इसी सदन के अंदर जब माननीय केजरीवाल साहब ने विजेन्द्र गुप्ता जी को बोला कि भाई अगर हम नहीं कर सकते तो आप करा दो। तो न तो वो करेंगे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लायमैंट की बात थी उसको जो रेगुलराइज करने की बात थी। न तो वो करेंगे, न हमें करने देंगे। अगर अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि उमा देवी का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि भई, दो तरह के एम्प्लाइ हैं। एक ही काम के लिए हम दो तरह के ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? 'That is against basic human dignity. That is against basic principle of natural justice. Adhksha mahodaya, aaj contractual employes jinko face karna parata hai; lower minimum wages, lesser wages as compare to regularized worker, non payment of notified minimum wages, delay in salary payments, violation of PF & ESI norms, non payment of bonus and gratuatity, constant threat of termination, sense of exploitation, no leaves they get, the account of maternity or sick

leave, no sense of security and temprory employes or not expectedor neither given any importance in their job. All of these basically refuse an individual the basic human dignity which they would have got otherwise.'

अगर हम उनको परमानेंट बना सकते थे। अगर उनको हम परमानेंट बना देते तो उनके पास ये सारे राइट्स ऑटोमेटिकली आ जाते, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर जबसे हमने सरकार बनाई है, तब से कितने तरह का प्रोटेस्ट हो गये। 1 मई, 2018 को हन्ड्रेड्स ऑफ एम्प्लाइज ने प्रोटेस्ट किया कि हमको रेगुलराइज करो। हेल्थ वर्कर्स ने, एनआरएचएम के वर्कर्स ने 11 जून को पहले प्रोटेस्ट किया। 1 दिसम्बर, 2017 के प्रोटेस्ट किया। 19 मई, 2016 को प्रोटेस्ट किया लेकिन इन सारे प्रोटेस्ट के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री के दिल में पीड़ा थी कि हम कैसे इनको रेगुलराइज करें, वो सारा का सारा उन्होंने अपने भाषण में उस दौरान जो सत्र हुआ था, उसमें कहा था। आज बात ये उठती हे कि दिल्ली के लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ हमें मैन्डेट दिया, उस उद्देश्य में एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, सबको हम रेगुलराइज कर देंगे। लेकिन उसको हम पूरा कैसे करें? आज जनता के पास जाकर के जब ये कहते हो कि चूंकि हमारे पास पॉवर नहीं है, इसलिए हम पूरा नहीं कर सकते, जनता सुनने को तैयार नहीं होती है। चूंकि जो दुःखी होता है, वो समाधान चाहता है। समाधान 'ए' से आए, समाधान 'बी' से आए, अध्यक्ष महोदय।

इसी संदर्भ में जब ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों ने भी 30 अप्रैल, 2015 को पहले प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया, फिर 6 फरवरी, 2018 को स्ट्राइक किया, फिर 2 जनवरी, 2014 को स्ट्राइक किया और इस तरह से कई विभागों ने अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री के आगे रखी और डिफरेंट–डिफरेंट

मंत्रियों के आगे रखी। लेकिन इस पीड़ा का समाधान आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास नहीं है। इस पीड़ा का समाधान सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, जब कैबिनेट ने ये फैसला किया कि आंगनवाड़ी के वर्कर्स के तनख्वाह को दुगुनी करें, उसमें भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी और सर्विसेज के नाम पर जिस तरह से आज जिल्लत झेलनी पड़ी दिल्ली की विधान सभा को, सर्विसेज के नाम पर जिस तरह जिल्लत झेलनी पड़ी दिल्ली के विधायकों को, दिल्ली के मंत्रियों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस भाजपा ने दिल्लीवासियों को यह कह कर के वोट लिया कि भाई, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उसी भाजपा ने अधिकार देना तो दूर, सर्विसेज के जरिए दिल्ली के निवासियों को बेसिक राइट्स से भी वंचित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय। एसीबी लेने का काम किया, अध्यक्ष महोदय। दिल्ली की जनता देख रही है कि वो पार्टी... इसमें साफ नजर आता है क्योंकि जब विपक्ष के साथी ने कहा कि भाई, आपको सब कुछ पर एक्शन लेना नहीं होता है। इसलिए आपसे एसीबी ले लिया गया। करप्शन की बात करते रहिए, एक्शन क्यों लेते हैं आप लोग? तो ये बात साफ–साफ जाहिर होती है।

चूंकि मुझे याद है कि जब शीला जी ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की तो आधे–अधूरे मन से ज़ाहिर की। नहीं तो उनके पास 15 साल था। सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी लेकिन फिर भी शीला दीक्षित जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाई। इसका कारण एक है, इनकी मंशा साफ नहीं है, अध्यक्ष महोदय। उन्होंने 21.9.2013 को ये बात कही किः 'The city would have witnessed weighted development had my government not been shackled by the present governance structure of Delhi

characterized by a multiplicity of agencies and authorities. I reiterate my demand to grant full statehood to Delhi.'

अब ये सारे महान विभूतियों ने जो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, जब सबने ये बात कही है तो आज इस बात को सपोर्ट करने में इनका क्या जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये हाथ जोड़के विनती करता हूं कि अगर आप एक डेलीगेशन सारे विधायकों का, सारे मंत्रियों का लेके चलें और माननीय गृह मंत्री से बात करें, माननीय राष्ट्रपति से बात करें कि जब कोई अपोजिशन है ही नहीं, जब यहां पर कोई अपोज करने को है ही नहीं तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते हैं। मेरे पास एक किसी शख्स ने कुछ भेजा है। इस तरह से हर विभाग के अंदर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उसी तरीके से एक मनमानी मेरी नजर में लाया गया है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, जब कि बाकायदा एक कानून लाकर के इस बात का मरम्मत किया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमैंट टर्म जो कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमैंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 से हटा दिया गया था...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनथ भारतीः हटा दिया गया था, उसके बावजूद...

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट हो गए हैं पूरे।

श्री सोमनाथ भारतीः मेरे पास आरटीआई से इनफॉर्मेशन आया हुआ है कि 'देअर आर एराउंड ट्वंटी कम्पनीज, जो कि इसका वॉयलेशन कर रही हैं लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज अधिकारियों की

मनमानी इतनी हो गई है कि वो ऐपेरेंट नियम–कानून का वॉयलेशन कर रहे हैं लेनिक न तो एलजी साहब सुनने को तैयार हैं, न केन्द्र सरकार सुनने को तैयार है। विधायक असमंजस में हैं, हम करें तो क्या करें! आज जैसे गोपाल जी ने कहा, पानी का समय बदल दिया गया लेकिन हम किसी को कह नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही डेंजरस सिच्युएशन है आज की तारीख में, क्योंकि विधायक सारे पीड़ित हैं, सत्र बढ़ा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें! हम सब की जिंदगी खतरे में हैं, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतान पड़ रहा है। उसके एवज में मैं कहना चाहता हूं कि, जो मनीष जी रिजॅल्यूशन लेकर आए हैं, उसके सपोर्ट में हम सब आपके नेतृत्व में गृह मंत्री के पास चलें, राष्ट्रपति के पास चलें और दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग पूरी करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री गुलाब सिंह जी (अनुपस्थित)। श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने का मौका दिया।

दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य का अधिकार मिले, यह हम सब की मांग है और यहां कल से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी को लेकर मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण इस सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए उन टीचर्स को, जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य का अधिकार न होने का एक और दुष्परिणाम का उाहरण मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान समाज के पथ–प्रदर्शक और राष्ट्र निर्माता यानी राष्ट्र का भविष्य तैयार करने वाले शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय, परिस्थितिजन्य विवशता, कैट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाने और इन सबसे ऊपर वित्त विभाग व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की शिक्षकों के प्रति घोर उदासीनता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, यह मामला पिछले दस वर्षों से लंबित दिल्ली के शिक्षकों को उनके सही वेतनमानों, चाहे वो पीआरटी के टीचर्स हों, जिनका वेतन 16290 होना चाहिए, टीजीटी को 18460 मिलना चाहिए और पीजीटी टीचर्स को 18750 मिलना चाहिए जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो आज तक नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सन् 2008 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए केन्द्रित सिविल सेवा संशोधन वेतन नियम 2008 के लागू होने के बाद उत्पन्न हुई हैफ केन्द्र सरकार द्वारा 06 अक्तूबर, 2006 कासे केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की सिफारिश करने के लिए जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने मार्च, 2008 में अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार को सौंप दी। वेतन आयोग, आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय को 29 अगस्त, 2008 को केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 को अधिसूचित भी कर दिया। यह नियम 1 जनवरी, 2006 से लागू किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा ने आईएएस अधिकारी, शिक्षकों, सैक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स, नर्सेस, हैड

क्लर्क्स, कांस्टेबल्स आदि के वेतनमानों को बढ़ाने के लिए विशेष संस्तुति की थी और उसी में टीचरों के बारे में उन्होंने लिखा था कि 'In order to attract better teachers and to retain them in the government the commission is enclined to recommend a higher start for primary school teachers. Till this alongwith the restructuring of pay scales being recommended by the commission will necessiate restructuring of theexisting pay scales of the teachers.' वो टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से आज दिल्ली सरकार का नाम पूरे हिन्दुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में है। जिसका रिजल्ट आज पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा बेहतर करने में यह सरकार कामयाब रही है। उन्हीं के टीचर्स अपनी ही तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के मोहताज हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार अपने आप में सक्षम नहीं है और उनके ऊपर बैठे हुए केन्द्र सरकार के अधिकारी किसी न किसी बहाने से उनके जो अधिकार हैं, उससे उनको वंचित रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के इसी रूल 70(2)(ए) तथा इलॅस्ट्रेशन (4)(ए) के अनुसार आईएएस अधिकारी, सैक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स, हैड क्लर्क्स आदि को अपग्रेडेड करके तत्समय ही बढ़ाए गए वेतन दे दिए गए हैं। यहां तक कि हैड क्लर्क्स 'दास कैडर' को केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के नोटिफिकेशन के समय अपग्रेडेउ वेतनमान की संस्तुति भी नहीं थी और उनको 2015 में एक ऑफिशियल मैमोरेंडम के जरिये अपग्रेड कर दिया गया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग मैं फिर इसी को स्ट्रेस करना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग एवं सर्विसेज डिपार्टमेंट ने समय के स्तर से ही एक सर्कुलर जारी करके हैड क्लर्कों को 4600 के ग्रेड पे में 18460 का अपग्रेडेड वेतन भी दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई फाइल अप्रूवल के लिए केन्द्र सरकार को नहीं भेजी गई परन्तु टीचर्स के मामले में, मैं इस सदन का ध्यान चुनी हुई दिल्ली सरकार के ऊपर बैठाए गए केन्द्र सरकार के नुमाइंदे माननीय एलजी साहब के सीधे नियंत्रण में काम कर रहे शिक्षा विभाग व वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों की मनमानी और दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के इस संबंध में दिए गए निर्देशों, आदेशों की अवहेलना की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि विगत कई वर्षों से लंबित यह प्रकरण जैसे ही दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपने सुधारात्मक एजेंडे के रूप में शिक्षकों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए गंभीर प्रयास के तहत पिछले 06 अप्रैल, 2017 को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों व शिक्षक प्रतिनिधियों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि शिक्षकों को उनके अपग्रेडेड वेतनमानों को जल्दी से जल्दी देने की कार्रवाई की जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वित्त व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्दी से जल्दी फाइल पुट–अप करने का निर्देश दिया था लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इसके बाद 26 सितम्बर, 2017 व 16 अक्तूबर, 2017 को क्रमशः शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को तथा 30 जनवरी, 2018 को मुख्य सचिव को लिखित नोट के माध्यम से निर्देशित और आदेशित भी किया गया कि प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी और पीजीटी को केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के नियम 7(1) (एए) (2) के अनुसार 4200, 4600 तथा 4800 के ग्रेड पे में 01 जनवरी, 2006 से अपग्रेड वेतनमान प्राइमरी टीचर्स के लिए न्यूनतम 16290 हो, टीजीटी के लिए 18460 हो

तथा पीजीटी के लिए 18750 में निर्धारित करने का उचित सर्कुलर जारी कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 30 जनवरी, 2018 को एक लिखित नोट, प्रतिलिपि जिसकी मैं संलग्न भी कर रहा हूं, के माध्यम से दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय को यह निर्देश भी दिया कि टीचर्स के अपग्रेडेड वेतनमान को दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पहले से ही नोटिफाइड व अप्रूव्ड किया जा चुका है। अतः नोटिफाइड व अप्रूव्ड वेतनमानों को फिर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है परंतु फिर भी अभी तक माननीय उप मुख्यमंत्री के शिक्षकों को दिए जाने वाले सही वेतनमानों के संबंध में दिए गए नोट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान माननीय सुप्रीम कोर्ट के 01 सितम्बर, 2017 के एक आदेश की आरे दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार बनाम सोमवीर राणा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर्स को अनावश्यक रूप से कैट न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जिससे कोर्ट का कीमत समय बर्बाद हो रहा है। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि टीचर्स को सही वेतनमान, पे स्केल देने के लिए तुरंत सर्कुलर जारी करें परंतु आज केन्द्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 महीने के बाद 16 अप्रैल, 2018 को वित्त विभाग के माध्यम से केवल टीजीटी अध्यापकों के लिए एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया जिसमें न तो कोई पे–स्केल था और न ही उसका जिक्र था और न ही केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के किसी रूल का इस ऑफिशियल मेमोरेंडम से तो ऐसा लगता है कि जैसे केन्द्रसरकार में उच्च पेदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश व वेतनमानों

से संबंधित नियम भी नहीं पढ़ना जानते या जान–बूझकर पढ़ना नहीं चाहते और इस ऑफिशियल मेमोरेंडम को जारी करके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे शिक्षकों को उनका हक नहीं, उनको अनुदान या भीख दे रहे हों और महोदय, इससे भी बढ़कर इसी क्रम में हमारे शिक्षा विभाग ने भी बिना किसी नियम या कानून का उल्लेख किए, एक मनमाना आदेश 22 मई, 2018 के माध्यम से जारी कर दिया है। यह आदेश भी शिक्षकों को उनके वाजिब हक से...

माननीय अध्यक्षः मदन जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री मदनलालः महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से यहां दिल्ली सरकार को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां यह रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में हो रहे परिवर्तन, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की हैं और आज उसका रिजल्ट है कि 20 साल में सबसे ज्यादा रिजल्ट यह सरकार देने में कामयाब रही है, ऐसे ही टीचरों को जो दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को उनके हक नहीं दिलाकर ये सरकार में बैठे हुए कुछ लोग इस प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो टीचर को हतोत्साहित करना चाहते हैं जिससे उनका पढ़ाई में मन न लगे और उनको टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को और जो प्राइमरी टीचर हैं, उनको जो मिलने वाला हक है, उनकी तनख्वाह 16290, 18460 और 18750 के अपग्रेड वेतनमान न मिले, इसके लिए वो पूरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, दिल्ली सरकार का मुख्य एजेंडा है। दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रश्न कर रही है। दिल्ली

सरकार ने शिक्षा के लिए हजारों करोड़ के बजट का प्रावधान किया है परन्तु अफसोस की बात है कि शिक्षा में सुधार का मूल स्तंभ यानी कि शिक्षक जिसे स्कूल में रहकर देश के भविष्य और आज के नन्हे मुन्नों की अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना है...

माननीय अध्यक्षः मदन जी, अब इसको कन्कलूड करिए।

श्री मदनलालः सिर्फ आधा मिनट, जब केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.04.2000 से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार को ही शिक्षकों को अपग्रेडेड वेतन देने के लिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपग्रेडेड वेतन देने के लिए होने वाले खर्चे का वहन करना है तो फिर इसके लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की क्या आवश्यकता है और क्यों है? माननीय महोदय, आपके माध्यम से इस विषय पर सदन में विशेष सत्र आहूत कर चर्चा चाहता हूं और शिक्षकों के वेतनमान से संबंधित नियम होते हुए भी नियम न लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा शिक्षा के उनके वाजिब तक पीआरटी को 16290, टीजीटी को 18460 और पीजीटी को 18750 को दिलवाने का प्रस्ताव पारित कराना चाहता हूं और इस कारण से भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना आवश्यक है जिससे दिल्ली के शिक्षकों समेत सभी कर्मचारियों को उनके हक से वंचित न होना पड़े, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूर्ण राज्य के दर्जे पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं एक बात सदन में रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया

था। आज 2014 में दिल्ली से सात सांसद चुनकर आए हैं और सातों भाजपा के हैं लेकिन आज वो सारे के सारे कुंभकरण की नींद सो गए। एक भी सांसद ने केन्द्र के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, एक भी आवाज नहीं उठाई। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब रामलीला ग्राउंड पर एक बड़ी रैली थी जिस समय भाजपा सत्ता में नहीं थी और उस समय अपोजीशन के लीडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। सत्ता में भी आ गए और पूर्ण राज्य का दर्जा जो देने का वादा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो भूल गए। कांग्रेस अपोजीशन में थी। केन्द्र में भाजपा की सरकार थी। वही कांग्रेस के लोग हमेशा ये कहते थे कि देखिए, अगर हम सत्ता में केन्द्र में आए तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन जब कांग्रेस के लोग केन्द्र में भी आ गए, राज्य में भी आ गए, तब वो भी अपने वादे को भूल गए लेकिन आज कम से कम हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक वादा... और आज तीन दिन का जो सत्र आज विधानसभा का दिल्ली की जनता के लिए कि दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, कम से कम एक नई पहल और एक नई शुरूआत की है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए और आज दिल्ली की जनता परेशान क्यों है। अभी ये विपक्ष के लोग जन लोकपाल की बात कर रहे थे, हैं नहीं यहां, चले गये हैं लेकिन सुन रहे होंगे आवाज को। आप देखिए, कि हमारी सरकार जब आई; हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन लोकपाल का वादा किया था। आते के साथ हमने उसको पास किया। हमारी मोहल्ला सभा बनाई गईं। उन मोहल्ला सभाओं में फिलहाल 40 मतलब 20 मोहल्ला सभा में काम किया गया। आपकी भी अध्यक्ष महोदय, एक

मोहल्ला सभा थी, कई विधायकों की थी। उसके अंदर सारे अधिकार जनता को हम लोग देने जा रहे थे, वो भी हमसे जन लोकपाल का जो हमारा बिल का प्रारूप था, वो सारा का सारा एलजी महोदय ने छीन लिया। सीसीटीवी कैमरा, महिला सुरक्षा की हमेशा बता होती है। आज सीसीटीवी कैमरे के लिए हम सारे विधायकों को दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी के कार्यालय में बैठकर वहां पर बहस करनी पड़ी की दिल्ली के लोगों की आवाज है। हमारी आवाज को नहीं सुना गया। लोकतंत्र के अंदर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमारे 50 से अधिक विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सड़क पर बैठे हुए हैं विधायकों के साथ। ढ़ाई घंटे से गुहार कर रहे हैं कि एलजी साहब हमको बुलाएंगे, एलजी साहब हमसे बात करेंगे, एलजी साहब हम लोगों से मिलना तक उन्होंने उचित नहीं समझा। अगर आज पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो आज ये जुर्रत एलजी साहब की नहीं होती और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता, हम विधानसभा में पास करते और आज सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के लोगों के लिए मिलते।

मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आज मैट्रो का किराया है, आज मैट्रो किसके पास है? केन्द्र के अधीन है। कम भागीदारी है हमारी। आज बगैर हमारी सरकार से पूछे दिल्ली में मैट्रो कमा किराया बढ़ दिया गया। आज सीलमपुर में मैं विधानसभा गांधीनगर से आता हूं। आज सीलमपुर से अगर बस अड्डे किसी को जाना है तो वह आदमी 30 रुपये में पहुंचेगा और वही डीटीसी की बस में वो आदमी 10 रुपये में पहुंच जाएगा तो आज दिल्ली को हानि हो रही है। आज अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो मैं ये समझ सकता हूं कि आज मेट्रो का किराया आज ये लोग नहीं बढ़ा पाते।

सीलिंग की भी मैं बात करना चाहूंगा। आज क्योंकि मैं गांधीनगर

विधानसभा से आता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आज पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग को लेकर हा–हाकार मचा हुआ है। सभी सोमदत्त भाई बैठे हैं, अलका जी चली गई यहां से, विशेष रवि जी बैठे हैं। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग का हा–हाकार मचा हुआ है। मेरी विधान सभा में ढ़ाई लाख से अधिक कर्मचारी गांधीनगर में काम करने के लिए आते थे। महोदय, आज 30 हजार कर्मचारी रह गए हैं वहां पर। जो वहां के दुकानदार थे, उन दुकानदारों ने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। वो कहते हैं, “हमारी यहां बोनी नहीं होती है। हमारे यहां पैसा नहीं आता है। हम इनको तनख्वाह कहां से देंगे?” दुकानदार भाइयों का भी जो है, उनका भी कहना जायज है। आज केन्द्र सरकार के लिए हम निगाह बांधे खड़े हुए हैं और हम सीलिंग नहीं रुकवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो आज हम उनसे लड़ते, उनसे कहते कि हम विधान सभा में प्रस्ताव पास करके कहते कि भई, हम प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज अध्यक्ष महोदय आप पर भी विधान सभा शाहदरा आती है, विश्वास नगर है, सब जगह है। व्यापारी रो रहे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं वो। मुझे एमटीए के लोगों ने परसों बुलायाथा। उनकी एक भावना थी जो मैंने खुद चार लाइनों में दस लाइनों में लिखकर कही है, ये व्यापारियों की है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा है:

‘दस पांच तिजोरी भरी हुई थी आज सभी तिजोरी खाली है।

अधमरे बंद बाजार सभी हर तरफ अजब सन्नाटे हैं,

हर व्यापारी रो रहा आज हर तरफ कांटे ही कांटे हैं,

तुम आए थे हमने तुमको फूलों की माला पहनाई थी, कुछ भला करोगे व्यापारी का अफसोस मुझे है आज, आज तुमने ही गर्दन काटी है'

वो कह रहे हैं किः

'पहले तुम जिस तरह फीलगुड में चले गये थे। आज वैसे ही जल्दी जाओगे पता है हमको, इस बार जाने पर फिर भी कभी न वापिस आओगे।'

ये व्यापारियों का दर्द है सर, आज रो रहे हैं सारे व्यापारी। दूसरी ओर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। आज हमारे अपोजीशन के भाई भाग जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं कि वो सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते।

सर, गांधी नगर बड़ी मार्केट है एशिया की। अगर सर आपको याद होगा दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री ने जब सीलम पुर में मैट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, प्रधान मंत्री जी ने किया था। उस समय बड़ी प्रेस कॉन्फ्रैंस हुई थी जिसके अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था, सभी लोगों को, जनता के बीच में, उन्होंने कहा था कि हम सीलम पुर में एक रेलवे का हॉल्ट स्टेशन बनवाएंगे। सर, आपको भी याद होगा इस बात के लिए। आज दो सांसद हैं; हमारे नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं, मनोज तिवारी जी, पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं महेश गिरी जी। आज दोनों सांसदों ने एक बार संसद में आवाज नहीं उठाई कि सीलम पुर में हॉल्ट स्टेशन बनना चाहिए। जबकि लाखों लोग गांधी नगर के अंदर बेचारी लेबर सब लोग आते हैं। गजियाबाद से आते हैं, वो लोग बॉर्डर पर उतरते हैं, वहां से आते हैं। आज अगर रेलवे का हॉल्ट स्टेशन बन जाए तो सीलम पुर विधान सभा हमारी गांधी नगर विधान सभा, बाबरपुर विधान सभा जो लोनी

तक से लोग आते हैं, उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। आज लोग पूछते हैं। मैंने एक बार पूछा मनोज तिवारी से, मैंने कहा, "सर, इसका कुछ करवा दीजिए।" बोले, "अच्छा! यहां पर रेलवे का हॉल्ट स्टेशन बनना था?" सांसद को पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये मांग आज विधान सभा में उठाकर रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। क्योंकि वो लापता जो सांसद है, उनके तो पोस्टर हर जगह लगे हैं। लक्ष्मी नगर में नितिन भाई के क्षेत्र में भी लगे थे कि 'लापता सांसद बताओ और इनाम पाओ।' तो उनसे तो जनता को कोई उम्मीद अध्यक्ष महोदय, है नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस पहल को कहीं न कहीं आगे कर पाएं। हमारे एक सज्जन सिरसा जी अभी नहीं है। सिरसा जी ये बड़ा चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि जी 10th का रिजल्ट कम आया है। सबसे पहले मैं माननीय सिसोदिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 12th का जो रिजल्ट है, वो दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सेस से बढ़कर आया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। 10th की बात कर रहे हैं। आरे! पूछिए सिरसा जी, आज तो खुद भी कई एजूकेशन सोसाइटीज में लिप्त हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो एजूकेशन की जो पॉलिसी थी, वो हमको मिली कहां से सर? वो तो हमको विरासत में मिली है कि सारे बच्चों को पास कर दो। जब सारे बच्चे पास कर दिये जाएंगे तो 10th में रिजल्ट का हाल क्या होगा? जिनको पता ही नहीं है कि जिन पर सिरसा हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः एक बात और कहना चाहता हूं बड़े जोरदार तरीके से सर। कह रहे थे कि... सर, समझौते की बात कर रहे

थे कि कांग्रेस से समझौते की बात कर रहे थे। अरे! सिरसा जी, अगर आप पीछे की पृष्ठभूमि में जाएं तो जिन समझौते की बात और आदर्श की बात भाजपा के लोग किया करते थे। जिन मूल्यों की बात किया करते थे, आज उन सारे मूल्यों से भटक गए। महबूबा मुफ्ती... उनके बारे में क्या कहते थे, ये पूरा सदन जानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहते थे, ये पूरा सदन जानता है। यही राम विलास पासवान जी पानी पी पीकर संसद में गाली देते थे कि ये भाजपा के लोग फासीवादी लोग हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो सारे फासीवादी जो लोग हैं, आज वो भाजपा के दोस्त बन गए हैं। अटावले साहब जो हमेशा कहते थे कि भाजपा के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। आज सत्ता में पहुंचने के लिए उन सब को भाजपा के लोगों ने अध्यक्ष महोदय, गले लगा लिया और तो और जो लोग खुले आम जिन्होंने देशद्रोही का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, आज उन सारी ताकतों को आज इन्हीं भाजपा के लोगों ने लगाया हैं। अगर सिरसा जी यहां होते या विजेन्द्र गुप्ता जी होते तो आज मैं उनसे पूछता कि बताओ, चरित्र किसका है? क्योंकि हम लोग एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल्यों पर आधारित पार्टी है। जो गरीब लोगों की पार्टी है। आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है। पूछिए, दर्द है किसी को? आज 2019 में लोक सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एक भी फायदा अगर दिल्ली के लोगों का केन्द्र में लोगों को... आज पेट्रोल का दाम देखिए, जो पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो कभी भाजपा के लोग बैल गाड़ी पर आकर संसद में बैठा करते थे। कभी सुषमा स्वराज जी, अगर सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो सिलेंडर लेकर खड़ी होती थी वहां कि

हाय! छाती पीटा करती थी। आज देश में सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आज देश में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और पैट्रोल के दाम पर क्या कहते हैं एक ऐसा... छः पैसे आज हमने कम दिया। मैं एक सोशल मीडिया पर देख रहा था। भाजपा के लोग एक सोशल मीडिया...

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री अनिल कमार बाजपेयीः सर छः पैसे रेट कर कम दिये। लेकिन ये मूल्यों की राजनीति की खोखली बात करने वाले और जो केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी बैठे हैं, ये दिल्ली सरकार को कुचलना चाहते हैं। लेकिन सर, हम पांच पांडव बहुत हैं, इन कौरवों को कुचलने के लिए, ये हम आज आपके बीच में कह रहे हैं। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्री ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे के मैटर पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस हाउस के अंदर। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब अमेरिका में क्रांति हुआ था, उसके बाद जब इंडिपेन्डेंस हुआ अमेरिका का तो डेढ़ सौ साल वहां पर महिलाओं को और जो अफ्रीकी स्लेव्स थे, उनको वोट देने के राइट्स तक नहीं मिले। उसी प्रकार से फ्रांस में हुआ, उसी प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देशों में हुआ कि वोटिंग राइट्स तो दिये गए लेकिन पहले सौ साल, पचास साल तक उनको राइट्स नहीं दिये गए। पहले महिलाओं को दिया गया फिर स्लेव्स को दिया गया।

इस तरह से हमारे देश का संविधान जब लिखा जा रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर जब हमारे देश का संविधान लिख रहे थे तो पूरी दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के अंदर यूनिवर्सल ऐडल्ट फ्रैन्चाइज एक शब्द का जन्म हुआ। इसका मतलब था कि चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न वर्ग के नाम पर और यूनिवर्सल ऐडल्ट फ्रैन्चाइज यानी कि उस वक्त हर वो व्यक्ति भारत का सिटिजन जो कि 21 साल का था, उसको वोटिंग राइट्स दिया गया। हमारे संविधान की मूल भावना ये है कि इस देश के अदंर रहने वाला हर सिटीजन बराबर है। लेकिन दुर्भाग्यवश कि दिल्ली देश की राजधानी है। जैसा कि माननीय उप मुख्य मंत्री कह रहे थे कि सोनीपत में रहने वाला व्यक्ति, गजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति, फरीदाबाद में रहने वाला व्यक्ति, गुड़गांव में रहने वाला व्यक्ति, हमसे ज्यादा पावरफुल है। उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, हमारे वोट की वैल्यू कम है। वे अपमान किसी चीज का है तो दिल्ली के दो करोड़ लोगों का है। जो सवा लाख करोड़ राजस्व केन्द्र सरकार को देते हैं और आज इनको डर इस बात का है कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य हो गया तो जो नेशनल फाइनेंस कमिशन है, उसके नियम के मुताबिक 42 प्रतिशत शेयर ऑटोमैटिकली इनको स्टेट को देना पड़ेगा व्हिच कम्स अराउण्ड 52 थाउजैण्ड करोर्स। 52 हजार करोड़ रुपया हमें मिलेगा जिसकी बात अध्यक्ष महोदय, गोपाल राय जी कह रहे थे कि उससे क्या होगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का रिप्रजेंटेटिव हूं। एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड तमाम नेबरिंग स्टेट्स से लोग रहते हैं और सभी प्रवासी लोग

हैं। प्रवासी हैं मतलब... हैं हम सब ज्यादातार लोग प्रवासी हैं। दिल्ली का मतलब ही प्रवासी है। जैसे युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर तमाम देशों के शोषित लोग जो हैं; इंग्लैंड के हों, चाहे फ्रांस के हों, सब लोग जा करके बसे थे। उससे एक क्रांति आई। उसके बाद एक अमेरिका बना और एक डेवलप्ड देश बना। उसी प्रकार से हिन्दुस्तान के अंदर दिल्ली एक ऐसा एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे हिन्दुस्तान के लोग यहां पर बसते हैं। और खासकर के जिस अनऑथोराइज्ड कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, वो पिछले 25 से 30 सालों में बसा है। विशेष तौर पर जब बसा है, जब देश के अंदर हमारी इकॉनोमी लिबरलाइज हुई और प्राइवेटाइज हुई और ग्लोबलाइज हुई। उसके बाद उसकी संख्या बढ़ी। बढ़ी कैसे? क्योंकि जिन–जिन राज्यों के अंदर जॉब ॲपोर्च्युनिटी की कमी थी, पेट, ये जो पेट है अध्यक्ष महोदय, इसको भरने के लिए हर व्यक्ति ट्रैवल करता है। वहां जाता है जहां रोजगार होता है, पहुंचता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाली चीजों को फोरकॉस्ट करने की, उसकी प्लानिंग करने की। आज अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कोई गलती नहीं है। सरकारों की गलती है कि आप चीजों को फोरकास्ट नहीं कर पाये कि जब प्राइवेटाइज इकॉनामी हो रही है, जो लिबरलाइज हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है तो उसके बाद जो लोग हमारे क्षेत्र के अंदर आयेंगे, जो जॉब ॲपोर्च्युनिटी पैदा हो रही हैं, उससे जब जॉव ऑपोर्च्युनिटीज़ को एन्कैश करने के लिए नेबरिंग स्टेट्स के लोग आयेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी, उनकी बाकी दिनचर्या की व्यवस्था क्या होगी, कैसे रहेंगे, कैसे खायेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ायेंगे; ये जिम्मेदारी तो उस समय की सरकारों की थी। जब आपका पॉलिसी फेल हुआ, जब आपका गवर्नेंस फेल हुआ, तब जाकर

के 1797 अनऑथोराइज कॉलोनी दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट किया। उसके बाद कहते हैं कि इल्लीगल कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, सुविधा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भई? इस दिल्ली को दिल्ली बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो उन प्रवासी लोगों का हाथ है जो 25–30 साल पहले एक झोला उठा कर के अपनी ट्रेन में बैठकर के आये थे, अपनी मेहनत, मजदूरी से कमाए हुए पैसों से, दिए हुए टैक्स के पैसों से और अपनी मेहनत से इस देश की इस राजधानी को बसाया और अपनी मेहनत के पैसों से और छोटे–छोटे एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा और जिसको आज हम अनऑथोराइज कॉलोनी कहते हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाएं, अब बुनियादी सुविधा लेने के लिए हम पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, उसी सरकार से मांगेंगे जहां पर हमने श्रम किया, जहां पर हमने मैट्रो बनाया, जहां पर हमने सड़क बनाया, जहां की इंडस्ट्री को चलाया, जिससे आपको राजस्व मिला। बुनियादी सुविधा के लए कहां जायेंगे? यहीं से तो मांगेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय, कि भाजपा वाले बहुत सालों से लड़ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दो। लेकिन जब सत्ता में आये तो अपने ही वादों से मुकर गए। अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर समस्या क्या है, हमें क्या अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है? हमें एजुकेशन लोन क्यों नहीं मिलता है? हमने क्या सरकार से खैरात में जमीन पाया था? हमने तो अपने मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसों से प्लॉट खरीदा था। फिर हमारे ऊपर ये तलवार क्यों लटका हुआ है? 30 साल से बसे हुए हैं। क्या हमें एजुकेशन लोन का अधिकर है कि नहीं है? क्या हमें होम लोन का अधिकार है कि नहीं है? क्या हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है कि नहीं है? क्या बिजली, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे घर के आगे

कूड़ा कचरा साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस तरह का भेदभाव ऐसे किया जाता है जैसे कि हम सेकण्ड क्लास सिटीजन हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को हमारी प्रवासी लोगों ने बहुत उम्मीद से चुना। 2015 के अंदर और 2015 में माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक सरकार बनती है दिल्ली के अंदर और केवल और केवल तीन महीने के अंदर में अनऑथोराइज कॉलोनी को रेग्यूलराइज करने के लिए फाइल पूरी की पूरी जो है, फार्मेलिटी के साथ में सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब तीन महीने बाद यानी कि 2015 के मार्च–अप्रैल में ही जब फाइल आपके पास भेज दी गयी, मोदी जी को भी कैबिनेट है, उसके पास सेंट्रल यूडी मिनिस्टर के पास तो तीन साल से क्या उसपे भजिया तल रहे हो? तीन साल से वो फाइल क्यों नहीं पास कर रहे हो, अनऑथोराइज कॉलोनी को रेग्यूलराइज करने से क्या फायदा होगा अध्यक्ष महोदय, कि अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर में जो 80 लाख लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी से इस शहर को बसाया है, जिन्होंने मेट्रो बनाया है, जिन्होंने सड़के बनाई हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री चलाया है, जिन्होंने इस प्रदेश की तरक्की के लिए खून पसीना एक किया है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी लोन मिल सकता है, उनको भी अपने घर की छत बनाने के लिए होम लोन मिल सकता है, उनको भी सीवर की सुविधा मिल सकती है, उनको भी पीने का पानी मिल सकता है, उनकी भी गलियां बन सकती हैं, उनका भी सड़क बन सकता है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें फंडामेंटल राइट के रूप में और संविधान के रूप में दिया था; यूनिवर्सल ऐडल्ट फ्रेंचाइज का, उस अधिकार को प्राप्त करने का

अधिकार भी अनऑथोराइज कालोनी में रहने वाले तमाम गरीब, बुजुर्ग, नौजवान और महिलाओं को, सबको है।

अध्यक्ष महोदय, आज सबसे इंर्पोटेंट बात जो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं कि अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर क्योंकि ये दिल्ली प्रदेश फुल स्टेट नहीं है, अधिकारी को हम बुलाते हैं, बोलते हैं, "भैया, सड़क बना दो।" रांग कमिटमेंट करके चला जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पुलिसिंग की। अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर में मेरे क्षेत्र में पाँच लाख लोग रहते हैं, एक पुलिस थाना है। वो भी शॉर्ट स्टाफ। क्या हमारे लोगों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? एक थाना, पाँच लाख लोगों पे। सुन के हैरान हो रहा सदस्यों को। अमन विहार थाना! एक थाना, वो भी आधी पुलिसिंग। चोरी वहां पर, जुआ सट्टा वहां पर, सारे चक्कारी वहां पर, सब कुछ वहां पर। एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जहां पर 53 प्रतिशत लोग केवल पढ़े लिखे हैं। और डेन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी है दिल्ली में 12 हजार लोग एक कि. मी. के अंदर में रहते हैं। ये दिल्ली की बता रहा हूँ, हमारे यहां तो शायद 24 हजार रहते हों डेन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो। लक्ष्मी नगर की बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी नगर, बुराड़ी ये सब जगह की बात हुई है।

तो साथियो, अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत गंभीर मसला है। चाहे वो आज हमारे पास स्कूल नहीं है, बच्चा हमारा पढ़ने के लिए रेलवे लाइन पार जाता है और मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकारिक तौर पे चाहता हूं रिकॉर्ड पर आए, 500 से ज्यादा बच्चे केवल स्कूल जाने और आने के दौरान रेल एक्सीडेंट के शिकार हो गए। क्या वो इंसान के बच्चे नहीं थे? क्या उनका फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार नहीं दिया था संविधान के अदंर? क्या उनको जीने का, पढ़ने

का अधिकार नहीं है क्या? ये एक बहुत इमोशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं बना पा रहे स्कूल? क्योंकि जिस डीडीए की जमीन, हमारे क्षेत्र से लगती हुई जमीन है जहां पर स्कूल बन सकता है, वो डीडीए हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो डीडीए जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो हमें जमीन देता नहीं है स्कूल बनाने के लिए। इसलिए हमारे बच्चे मजबूर हैं रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए और रेलवे लाइन क्रॉस जब वो सुबह शाम करते हैं तो उसके दौरान बहुत सारे बच्चे जो है, को रेल एक्सीडेंट तक के शिकार हो जाते हैं। आज हम 30 साल पुराना रेलवे फाटक के ऊपर में रेलवे अंडरब्रिज नहीं बना पा रहे, ओवर ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे अंडरब्रिज बनाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, एमसीडी किसकी है? होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, एक तीसरी सरकार है वहां पर। इस प्रदेश के अंदर में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। आज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं, शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री थीं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा, ये पीड़ा केवल हमारे साथ नहीं है, पहले वालों के साथ भी है। विडम्बना केवल ये हे कि आज ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। आज इनके स्वर क्यों बदले हुए हैं? शीला दीक्षित कह रही है कि एमसीडी वाले लोग आये, मेरे घर के आगे कूड़ा डंप करके चले गए, हम कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज हमारे मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि मैं एक चपरासी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। तो संविधान का आर्टिकल 69 जो कि एमसीडी ऐक्ट बनाता है अध्यक्ष महोदय, इसको पास केवल पार्लियामेंट में किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी डिमांड कर रही थी, कांग्रेस डिमांड कर रही थी, आज बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है तो दोनों मिल कर के दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दे क्यों नहीं देते? रही बात आपकी एनडीएमसी

एरिया, तो नई दिल्ली पुलिस बना लो। दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली पुलिस, दो अलग–अलग हो जाएंगे। एनडीएमसी में यही डर है ना कि प्रधानमंत्री का काफिला वो रोक न दें कहीं। तो ठीक है आप एनडीएमसी में नई दिल्ली पुलिस चला लीजिए और दिल्ली पुलिस रहने दीजिए। इस तरह का मसौदा ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार इन्वेंट किया? आडवाणी जी से लेकर के बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं लेकिन बात अब यहां पर ये है कि इस सदन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को एकदम ये संकल्प लेना पड़ेगा, ये फाइनल वार हमें लड़ना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को भी यूनिवर्सल ऐडल्ट फ्रैंचाइज जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया था, उतना ही अधिकार हमारा वोटर को भी मिलना चाहिए जितना अधिकार अन्य प्रदेशों के वोटर को है और कोई भी ऐसी यूनियन टेरीटरी भारत में एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी आबादी दो करोड़ हो। तो कम से कम उस दो करोड़ लोगों को, उन टैक्स पेयर्स को, उन पढ़े लिखे नौजवानों को, उस एलीट क्लास को, उन तमाम वर्ग के लोगों को; चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अनऑथोराइज कॉलोनी में रहने वाले हो, चाहे वो जे.जे. क्लस्टर्स में हो, उन सभी को न्याय दिलाने का वक्त आ चुका है और इसके लिए मैं डिमांड करता हूं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 69 के अंदर में संशोधन करके भारत की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले जिससे कि तमाम क्षेत्र के लोगों को, खासकर के अनऑथोराइज कालोनी के लोगों को सीवर, पानी, स्कूल वो तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल सकें जिसका उन्हें अधिकार है और सबसे पहला अधिकार किसी का है तो उन प्रवासियों का है जो अनऑथोराइज कालोनी में रहते हैं, जिन्होंने इस शहर को बसाया है, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रस्ताव जो मनीष सिसोदिया जी ने सदन के सामने रखा था, उसपे हमें अपना वक्तव्य देने के लिए आपने मौका दिया। आज दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जो दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। दिल्ली की जनता ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली की सरकार बनाई थी, आम आदमी की सरकार। बहुत उम्मीदें थीं। हर समय उनको लगा था जो आज तक जो काम नहीं हुआ, वो अब काम हो जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा जो दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण हमारी सरकार के हर काम में छोटे से छोटे काम में एलजी साहब के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से ये भाजपा की केन्द्र में बैठी सरकार काम का रोड़ा बनती रही; हर काम के लिए, चाहे वो हमारे सबसे ज्यादा जो अभी हमें जो दिक्कत आ रही है, दिल्ली को दिक्कत आ रही है दिल्ली की सरकार चलाने में दिक्कत आ रही है दिल्ली की जो डीडीए की लैंड है, आज छोटे–छोटे काम जैसे मौहल्ला क्लीनिक, स्कूल, बस टर्मिनल बच्चों के स्पोर्टस लाइब्रेरी, स्पोटर्स के लिए जो उनकी जगह होती है; स्टेडियम, छोटे–छोटे काम जिसकी दिल्ली की सरकार से दिल्ली की जनता उम्मीद करती है। वोट दी, फुल बहुमत के साथ 70 से 67 सीट दी, अब जो–जो काम रुका हुआ है, सब हो जायेगा। बहुत उम्मीदें थीं जो इनको कोई ओपोजीशन में भी रोकने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने दिया पूरी ताकत के साथ लेकिन आज दुर्भाग्य है जो हमारी छोटे–छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं और वो छोटे–छोटे कौन से काम हैं; मोहल्ला क्लीनिक एक हजार मोहल्ला क्लीनिक के हमारी मंत्री जी ने बैठ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया था और दिल्ली की जनता काफी उत्साहित थी, खुश थी जो हमें वो मोहल्ला क्लीनिक हर गली, हर मोहल्ले में मिलेगा। उसी तरीके से स्कूल हमारे क्षेत्र

में स्कूल, काफी सारे स्कूल हैं लेकिन गवर्नमैंट स्कूल चाहिए, प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन गवर्नमैंट स्कूल के लिए लैंड नहीं है, उस लैंड के लिए लगातार बारहवीं तक की कक्षा नहीं है, दसवीं कहीं गांव में जो हमारा है, वो दसवीं तक की कक्षा है लेकिन लड़कियों को दूर जाना पड़ता है, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए लगातार तीन साल से प्रयासरत हूं; जगह दे दो, जगद दे दो, जगह दे दो। सरकारी हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में, हमारी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल बड़े–बड़े हॉस्पिटल हैं; मैक्स है, फोर्टिस है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और आज तक लगातार तीन साल से प्रयासरत रहते हुए जमीन है। जमीन पे आइडेन्टिफाई किया हुआ है। ये हॉस्पिटल की जगह है लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो जगह आज तक हॉस्पिटल नहीं बन पाई। बस टर्मिनल; बस ऐसे मुड़ती है जब मुड़ती है तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। आधा घंटा बस को घुमाने में लग जाता है। बस टर्मिनल को शिफ्ट करने के लिए जगह है, सब कुछ है, वो बस स्टॉप भी है, स्टॉप के बगल में डीडीए की लैंड है लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो बस टर्मिनल को वो जगह नहीं मिली ओर जहां की तहां समस्या वहीं की वहीं है और लगातार क्षेत्र के लोगों की कम्पलेंट हम सब के सामने आती रही। उसी तरीके से जो हमारी पुलिस की स्थिति है, हमें याद है, जो 49 डेज की हमारी सरकार हुआ करती थी तो उसमें थाने लेवल की कमेटी हुआ करती थी। उसके चेयरपर्सन एमएलए होते थे, उसमें एसडीएम भी आते थे, निगम पार्षद भी आते थे और आरडब्ल्यूए सीनियर सिटीजन महिलाएं स्लम कलस्टर के लोग आते थे और छोटी–छोटी समस्या हम लोग सब मिल के बैठ के सुलझा लेते थे और वो समस्या वहां सुलझती भी थी और उस पर कार्रवाई भी छोटे–छोटे जो क्षेत्र की जो छोटी–छोटी समस्या... दिन रात क्षेत्र में क्राइम बढ़ गई है दिल्ली आज क्राइम कैपिटल बन के रह

गया है। मतलब हमारे क्षेत्र में छोटे–छोटे क्राइम मेरे ब्लॉक में दिन में दो बज ढ़ाई बजे चोरी हो जा रही, पूरा घर लूट जा रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। आज कल लगभग हमारे चार महीने में चार जगह बड़ी–बड़ी गोली चल चुकी। दिन में फायरिंग करते हुए बाइक पर बैठे हुए, हैलमेट लगाके बिना नंबर प्लेट की बाइक पे लगा के जा रहे हैं; गोली फायरिंग करते हुए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि हमारे पास क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई भी मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है, थाना लेवल नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी हुआ करती है, मीटिंग होती है जिसके चेयरपर्सन हमारे सांसद महोदय हैं। सांसद महोदय को सारी पता है कि क्षेत्र में कहां–कहां क्राइम हो रही है, कहां–कहां सट्टेबाजी चल रही है, कहां–कहां हमारे लिक्कर शॉप जो गोलियों में अनऑथोराइज लिक्कर शॉप खुले हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिन दहाड़े लूट हो रही है। महिलाओं ने चेन पहनना, पर्स ले के चलना छोड़ दिया है, बहुत मुश्किल है फिर भी आज तक कोई सांसद महोदय दिल्ली की क्राइम को ले के कभी भी न सदन में हुआ, न क्षेत्र में घूमते हैं। चार साल में तो अपने सांसदों को हमने अपने क्षेत्र में नहीं देखा। क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण आज पुलिस हमारी नहीं सुनती, हमारी नहीं सुनती और साथ में पुलिस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो उनके पास 66 हजार जो अलका जी ने कल बताया था जो पुलिस कम है, उनके पास थाने में रुकने के लिए पुलिस नहीं है, क्षेत्र में पैट्रोलिंग करने के लिए पुलिस नहीं है और जब हमारी मोहल्ला रक्षक दल बनाने की बात आई तो दिल्ली की सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार को सहमति नहीं मिली, न एलजी साहब का ऑर्डर मिला न केन्द्र का। उस पर आदेश जारी हुआ हौर मोहल्ला रक्षक दल जो बहुत अच्छी स्कीम बनी थी जो मोहल्ला रक्षक दल जो मोहल्ले की रक्षा करेगा, आज तक वो नहीं हुई। महिलाओं की

सुरक्षा को ले के लगातार मैं आज सभी लगभग हमारे यहां 80 कॉलोनी हैं जहां से सीसीटीवी की डिमांड आई थी; महिलाओं की सुरक्षा को ले के, क्षेत्र की सुरक्षा को ले के सीसीटीवी के लिए लगातार चार साल से जद्दोजहद हम सब कर रहे हैं, सभी एलजी साहब के घर का चक्कर काट के उसके बाद सीएस जो हमारे चीफ सैक्रेटरी हैं, उनके ऑफिस का चक्कर काट के लेकिन आज तक सीसीटीवी... जब टैंडर हुआ तब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आज मैं जिस भी आरडब्ल्यूए से बात करती हूं, वो कहते हैं, "सीसीटीवी हमारी मर्जी से लगेगा।" मार्किट एसोसिएशन कहती है, "सीसीटीवी हम लगाएंगे।" वो ईवन कि विधायकों की मर्जी भी नहीं चाहते और वहां पर एक कमेटी बना दी गई। वो कमेटी डिसाइड करेगी, सीसीटीवी कहां लगेगी। आज दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की बच्चियां हम सब से ये सदन से उम्मीद कर रही है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा! आज लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली का, महिलाओं की बहुत उम्मीद कि सरकार आज आम आदमी सरकार थी, महिलाओं ने उम्मीद किया था जो ये सरकार आ गई तो हमारी बेटियां...

माननीय अध्यक्षः बंदना जी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती बंदना कुमारीः सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारा क्षेत्र सुरक्षित है लेकिन आज महिलाएं क्या... बेटी निकल रही है घर से और मां को चिंता बन रही है जो बेटी हमारी सही सलामत घर तक आ जायेगी। तो आज दिल्ली को जिस तरीके से आधे अधूरी स्थिति में छोड़ा गया है तो मैं इस सदन से जो गोपाल जी ने कहा जो अब सदन नहीं... सड़क पर भी हमें सबको मिल के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि जब—जब कांग्रेस ने भी बार—बार कहा हम पूर्ण राज्य चाहते हैं। दिल्ली को बीजेपी वालों ने कहा, "पूर्ण राज्य चाहते हैं, हम दिल्ली को देना।" लेकिन यही दिल्ली

का दुर्भाग्य रहा जो हर ने आ कर जुमला छोड़ा। हर ने आ के अपनी–अपनी बातें करीं, हर ने आ के अपनी–अपनी मैनिफैस्टो बनाई लेकिन पूर्ण राज्य नहीं मिला। तो मैं माननीय मंत्री जी गोपाल जी के बातों का पूर्ण समर्थन करती हूं जो सब सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये सदन जिसको पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश देख रहा है और इससे उम्मीद कर रहा है जो हमारी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और पूरी ताकत के साथ दिल्ली के वोटरों के साथ दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी करेगी और ये आम आदमी की हक की लड़ाई, दिल्ली की जनता की लड़ाई हम सब सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, जयहिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाह रहा हूं आज और कल जो नाम मेरे पास आये थे इस विषय पर चर्चा के लिए, उन में अभी गुलाब सिंह जी, भावना गौड़ जी, पंकज पुष्कर जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, राजेश ऋषि जी, महेन्द्र गोयल जी, जरनैल सिंह जी, जगदीप जी कल के नामों में बग्गा जी, दलाल जी और एक प्रमिला टोकस जी का नाम मेरे पास सीधे आया है। ग्यारह सदस्य अभी बाकी हैं, कल चर्चा पूरी होगी, मंत्री जी उत्तर देंगे। अगर आप उचित समझते हैं तो सदन का समय बढ़ाया जाये। बताइये सभी सहमत हैं? (सदन द्वारा ध्वनिमत से सहमति प्रकट करने पर) चलिए, अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 8 जून, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 8 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की गई।)